रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102022-239391
CG-DL-E-07102022-239391

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944
No. 249] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर 2022

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. (एसएसआर) 9/2021

विषय: बांग्लादेश और नेपाल के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "जूट उत्पादों" के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच।

फा. सं. 7/09/2021-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे "पाटनरोधी नियमावली" कहा गया) को ध्यान में रखते हुए:

क. मामले की पृष्ठ भूमि

क. मूल जांच

1. बांग्लादेश और नेपाल से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल जांच की शुरुआत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 21.10.2015 की अधिसूचना सं. 14/19/2015-डीजीएडी के माध्यम से की गई थी। निश्चयात्मक पाटनरोधी

शुल्कों की सिफारिश दिनांक 20.10.2016 की अधिसूचना सं. 14/19/2015-डीजीएडी के माध्यम से की गई थी और दिनांक 05.01.2017 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 01/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से लगाया गया था और आगे उसमें दिनांक 03.04.2017 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 11/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) के द्वारा संशोधन किया गया था। बाद में, प्रवंचनारोधी जांच की शुरुआत बंगलादेश से "जूट सैकिंग क्लाथ" ("जूट सैकिंग बैग" के अंतिम से पूर्व एक चरण) के आयातों के संबंध में दिनांक 20.03.2018 की अधिसूचना सं. 7/3/2018-डीजीएडी के माध्यम से की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 19.03.2019 की अधिसूचना सं. 7/3/2018-डीजीएडी के माध्यम से उपर्युक्त अधिसूचनाओं के माध्यम से सैकिंग बैग्स पर लगाए गए मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का समय विस्तार करने की सिफारिश की और दिनांक 18.06.2019 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 24/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से लगाया गया था।

ख. वर्तमान निर्णायक समीक्षा-जांच

2. इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन (आईजेएमए) (जिसे इसके बाद "आवेदक" अथवा "आवेदक संघ" कहा गया है) ने इस नियमावली के नियम 23 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत् प्रमाणित आवेदन दायर किया। तथ्यों की प्रथमदृष्टया जांच के बाद, प्राधिकारी ने बंगलादेश और नेपाल के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को लगातार लगाए रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए दिनांक 28 जून, 2021 की अधिसूचना सं. 7/9/2021-डीजीटीआर के माध्यम से निर्णायक समीक्षा (एसएसआर) जांच की शुरुआत की।

ख. प्रक्रिया

3. इस जांच में यहां नीचे वर्णित की गई प्रक्रिया अपनाई गई है:

i. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में एक निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 28 जून, 2021 को सार्वजनिक सूचना जारी की।

ii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और उद्योग संघों (जिनके ब्यौरे आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को प्रश्नावलियों के साथ सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अग्रेषित की और पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार अपने विचारों को लिखित रूप में अवगत कराने के लिए उन्हें अवसर दिया। उन्हें अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से अथवा पत्रों की तिथि से 30 दिनों के भीतर उत्तर देने की सलाह दी गई थली।

iii. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार संबद्ध देशों के दूतावासों और ज्ञात निर्यातकों को आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन की एक प्रति अनुरोध किए गए अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई थी।

iv. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्नावलियां भेजीं:

बंगलादेश के निर्यातकों और निर्माताओं की सूची	
कोरोफिन जूटेक्स कारपोरेशन	करीम जूट स्पिनर्स लिमिटेड
मितुअल जूट स्पिनर्स लिमिटेड	नोवापारा जूट मिल्स लिमिटेड
सादात जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	शमशेर जूट मिल्स लिमिटेड
शाइनपुकुर होल्डिंग्स लिमिटेड	वर्ल्ड ट्रेडिंग कारपोरेशन
अबीर इंटरनेशनल	आतमर एंटरप्राइज
आलम ट्रेड इंटरनेशनल	आलिफ इंटरनेशनल
एलिस इंटरनेशनल	अमानत इंटरनेशनल

अंश कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड	एबीसी एजेंसी
एसीएमई ट्रेड इंटरनेशनल	अनिका ओवरसीज डिस्कवरी सर्विस
आरके एंड कयार एसोसिएट्स	असिमपेक्स ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड
अमीन जूट प्रोडक्ट्स	बेंगाल ब्राइडेड रग्स लिमिटेड
बेंगल्फ ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	बेंगल्फ ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
बोनी इंटरनेशनल लिमिटेड	बेंगाल जूट एंड बरलैप एजेंसीज
बैग एंड बरलैप इंटरनेशनल लिमिटेड	बीबीआई जूट एंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट लिमिटेड
बंगलार अंश (प्राइवेट) लिमिटेड	बी.एन. ट्रेडिंग
बंगलादेश एलायड बिजनेस एसोसिएशन	बंकर इंटरनेशनल कारपोरेशन
बंगलादेश जूट प्रोसेसिंग कंपनी	बेइको इंटरनेशनल लिमिटेड
भुइयान इन्टरनेशनल कारपो.	बरलैप वर्ल्ड लिमिटेड
बिजलाइन कारपोरेट लिमिटेड	बल्क ट्रेड इंटरनेशनल
ब्रदर्स इंटरनेशनल	बंगलादेश इंटरनेशनल ट्रेड
बी.देश जूट डाइवरसिफिकेशन सेंटर	बेहेस्टी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट
बंगलादेश एक्सपोर्ट लिमिटेड	सीडीआर ट्रेड इंटरनेशनल
कोमिमपेक्स	कान्फिडेंट जूट एंड बैग लिमिटेड
कंक्रीट फाइबर्स इंटरनेशनल	कन्सोलिडेटेड कोमोडिटीज
क्रिएशन (प्राइवेट) लिमिटेड	क्रिफू इंटरट्रेड लिमिटेड
कोर-दि जूट वर्क्स	कोरोफिन जूटेक्स कारपोरेशन
कास्मोटिक	कान्टीनेंटल ट्रेड एक्सचेंज लिमिटेड
दुबई जूट एंड बैग कारपोरेशन	दिपाली एजेंसीज
डेलका बंगलादेश लिमिटेड	देश बिदेश इंटरप्राइज
दवन एक्सपोर्ट इंटरनेशनल	देवन ट्रेड इंटरनेशनल
ईस्टर्न ट्रेड इंटरनेशनल	ऐरंस ट्रेड इंटरनेशनल लिमिटेड
इकोट्रेड इंटरनेशनल	इकोट्रेड इंटरनेशनल
ईस्ट एशियन बिजनेस एसोसिएट्स	एक्जिम एन. ट्रेड
ईराब लिमिटेड	एसेस एक्सपोर्टर्स लिमिटैड
ईनाम एंड संस	ईहमाम इंटरनेशनल लिमिटेड
एज ट्रेडिंग	एक्स्ट्रा पेस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड
ईनाम एक्सप्रैस लिमिटेड	अरली बर्ड कारपोरेशन
ईशान जूट प्रोडक्ट्स	फैजल ट्रेडिंग कंपनी
फरहान स्टाइल लिमिटेड	फाइबर्स इंटरनेशनल लिमिटेड

फूड ग्रेड जूट ट्रेडर्स	फाईमेक्स ट्रेड इंटरनेशनल
फाइबर डील्स लिमिटेड	फेयर ट्रेडिंग कंपनी
फातिमा अल्याफ ताला-ए-जूट इंडस. लिमिटेड	जेम जूट लिमिटेड
ग्लोबल जूट गुड्स	ग्लोब सॉलिडेरिटी लिमिटेड
गोल्डन जूट डाइवरफिकेशन सेंटर लिमिटेड	ग्लोबल जूट ट्रेडिंग लिमिटेड
एच.एफ. एक्सपोर्टर्स	हमोना ट्रेडिंग कारपोरेशन
होसैन जूट ट्रेडिंग कंपनी	हनीफ इम्पैक्स इंटरनेशनल
एचएन इंटरप्राइज	इंटरनेशनल ट्रेड एक्सचेंज
इंटरनेशनल बरलप सप्लायर	इंडुस एंटरप्राइज
आइमेंस ट्रेडिंग हाउस	जूट एंड बैग्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन
जूट एक्सपो ट्रेडिंग लिमिटेड	जूट हेवन
जूट एक्सपोर्ट कारपोरेशन	जुटेक्स बंगलादेश
जैनेक्स इंटरनेशनल	जुटेक्स इंटरनेशनल
जहान ट्रेडर	जहान इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी
जूट मेट पैकेजिंग कंपनी	जूट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कारपोरेशन
जेबीएल इंटरनेशनल	जुपिटर जूट लैदर कारपोरेशन
जहान इंटरप्राइज	किरन इंटरप्राइज
नैफ इंटरनेशनल	किंगशुक लिमिटैड
खान संस इंटरनेशनल (बीडी) लिमिटेड	लुपा इंटरनेशनल
लोट्स इंटरनेशनल	लुईस ड्रेफुस कंपनी लिमिटेड
लिप्टन जुट ट्रेड इंटरनेशनल	मेट्रोपालिटियन एक्सपोर्ट कारपारेशन
मोनामी इंटरनेशनल लिमिटैड	एम.एफ इंटरनेशनल
मस्क एसोसिएट (प्राइवेट) लिमिटेड	मैको जूट बैग कारपोरेशन
मीम इंटरनेशनल	मोनिर ट्रेडिंग कारपोरेशन
मॉवलिक ट्रेड एंड सर्विसेज लिमिटैड	मोहाजन ट्रेड इंटरनेशनल
एम.आर. एसोसिएट्स	एम. रहमान एंड कंपनी
एम.एच. ट्रेडिंग	मिकुनि कारपोरेशन
मवादा ट्रेडर्स	मार्ट ओवरसीज लिमिटेड
मोनोसुर एंड ब्रादर्स	मी ट्रेडिंग कारपोरेशन
मॉडर्न इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट	एम.एम. इंटरनेशनल
नेप्चुन इंटरप्राइजेज	नेचर फाइबर सर्विसेज लिमिटेड
नर्सिंगदी जूट टेडर्स	नेचुरल जूट प्रोडक्ट्स

न्यू एजेंसीज	नीटी इंटरप्राइजेज
ओरिएंट ट्रेड इंटरनेशनल	आमेगा फैशन लिमिटेड
ऑनलाइन लिमिटेड	पास्को जूट
प्राइम इंटरप्राइज	रेनबो एसोसिएट्स
रिलाएबल ट्रेड इंटरनेशनल	रीन ट्रेड इंटरनेशनल
रश एक्सपोर्ट इंटरनेशनल लिमिटेड	रोज कॉर्नर (प्राइवेट) लिमिटेड
रिमेक्स इंटरप्राइज	आर.ई.बी. एजेंसीज
रफीक ट्रेड इंटरनेशनल	राज फाइबर लिमिटेड
सीटेक्स इंटरनेशनल	स्विफ्ट ट्रेड इम्पैक्स
शांति एक्सपोर्ट इंटरनेशनल लिमिटेड	शम्स ट्रेड इंटरनेशनल लिमिटेड
सामी इंटरप्राइज	सीलैंड एक्सपोर्ट इंटरनेशनल
एसडब्ल्यूएस ट्रेड लिनर्स (प्राइवेट) लिमिटेड	सागोरिका इंटरनेशनल
सोनाली अंश ट्रेडिंग (प्राइवेट) लिमिटेड	श्यामल बंगला जुटेक्स लिमिटेड
सोनाली फाइबर ट्रेडिंग कंपनी	सी-रॉक कंसोर्टियम
सोनारगांव फाइबर्स	सोनजेस इंटरनेशनल
एसएमएसएन ट्रेड इंटरनेशनल	सैद इंटरपाइज
स्काईलैंड एंड फैम लिमिटेड	सदात ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
समेर इंटरप्राइज	शतदीपा ट्रेड कंपनी
सादिया जूट ट्रेडिंग	शरीफपुर ट्रेडिंग एजेंसी
सुतापा इम्पैक्स	सैसक्स एक्सपोर्ट एंड ट्रेडिंग इंटरनेशनल
एस.इस्लाम एंड संस	एस.एस. इंजीनियरिंग वर्क्स
एस.एस. इंटरप्राइज	दि ग्लोब ट्रेडर्स
तकावा माह इंटरप्राइज लिमिटेड	दि गोल्डन फाइबर ट्रेड सेंटर लिमिटेड
ट्रेड इंटरनेशनल	टौरस लिमिटेड
ट्रेड इम्पैक्स	तमारा ट्रेडिंग एजेंसीज लिमिटेड
यूनि एक्जिम	उजाला ट्रेडिंग कारपोरेशन
विक्टरी इंटरप्राइज लिमिटैड	विकर इंटरनेशनल
वैरायटी जूट ट्रेडिंग कंपनी	वेरटेक्स इंटरनेशनल लिमिटेड
विलियम एजेंसीज	विजर्ड इनकारपोरेशन
याकुब अली (फरीदपुर) लिमिटेड	ए.आर.ए जूट मिल्स लिमिटेड
एबीसी एजेंसी	अहाद जूट मिल्स लिमिटेड
अकिल जूट मिल्स लिमिटेड	अल-हज अमीनुद्दीन जूट मिल्स लिमिटेड

अलीजान जूट मिल्स लिमिटेड	अनवर जूट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड
अजीज फाइबर्स लिमिटेड	बी.एस. जूट स्पिनर्स लिमिटेड
बंगलादेश जूट मिल्स कारपोरेशन	बंगाल जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
चारमुगुरिया जूट मिल्स लिमिटेड	चिटगांग जूट मैन्फैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
कोरोफिन जुटेक्स कारपोरेशन	क्रिएटिव इंटरनेशनल
फरीदपुर जूट फाइबर्स लिमिटेड	फातिमा अलयाफ ताला-ए जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
फरदौस जूट मिल्स लिमिटेड	इस्लाम खान जूट मिल्स लिमिटेड
जनता जूट मिल्स लिमिटेड	जूट स्पिनर्स लिमिटेड
करीम जूट स्पिनर्स लिमिटेड	केरानीगंज जूट फाइबर्स लिमिटेड
लॉयटन जूट मिल्स लिमिटेड	मेट्रोपोलिटियन एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन
म्युचुअल जूट स्पिनर्स लिमिटेड	नवाब अब्दुल मालेक जूट मिल्स (बीडी) लिमिटेड
न्यू डक्का इंडस्ट्रीज लिमिटेड	निशान जूट मिल्स लिमिटेड
नॉर्दन जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	नोवापारा जूट मिल्स लिमिटेड
पाटुखली जूट मिल्स लिमिटेड	पापुलर जूट मिल्स लिमिटेड
सदात जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	सदात ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
सागर जूट स्पिनंग मिल्स लिमिटेड	सरवर जूट मिल्स लिमिटेड
सैय्यद जूट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड	शमशेर जूट मिल्स लिमिटेड
शरीफ जूट मिल्स लिमिटेड	शिहाब जूट स्पिनर्स लिमिटेड
शाइनपुकार होल्डिंग लिमिटेड	श्यामल बंगला जुटेक्स लिमिटेड
सिदला टेक्सटाइल (बंगलादेश) लिमिटेड	सोनाली अंश इंडस्ट्रीज लिमिटेड
स्पेशलाइज्ड जूट यार्न एंड ट्विन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	सुप्रीम जूट एंड नाइटेक्स लिमिटेड
ट्रांसोसिएन फाइबर्स प्रोसेसर्स (बीडी) लिमिटेड	उषा जूट स्पिनर्स लिमिटेड
विक्ट्री जूट प्रोडक्ट्स लिमिटेड	वर्ल्ड ट्रेडिंग कारपोरेशन
नेपाल के निर्यातकों और निर्माताओं की सूची	
अम्बिका	ट्रांस ट्रेड सर्विस
असाही ओवरसीज ट्रेडर्स	जनरल ओवरसीज एजेंसी
अशोक ट्रेडिंग कन्सर्न	घोराश्यार इंटरप्राइजेज
एटलांटिक ट्रेडिंग कन्सर्न	गोलचा आर्गेनाइजेशन
बी.के. इंटरनेशनल	ग्रीनटेक्स इंटरप्राइजेज
बाबा इंटरप्राइजेज	गुप्ता इंटरप्राइजेज
बालाजू इंटरप्राइजेज	हिम इंटरनेशनल (प्राइवेट) लिमिटेड

भूदेव खाद्य उद्योग	इन्द्रा ट्रेड कन्सर्न
बिजय इंटरप्राइजेज	जालनेक्स इंटरप्राइजेज
संगम इंटरनेशनल इंटरप्राइजेज	बिनित इंटरप्राइजेज
खाटु इंटरनेशनल	ब्राइटर इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड
लक्ष्मी कन्सर्न	छग्गन मल ट्रेडर्स
मदन लाल चिरंजीबी लाल छायंग्ले	महेश ओवरसीज इंटरप्राइजेज
डायमंड नेपाल इंटरप्राइजेज	नेपाल यूनाइटेड कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड
दिगो इंटरनेशनल (प्राइवेट) लिमिटेड	न्यू ट्रेड सेंटर
डगर ब्रादर्स एंड संस	पबन ओवरसीज कन्सर्न
डगर आर्गेनाइजेशन	आर एंड आर इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटैड
एक्सपोर्टेक्स ट्रेडिंग	राजश्री इंटरप्राइजेज
गौरव इम्पैक्स	

v. संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और अनुरोध किया है:

मिर्जा जूट मिल्स लिमिटेड	हसन जूट एंड स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड
जेम जूट मिल	हासेन जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
अफजल फाइबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज	जनता जूट मिल्स लिमिटेड
अनाम जूट प्रोडक्ट्स लिमिटेड	सदात जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
आशा जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	ए.एम. जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
उषा जूट स्पिनर्स लिमिटेड	अरिहंत मल्टी-फाइबर्स लिमिटेड
बागरा जूट मिल्स लिमिटेड	श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड
बोनांजा जूट कम्पोजिट एंड डाइवर्स फैक्टरी लिमिटेड	बाबा जूट मिल्स
मौना जूट मिल्स लिमिटेड	स्वास्तिक जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
ऐरंस ट्रेड इंटरनेशनल लिमिटेड	नेपाल जूट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
इकोट्रेड इंटरनेशनल	अलीजान जूट मिल्स लिमिटेड
जमुना जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	ग्लोरी जूट लिमिटेड
रहमान जूट मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड	मदीना जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
जॉय जूट मिल्स लिमिटेड	माजेदा जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
जूट टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड	माजेदा जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
नवहाता जूट मिल्स लिमिटेड	(बीडी) लिमिटेड
गोल्डन जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	रिलायंस जूट मिल्स लिमिटेड

प्राइड जूट मिल्स लिमिटेड	सलीम एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
राबेया जूट मिल्स	शम शेर जूट मिल्स लिमिटेड
राजबरी जूट मिल्स लिमिटेड	सोनाली अंश इंडस्ट्रीज लिमिटैड
सागर जूट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड	वहाब जूट मिल्स
सिडला टेक्सटाइल्स लिमिटेड	रानु एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
ओरिएंटल जूट मिल्स लिमिटेड	अकीज जूट मिल्स लिमिटेड
हसन जूट मिल्स लिमिटेड	अरनु जूट मिल्स लिमिटेड

vi. संबद्ध देशों के उत्तर देने वाले निर्यातकों/उत्पादकों की संख्या पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने नमूना लेने का कार्य शुरु किया था। तद्नुसार, दिनांक 14 जनवरी, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से, प्राधिकारी ने नीचे दिए गए अनुसार नमूने लिए गए और नमूने नहीं लिए गए निर्यातकों की अंतिम सूची प्रकाशित की:

नमूने लिए गए	**नमूने नहीं लिए गए**
हसन जूट मिल्स लिमिटेड	मिर्जा जूट मिल्स लिमिटैड
हसन जूट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड	जेम जूट मिल
अलिजान जूट मिल्स लिमिटेड	अफजल फाइबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज
अरनु जूट मिल्स लिमिटेड, बंगलादेश	अनाम जूट प्रोडक्ट्स लिमिटेड
ए.एम. जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	आशा जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
सागर जूट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड	उषा जूट स्पिनर्स लिमिटेड
सिदला टेक्सटाइल्स लिमिटेड	बोनांजा जूट कम्पोजिट एंड डाइवर्स फैक्टरी लिमिटेड
ओरिएंटल जूट मिल्स	जमुना जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
नवाब अब्दुल मलिक जूट मिल्स (बंगलादेश) लिमिटेड	रहमान जूट मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड
नवहाता जूट मिल्स लिमिटेड	जॉय जूट मिल्स लिमिटेड
राबेया जूट मिल	जूट टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड
बोगरा जूट मिल्स लिमिटेड	गोल्डन जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
रानु एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलादेश	प्राइड जूट मिल्स लिमिटेड
सोनाली अंश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	राजबारी जूट मिल्स लिमिटेड
मोना जूट मिल्स लिमिटेड	हसेन जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
ईरांस ट्रेड इंटरनेशनल लिमिटेड	जनता जूट मिल्स लिमिटेड
इकोट्रेड इंटरनेशनल	सादात जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
अरिहंत मल्टी-फाइबर्स लिमिटेड	बाबु जूट मिल्स

श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड	स्वास्तिक जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
	नेपाल जूट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
	ग्लोरी जूट लिमिटेड
	मदीना जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
	माजेदा जूट इंडस्ट्रीज लिमिटैड
	रिलायंस जूट मिल्स लिमिटेड
	सलीम एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
	शमशेर जूट मिल्स लिमिटेड
	वहाब जूट मिल्स
	अकिज जूट मिल्स लिमिटेड
	लवली जूट मिल्स लिमिटेड
	नवपारा जूट मिल्स लिमिटैड
	नवपारा पैकेजिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड
	बंगला पत डाइवर्सिफाइड मिल्स लिमिटेड

vii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों, प्रयोक्ताओं और संघों को भी प्रश्नावलियां भेजी गई थी:

अहमद एक्सपोर्टर्स	एलामिम इंटरप्राइज
आशिम कार एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमि.	बी.जी. उद्योग
बंगाल जूट एंड बैग कंपनी	भागतारा जूट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
बिरला कारपोरेशन लिमिटेड	चामुंडी एक्सप्लोसिव्स प्राइवेट लिमिटेड
चेविएट कंपनी	चिरंजीलाल गौरीशंकर एंड कंपनी
क्लिफटन बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड	जी.एन. कमर्शियल कंपनी
गाबा ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड	ज्ञानीराम अग्रवाल एंड कंपनी
इंडस्ट्रियल एसोसिएट्स	इंडस्ट्रियल एसोसिएट्स जूट प्राइवेट लि.
जे.जे. पटेल एंड ब्रादर्स	जे.के. संस एंड कंपनी
जे.के. संस जूट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	के.एल. जूट प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
नैप इंटरनेशनल	कोस्मिक हाइटेक मोटर्स प्राइवेट लिमि.
मोहन जूट लिमिटेड	नवीन इंटरनेशनल
पैसिफिक जूट लिमिटेड	प्रिवि एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
आर हरीलाल एंड कंपनी (कलकत्ता)	रामसरन एंड संस
रोमी इंटरप्राइजेज	सर्वमंगला प्रतिष्ठान

सत्यम इम्पैक्स	सत्येन्द्र पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
एसडीजे इंटरनेशनल	सरोजिनी इम्पैक्स
तुहिन कंज एंड कंपनी	उन्नति ओवरसीज
वीर इंटरनेशनल	विश्वात्मा कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड
युकॉन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड	एसके इंटरनेशनल
गोल्डर फ्लोर	ग्रोवर इंटरनेशनल
राधा कृष्णा	रग्स क्रिएशन
कालेडोनियन	नव दुर्गा
कैलाश चंद	

viii. केवल एक आयातक अर्थात् जे.के. संस जूट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने आयातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।

ix. इसके अलावा, जूट प्रोडक्ट इम्पोर्टर एसोसिएशन, बंगलादेश जूट स्पिनर्स एसोसिएशन और नेपाल जूट ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से अनुरोध प्राप्त हुए थे। इन अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा उस सीमा तक ध्यान दिया गया है, जिस सीमा तक उन्हें संगत और आवश्यक पाया गया।

x. प्राधिकारी को बंगलादेश की सरकार से भी अनुरोध प्राप्त हुआ जिसने भी मौखिक सुनवाई में भाग लिया था।

xi. तद्नुसार, प्राधिकारी ने इस जांच में 14 दिसंबर, 2021 को हितबद्ध पक्षकारों की अंतिम सूची जारी की।

xii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच ऐसे दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना मानी गई है। जहां कही भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था।

xiii. अतिरिक्त सूचना आवेदक से आवश्यक मानी गई सीमा तक मांगी गई थी।

xiv. घरेलू उद्योग का डेस्क सत्यापन उस सीमा तक किया गया था, जिस सीमा तक वर्तमान जांच के उद्देश्य से, उसे आवश्यक माना गया।

xv. सामान्य रूप से स्वीकार की गई लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और उसका निर्माण करने तथा बिक्री करने की लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (जिसे आगे "एनआईपी" कहा गया है) तय किया गया है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या वर्तमान पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त है।

xvi. वर्तमान समीक्षा के उद्देश्य से, जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2020 से 30 मार्च, 2021 (12 महीने) (जिसे आगे "जांच की अवधि" अथवा "पीओआई" कहा गया है) है। क्षति के विश्लेषण की अवधि में जांच की अवधि और पिछले तीन वर्षों 2017-18, 2018-19 और 2019-20 शामिल है।

xvii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 9 फरवरी, 2022 को आयोजित मौखिक सुनवाई के दौरान अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए अवसर उपलब्ध

कराए। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे क्रमश: अधिकतम 14 फरवरी, 2022 और 18 फरवरी, 2022 तक अपने लिखित अनुरोध और प्रति-उत्तर प्रस्तुत करें।

xviii. मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों का समय विस्तार वित्त मंत्रालय के निम्नलिखित अधिसूचनाओं के माध्यम से तीन बार किया गया है (क) अधिसूचना सं. 10/2022-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 24 फरवरी, 2022, शुल्कों का समय विस्तार 30 जून, 2022 तक किया गया (ख) अधिसूचना सं. 11/2022-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 31 मार्च, 2022, शुल्कों का समय विस्तार 31 अगस्त, 2022 तक किया गया (ग) अधिसूचना सं. 18/2022-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 31 मई , 2022, शुल्कों का समय विस्तार 30 नवंबर, 2022 तक किया गया।

xix. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्य प्रकार से आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है या इस जांच में बहुत अधिक हद तक बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इसकी टिप्पणियों को रिकॉर्ड किया।

xx. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 16 के अनुसार, जांच के आवश्यक तथ्यों को दिनांक 18 अगस्त, 2022 के प्रकटन विवरण के माध्यम से ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया था और उनके संबंध में प्राप्त टिप्पणियों, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया, पर अंतिम जांच परिणाम में ध्यान दिया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात की गई अधिकांश टिप्पणियां पूर्व में किए गए अनुरोधों की केवल पुनरावृत्ति है। हालांकि, संगत मानी गई सीमा तक प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच इन अंतिम जांच परिणामों की जा रही है।

xxi. इस अंतिम जांच परिणाम में *** पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत गोपनीय आधार पर और प्राधिकारी द्वारा इस तरह वैसी मानी गई सूचना, जिसे हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, का प्रतिनिधित्व करता है।

xxii. यूएस डॉलर को भारतीय रुपए में परिवर्तित करने के लिए जांच की अवधि के लिए माना गया विनिमय दर 1 यूएस डॉलर= 75.19 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 घरेलू उद्योग के विचार

4. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद "जूट उत्पाद" है जो जूट यार्न/ट्वाइन (बहु मुड़ा हुआ/केबल किया हुआ और एकल), हैसियन फैब्रिक्स, जूट सैकिंग क्लाथ और जूट सैकिंग बैग्स का बना हुआ है।

ii. जूट उत्पादों का प्राथमिक रूप से पैकेजिंग, जियोटेक्सटाइल्स, लैंडफिल कवरिंग, बांध को मजबूत करने; जड़ वाले पौधों का संरक्षण; विभिन्न प्रकार के हेसिएन क्लाथ; बेड और वेबिंग; महीन और मौटे यार्नों; गांठ बनाने और बंडल क्लाथ; लिपटने; बेडिंग फाउंडेशन, बूट और शूज लाइनिंग्स, टेलर्स बैक पैकिंग, फ्यूज यार्नस, हैंड बैग्स और सभी प्रकारों से स्टिफ बैग्स, सभी प्रकारों के एप्रैन्स, आयरन, स्टील,ट्यूब और रॉड रैपिंग, कैनाल लाइनिंग्स; मेल बैग्स; मोटर लाइनिंग्स; नीडल फेल्ट्स; रूफिंग फेल्ट्स, रोप; कवरिंग फैब्रिक्स; टायर रैपिंग; अपहोल्स्ट्रे फाउंडेशन; सभी प्रकारो के स्ट्रिंग्स में उपयोग किया जाता हे।

iii. विचाराधीन उत्पाद वही रहता है जो मूल जांच में था और तदानंतर "जूट सैकिंग बैग्स" पर मौजूदा शुल्कों का विस्तार बांग्लादेश से "जूट सैकिंग क्लाथ" तक किया गया था और वह वर्तमान जांच के उत्पाद क्षेत्र में शामिल भी किया गया है। नेपाल से जूट सैकिंग क्लॉथ वर्तमान जांच की परिधि से बाहर है।

iv. *मैसर्स अनवर जूट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ*[1] मे माननीय सेस्टेट के आदेश के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि जूट उत्पादों के तीन विभिन्न प्रकारों अर्थात् यार्न, फैब्रिक

[1] पाटनरोधी अपील संख्या 2017 का 50696-50701

और बैग को एक उत्पाद के रूप में माना जाना था और यह कि विभिन्न प्रकारों के लिए अलग-अलग जांच होना सही नहीं है।

v. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि प्रवंचनारोधी जांच परिणाम 2019 में जारी किए गए थे और वर्तमान जांच की अवधि का प्रवंचना पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा है और यह कि प्रवंचनारोधी शुल्क विचाराधीन उत्पाद की आवेदक की गलत परिभाषा को ढकने के लिए लगाया गया था। आगे यह तर्क दिया गया था कि विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र प्रवंचना शुल्क जांच परिणामों के अन्तर्गत शामिल किए गए उत्पाद प्रकारों तक विस्तार नहीं किया जाना चाहिए और उसकी समीक्षा नियम 28 के अंतर्गत की जानी चाहिए। इन तर्कों के संबंध में निम्नलिखित किया जाता है:

क. ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि प्रवंचित उत्पाद को सही तरीके से शामिल किया गया था और यह कि उन्होंने इस छूट का दुरुपयोग किया है। जैसे ही शुल्कों का विस्तार किया गया था, आयात रुक गए थे और आयातों को उन कंपनियों द्वारा, जिन्हें छूट प्रदान की गई थी, फिर से शुरु किया गया था।

ख. सैकिंग बैग के शुल्कों की प्रवंचना लागू पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना का एक स्थापित किया हुआ कार्य है। किसी भी जांच में उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा शुरु की गई ये कार्य-पद्धतियां भारतीय बाजार में उनकी मौजूदगी को बनाए रखने की अति आवश्यकता और उनके आक्रामक, अनुचित, अनैतिक प्रकृति को दर्शाता है। निर्णायक समीक्षा में शुल्कों के विस्तार के लिए एक आधार के रूप में प्रवंचना पर भी विचार और उसे स्वीकार वित्त मंत्रालय द्वारा "चीन से ट्रेलर्स के लिए एक्सल"[2] में भी किया गया था। वित्त मंत्रालय की प्रवंचनारोधी जांच में प्रकाशित अधिसूचनाएं यह उल्लेख करती हैं कि ये शुल्क विचाराधीन उत्पाद पर लगाए गए मूल शुल्क के समय तक रहेगी और प्रवंचना शुल्क तभी समाप्त होगा, यदि मूल शुल्क समाप्त कर दिया जाए।

ग. नियम 28 में दिए गए अनुसार प्रवंचना की समीक्षा न्यू शिपर समीक्षाओं के समान है, जिसमें नया उत्पादक होने के आधारों पर छूट का दावा करने जैसे कारणों से किसी पक्षकार के पास यह साक्ष्य हो कि प्रवंचना अब नहीं हो रही है, ने समीक्षा की मांग की है।

घ. मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना स्थापित किए जाने के साथ ही, इसे सिद्ध किया गया है कि किसी देश के रास्ते अथवा किसी रूप में संबद्ध वस्तु वास्तव में जांच के मूल देश से संबद्ध वस्तु है। इस कारण से, मूल शुल्कों की समाप्ति की समीक्षा में स्वत: समीक्षा शामिल है तथा प्रवंचित वस्तुओं पर शुल्क का परिणामी विस्तार भी शामिल है। यूरोपीय आयोग ने चीन जन.गण. के मूल के साईकिलों, क्रिस्टिलाइन सिलिकॉन फोटोवोल्टेइक मॉड्युल्स और चीन जन.गण. के मूल के प्रमुख संघटकों, सोलर पैनलों आदि जो प्रवंचना जांच के बाद की गई थी, की निर्णायक समीक्षा जांचों में उसी पद्धति को अपनाया है और मूल शुल्कों समय विस्तार मूल विचाराधीन उत्पाद के साथ प्रवंचित उत्पाद तक बढ़ाया गया था।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

5. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. जांच की यह शुरुआत कहती है कि वर्तमान मामले में पीयूसी के क्षेत्र में मूल रूप से परिभाषित किए गए अनुसार पीयूसी शामिल है और उसके साथ ही वे श्रेणियां (जूट सेकिंग क्लॉथ) जिन्हें प्रवंचनारोधी जांच में शामिल किया गया था, भी शामिल हैं। प्राधिकारी की सतत कार्य-पद्धतियों से यह विपथन है।

ii. वित्त मंत्रालय की दिनांक 18.6.2019 की अधिसूचना सं. 24/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) में यह उल्लेख है कि उक्त अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया पाटनरोधी शुल्क जूट सेकिंग बैग्स पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के समय तक लागू होगा। इसके अलावा, पाटनरोधी नियमावली के नियम 28(1) में

---

[2] दिनांक 27 अक्तूबर, 2021 की चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "ट्रेलर्स के लिए एक्सल" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा जांच में अंतिम जांच परिणाम (फा.सं. 7/7/2021)।

यह निर्धारित है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी अपनी स्वयं की पहल पर जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, शुल्क को लगातार लगाए रखने की आवश्यकता की समीक्षा कर सकते हैं अथवा बशर्ते यह कि समय की उचित अवधि किसी हितबद्ध पक्षकार, जो समीक्षा की आवश्यकता को प्रमाणित करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता हो, द्वारा अनुरोध किए जाने पर इन शुल्कों के लगाए जाने के समय से समाप्त हो गया है।

iii. पाटनरोधी नियमावली में अब प्रवंचना शुल्कों की अलग समीक्षा का प्रावधान है। उपर्युक्त को देखते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी वर्तमान जांच में उस पीयूसी, जिसे मूल रूप से परिभाषित किया गया है, में पीयूसी के क्षेत्र को सीमित कर सकता है और उसमें दिनांक 18.06.2019 की वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 24/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा शामिल उत्पादों को शामिल नहीं करना चाहिए।

iv. प्रवंचनारोधी शुल्क की कोई भी समीक्षा पाटनरोधी नियमावली के नियम 28 के अनुसार और न कि वर्तमान जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में प्रस्तावित तरीके से की जानी चाहिए।

v. इस अनुरोध के संबंध में कि सैकिंग क्लाथ नेपाल के लिए पीयूसी का हिस्सा नहीं है, प्राधिकारी को इस तथ्य के बारे में स्पष्ट करना चाहिए कि क्या पीयूसी दोनों संबद्ध देशों के लिए समान नहीं है, तब इस प्रकार से पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा 3 के अंतर्गत उल्लिखित शर्तों को पूरा किया गया।

vi संबद्ध देशों के लिए विचाराधीन उत्पाद के दो अलग-अलग समुच्य नहीं हो सकते हैं। *अनवर जूट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड और अन्य*[3] के मामले में वर्तमान मामले पर कोई संदर्भ संबंधी अनुप्रयोज्यता नहीं है क्योंकि यह उत्पाद की परस्पर सदृश्यता के बारे में नहीं है बल्कि पीयूसी के क्षेत्र के बारे में है।

vii. दिनांक 28.06.2021 की जांच की शुरुआत संबंधी सूचना संकेत देती है कि पीयूसी में बंगलादेश और नेपाल, दोनों के लिए सेकिंग क्लॉथ शामिल है। क्योंकि सेकिंग क्लॉथ के आयातों के विरुद्ध प्रवंचनारोधी जांच शुरु की गई थी और केवल बंगलादेश के विरुद्ध की गई थी, सेकिंग क्लॉथ को निश्चित रूप से शामिल नहीं किया जाना चाहिए जहां तक नेपाल के उत्पादक और निर्यातकों का प्रश्न है। नेपाल द्वारा सेकिंग बैग्स पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना के संबंध में कभी कोई आरोप नहीं लगाया गया था और न ही नेपाल उक्त प्रवंचनारोधी जांच का एक हिस्सा था। चूंकि सेकिंग क्लॉथ को कभी भी पीयूसी के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था, जहां तक नेपाल का संबंध था, नेपाल को उसके पाटन की जांच के अधीन नहीं रखा जाना चाहिए।

viii. संबद्ध देशों, प्रतिवादियों, जो नेपाल से पीयूसी का उत्पादन और निर्यात करते हैं, निर्यात किए गए जूट यार्न/ट्विन की तुलना के लिए प्राधिकारी द्वारा विचारा किए गए पांच ग्रेडों/कोटियों/बैचों के संबंध में, नेपाल जूट ट्विन की एक श्रेणी/कोटि का निर्यात करता है और वह पांच ग्रेडों/कोटियों/बैचों में से किसी भी ग्रेड/कोटियों/बैचों अर्थात (1) सेकिंग, (2) हेसिएन (3) सीबी, (4) सीआरटी/सीआरएक्स, अथवा (5) सीआरएम के अधीन नहीं आता है।

ix. इसके बजाए नेपाल से प्रतिवादियों द्वारा निर्यात किया गया जूट ट्विन अलग है क्योंकि इसका उपयोग जूट बैग के मुहं की सिलाई करने के लिए ही किया जाता है और इस प्रकार का जूट ट्विन या तो सेकिंग बैग या क्लॉथ, हेसिएन उत्पादों, सीबी, सीआरटी/सीआरएक्स, अथवा सीआरएम में खपत किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं है और इस कारण से वे प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित पीसीएन की उपर्युक्त 5 ग्रेडों/कोटियों/बैचों के अधीन नहीं आता है। इस कारण से, भारत को "ओई" के साथ निर्यात किए जाने के लिए विशिष्ट ग्रेड/गुणवत्ता/बैच के लिए एक पृथक पीसीएन के अंतर्गत पीसीएन कोड के रूप में सूचना प्रस्तुत की गई है क्योंकि डीजीटीआर द्वारा सुझाव दिए गए कोडों में से कोई भी कोड प्रतिवादियों द्वारा निर्यात किए गए उत्पाद के लिए उपयुक्त नहीं था।

x. याचिकाकर्ताओं के इस अनुरोध के संबंध में कि तीन प्रकार के उत्पादों को एक ही उत्पाद के रूप में माना जाना चाहिए, यह अनुरोध किया जाता है कि जबकि जांच एकमात्र उत्पाद के संबंध में हो सकती है,

---

[3] उपर्युक्त नोट 1.

पाटन मार्जिन और क्षति विश्लेषण प्रत्येक उत्पाद के लिए पृथक रूप से किया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने मूल जांच में इसी दृष्टिकोण को अपनाया था।[4]

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

6. वर्तमान जांच बंगलादेश और नेपाल के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "जूट उत्पादों" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों के संबंध में एक निर्णायक समीक्षा जांच है। इस कारण से, वर्तमान जांच में पीयूसी बंगलादेश और नेपाल के मूल की अथवा वहां से निर्यात किया गया "जूट उत्पाद" भी है। विचाराधीन उत्पाद, जैसा कि मूल जांच में परिभाषित किया गया है, निम्नानुसार है:

"26. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद जूट यार्न/ट्विन (बहु मुड़ा हुआ/केबल किया हुआ और एकल) हेसिएन फैब्रिक्स और जूट सेकिंग बैग्स का बना हुआ "जूट उत्पाद" है। जांच की शुरुआत के समय, इस वर्गीकरण पर अधिनियम, 1975 के अध्याय 53 और 63 के अंतर्गत विचार किया गया था और आगे सीमा शुल्क मद 5307, 5310 और 6305 के अंतर्गत उप वर्गीकृत किया गया था। यह कहा गया था कि हालांकि उक्त सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संसूचक है और वह किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। हालांकि, नेपाल से उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से बाद में नोट किया जाता है कि यार्न/ट्विन के निर्यात भी सीमा शुल्क मद सं. 5607 के अंतर्गत नेपाल से इस उत्पाद के निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा भी किए गए हैं जिसमें ट्विन, कॉरडेज, रोप्स और केबल्स चाहे वो प्लेट अथवा ब्रेड किया हुआ हो अथवा नहीं और चाहे उसे संतृप्त किया गया हो अथवा नहीं, कोट किया गया हो अथवा नहीं, कवर किया गया हो अथवा नहीं या रबड़ और प्लास्टिक के साथ उसे शीड किया गया हो अथवा नहीं।

27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जूट एक प्राकृतिक और इको-फ्रेंडली फाइबर हे, जो पौधों के आंतरिक छाल से आता है। जूट के व्यापक उपयोगों में पैकेजिंग, जियो-टेक्सटाइल्स, जड़ वाले पौधों का संरक्षण, कपड़े, थैलों का निर्माण, रैपिंग, बूट और शू लाइनिंग, फ्यूज यार्नन्स, अपरन, कैनाल और मोटर लाइनिंग, रोप्स, स्ट्रिंग्स, अपहोलस्ट्री फाउंडेशन, पर्दा और सजावट के लिए फैब्रिक्स आदि शामिल हैं। इसके अलावा, जूट को महीन यार्न और फैब्रिक के उत्पादन के लिए ऊन के साथ भी मिलाया जा सकता हे।

28. गांठ के रूप में कच्चे जूट का प्रसंस्करण जूट मिलों में जूट यार्न/ट्विन, हेसिएन फैब्रिक, सेकिंग बैग्स, और अन्य उत्पादों जैसे उत्पादों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। जूट की निर्माण प्रक्रिया में विभिन्न चरण जैसे बैच के लिए जूट का चयन, छेद करना, कोमल बनाना, ल्युब्रिकेट करना, कंडीशनिंग अथवा पाइलिंग, ब्रेकर कार्डिंग, फिनिशर कार्डिंग, फर्स्ट ड्राइंग, सैकंड ड्राइंग, थर्ड ड्राइंग और स्पिनिंग शामिल हैं"

7. संबद्ध वस्तुओं का वर्गीकरण सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 53 और 63 के अंतर्गत किया जाता है और आगे उसे सीमा शुल्क मद 53101013, 63051040, 53101012, 53071010 और 53072000 के अंतर्गत उप-वर्गीकृत किया गया है। हालांकि उक्त सीमा शुल्क वर्गीकरण संसूचक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। इसके अलावा, एक निर्णायक समीक्षा होने के कारण, पीयूसी का क्षेत्र वही रहता है जो मूल जांच में था।

---

[4] "127 (i) जांच संबंधी इस शुरुआत में विचाराधीन उत्पाद को उन जूट उत्पादों के रूप में माना जाता है जो बंगलादेश और नेपाल से जूट यार्न/ट्विन (बहु मुड़ा हुआ/केबल किया हुआ और एकल), हेसिएन फैब्रिक, और जूट सेकिंग बैग्स से बना हुआ हो। यद्यपि इन उत्पाद प्रकारों में अंतर संबंध है लेकिन उन्हें अलग-अलग सीमा शुल्क शीर्षों के साथ उत्पादन और अंतिम उपयोग के संदर्भ में अंतर किया गया हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने इन तीनों उत्पादों को अलग-अलग वस्तुओं के रूप में माना है। प्राधिकारी ने तीन उत्पाद प्रकारों के लिए पृथक रूप से पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का आकलन किया है तथा इन तीन उत्पाद प्रकारों के लिए पृथक रूप से पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने की सिफारिश करता है। नेपाल से जूट यार्न के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसे जांच की शुरुआत में पीयूसी से बाहर नहीं रखा गया था और यह नोट करने के बाद कि निर्यातक की प्रश्नावली के माध्यम से आयातों की मात्रा और डीजीसीआईएस द्वारा आयातों की पुष्टि में पाटनरोधी नियमावली के अनुसार इन शुल्कों पर विचार किए जाने के लिए उन्हें शामिल किया गया है। इस संबंध में आगे यह दोहराया जाता है कि पाटन आकलन के संबंध में जांच इस प्रकार की वस्तुओं की मात्रा और कीमत जिसे जांच के दौरान सत्यापित किया गया हो, को ध्यान में रखते हुए तीन उत्पाद प्रकारों के लिए पृथक रूप से किया गया है।"

8. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं का आयात जूट यार्न/ट्विन, हैसिएन फैब्रिक और सेकिंग बैग के रूप में किया जा रहा है। प्राधिकारी ने एपल टू एपल तुलना करने के उद्देश्य से जूट यार्न/ट्विन (बहु मुड़ा हुआ/केबल किया हुआ और एकल) के लिए उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) का प्रस्ताव किया था। सेकिंग बैग और हेसिएन फैब्रिक के लिए कोई पीसीएन नहीं अपनाया गया था। उन मानदंडों जो इस उत्पाद की संबद्ध लागतों और कीमतों को प्रभावित करते हैं, पर विचार करते हुए तथा किए गए अनुरोध को ध्यान में रखने के बाद, प्राधिकारी ने जूट यार्न/ट्विन[5] के लिए निम्नलिखित पीसीएन पद्धति अपनाई:

ग्रेड/कोटि/बैच के लिए पहला अंक	**ग्रेड/कोटि/बैच**	**काउंट के लिए दूसरा अंक**	**काउंट**
1	सेकिंग	क	14 एलबीएस तक
		ख	14 एलबीएस से अधिक और 20 एलबीएस तक
		ग	20 एलबीएस से अधिक और 24एलबीएस तक
		घ	24 एलबीएस से अधिक और 28 एलबीएस तक
		ड.	28 एलबीएस से अधिक
2	हेसिएन	क	8 एलबीएस तक
		ख	8 एलबीएस से अधिक और 12 एलबीएस तक
		ग	12 एलबीएस से अधिक और 16 एलबीएस तक
		घ	16 एलबीएस से अधिक और 20 एलबीएस तक
		ड.	20 एलबीएस से अधिक और 24 एलबीएस तक
		च	24 एलबीएस से अधिक और 28 एलबीएस तक
3	सीबी	क	8 एलबीएस तक
		ख	8 एलबीएस से अधिक और 12 एलबीएस तक
		ग	12 एलबीएस से अधिक और 16 एलबीएस तक
		घ	16 एलबीएस से अधिक और 20 एलबीएस तक
		ड.	20 एलबीएस से अधिक और 24 एलबीएस तक
		च	24 एलबीएस से अधिक और 28 एलबीएस तक
4	सीआरटी/ सीआरएक्स	क	8 एलबीएस तक
		ख	8 एलबीएस से अधिक और 12 एलबीएस तक
		ग	12 एलबीएस से अधिक और 16 एलबीएस तक
		घ	16 एलबीएस से अधिक और 20 एलबीएस तक
		ड.	20 एलबीएस से अधिक और 24 एलबीएस तक

[5] दिनांक 27 सितंबर, 2021 की अधिसूचना सं. 7/9/2021-डीजीटीआर के माध्यम से अधिसूचित।

		च	24 एलबीएस से अधिक और 28 एलबीएस तक
5	सीआरएम	क	8 एलबीएस तक
		ख	8 एलबीएस से अधिक और 12 एलबीएस तक
		ग	12 एलबीएस से अधिक और 16 एलबीएस तक
		घ	16 एलबीएस से अधिक और 20 एलबीएस तक
		ड.	20 एलबीएस से अधिक और 24 एलबीएस तक
		च	24 एलबीएस से अधिक और 28 एलबीएस तक

9. यह भी नोट किया जाता है कि मूल जांच में अंतिम जांच परिणाम[6] के प्रकाशन के बाद, प्राधिकारी ने प्रवंचनारोधी जांच[7] की। अपने दिनांक 19 मार्च, 2019 के अंतिम जांच परिणाम[8] के माध्यम से, प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि जूट सेकिंग बैग पर लगाए गए शुल्कों की प्रवंचना बंगलादेश से जूट सेकिंग क्लॉथ के निर्यातों के द्वारा की जा रही थी और इसके परिणाम स्वरूप सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 24/2019-सीमा शुल्क (एडीडी)[9] के द्वारा बंगलादेश से आयात किए गए जूट सेकिंग क्लॉथ पर पाटनरोधी शुल्क का भी विस्तार किया गया था।

10. जूट यार्न/ट्विन में अंतर के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के बारे में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि फैब्रिक के उत्पादन के लिए वास्तव में एकल प्लाई यार्न अपेक्षित है, जबकि स्टीचिंग बैग के लिए यार्न के उत्पादन के लिए दो प्लाई अथवा तीन प्लाई यार्न अपेक्षित है। नेपाली उत्पादकों ने सत्यापन योग्य सूचना के साथ यह सिद्ध किया है कि इस यार्न का उत्पादन और उसकी बिक्री भारत में नहीं की जाती है। यह भी नोट किया जाता है कि नेपाल के उत्पादकों ने इस उत्पाद के लिए संभावित रूप से अलग पीसीएन का निर्माण करने के लिए किसी उत्पाद विशेषताओं की पहचान नहीं की थी।

11. इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यार्न के लिए पीसीएन ग्रेड/कोटि/बैच और काउंट पर विचार करते हुए तैयार किया गया है। ग्रेड/कोटि/बैच के संबंध में यार्न को सेकिंग, हेसिएन, सीबी, सीआरएक्स/सीआरटी, और सीआरएम में विभाजित किया गया था। कांउट के मामले में यार्न को कुछ पाउंड्स में विभाजित किया गया है। पीसीएन को सभी स्टेक होल्डरों के साथ उचित विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है और उसे अंतिम रूप दिया गया है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अब वकालत किए गए विशेषताओं की पहचान नहीं की है। इसके अलावा हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध नहीं किया है कि किस प्रकार से उनके द्वारा पहचान किए गए गुणों के फलस्वरूप एक अलग उत्पाद तैयार होगा और इस प्रकार से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन और बिक्री की गई वस्तु पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत समान वस्तु के लिए निर्धारित मापदंड पूरा नहीं करता है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि नेपाल के उत्पादकों द्वारा निर्यात किया गया यार्न उनकी अपनी स्वीकारोक्ति के द्वारा उन्हीं अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है जिनके लिए घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादन और बिक्री किए गए यार्न की खपत की जाती है।

12. प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया गया पीयूसी संबद्ध देशों से आयात की गई वस्तुओं की "समान वस्तु" है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया गया और संबद्ध देशों से

---

[6] "जूट उत्पादों" अर्थात जूट यार्न/ट्विन (बहु मुड़ा हुआ/केवल किया हुआ और एकल), हेसिएन फैब्रिक और जूट सेकिंग बैग्स जो बंगलादेश और नेपाल का हो, के आयातों के संबंध में दिनांक 20 अक्तूबर, 2016, फाइल सं. 14/19/2015-डीजीएडी के संबंध में पाटनरोधी जांच में जारी किया गया अंतिम जांच परिणाम।

[7] बंगलादेश से दिनांक 20 मार्च, 2018, फाइल सं. 7/3/2018-डीजीएडी से जूट सेकिंग बैग्स के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की कथित प्रवंचना के संबंध में प्रवंचनारोधी जांच की शुरुआत।

[8] बंगलादेश से दिनांक 19 मार्च, 2018, फाइल सं. 7/3/2018-डीजीएडी से जूट सेकिंग बैग्स के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की कथित प्रवंचना के संबंध में प्रवंचनारोधी जांच में जारी किया गया अंतिम जांच परिणाम।

[9] दिनांक 18 जून, 2019.

आयात की गई वस्तु तकनीकी विनिर्देशों, कार्य अथवा अंतिम उपयोगों, उत्पादन विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा इन वस्तुओं के प्रशुल्क वर्गीकरण के मामले में तुलनीय हैं। इन दोनों का तकनकी रूप और वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। तद्नुसार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु की "समान वस्तु" है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

13. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग और उसके आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. यह आवेदन इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन (आईजेएमए) द्वारा दायर किया गया है और आवेदक संघ के छह सदस्यों ने घरेलू उत्पादकों के रूप में इसमें भाग लिया है और अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की है। इस आवेदन को जांच की शुरुआत के पूर्व 33 उत्पादकों से समर्थन प्राप्त हुआ है।

ii. इसके अलावा, छह अन्य उत्पादकों ने जांच की शुरुआत के बाद इस आवेदन का समर्थन करते हुए कर लेखा परीक्षा रिपोर्टों और वित्तीय विवरणी के साथ विधिवत समर्थित क्षति संबंधी सूचना प्रस्तुत की है।

iii. भारतीय जूट उद्योग के छब्बीस अन्य उत्पादकों ने भी क्षति की समग्र अवधि के लिए मूल मात्रा सूचना के लिए सरकारी खरीद और खुले बाजार के संबंध में अलग-अलग आंकड़ों के साथ प्राधिकारी को उपलब्ध कराया हे।

iv. घरेलू उद्योग के आधार का विश्लेषण निर्णायक समीक्षा जांच में अनिवार्य आवश्यकता नहीं है।

v. आवेदक कंपनियेां ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का न तो आयात किया है और न ही उनका संबंध संबद्ध देश के उत्पादक/निर्यातक या भारत में किसी आयातक से है।

vi मैसर्स सेविएट कंपनी ने अनुरोध किया है कि उसने बांग्लादेश से उनके एसईजेड यूनिट के लिए जूट यार्न का आयात किया है और इस कारण से उसे पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत असंगत माना जाना चाहिए।

vii. आवेदक कंपनियां नियम 2(ख) के अनुसार कुल भारतीय उत्पादन का "बड़ा हिस्सा " है और प्राप्त समर्थन पर विचार करते हुए, वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत आधार की आवश्यकता को पूरा भी करते हैं।

viii. इस याचिका में सूचना दी गई भाग लेने वाले कंपनियों के उत्पादन आंकड़े केवल पीयूसी के लिए हैं। मैसर्स ग्लोस्टर लि. द्वारा उत्पादन किए गए गैर-पीयूसी की मामूली मात्रा को याचिका डालने वाली कंपनियों के हिस्से का निर्धारण करते समय बाहर रखा गया है। इसके अलावा, अन्य घरेलू उत्पादकों के मामले में गैर-पीयूसी आंकड़ों का समावेशीकरण कम से कम कुल घरेलू उत्पादन में वर्तमान घरेलू उद्योग के हिस्से को कम करके बताएगा।

ix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों का प्राधिकारी से कानूनी प्रावधानों से आगे देखने और भारतीय उद्योग को संभावित खतरों पर ध्यान देने के लिए वाणिज्यिक तथ्यों पर विचार करने, जो घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं बनता है, अनुरोध करते हुए अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.4 के अनुसार, जांच करने वाले प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के संबंध में क्षति का निर्धारण करना है। अन्य घरेलू कंपनियों की सूचना जो घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं बनता है "घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों" का मूल्यांकन करने के लिए संगत नहीं है।

x. घरेलू उद्योग से बाहर की कंपनियां घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव के बारे में निष्कर्ष के लिए कोई आधार प्रदान नहीं करता है। ईसी – बेड लिनेन[10] विवाद में, यह माना गया है कि अन्य कंपनियों के संबंध में सूचना "*उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले कारकों और सूचकांकों" का मूल्यांकन सूचित*

[10] यूरोपीय समुदाय – भारत से कॉटन-टाइप बेड लिनन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क डब्ल्यूटी/डीएस141/आर.

नहीं करता है और इस कारण से यूरोपीय कमीशन पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.4 के अनुसार सतत रूप से कार्यवाही करने में असफल रहा था क्योंकि उन्होंने अपने मूल्यांकन में घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं बनने वाले उत्पादकों को माना।

xi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि पूर्व की जांचों में से 15 में से केवल 6 आवेदकों ने वर्तमान जांच में भाग लिया है और यह कि घरेलू उद्योग की संरचना में परिवर्तन हुआ है, यह अनुरोध किया जाता है कि आवेदक कंपनियेां द्वारा उत्पादन बहुत बड़ा हिस्सा है। फैले हुए और खंडित उद्योग के मामले में 28 प्रतिशत हिस्से को प्रमुख हिस्से के रूप में माने जाने के लिए पर्याप्त माना जाना चाहिए। इसके अलावा, मात्रा संबंधी क्षति का दावा किया गया है और प्राधिकारी को समग्र रूप से उद्योग के लिए मात्रा संबंधी मानदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पर विचार करना चाहिए। समग्र रूप से भारतीय उद्योग के लिए मांग में बाजार हिस्से के ब्यौरे के संबंध में सूचना प्राधिकारी के पास प्रस्तुत की गई।

xii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि पूर्व की जांचों में अन्य आवेदकों ने कार्य-निष्पादन मानदंडों में बहुत अधिक सुधार के कारण वर्तमान जांच में योगदान नहीं किया है, यह अनुरोध किया जाता है कि यह तर्क पूर्ण रूप से अनुमान पर आधारित है। इसके अलावा, क्षति का दावा समग्र रूप से घरेलू उद्योग पर लगातार प्रतिकूल प्रभाव और पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में गहन क्षति की संभावना के आधार पर है। इस कारण से, इस प्रकार के आरोपों की कोई संगतता नहीं है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

14. घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. याचिकाकर्ता कंपनियों की वेबसाइट यह कहती है कि वे अनेक प्रकार के जूट उत्पादों का उत्पादन करते हैं, जिनमें से सभी के बारे में विचाराधीन उत्पाद के अन्तर्गत शामिल किए जाने का दावा नहीं किया जाता। हालांकि, घरेलू उद्योग के प्रदर्शन का उल्लेख करते समय आवेदक ने याचिकाकर्ता कंपनियों के उत्पादन की कुल मात्रा को जांच की अवधि, जिसमें मामूली अंतर है, को छोड़कर विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके बावजूद, याचिकाकर्ता कंपनियों के सभी प्रकारों के जूट उत्पादों के उत्पादन का हिस्सा क्षति की अवधि के दौरान कुल घरेलू उत्पादन का मामूली रूप से अधिक 25 प्रतिशत रहा है। यदि प्राधिकारी आवेदक कंपनियों द्वारा केवल विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन पर विचार करते हैं तब उनका हिस्सा 25 प्रतिशत से बहुत कम होगा। प्राधिकारी को इस तथ्य की जांच करनी चाहिए कि क्या यह याचिका नियम 2(ख) के साथ पठित नियम 23(1ख) की आवश्यकता को पूरा करता है।

ii. जांच की अवधि के दौरान छह याचिकाकर्ताओं का सामूहिक उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 28.04 प्रतिशत अर्थात् 863,565 एमटी के कुल भारतीय उत्पादन में से 242,175 एमटी है। उक्त उत्पादन को भारतीय घरेलू उद्योग के बड़े हिस्से के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि शेष भारतीय उत्पादकों का उत्पादन 70 प्रतिशत से अधिक है। मूल जांच में भी, याचिकाकर्ताओं का सामूहिक उत्पादन 42.78 प्रतिशत था। इस कारण से, इस आवेदन को केवल आधार की वजह से अस्वीकार किया जाना चाहिए।

iii. प्राधिकारी को इस तथ्य का सत्यापन करने के लिए कि क्या घरेलू उद्योग प्रत्येक उत्पाद प्रकार के लिए प्रतिनिधिक है, प्रत्येक उत्पाद प्रकार के संबंध में घरेलू उद्योग के आधार की भी जांच करनी चाहिए।

iv. याचिकाकर्ता ने अपने इस दावे को प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि यह एक खंडित उद्योग है।

v. सेविएट कंपनी लिमिटेड घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में माने जाने के लिए पात्र नहीं है क्योंकि इसने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में वे उत्पादक शामिल नहीं हैं जो "अपने आप में आयातक हैं...." जिस मामले में, 'घरेलू उद्योग' पारिभाषिक शब्द को शेष उत्पादकों का संदर्भ लेने के रूप में समझा जा सकता है।" जबकि यह उल्लेख किया गया है सेविएट ने अपनी एसईजेड इकाई के लिए बंगलादेश से जूट यार्न का आयात किया है,

नियम 2(ख) के अन्तर्गत संबद्ध वस्तुओं का आयात करने पर घरेलू उद्योग के क्षेत्र से घरेलू उत्पादक की अनहर्ता के लिए निर्धारण को किसी अपवाद में नहीं रखा जा सकता है और यह पूर्ण है।

vi इस अनुरोध कि सेविएट कंपनी लिमिटेड को घरेलू उद्योग में शामिल नहीं किया जा सकता है, के पूर्वाग्रह के बिना याचिकाकर्ता सेविएट को शामिल किए जाने के बावजूद भारतीय उत्पादन का केवल 28 प्रतिशत है और इस कारण से उसके संबंध में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह "बहुत बड़ा हिस्सा" है।

vii. इस संबंध में कि बहुत बड़ा हिस्सा क्या होता है, चीन-ऑटोज (यूएस)[11] में डब्ल्यूटीओ पैनल ने यह टिप्पणी की थी कि शामिल किए गए उत्पादन का प्रतिशत अवश्य ही पर्याप्त रूप से अधिक होना चाहिए जो कुल उत्पादन का "महत्वपूर्ण, गंभीर अथवा बहुत अधिक" अनुपात के लायक हों। उपर्युक्त रिकॉर्ड में डब्ल्यूटीओ पैनल ने यह माना कि आवेदन करने के लिए 25 प्रतिशत की आरंभिक आवश्यकता की बहुत बड़ी मात्रा होने के लिए आवश्यकता से कोई सह-संबंध नहीं है। बल्कि जांच करने वाले प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य का निर्धारण करें कि क्या जांच किए जा रहे घरेलू उत्पादक घरेलू उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में विचार किए जाने के लिए पर्याप्त रूप से बड़ा, विविध, महत्वपूर्ण, गंभीर, बहुत अधिक हैं।

viii. 29 कंपनियों ने मूल जांच में भाग लिया था। भाग लेने वालों की संख्या 15 से गिरकर 6 हो गई है, जो यह दर्शाता है कि अन्य जूट मिलें अपने आर्थिक मापदंडों में सुधार के कारण वर्तमान जांच में भाग नहीं ले रहे हैं।

ix. जबकि 25 प्रतिशत न्यूनतम आरंभिक सीमा है, तथ्यों और परिस्थितियों की जांच इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए मामला-दर-मामला आधार पर अवश्य की जानी चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग बनने वाले घरेलू उत्पादक घरेलू उत्पादन के एक महत्वपूर्ण, बड़ा और बहुत अधिक हिस्सा का प्रतिनिधित्व करता है ताकि वह "बहुत बड़ा अनुपात" हो सके। जब घरेलू उद्योग अधिकांश संख्या में जूट मिलों से बंधे हैं,

---

[11] "7.207. जब कोई जांच करने वाली एजेंसी कुल घरेलू उत्पादन का "बड़ा हिस्सा" बनने वाले समान उत्पादन के उत्पादकों के रूप में घरेलू उद्योग को परिभाषित करता है, तब इसे यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि शामिल किए गए उत्पादन का प्रतिशत कुल उत्पादन का "महत्वपूर्ण, गंभीर अथवा बहुत अधिक" अनुपात के रूप में होने के लिए पर्याप्त रूप से बड़ा है। यह कि पाटनरोधी और एससीएम दोनों करारों का संदर्भ "उस" बड़े अनुपात के विपरीत " एक" बड़ा अनुपात से है जो यह दर्शाता है कि उत्पादन के प्रतिशत को "बड़ा अनुपात" माना गया और उसे कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होने की आवश्यकता है। इस संबंध में हम नोट करते हैं कि पूर्व में एक पैनल ने कुल उत्पादन का 46 प्रतिशत को कुल घरेलू उत्पादन का बड़ा हिस्सा होने के लिए पर्याप्त रूप से "महत्वपूर्ण, गंभीर अथवा बहुत अधिक" के रूप में स्वीकार किया है.....

....

....

7.220. अपील पर, चीन ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया कि इस पैनल ने चीन के दावे को अस्वीकार करने में गलती की कि यथा-परिभाषित घरेलू उद्योग कुल घरेलू उत्पादन का "बड़ा हिस्सा" नहीं था। **अपीलीय निकाय ने बड़े हिस्से से संबंधित मुद्दे के संबंध में चीन की अपील को सही ठहराया लेकिन चीन की शेष अपील को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय निकाय ने यह पाया कि जांच करने वाली एजेंसी ने यह निष्कर्ष निकालने में 25 प्रतिशत बेंच मार्क पर विश्वास किया था कि कुल घरेलू उत्पादन का 27 प्रतिशत एक बड़ा हिस्सा था। अपीलीय निकाय ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह बेंच मार्क जो पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.4 में आधार संबंधी आवश्यकता पर आधारित था, "बड़े अनुपात" पारिभाषिक शब्द की उचित व्याख्या से "पूर्ण रूप से असंबंधित" था और इस प्रकार उस बेंच मार्क को लागू कर, जांच करने वाली एजेंसी ने सटीक और सही क्षति निर्धारण के लिए डेटा की कवरेज को बहुत अधिक हद तक सीमित करते हुए घरेलू उत्पादन के कम अनुपात को शामिल करते हुए घरेलू उत्पादन को परिभाषित किया345. इसके अलावा अपीलीय निकाय ने यह निष्कर्ष निकाला कि नमूने में शामिल किए जाने वाले उत्पादकों की इच्छा के आधार पर घरेलू उद्योग को परिभाषित कर, जांच करने वाली एजेंसी के दृष्टिकोण में घरेलू उत्पादकों के बीच एक स्वयं चयन प्रक्रिया आरोपित किया, जिसने हेर-फेर का वास्तविक खतरा उत्पन्न किया।** अपीलीय निकाय ने यह टिप्पणी की कि यह नमूना घरेलू उद्योग का एक उप समुच्य था और इस प्रकार अपीलीय निकाय यह नहीं देख पाया किया क्यों उप समुच्च में शामिल किए जाने वाली इच्छा घरेलू उद्योग की व्यापक क्षेत्र में समावेशीकरण को प्रभावित करे। 346. इसके अलावा, अपीलीय निकाय ने यह नोट किया कि जांच करने वाली एजेंसी ने वास्तव में 45 से अधिक उत्पादकों से सूचना की पहचान की थी और उसे प्राप्त किया था, इसने अन्ततः घरेलू उद्योग को शामिल किया। **अपीलीय निकाय ने यह निष्कर्ष निकाला कि घरेलू उद्योग में नमूने में शामिल किए जाने के लिए केवल उन इच्छुक उत्पादकों को शामिल कर, जांच करने वाली एजेंसी का दृष्टिकोण ने उत्पादकों के क्षेत्र को संकुचित किया, जिनके आंकड़ों का उपयोग क्षति के निर्धारण में किया जा सकता था।"**

जिन्होंने भाग नहीं लिया है और कुल घरेलू उत्पादन का केवल 28 प्रतिशत हिस्सा बनने वाले केवल 6 जूट मिलों ने भाग लिया है, उन्हें घरेलू उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

क. लेवी का समर्थन करते हुए विभिन्न घरेलू उत्पादकों की ओर से इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन – आवेदक द्वारा दायर किए गए दिनांक 9 मार्च, 2022 के दोनों पत्रों में निहित समर्थन-पत्रों को 2018 की व्यापार नोटिस संख्या 13 के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किया गया है। समर्थन पत्रों को इस चरण में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह उसमें भी पूर्ण रूप से विलंब हुआ है, विशेषकर इस तथ्य पर विचार करते हुए कि हितबद्ध पक्षकारों के बीच मौखिक सुनवाई लिखित अनुरोधों और प्रति-उत्तर अनुरोधों का आदान-प्रदान किए जाने के साथ पहले ही आयोजित किया गया था।

ख. ऐसे विलंबित चरण में समर्थन पत्रों को स्वीकार करना कानून में निर्धारित और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमाओं का उल्लंघन होगा, विशेषकर क्योंकि 2018 की व्यापार नोटिस संख्या 13 का अनुबंध-I और अनुबंध-II के अंतर्गत दिए गए प्रश्नावलियों में यथा-अपेक्षित कोई भी सूचना समर्थकों द्वारा दिनांक 28 जून, 2021 की जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस में निर्धारित समय-सीमा के भीतर अथवा जांच की शुरुआत के चरण में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

x. आईजेएमए ने कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि वे नियम 2(ग)(ii) तथा व्यापार उपचार जांचों के लिए कार्य-पद्धति मैनुअल के पृष्ठ संख्या 50 में दिया गया पैरा 4.9.10 के संदर्भ में एक हितबद्ध पक्षकार है। उन्हें एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में अपने दर्जे को सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकारी को सक्षम बनाने हेतु संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाले सदस्यों (उत्पादकों) की सूची भी उपलब्ध नहीं कराई है।

xi. समर्थन करने वाली तैतीस कंपनियों ने जांच के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं। उन्होंने इस याचिका के साथ अपने समर्थन पत्रों को केवल संलग्न किया है, जो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। इन कंपनियों को दिनांक 27 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 13/2018 और दिनांक 1 अक्तूबर, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 14/2018 के संदर्भ में समर्थन करने वाले कंपनियों के रूप में नहीं माना जा सकता है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

15. नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

''(ख) "घरेलू उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

16. यह आवेदन इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन (आईजेएमए) द्वारा दायर किया गया है। आवेदक संघ के निम्नलिखित सदस्य-गण ने घरेलू उत्पादकों के रूप में भाग लिया है और अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की है:

i. बावरिया जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड

ii. कालडोनियन जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

iii. चेविएट कंपनी लिमिटेड

iv. ग्लोस्टर लिमिटेड

v. हुगली इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

vi लुंडलो जूट एंड स्पेशिलिटीज लिमिटेड

17. आईजेएमए द्वारा दायर किए गए आवेदन का समर्थन निम्नलिखित अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा किया गया था:

i. एलायंस मिल्स (लेसीस) लिमिटेड
ii. बैली जूट कंपनी लिमिटेड
iii. बज बज कंपनी लिमिटेड
iv. महादेव जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
v. आरडीबी टेक्सटाइल्स लिमिटेड
vi शक्तिगढ़ टेकसटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
vii. जगतदल जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
viii. कमरहट्टी कंपनी लिमिटेड
ix. दि नईहटी जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड
x. रिलायंस जूट मिल्स (इंटरनेशनल) लिमिटेड

18. इस आवेदन को दायर किए जाने के बाद, प्राधिकारी को निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों से समर्थन पत्र प्राप्त हुआ:

i. प्रबर्तक जूट मिल्स लिमिटेड
ii. कलिंगा जूट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
iii. इलुरु जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
iv. एचएसबी एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
v. दि महाबीर जूट मिल्स लिमिटेड
vi माहेश्वरी जूट स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड
vii. आदित्य ट्रांसलिंक प्राइवेट लिमिटेड
viii. अंबिका जूट मिल्स
ix. एंगलो इंडिया जूट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
x. आूकलैंड इंटरनेशनल लिमिटेड
xi. दि अंगस कंपनी लिमिटेड
xii. बारनागोर जूट फैक्टरी पीएलसी.
xiii. बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड
xiv. डलहौजी जूट कंपनी
xv. डेल्टा लिमिटेड
xvi. दि एम्पायर जूट कंपनी लिमिटेड
xvii. दि गनेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
xviii. दि हुगली मिल्स कंपनी लिमिटेड
xix. विजय श्री प्राइवेट लिमिटेड
xx. कलकत्ता जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
xxi. श्री गौरी शंकर जूट मिल्स लिमिटेड
xxii. कनकनराह कंपनी लिमिटेड
xxiii. नार्थब्रुक जूट कंपनी लिमिटेड

xxiv. आरडीबी टेक्सटाइल्स लिमिटेड

xxv. शक्तिगढ़ टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

xxvi. सनबीम वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड

xxvii. अगरपारा जूट मिल्स लिमिटेड

xxviii. टेपकॉन इंटरनेशनल (इंडिया) लिमिटेड

xxix. ट्रेंड व्यापार लिमिटेड

19. प्राधिकारी को भारतीय जूट उद्योग के एक अन्य संघ अर्थात् ए.पी. मेस्टा ट्विन मिल्स एसोसिएशन से भी समर्थन प्राप्त हुआ है। इस संघ के इसके सदस्य के रूप में निम्नलिखित उत्पादक हैं:

i. साई वर्धमान जूट प्राइवेट लिमिटेड

ii. केशव जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड

iii. आंध्र प्रदेश फाइबर्स लिमिटेड

iv. श्री गणेश जूट मिल्स

v. श्री लक्ष्मी जूट मिल्स

vi नव्या जूट मिल्स प्राइवेट

vii. उमा जूट ट्विन मिल्स

viii. श्री संतोष ट्रेडिंग कंपनी

ix. डीजीआर जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड

x. नीलम जूट प्राइवेट लिमिटेड

xi. श्री एसकेएसएन जूट मिल्स

xii. श्री लक्ष्मी गणपति जूट मिल्स

20. इसके अलावा, आवेदक ने प्राधिकारी को समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किया है, जिसमें निम्नलखित घरेलू उत्पादकों ने मात्रा संबंधी सूचना जैसे उत्पादन, बिक्री, क्षमता और भंडार के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है:

i. दि गंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड

ii. गोयल मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

iii. एचएसबी एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जूट डिविजन)

iv. जगतदल जूट एंड इ्रडस्ट्रीज लिमिटेड

v. जुटेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

vi कामाक्षी जूट इंडस्ट्रीदज लिमिटेड

vii. आदित्य ट्रांसलिंक प्राइवेट लिमिटेड

viii. महादेव जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

ix. बिरला कारपोरेशन लिमिटेड (बिरला जूट मिल्स)

x. मुरलीधर रतनलाल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड

xi. प्रबर्तक जूट मिल्स लिमिटेड

xii. आरडीबी टेक्सटाइल्स लिमिटेड

xiii. रिलायंस जूट मिल्स (इंटरनेशनल) लिमिटेड

xiv. श्री गौरी शंकर जूट मिल्स लिमिटेड

xv. श्री अंगस कंपनी लिमिटेड

xvi. अलायंस मिल्स (लेसीस) लिमिटेड

xvii. ट्रेंड व्यापार लिमिटेड

xviii. अंबिका जूट मिल्स लिमिटेड

xix. ऑकलैंड इंटरनेशनल लिमिटेड

xx. बैली जूट कंपनी लिमिटेड

xxi. बज बज कंपनी लिमिटेड

xxii. डेल्टा लिमिटेड

xxiii. गंगेस जूट प्राइवेट लिमिटेड

xxiv. शक्तिगढ़ टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (गोंडलपारा मिल यूनिट)

xxv. शक्तिगढ़ टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (हास्टिंग्स मिल यूनिट)

xxvi. शक्तिगढ़ टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (बारशुल मिल यूनिट)

21. आवेदक ने निम्नलिखित कंपनियों की कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वित्तीय विवरणी के रूप में सत्यापन किए जाने योग्य दस्तावेजों के साथ छह अन्य उत्पादकों की क्षति संबंधी सूचना भी प्रस्तुत की है:

i. एंगलो इंडिया जूट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

ii. कलकत्ता जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड

iii. इलुरु जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड

iv. दि नईहाटी जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड

v. दि हुगला मिल्स कंपनी लिमिटेड

vi विजय श्री प्राइवेट लिमिटेड

22. यद्यपि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के आधार की जांच की है, यह नोट किया जाता है कि आधार की जांच निर्णायक समीक्षा के मामले में संगत नहीं है। प्राधिकारी ने जूट आयुक्त के कार्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित सूचना के साथ कुल भारतीय उत्पादन के संबंध में दी गई सूचना का मिलान किया है और यह पाया कि वेबसाइट पर प्रकाशित आंकड़े उसी दायरे में हैं जो आवेदक द्वारा आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। आवेदक कंपनियों और समर्थकों के उत्पादन के हिस्से के संबंध में नीचे तालिका में दी गई है:

क्र.सं.	**विवरण**	**जांच की अवधि के दौरान उत्पादन एमटी में**	**%**
1	आवेदक का कुल उत्पादन	2,35,322	27.46%
2	समर्थक (प्रपत्र एच) 6 कंपनियां	1,06,620	12.44%
3	समर्थक (मात्रा और मूल्य संबंधी सूचना के साथ) 26 कंपनियां	4,55,818	53.20%
4	आवेदक समर्थकों सहित (प्रपत्र एच और समर्थन करने वाला साक्ष्य)	3,41,942	39.91%
5	सभी समर्थकों के साथ आवेदक	7,97,760	93.12%
6	अन्य	58,923	6.87%

7	कुल भारतीय उत्पादन	8,56,683	100.00%

23. वर्तमान जांच में प्राप्त सहभागिता, जिसमें भाग लेने वाली आवेदक कंपनियां और अनेक संख्या में उत्पादक जिन्होंने सूचना के साथ आवेदन को अपना समर्थन दिया है, से प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक कंपनियों का उत्पादन भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 27.46 प्रतिशत है।

24. गैर-विचाराधीन उत्पाद को बाहर किए जाने के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के बारे में, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया गया गैर-विचाराधीन उत्पाद को कुल घरेलू उत्पादन में घरेलू उद्योग के हिस्से का निर्धारण करने में बाहर रखा गया है।

25. आगे यह नोट किया जाता है कि आवेदक कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक या भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित नहीं है।

26 प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सेविएट कंपनी लिमिटेड द्वारा इसकी एसईजेड यूनिट द्वारा किए गए आयातों के संबंध में अनुरोध को नोट करते हैं और इस कारण से एक पात्र घरेलू उत्पादक के रूप में उसे नहीं माना जाना चाहिए। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्री ("एसईजेड") में मौजूद इकाईयों को एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 30 के संदर्भ में दिया गया उनके विशिष्ट दर्जे के कारण नियम 2(ख) के उद्देश्य से "घरेलू उद्योग" के रूप में नहीं माना जाता है। सेविएट कंपनी लिमिटेड की डीटीए क्षेत्र में तथा एसईजेड क्षेत्र में स्थित अपनी इकाईयां हैं। सेविएट कंपनी लिमिटेड द्वारा किए गए आयात अपनी एसईजेड इकाई और न कि अपनी डीटीए इकाई के लिए की गई है। इस प्रकार, एसईजेड इकाई के लिए किए गए आयात सेविएट कंपनी लिमिटेड को नियम 2(ख) के संदर्भ में एक पात्र घरेलू उत्पादक होने से बेदखल नहीं करता है।

27. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत कोई पूर्ण रोक नहीं है जो प्रत्येक घरेलू उत्पादक को बाहर रखने का अधिदेश देता है, जिसने आयात किया है। घरेलू उद्योग के क्षेत्र से, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने *सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स बनाम भारत का संघ*[12] में अपने हाल के निर्णय में यह टिप्पणी की है कि प्राधिकारी को इस प्रकार के आयात करने वाले घरेलू उत्पादकों[13] को शामिल करने/बाहर रखने के संबंध में कुछ विवेकाधिकार हैं। हालांकि इस प्रकार का विवेकाधिकार बिना किसी रोक के है और इसका उपयोग मामला-दर-मामला आधार पर किया जाना है। सेविएट द्वारा किए गए आयातों की जांच नीचे की गई है।

क्र.सं.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	सेविएट द्वारा किया गया आयात	1,260	1,431	1,111	960
2	प्रवृत्ति	100	113	88	76
3	सेविएट का उत्पादन	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	100	98	109	82
5	कुल भारतीय खपत	11,78,706	11,40,443	12,03,483	10,10,177
6	बांग्लादेश से कुल आयात	98,766	88,256	1,23,016	1,11,912

[12] रिट याचिका (सिविल) 1102/2022.

[13] "54. उपर्युक्त को देखते हुए, न्यायालय का यह सुविचारित दृष्टिकोण है कि एडीआर 1995 के नियम 2(ख) में दिनांक 01.12.2011 की अधिसूचना के द्वारा "घरेलू उद्योग" की परिभाषा में लाया गया संशोधन प्राधिकारी को "घरेलू उद्योग" की अवधारणा में पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों अथवा अपने आप आयातकों के संबंधित उत्पादकों को शामिल करने के लिए विवेकाधिकार प्रदान करता है। लेकिन फिर बाद के संशोधनों की प्रकृति और भार के कारण हमें यह समझना है कि इस प्रकार का विवेकाधिकार पूर्ण विवेकाधिकार नहीं हो सकता है बल्कि मामले-दर-मामले आधार पर निर्धारित किए जाने के लिए परिस्थिति संबंधी विवेकाधिकार होगा"

	निम्नलिखित की तुलना में आयात				
7	अपना उत्पादन	2.89	3.24	2.32	2.67
8	प्रवृत्ति	100	112	80	92
9	भारतीय खपत	0.11	0.13	0.09	0.10
10	बांग्लादेश से कुल आयात	1.28	1.62	0.90	0.86

28. यह देखा गया है कि सेविएट कंपनी लिमिटेड द्वारा अपनी एसईजेड इकाई में किया गया आयात इसके अपने उत्पादन की तुलना में कम है और खपत, कुल भारतीय आयात और सकल घरेलू उत्पादन की तुलना में मामूली है और इस कारण से सेविएट को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के संदर्भ में अपात्र घरेलू उद्योग के रूप में मानता है।

29. इस तर्क के संबंध में कि समर्थकों ने निर्धारित व्यापार सूचना के अनुसार सूचना उपलब्ध नहीं कराई है और इस कारण से उन्हें आवेदक द्वारा किए गए आवेदन के समर्थकों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि वास्तव में अनेक उत्पादकों ने अपने आर्थिक मापदंडों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। हालांकि, 32 अन्य घरेलू उत्पादकों ने दिनांक 29 जुलाई, 2021 की व्यापार सूचना संख्या 05/2021 के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित घरेलू बिक्रियों, निर्यातों और कैप्टिव खपत के लिए पृथक रूप से संस्थापित क्षमता, उत्पादन मात्रा, बिक्री की मात्रा और मूल्य के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है। इसके अलावा, अन्य उत्पादकों में से 6 उत्पादकों ने कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर वित्तीय विवरणी के रूप में समर्थन करने वाले साक्ष्य के साथ क्षति संबंधी पूर्ण सूचना उपलब्ध कराई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है कि दिनांक 29 जुलाई, 2021 की व्यापार सूचना संख्या 05/2021 के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने वाले 32 उत्पादकों के साथ आवेदक का हिस्सा कुल भारतीय उत्पादन का लगभग 93 प्रतिशत और समर्थन करने वाले छह उत्पादकों, जिन्होंने समर्थन करने वाले साक्ष्य के साथ सूचना उपलब्ध कराई है, के साथ आवेदक का हिस्सा कुल भारतीय उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत है।

30. प्राधिकारी ने इस प्रकार के उत्पादकों, जिन्होंने विलंबित चरण में इसे सूचना प्रस्तुत की है, द्वारा उपलब्ध कराई गई क्षति संबंधी सूचना पर विचार नहीं किया है। हालांकि चूंकि इन कंपनियों ने संगत सूचना उपलब्ध कराई है, फिर भी उसकी जांच पृथक रूप से की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या उनका कार्य-निष्पादन आवेदक घरेलू उद्योग की तुलना में वास्तविक रूप से अलग स्थिति दर्शाता है और क्या उनके आंकड़ों पर विचार नहीं करने से अन्तत: निष्कर्ष में वास्तविक अंतर आएगा और समग्र रूप से भारतीय उद्योग की समग्र स्थिति की जांच हो पाएगी।

31. उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक कंपनियां पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत "आधार" की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 घरेलू उद्योग के विचार

32. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय के रूप में दावा की गई सूचना कीमत से संबंधित नहीं है, जो व्यापार संवेदनशील सूचना है और इस कारण से उसे किसी भी तरीके से प्रकट नहीं किया जा सकता है। इस टिप्पणी के संबंध में कि वास्तविक आंकड़ों को प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था, यह अवश्य नोट किया जाना चाहिए कि क्षति की जांच क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, जिसमें जांच करने वाला प्राधिकारी से यह निर्धारण करना अपेक्षित है कि क्या जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति का उल्लेख "क्षतिकारक" के रूप में

किया जा सकता है। इस संबंध में, सूचना की प्रवृत्ति वास्तविक आंकड़ों के बजाए क्षति की जांच करते समय अधिक महत्वपूर्ण है।

ii. बांगलादेश में अतिरिक्त अनुमानों के संबंध में सूचना का जहां तक प्रश्न है, बंगलादेश में मांग और आपूर्ति/उत्पादन, बंगलादेश में कच्चे जूट की खपत आदि का जहां तक प्रश्न है, यह अनुरोध किया जाता है कि इस सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह सहज रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। हालांकि, वे स्रोत जिसके माध्यम से इस प्रकार की सूचना ली गई है, को प्रकट किया गया है।

iii. आवेदक ने आरंभिक याचिका दायर करने के बाद प्रस्तुत की गई सभी सूचना के साथ दिनांक 22.06.2021 के पत्र के माध्यम से आवेदन और उसके साथ संलग्न दस्तावेज़ों का अगोपनीय रूपांतर परिचालित किया था। क्षति संबंधी अनुबंध में भी कुछ लघु परिवर्तन हुए हैं, जिसके लिए अतिरिक्त दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न किए गए थे। जांच की शुरुआत के चरण में विचार किया गया आवेदन में क्षति अवधि के लिए आंकड़ों में कोई अंतर नहीं था और यह सूचना जांच की अवधि के आंकड़ों का अद्यतन करने के बाद उपलब्ध कराया गया था।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

33. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. याचिका में दी गई अधिकांश सूचना गोपनीय रखी गई है जिसके लिए कोई अगोपनीय सारांश नहीं उपलब्ध कराया गया है। कोई अगोपनीय सारांश बंगलादेश में ऐसे अतिरिक्त अनुमानों, बंगलादेश में मांग और आपूर्ति/उत्पादन, बंगलादेश में कच्चे जूट की खपत आदि जो प्रतिवादियो से संबंधित हैं, के संबंध में सूचना के लिए भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह प्रतिवादियों के लिए इस स्थिति का सही तरीके से मूल्यांकन करने और इस जांच में उपयोगी अंशदान करने के लिए इसे कठिन बना देता है।

ii. प्रतिवादियों की इस तथ्य का सत्यापन करने और आकलन करने की क्षमता कि क्या 14 मार्च, 2022 को परिचालित पत्र अथवा उस मामले के लिए अनुबंध-II के संबंध में समर्थकों द्वारा प्रस्तुत की गई समग्र सूचना, समर्थकों द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2022 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत सीमित मात्रा सूचना की प्रवंचना पूर्ण रूप से की गई है क्योंकि इस प्रकार की सूचना देने वाले समर्थकों ने पर्याप्त अगोपनीय सारांश अथवा कारण कि क्यों इस प्रकार का सारांश संभव नहीं है, उपलब्ध कराए बिना पूर्ण गोपनीयता का दावा किया है।

iii. घरेलू उद्योग ने अतिरिक्त गोपनीयता का दावा किया है और अपूर्ण सूचना प्रस्तुत की है। घरेलू उद्योग ने लागत से संबंधित कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है और न ही इसने पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 और व्यापार सूचना सं. 1/2013[14] और 10/2018[15] के अनुसार अपने दावे के लिए कोई उचित औचित्य उपलब्ध नहीं कराया है। याचिकाकर्ता ने क्षति के आरोपों से संबंधित सूचना छिपाई है और उसे तोड़-मरोड़कर पेश किया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

34. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:-

" गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

---

[14] व्यापार सूचना सं. 1/2013 स्टेक होल्डरों द्वारा गोपनीय/अगोपनीय सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता।

[15] व्यापार सूचना सं. 10/2018: पाटनरोधी जांच को कारगर बनाना – दिनांक 7 सितंबर, 2018 फाइल सं. 4/17/2018 को घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया उत्तरों का गोपनीय रूपांतर/अगोपनीय रूपांतर में सूचना को प्रकट करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

35. प्राधिकारी आधिक्य क्षमता, मांग, आपूर्ति आदि के संबंध में बंगलादेश और नेपाल के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई गोपनीय रिपोर्ट के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध को नोट करते हैं। घरेलू उद्योग ने उसका पर्याप्त अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराने में अपनी असमर्थता व्यक्त की क्योंकि उसमें तीसरे पक्षकार की सूचना थी। इस कारण से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तरह की अत्यधिक गोपनीयता अन्य हितबद्ध पक्षकारों को बंगलादेश में आधिक्य अनुमानों, बंगलादेश में मांग और आपूर्ति/उत्पादन, बंगलादेश में कच्चे माल की खपत आदि जैसे कुछ पहलुओं पर सार्थक अनुरोध करने से रोका होता। तद्नुसार, प्राधिकारी ने उसे स्वीकार नहीं किया है।

36. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए अन्य अनुरोधों की जहां तक बात है, उनकी संगत मानी गई सीमा तक प्राधिकारी द्वारा जांच की गई थी और तद्नुसार उस पर ध्यान दिया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की विधिवत् जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस तरह की सूचना गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना मानी गई है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यापार संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय के रूप में दावा किया है।

च. विविध

च.1 घरेलू उद्योग के विचार

37. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखि विविध अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग जब कभी प्राधिकारी उसके लिए शर्तों और आधार कीमत की सूचना देगा, कीमत की पेशकश किए जाने पर प्रतिक्रिया देगा।

ii. आवेदक ने पीडीएफ में आयात आंकड़े उपलब्ध कराए हैं और व्यापार सूचना 07/2018 का अनुपालन किया है। चूंकि इक्सोटिक डिकोर प्राइवेट लिमिटेड ने सेस्टेट के आदेश के समय से, प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों को डीजीसीआईएंडएस से ऐसे आंकड़े प्राप्त करने के लिए अधिकृत करते हैं। डीजीसीआईएंडएस से एक्सल फार्म में और याचिकाकर्ता से पीडीएफ फार्म में आयात आंकड़े प्राप्त कर हितबद्ध पक्षकारों को कोई हानि नहीं पहुंचाई जा सकती है।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

38. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:

i. जांच की शुरुआत कानून की दृष्टि से गलत है क्योंकि प्राधिकारी ने संभावना और क्षति का पता लगाने के लिए अन्य घरेलू उत्पादकों से कोई पूछताछ नहीं की है, जैसाकि इसने हाल की जांच में किया था।

ii. निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करना दो चरण की प्रक्रिया है। अपने आप को इस तथ्य से संतुष्ट करने के उद्देश्य से कि इस प्रकार की समीक्षा शुरुआत किए जाने के लिए अपेक्षित है, निर्णायक समीक्षा आवेदन के लिए प्रथम चरण की जांच है। वर्तमान मामले में, जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस इस आधार को नहीं दर्शाता है, जिस पर प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नेपाल की तुलना में समीक्षा की जानी अपेक्षित

थी क्योंकि पाटन मार्जिन न्यूनतम पाया गया था। इसके अलावा, कोई भी प्रथमदृष्टया संतुष्टि नेपाल से आयातों के कारण अथवा उस मामले से उसकी संभावना के कारण घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने के बारे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था।

iii. प्राधिकारी ने यह टिप्पणी की है कि अनेक कारक बंगलादेश से क्षति के फिर से होने की संभावना का मौजूद रहना दर्शाता है, लेकिन नेपाल के संबंध में केवल यह उल्लेख किया गया था कि भारत नेपाल के उत्पादकों के लिए बहुत बड़ा बाजार है और यह कि कीमत में कटौती सकारात्मक थी। हालांकि, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका में कीमत में नकारात्मक कटौती दर्शाई। ऐसी स्थिति में जहां न तो पाटन जारी रहा है और न ही घरेलू उद्योग के क्षति के फिर से होने की संभावना है, नेपाल के विरुद्ध निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत नहीं की जानी चाहिए थी।

iv. (i) अरिहंत मल्टी-फाइबर्स लिमिटेड, और (ii) श्री रघुपति जूट मिल्स (iii) स्वास्तिक जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, और (iv) बाबा जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मूल जांच में भाग लिए जाने के बावजूद और शुल्क की एक विशिष्ट दर उनके लिए लागू किए जाने के बावजूद, घरेलू उद्योग ने नेपाल से जांच की शुरुआत के लिए अपने आवेदन में इन उत्पादकों/निर्यातकों का उल्लेख नहीं किया है। यह दर्शाता है कि नेपाल से उत्पादकों और निर्यातकों का निर्धारण करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था क्योंकि नेपाल से होने वाले आयातों के कारण कोई वास्तविक क्षति नहीं उठाई जा रही है।

v. घरेलू उद्योग द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान किए गए अनुरोधों से, यह स्पष्ट है कि व्यक्त की गई क्षति की संभावना के संबंध में आशंका बंगलादेश से और न कि नेपाल से हो रहे आयातों पर केन्द्रित है। चूंकि याचिकाकर्ताओं ने उक्त चर्चाओं से महत्वपूर्ण तरीके से नेपाल को छोड़ दिया है, यह दर्शाता है कि वे नेपाल से होने वाले आयातों से परेशान नहीं हैं।

vi प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि में परिवर्तन के साथ, याचिकाकर्ता से यह अपेक्षित है कि वे केवल जांच की अवधि से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन करें, हालांकि आश्चर्यजनक तरीके से याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि तथा पूर्व के वर्षों के लिए अपनी संशोधित याचिका में क्षति की अवधि के सभी महत्वपूर्ण आंकड़ों को बदल दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग प्राधिकारी को भ्रमित करने के लिए इस याचिका में संशोधन कर इन आंकड़ों में हेर-फेर करने की कोशिश कर रहे थे। यह याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के बारे में गंभीर प्रश्न उठाता है।

vii. याचिकाकर्ता से यह अपेक्षित था कि वह निर्धारित प्रपत्रों के संबंध में अपने आप को कठोरतापूर्वक जांच की शुरुआत के चरण में सही सूचना प्रस्तुत करे। मूल जांच में उपलब्ध कराई गई सूचना, जो वर्तमान जांच की शुरुआत के लिए आधार बना, में संशोधन विशिष्ट कारण दिए बिना बाद के चरण में नहीं किया जा सकता है।

viii. याचिकाकर्ता ने बंगलादेश से उत्पादकों की संभावित उत्पादन क्षमता के संबंध में सूचना को गोपनीय रखा है, जो बिल्कुल आश्चर्यजनक है क्योंकि यह सूचना अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और बंगलादेश की सरकार की वेबसाइट से संग्रहित की जाती है। इस प्रकार की सूचना प्रकृति से गोपनीय नहीं है और इस तरह की सूचना को गोपनीय रखना पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.5 का उल्लंघन है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

39. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा संगत पाई गई सीमा तक विविध अनुरोध पर चर्चा नीचे दिए गए अनुसार की गई है:

क. इस अनुरोध के संबंध में कि जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में उस आधार को नहीं दर्शाया, जिस पर इस जांच की शुरुआत नेपाल के विरुद्ध की गई थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में यह नोट किया कि पाटन मार्जिन नेपाल के लिए इस चरण में नकारात्मक है, हालांकि पाटन मार्जिन पर पीसीएन वार सूचना पर विचार करने के बाद, जांच के दौरान आगे ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, यह नोट किया गया था कि नेपाल के लिए कीमत में कटौती सकारात्मक थी और यह कि भारत बहुत अधिक महत्वपूर्ण बाजार है, जो नेपाल के उत्पादकों को इस पर निर्भर बनाता है, जो नेपाल के विरुद्ध भी जांच की शुरुआत को सही ठहराता है।

ख. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है कि नेपाल से संबद्ध वस्तुओं के आयातों से क्षति और पाटन की संभावना मौजूद है, यह नोट किया जाता है कि इस आवेदन में नेपाल से क्षति और पाटन की संभावना को सिद्ध करने के लिए नेपाल में प्रचलित मांग, आपूर्ति और उत्पादन की स्थिति के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई।

ग. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक ने प्राधिकारी द्वारा चयनित जांच की अवधि के लिए सूचना को अद्यतित करने समय जांच की अवधि के पूर्व की अवधि के लिए सूचना में संशोधन किया है, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने इस आवेदन में आंकड़ों का सही तरीके से संदर्भ नहीं दिया है। आवेदन में दी गई अतिरिक्त सूचना के रूप में इस सूचना में जांच की अवधि के पूर्व की अवधि में कुछ परिवर्तन हुए थे। अतिरिक्त सूचना के साथ इस आवेदन को सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किया गया था। इस प्रकार जांच की शुरुआत के चरण में, जांच की अवधि के पूर्व के वर्षों के लिए आंकड़ों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

छ. पाटन का आंकलन और सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 भारतीय उद्योग के विचार

40. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध इस प्रकार हैं :-

i. बंगलादेश से निर्यातकों/ उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य के संबंध में विभिन्न वेबसाइट पर विक्रेताओं द्वारा प्रकाशित कीमतों के आधार पर विचार किया गया है क्योंकि संबद्ध वस्तुओं की कीमतों के बारे में कोई साक्ष्य नहीं पाया गया था, जबकि नेपाल के लिए सामान्य मूल्य, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के अभाव में निर्मित किया गया है।

ii. प्राधिकारी द्वारा शुल्क में संशोधन के लिए निम्नलिखित पर विचार किया जा सकता है :-

क. जहां निर्यातों की मात्रा मूल जांच के दौरान के स्तर की तुलना में काफी अधिक है अथवा वर्तमान आयातों के अनुसार है, वहां शुल्क में संशोधन करने पर विचार करने के लिए निर्यात को पर्याप्त विश्वसनीय माना जाना चाहिए।

ख. जहां निर्यात की मात्रा निर्यात कीमत की विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, वहां वर्तमान अवधि में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन को प्रतिनिधिक नहीं माना जा सकता और विगत शुल्कों की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए।

ग. मात्रा और कीमत, दोनों के संदर्भ में निर्यात कीमत की विश्वसनीयता, शुल्क के संशोधन पर विचार करने से पूर्व महत्वपूर्ण होती हैं। यदि वर्तमान अवधि में आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, तो मात्रा और कीमत, दोनों पर शुल्क के संशोधन के लिए विचार किया जाना चाहिए।

iii. निर्यात कीमत का निर्धारण विधिवत समायोजनों के साथ सौदा-वार डीजीसीआई एंड एस डेटा के आधार पर किया गया था।

iv. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना यह दर्शाती है कि पाटन मार्जिन काफी महत्वपूर्ण है और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद सकारात्मक है।

v. सुनवाई के दौरान बंगलादेश की यह घोषणा कि उनका जूट उद्योग लाभकारी नहीं है, यह दर्शाता है कि बंगलादेश के निर्यातक पाटित कीमतों पर निर्यात कर रहे हैं। इन उत्तरों की इस विवरण के आलोक में जांच की जानी चाहिए और जो उत्तर एक प्रतिकूल स्थिति को दर्शाते हैं, उन्हें इस तात्पर्य से पढ़ना चाहिए कि सूचना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है अथवा मनगडढंत है।

vi जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि आवेदक द्वारा दावा किया गया पाटन और क्षति मार्जिन काफी भ्रामक है और बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया है, यह अनुरोध है कि आवेदक दाखिल किए गए उत्तरों के आधार पर मार्जिन की गणना का विरोध नहीं करता, बशर्ते कि इसे किसी भी तरह से कम और अधूरा न मानकर जांच की जाए। मौखिक सुनवाई के दौरान दिए गए विवरण के आधार पर आवेदक को संदेह है कि प्रश्नावली उत्तर में काफी कमी है।

vii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि आवेदक का सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का विश्लेषण पाटनरोधी नियमावली, पाटनरोधी करार का उल्लंघन है और ऐसा दोषपूर्ण विश्लेषण संभावित विश्लेषण को भी दर्शाता है। यह भी तर्क दिया गया है कि पाटन मार्जिन की गणना उत्पादन की लागत, भारत को निर्यात कीमत के बारे में सूचना के आधार पर की जाए, जैसा कि प्रतिवादी द्वारा अपने निर्यातक प्रश्नावली उत्तरों में प्रस्तुत किया गया है। इन तर्कों के संबंध में, यह कहा जाता है कि सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर किया गया है और यह दोषपूर्ण नहीं है।

viii. प्राधिकारी को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके निर्यातक प्रश्नावली उत्तरों में किए गए दावों का सत्यापन करना चाहिए और उनकी विशेष रूप से पाटन और क्षति की संभावना के परिप्रेक्ष्य से जांच की जानी चाहिए।

ix. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने मौखिक सुनवाई के दौरान पाटन की मौजूदगी से इंकार नहीं किया है। वास्तव में, बंगलादेश सरकार ने यह स्वीकार किया है कि बिक्रियां लाभप्रद नहीं हैं और इस प्रकार, कोई भी पाटन न होने का दावा गलत प्रतीत होता है। तर्क यह है कि यदि पाटन मार्जिन नकारात्मक है तो प्राधिकारी को मात्रा और उस कीमत पर विचार करना चाहिए जिस पर वस्तुएं निर्यात बाजार में बेची गई हैं, उनकी क्षमता, उनके निर्यातोन्मुखी होने आदि पर संभावना का निर्धारण करने के लिए विचार करना चाहिए।

x. अलीजान जूट मिल्स लिमिटेड, नवाब अब्दुल मलेक जूट मिल्स (बंगलादेश) लि0 और सोनाली अंश इंडस्ट्रीज लि0 द्वारा दाखिल किए गए सभी उत्तरों को अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि डीजीटीआर की अपेक्षा के अनुसार अनुमत न होने के बावजूद लिंक के द्वारा इसे दाखिल किया गया।

xi. राबिया जूट मिल की वेबसाइट के अनुसार, इसकी तीन सहयोगी संस्थाएं हैं, जो व्यापार में लगी हुई हैं, नामत: अब्दुल सामद एंड संस, सामद ट्रेडिंग कार्पोरेशन, एस.आर. इंटरप्राइजेज, लेकिन इनमें से किसी के नाम का भी उत्तर में उल्लेख नहीं किया गया है और यह इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि क्या इनमें से कोई भी संबद्ध वस्तुओं के व्यापार में लगी सूचीबद्ध ट्रेडर कंपनी है।

xii. इरान्स ट्रेड इंटरनेशनल लि0 (मौना का संगत निर्यातक) ने अपने उत्तर में स्वयं को संबद्ध वस्तुओं के मात्र एक निर्यातक के रूप में बताया है, लेकिन वेबसाइट पर, उसने यह दावा किया है कि यह संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है। इस विरोधाभास का सत्यापन किया जाना चाहिए और यदि वह एक उत्पादक है, तो उसे ऐसी सभी संगत सूचना प्रदान करनी चाहिए थी जो एक उत्पादक को दाखिल करनी होती है। यदि ऐसी सूचना का सत्यापन नहीं किया जा सकता तो प्राधिकारी न केवल एरन्स के उत्तर को अस्वीकार कर सकते हैं बल्कि समग्र समूह के उत्तर को अस्वीकार कर सकते हैं।

xiii. प्रश्नावली उत्तरों के अनुसार, 14 निर्यातकों ने भारत के लिए निर्यातों में वृद्धि देखी है और उनमें से सभी कम शुल्क/ छूट वाली श्रेणी में आते हैं। यह प्रवृत्ति संयोग से नहीं है बल्कि भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं के निरंतर निर्यात के लिए एक नियोजित क्रियाकलाप है और बाजार की सूचना के अनुसार, इन निर्यातकों का हिस्सा संबद्ध आयातों की कुल मात्रा का करीब 50 प्रतिशत है। कुछ निर्यातकों के पास तो भारी मात्रा में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने की क्षमता भी नहीं है और वे अधिक शुल्क वाले उत्पादकों के नियमित निर्यातक हैं।

xiv. आवेदक ने अपने दिनांक 04 जून, 2021 के पत्र[16] के ज़रिए यह स्पष्ट किया है कि क्यों कीमतों के कुछ साक्ष्य, जो उपलब्ध थे, उनका चयन नहीं किया गया था अथवा उपयुक्त नहीं माना गया था। पत्र में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किए जाने हेतु अन्तिम और उपयुक्त सूचना भी निहित है और उसमें स्रोत भी दिए गए हैं अर्थात विचार की गईं कीमतों का लिंक। दिनांक 22 जून, 2021 के पत्र में दी गई सामान्य मूल्य की तालिकाएं पुनरावृत्ति मात्र हैं और पूर्व पत्र में दी गई सूचना का विस्तार है। इसके

[16] पत्र के पैरा 7-12

अलावा, आवेदक ने उपलब्ध सूचना और सर्वोत्तम अनुमानों पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य का समायोजन किया है।

xv. सरकार द्वारा प्रतिवादी को प्रदान किए गए सौदा-वार नकद प्रोत्साहनों के बारे में प्राधिकारी ने मूल पाटन जांच में यह कहा था कि यह समायोजन पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4 के तहत विशेष रूप से प्रदान नहीं किया गया है। माननीय सेस्टेट ने यह भी विचार किया है कि प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई अवधारणा उपयुक्त है। इसके अलावा, किसी भी प्राधिकारी ने भारतीय निर्यातकों को प्राप्त शुल्क वापसी के लिए समायोजन की अनुमति नहीं दी थी और न ही जब अनुमति प्रदान की जा रही थी तो डीपीईबी को अनुमति दी गई थी, ।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

41. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

i. आवेदक ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जो यह दर्शाता हो कि किसी निर्यातक की निर्यात कीमत विश्वसनीय नहीं है।

ii. नेपाल से पाटन के संबंध में, प्राधिकारी ने जांच शुरुआत सूचना में यह पाया था कि चूंकि तुलना औसत आधार पर की गई थी, अत: न्यूनतम पाटन मार्जिन शामिल विभिन्न पीसीएन के कारण पाटन की वास्तविक स्थिति का प्रतिनिधिक नहीं हो सकता। तथापि, प्राधिकारी द्वारा पीसीएन का सुझाव केवल जूट यार्न के संबंध में दिया गया था न कि सेकिंग बैग या हेसिएन फैब्रिक के संबंध में। साथ ही, नेपाल से उत्पादकों/ निर्यातकों ने केवल एक ही प्रकार के जूट यार्न का निर्यात किया है, जो प्राधिकारी द्वारा सुझाए गए पीसीएन की किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता। अत: प्राधिकारी द्वारा सुझाए गए अनेक पीसीएन की तुलना में यार्न/ ट्वाइन के बावजूद नेपाल से समग्र पाटन मार्जिन नकारात्मक है क्योंकि नेपाल विचाराधीन उत्पाद की प्रति श्रेणी एक केवल एक ही प्रकार के उत्पाद का निर्यात करता है, अर्थात यार्न, हेसियन फेब्रिक और सेकिंग बैग।

iii. प्राधिकारी को दिनांक 4 जून, 2021 को भेजे गए याचिकाकर्ता के पत्र के पैरा 8 में यह उल्लेख किया गया था *: "याचिकाकर्ता ने नेपाल और बंगलादेश में जूट उत्पादकों की घरेलू कीमतों के साक्ष्य एकत्र करने के लिए प्रयास किए, तथापि, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है, ये कीमतें विश्वसनीय नहीं हैं, क्योंकि ये कीमतें सभी उत्पाद टाइप के लिए एक जैसी प्रतीत होती हैं, इस प्रकार, विश्लेषण के लिए यह विश्वसनीय नहीं है।"* इसके अलावा, इसी पत्र के पैरा 12 में याचिकाकर्ता ने यह कहा है कि *"12. याचिकाकर्ता ने बंगलादेश में लागतों/ कीमतों के संबंध में निम्नलिखित सूचना/ साक्ष्य भी पाए हैं। तथापि, इनका प्रयोग इस कारण से नहीं किया जा सका कि इनमें शामिल उत्पाद के विशिष्ट प्रकार के बारे में सूचना निहित नहीं है।"* इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने स्वयं ही दावा किया है कि उसके द्वारा प्रदान किए गए उत्पाद की कीमतें और लागत विश्वसनीय नहीं हैं।

iv. इस तथ्य के बारे में पूरी तरह से जानकारी होने के बावजूद, जूट के उत्पाद लैंड कस्टम स्टेशन के माध्यम से आयात किए जाते हैं, अत: याचिकाकर्ता ने निर्यात कीमत को कृत्रिम रूप से कम करने के लिए माल भाड़ा के रूप में 30 यूएस डॉलर/ मी. टन लिया है। दूसरे, याचिका में 3 प्रतिशत कमीशन चार्ज समायोजित किया गया था, जो कि विपरीत है। प्रतिवादी के निर्यातक प्रश्नावली उत्तर (ईक्यूआर) से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने कभी भी ऐसा कमीशन प्रदान नहीं किया है। तीसरे, याचिका में विचार किए गए बैंक चार्ज, बीमा चार्ज और स्वदेशी यातायात लागत सभी प्रतिकूल हैं। उदाहरण के लिए, समुद्री बीमा सामान्यत: सीआईएफ मूल्य के 110 प्रतिशत का 0.10 प्रतिशत से 0.125 प्रतिशत है और यह कभी भी सीआईएफ के 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं रहा, जैसा कि आवेदक द्वारा दावा किया गया है।

v. इसके अलावा, जूट उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सामान्य मूल्य का अनुमान लगाते समय, याचिकाकर्ता जूट उत्पादों की उसी श्रेणी की निर्यात कीमत का अनुमान लगाने में विफल रहा है।

vi प्रतिवादी के निर्यातक प्रश्नावली उत्तर का परिशिष्ट 3 यह दर्शाता है कि उसे जांच की अवधि के दौरान सरकार से नकद प्रोत्साहन मिला है। इस समायोजन पर विचार किए बिना, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4 के अनुसार एक स्पष्ट तुलना नहीं की जा सकती।

vii. चूंकि याचिकाकर्ता ने पाटनरोधी शुल्क जारी रहने के लिए संभावना के विश्लेषण के लिए एक आधार के रूप में सकारात्मक पाटन मार्जिन पर भरोसा किया है, लेकिन प्रतिवादी तीन कारकों के आधार पर यह प्रस्तुत करते हैं कि पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए ऐसे दोषपूर्ण निर्धारण के आधार पर संभावना का विश्लेषण पाटनरोधी नियमावली तथा डब्ल्यूटीओ के नियमों, दोनों का विरोधाभासी है।

viii. प्राधिकारी प्रत्येक पक्षकार द्वारा दाखिल किए गए उत्तरों के आधार पर पाटन और क्षति के व्यक्तिगत मार्जिन का निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा पाटन और क्षति मार्जिन के लिए किए गए दावे भ्रामक और बढ़ा चढ़ा कर दिखाए गए हैं और ये स्पष्ट तथा उचित निर्धारण के लिए आधार नहीं हो सकते।

ix. सैम्पल लिए जाने के बावजूद सभी निर्यातकों के लिए व्यक्तिगत मार्जिन का निर्धारण किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी निर्यातकों द्वारा, जांच शुरु होने पर, पूरा उत्तर दाखिल किया गया है।

x. पाटन और क्षति मार्जिन का पुन: निर्धारण आवश्यक है, क्योंकि मूल मामले में निर्धारित किए गए मार्जिन में काफी बदलाव हो गए हैं।

xi. नेपाल से तीन संस्थाएं, अर्थात (i) स्वास्तिक जूट मिल्स प्रा0 लि0 ; (ii) बावा जूट मिल्स (प्रा0) लि0 और (iii) नेपाल जूट इंडस्ट्रीज प्रा0 लि0 को सैम्पल में नहीं चुना गया है। प्राधिकारी को उनके लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सभी सहायक दस्तावेजों और साक्ष्य के साथ पूरे प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए हैं। प्रचलित वैश्विक प्रक्रिया पहले एक सैम्पल का चयन करने की रही है और उसके बाद पूरे निर्यातक प्रश्नावली उत्तर (ईक्यूआर) प्रदान करने के लिए सैम्पल उत्पादक को निदेशित करने के लिए आगे कार्रवाई की जाती है।

xii. अरिहन्त मल्टी-फाइबर्स लिमिटेड और श्री रघुपति जूट मिल्स लि0 संगत पक्षकार हैं, जिन्होंने भाग लिया था, और उन्हें मूल जांच में सहयोगी माना गया था तथा उन्हें हेसियन फेब्रिक को शुल्क की शून्य दर प्रदान किए जाने के साथ शुल्क की एक सामान्य दर आबंटित की गई थी। चूंकि मूल जांच में ही कोई शुल्क नहीं लगाया गया था, अत: एक उत्पाद, जो पाटित नहीं पाया गया था और जिस पर शुल्क नहीं था, उसकी निर्णायक समीक्षा नहीं की जा सकती। अत: वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच को केवल जूट यार्न/ ट्वाइन और सेकिंग बैग तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, जहां तक कि इनका संबंध अरिहंत मल्टी फाइबर्स लिमिटेड और श्री रघुपति जूट मिल्स से है। मेक्सिको में डब्ल्यूटीओ अपील निकाय की रिपोर्ट- चावल पर पाटनरोधी उपायों[17] के अनुसार, एक बार पाटन की दर न्यूनतम निर्धारित किए जाने पर किसी उत्पादक/ निर्यातक के खिलाफ पाटनरोधी जांच समाप्त कर दी जानी चाहिए।

xiii. बंगलादेश से निर्यातकों/ उत्पादकों को हुए नुकसानों के बारे में बंगलादेश सरकार का विवरण सामान्य प्रकृति का था और यह बंगलादेश से सभी निर्यातकों/ उत्पादकों पर लागू नहीं होता।

xiv. ए.एम. जूट इंडस्ट्रीज लि0 ने प्राधिकारी को इसकी वास्तविक सूचना प्रदान की है, जिसका प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया है और यह अनुरोध है कि प्राधिकारी इस सूचना का उपयोग पाटन और क्षति मार्जिन की गणना के लिए करते हैं।

xv. मैसर्स राबिया जूट मिल्स के कथित व्यापारियों के संबंध में दावे पूरी तरह से गलत हैं और उनका कोई आधार नहीं है। सूचीबद्ध संस्थाएं स्वतंत्र रूप से चल रही हैं और वे किसी भी तरह से मैसर्स राबिया मिल्स से संबद्ध नहीं हैं और उनमें से कोई भी जूट या जूट से संबंधित उत्पादों में व्यापार नहीं करती।

xvi. इरान्स ट्रेड इंटरनेशनल लि0 तैयार वस्तुओं का केवल एक निर्यातक है और यह एक निर्माता नहीं है। कंपनी की वेबसाइट निर्माणाधीन है और वेबसाइट के डेवलपर ने इसका गलत प्रयोग किया है, जो कि

---

[17] अपील निकाय रिपोर्ट, मैक्सिको – बीफ और चावल पर निश्चयात्मक पाटनरोधी उपाय डब्ल्यूटी/डीएस295/एबी/आर दिनांक 29 नवम्बर, 2005.

कंपनी द्वारा सत्यापित नहीं थी। अत: यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी को इसे नजरअंदाज करना चाहिए।

xvii. याचिकाकर्ताओं द्वारा उल्लखित 14 निर्यातकों में से, जिनके भारत को निर्यातों में वृद्धि हुई है, 11 निर्यातकों पर भारी शुल्क हैं। तीन अन्य उत्पादकों के निर्यातों में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है, जैसा कि अनुलग्नक- ग से देखा जा सकता है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

42. धारा 9क(1)(ग) के तहत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य :

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को किया गया हो; अथवा उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत ;

(ख) बशर्ते कि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

43. जांच शुरुआत के समय, प्राधिकारी ने जांच शुरु करने के लिए पर्याप्त माने गए तथ्यों को देखते हुए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। तथापि, जांच शुरु होने के बाद, सामान्य मूल्य का निर्धारण, हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त उत्तरों को देखते हुए किया गया है।

44. चूंकि संबद्ध देशों से काफी संख्या में उत्पादकों/ निर्यातकों ने उत्तर दिया है, अत: प्राधिकारी ने पाटनरोधी करार[18] के अनुच्छेद 6.10 तथा पाटनरोधी नियमावली [19] के नियम 17(3) के अनुसार सैम्पलिंग के संबंध में संगत प्रावधानों के तहत सैम्पलिंग की है।

---

[18] अनुच्छेद 6.10. "प्राधिकारी, एक नियम के रूप में संबंधित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में प्रत्येक ज्ञात निर्यातक या उत्पादक के लिए पाटन का व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित करते हैं। यदि, जहां शामिल उत्पाद के निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों की संख्या या टाइप इतनी अधिक हैं कि ऐसा निर्धारण अव्यवहारिक है; तो प्राधिकारी अपनी जांच को एक तर्कसंगत संख्या में पक्षकारों या उत्पाद तक ऐसे सैम्पल का उपयोग करके सीमित कर सकते हैं, जो चयन के समय प्राधिकारियों के लिए उपलब्ध सूचना के आधार पर सांख्यिकीय रूप से वैध हों अथवा संबंधित देश से निर्यातों की मात्रा की सबसे बड़ी प्रतिशतता तक सीमित कर सकते हैं, जिसकी उचित जांच की जा सकती है।

6.10.1. इस पैरा के तहत किए गए निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों या उत्पादकों के प्रकार के किसी चयन को संबंधित निर्यातकों, उत्पादकों, अथवा आयातकों के परामर्श और सहमति से चुना जाएगा।

6.10.2. ऐसे मामलों में, जहां प्राधिकारियों ने इस पैरा में प्रदान की गई उनकी जांच को सीमित किया है, वे फिर भी, शुरु में न चुने गए किसी निर्यातक अथवा उत्पादक के लिए किसी व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का निर्धारण करेंगे, जो सिवाय उसके कि जांच की अवधि के दौरान विचार करने हेतु

45. बंगलादेश के उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा निर्यात सब्सिडी पर समायोजनों के संबंध में दावे के संबंध में, प्राधिकारी ने यह पाया है कि यह समायोजन पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 2.4 के तहत विशेष रूप से प्रदान नहीं किया गया है।

46. तद्नुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से विभिन्न उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा दाखिल 19 निर्यातक प्रश्नावलियों के सैम्पल लिए थे। ये सैम्पल भारत को निर्यातों की विभिन्न मात्रा के साथ निर्यातकों का चयन करके किए गए थे। सैम्पल के आधार पर, 19 उत्पादकों/ निर्यातकों के संबंधित सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के विचार लेने के बाद सैम्पल के रूप से पुष्टि की गई, जो इस प्रकार हैं :-

i. हसन जूट मिल्स लिमिटेड
ii. हसन जूट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड
iii. अलीजान जूट मिल्स लिमिटेड
iv. अरनु जूट मिल्स लिमिटेड, बंगलादेश
v. ए.एम. जूट इंडस्ट्रीज लिमिटैड
vi सांगर जूट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड
vii. सिडलॉ टेक्सटाइल्स लिमिटेड
viii. ओरिएंटल जूट मिल्स
ix. नवाब अब्दुल मलेक जूट मिल्स (बंगलादेश) लिमिटेड
x. नवहाटा जूट मिल्स लिमिटेड
xi. राबिया जूट मिल्स लिमिटेड
xii. बोगरा जूट मिल्स लिमिटेड
xiii. रानु एग्रो इंडस्ट्रियल लिमिटेड, बंगलादेश
xiv. सोनाली आंश इंडस्ट्रीज लिमिटेड
xv. मौना जूट मिल्स लिमिटेड
xvi. ऐरंस ट्रेड इंटरनेशनल लिमिटेड
xvii. इकोट्रेड इंटरनेशनल
xviii. अरिहंत मल्टी-फाइबर लिमिटैड

उस सूचना के लिए समय पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करते हैं, जहां पर निर्यातकों या उत्पादकों की संख्या इतनी अधिक है कि व्यक्तिगत जांच, प्राधिकारियों पर अनुचित रूप से बोझ हो जाएगी और जांच समय पर पूरी नहीं की जा सकेगी।"

[19] नियम 17(3) "निर्दिष्ट प्राधिकारी जांचाधीन वस्तु से संबंधित प्रत्येक ज्ञात निर्यातक या उत्पादक के लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित करेंगे; बशर्ते कि, ऐसे मामले में, जहां शामिल निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों की संख्या या वस्तुओं का प्रकार इतना बड़ा है कि ऐसा निर्धारण अव्यवहारिक हो जाता है, तो वह अपने जांच परिणामों को चयन के समय उपलब्ध सूचना के आधार पर सांख्यिकीय रूप से वैध सैम्पलों का उपयोग करके एक तर्कसंगत संख्या में हितबद्ध पक्षकारों या वस्तुओं तक सीमित कर सकते हैं अथवा संबंधित देश से निर्यातों की मात्रा की सबसे अधिक प्रतिशतता तक सीमित कर सकते हैं, जिसकी एक तर्कसंगत रूप से जांच की जा सकती है और इस परन्तुक के तहत किए गए, वस्तुओं के निर्यातकों, उत्पादकों या प्रकार के किसी चयन को अधिमानत: संबंधित निर्यातकों, उत्पादकों अथवा आयातकों के परामर्श से या उनकी सहमति से किया जाएगा।

बशर्ते यह भी कि निर्दिष्ट प्राधिकारी, किसी निर्यातक या उत्पादक के लिए पाटन के व्यक्तिगत मार्जिन का निर्धारण, यद्यपि शुरु में चयन के माध्यम से नहीं किया गया, जो इस बात के सिवाय कि जो समय पर आवश्यक सूचना प्रदान करते हैं, जहां निर्यातकों या उत्पादकों की संख्या इतनी बड़ी है कि व्यक्तिगत जांच अनुचित रूप से बोझिल होगी और इससे जांच को समय पर पूरा करने में रुकावट आएगी।"

xix. श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड

47. प्राधिकारी ने निम्नलिखित तरीके से उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर सभी सैम्पल उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है :-

क. सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने सामान्य व्यापार जांच आयोजित की है ताकि संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ अर्जक घरेलू बिक्री सौदे निर्धारित किए जा सकें। यदि लाभ अर्जक सौदे कुल बिक्रियों के 80 प्रतिशत से अधिक है, तो घरेलू बिक्रियों में सभी सौदों को सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार में लिया गया है और यदि लाभ अर्जक सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए केवल लाभ अर्जक घरेलू बिक्रियों को विचार में लिया गया है।

ख. जहां कोई भी घरेलू बिक्रियां या कोई लाभ अर्जक बिक्रियां नहीं थी या घरेलू बिक्रियां तुलनात्मक उत्पाद के अपर्याप्त थी, तो सामान्य मूल्य का निर्माण लाभों के लिए उचित वृद्धि करने के साथ भारत को निर्यातित उत्पादों के उत्पादन की लागत के आधार पर थी।

48. प्राधिकारी ने सभी सैम्पल उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन प्रदान किया है। गैर-सैम्पल उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए, सम्पल उत्पादकों/ निर्यातकों को 3 उत्पाद टाइप के लिए अलग-अलग भारित औसत पाटन मार्जिन प्रदान किया गया है। प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उत्पादकों/ निर्यातकों की शेष श्रेणी के लिए पाटन मार्जिन की गणना की गई है। गैर-सैम्पल उत्पादक/ निर्यातक इस प्रकार हैं :-

i. मिर्जा जूट मिल्स लिमिटेड

ii. जेम जूट मिल

iii. अफजल फाइबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज

iv. अनाम जूट प्रोडक्ट्स लिमिटेड

v. आशा जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

vi उषा जूट स्पिनर्स लिमिटेड

vii. बोनांजा जूट कम्पोजिट एंड डाइवर्स फैक्ट्री लिमिटेड

viii. जमुना जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

ix. रहमान जूट मिल्स (प्राइवेट) लिमिटैड

x. जॉय जूट मिल्स लिमिटेड

xi. जूट टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड

xii. गोल्डन जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

xiii. प्राइड जूट मिल्स लिमिटेड

xiv. राजबरी जूट मिल्स लिमिटेड

xv. हसन जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

xvi. जनता जूट मिल्स लिमिटेड

xvii. सदात जूट इंडस्ट्रीज लिमिटैड

xviii. बाबा जूट मिल्स

xix. स्वास्तिक जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड

xx. नेपाल जूट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

xxi. ग्लोरी जूट लिमिटेड

xxii. मदीना जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

xxiii. माजेदा जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

xxiv. रिलायंस जूट मिल्स लिमिटेड

xxv. सलीम एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड

xxvi. शमशेर जूट मिल्स लिमिटेड

xxvii. वहाब जूट मिल्स

xxviii. अकिज जूट मिल्स लिमिटेड

xxix. लवली जूट मिल्स लिमिटेड

xxx. नोवापारा जूट मिल्स लिमिटेड

xxxi. नोवापारा पैकेजिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड

xxxii. बंगला पैट डाइवर्सिफाइड मिल्स लिमिटेड

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नौपारा जूट मिल्स लिमिटेड, नोवापारा पैकेजिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड और बांग्ला पैट डाइवर्सिफाइड मिल्स लिमिटेड द्वारा दायर की गयी प्रश्नावली के जवाब अधूरे हैं और इसलिए उन्हें प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया हैं। तदनुसार, इन उत्पादकों को असहयोगी माना गया है।

छ.3.1 बंगलादेश के सभी सैम्पल निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

50. **बोगरा जूट मिल (उत्पादक/ निर्यातक)**

सामान्य मूल्य

i. निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि बागेरा जूट मिल (इसके बाद इसे "बोगरा/ निर्यातक/ कंपनी" के रूप में कहा गया है) बंगलादेश से संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक व निर्यातक है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, बोगरा ने संबद्ध वस्तुओं (सैकिंग बैग, सैकिंग क्लॉथ और दो पीसीएन यार्न) का भारत में अपने असंगत ग्राहकों को सीधे निर्यात किया है। बोगरा ने पीसीएन आधार पर सूचना प्रदान की है। बोगरा का उत्तर यह दर्शाता है कि कंपनी ने घरेलू बाजार में सैकिंग बैग, सैकिंग क्लॉथ और यार्न की बिक्री की है तथा जांच की अवधि के दौरान भारत को उसका निर्यात किया है।

ii. बागेरा ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** मी. टन सैकिंग बैग और *** मी. टन दो पीसीएन यार्न की बिक्री की है, जबकि उसने *** मी. टन सैकिंग बैग और *** मी. टन दो पीसीएन यार्न का भारत को निर्यात किया है। प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या उनकी बिक्रियां पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के संदर्भ में सामान्य व्यापार के दौरान की गई है। घरेलू बिक्रियां यदि भारत को निर्यातों के साथ तुलना की जाए, तो पर्याप्त मात्रा में ही सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने सामान्य व्यापार जांच आयोजित की है ताकि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ अर्जक घरेलू बिक्री सौदे निर्धारित किए जा सकें। यदि लाभ अर्जक सौदे कुल बिक्रियों के 80 प्रतिशत से अधिक है, तो घरेलू बिक्रियों में सभी सौदों को सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार में लिया गया है और यदि लाभ अर्जक सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए केवल लाभ अर्जक घरेलू बिक्रियों को विचार में लिया गया है। यह पाया गया था कि सैकिंग बैग की *** प्रतिशत बिक्रियां और जूट यार्न/ ट्वाइन की *** प्रतिशत बिक्रियां लाभकारी थी। कंपनी ने सभी घरेलू बिक्रियां कारखाना बाह्य स्तर पर होने का दावा किया है और इसमें पैकिंग लागत शामिल नहीं है, अत: प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद इसकी अनुमति दी गई है। तद्नुरूप बोगरा के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर पीसीएन-वार सामान्य मूल्य की गणना की गई है और इसका नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लेख किया गया है।

निर्यात कीमत

iii. यह नोट किया गया है कि बोगरा जूट मिल ने *** मी. टन सैकिंग बैग और *** मी. टन दो पीसीएन यार्न जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात किए हैं। प्राधिकारी ने बोगरा जूट मिल द्वारा दाखिल किए गए उत्तर का सत्यापन किया है। बोगरा ने स्वदेशी यातायात, मूलता का प्रमाण पत्र प्रभारों, साफ्टा (एसएएफटीए) व्ययों, ऑयल कंटेंट व्ययों, सी एंड एफ प्रभारों, बैंक प्रभारों तथा पैकिंग लागत के संबंध में समायोजनों का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा इसकी अनुमति दी गई है। तद्नुसार, पीसीएन-वार कारखाना बाह्य निर्यात कीमत की गणना की गई है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है :

विचाराधीन उत्पाद	**भारित औसत सामान्य मूल्य (यूएस डॉलर/ मी. टन)**	**भारित औसत निर्यात कीमत (यूएस डॉलर/ मी. टन)**	**पाटन मार्जिन (यूएस डॉलर/ मी. टन)**	**पाटन मार्जिन %**	**पाटन मार्जिन रेंज**
जूट यार्न/ ट्वाइन	***	***	(***)	(***)	(10) – 0
सैकिंग बैग	***	***	(***)	(***)	(20)– (10)

51. **हसन जूट मिल्स लिमिटेड (उत्पादक/ निर्यातक) और हसन जूट एवं स्पिनिंग मिल**

सामान्य मूल्य

i. निर्यातक प्रश्नावली उत्तरों में प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हसन जूट मिल्स लिमिटेड और इसकी संगत कंपनी हसन जूट एंड स्पिनिंग मिल (इसके बाद इसे "हसन/निर्यातक/कंपनी" के रूप में कहा गया है) बंगलादेश से संबद्ध वस्तुओं की उत्पादक हैं। तथापि, भारत को वस्तुओं का निर्यात केवल हसन जूट मिल्स लिमिटेड द्वारा किया गया है और संगत कंपनी हसन जूट एंड स्पिनिंग मिल ने केवल घरेलू बाजार में बिक्री की है, जैसा कि उल्लेख किया गया है, हेसन ने संबद्ध वस्तुएं (सैकिंग बैग और 8 पीसीएन यार्न) सीधे भारत में अपने असंगत ग्राहकों को निर्यात की हैं। दोनों ही कंपनियों ने सूचना पीसीएन आधार पर प्रदान की है। हसन का उत्तर यह दर्शाता है कि कंपनी ने घरेलू बाजार में सेकिंग बैग और यार्न की बिक्री की है और उसे जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात किया है।

ii. दोनों ही कंपनियों ने मिलकर *** मी. टन सैकिंग बैग और *** मी.टन 8 पीसीएन यार्न जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में बेचे हैं जबकि उसने *** मी. टन सैकिंग बैग और *** मी. टन 8 पीसीएन यार्न भारत को निर्यात किए हैं। प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या उनकी बिक्रियां पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के अनुसार सामान्य व्यापार के दौरान की गई हैं। घरेलू बिक्रियां यदि भारत को निर्यातों से तुलना की जाए तो पर्याप्त मात्रा में हैं। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने सामान्य व्यापार जांच प्रक्रिया आयोजित की है ताकि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ अर्जक घरेलू बिक्री सौदे निर्धारित किए जा सकें। यदि लाभ अर्जक सौदे कुल बिक्रियों के 80 प्रतिशत से अधिक है, तो घरेलू बिक्रियों में सभी सौदों को सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार में लिया गया है और यदि लाभ अर्जक सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए केवल लाभ अर्जक घरेलू बिक्रियों को विचार में लिया गया है। यह पाया गया था कि सैकिंग बैग की *** प्रतिशत बिक्रियों और जूट यार्न/ ट्वाइन की *** प्रतिशत बिक्रियां लाभ अर्जक थी। कंपनी ने सभी घरेलू बिक्रियां कारखाना बाह्य स्तर पर होने का दावा किया है और उनमें पैकिंग लागत शामिल नहीं है, जिसके लिए प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद अनुमति प्रदान की गई है। तद्नुसार, समूह के लिए पीसीएन-वार सामान्य मूल्य की गणना की गई है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

iii. यह नोट किया जाता है कि हेसन जूट मिल लिमिटेड ने *** मी. टन सैकिंग बैग और *** मी. टन 8 पीसीएन यार्न का भारत को जांच की अवधि के दौरान निर्यात किया है। प्राधिकारी ने हसन जूट मिल द्वारा दाखिल किए गए उत्तर का सत्यापन किया है। हसन ने स्वदेशी यातायात, सी एंड एफ व्ययों, निवल बैंक प्रभारों, दस्तावेज निर्माण लागत, और पैकिंग लागत के संबंध में समायोजनों का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा उसकी अनुमति दी गई है। तद्नुसार, पीसीएन-वार कारखाना बाह्य निर्यात कीमत की गणना की गई है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

विचाराधीन उत्पाद	**भारित औसत सामान्य मूल्य (यूएस डॉलर/ मी. टन)**	**भारित औसत निर्यात कीमत (यूएस डॉलर/ मी. टन)**	**पाटन मार्जिन (यूएस डॉलर/ मी. टन)**	**पाटन मार्जिन %**	**पाटन मार्जिन रेंज**
जूट यार्न/ ट्वाइन	***	***	(***)	(***)	(10) – 0
सैकिंग बैग	***	***	(***)	(***)	(20)– (10)

52. **राबिया जूट मिल (उत्पादक/ निर्यातक)**

सामान्य मूल्य

i. निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि राबिया जूट मिल (इसके बाद इसे "राबिया/ निर्यातक/ कंपनी" के रूप में कहा गया है) बंगलादेश से संबद्ध वस्तुओं की एक उत्पादक व निर्यातक है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, राबिया ने संबद्ध वस्तुएं (सैकिंग बैग, हेसिएन फैब्रिक और 1 पीसीएन यार्न) का भारत में उसके असंगत ग्राहकों को सीधे निर्यात किया है। राबिया ने पीसीएन आधार पर सूचना प्रदान की है। राबिया के उत्तर यह दर्शाते हैं कि कंपनी ने घरेलू बाजार में सैकिंग बैग और यार्न की बिक्री की है और जांच की अवधि के दौरान भारत को सैकिंग बैग, हेसिएन फैब्रिक तथा एक पीसीएन यार्न का निर्यात किया हे।

ii. राबिया ने *** मी. टन सैकिंग बैग और *** मी. टन एक पीसीएन यार्न की जांच की अवधि में घरेलू बाजार में बिक्री की है, जबकि उसने *** मी. टन सैकिंग बैग, *** मी .टन हेसिएन फैब्रिक तथा *** मी. टन एक पीसीएन यार्न का भारत को निर्यात किया गया है। प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या उनकी बिक्रियां पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के संदर्भ में सामान्य जांच की अवधि के दौरान की गई हैं। घरेलू बिक्रियां जब भारत को निर्यातों के साथ तुलना की जाए तो पर्याप्त मात्रा में हैं। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ अर्जक घरेलू बिक्री सौदों के निर्धारण के लिए सामान्य व्यापार जांच का आयोजन किया है। यदि लाभ अर्जक सौदे कुल बिक्रियों के 80 प्रतिशत से अधिक है, तो घरेलू बिक्रियों में सभी सौदों को सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार में लिया गया है और यदि लाभ अर्जक सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए केवल लाभ अर्जक घरेलू बिक्रियों को विचार में लिया गया है। ऐसे मामले में यदि कुछ पीसीएन की कोई घरेलू बिक्री नहीं है, तो लागत और तर्कसंगत लाभ को सामान्य मूल्य के लिए शामिल किया गया है। यह पाया गया था कि सैकिंग बैग की ***प्रतिशत बिक्रियां और जूट यार्न/ ट्वाइन की *** प्रतिशत बिक्रियां लाभ अर्जक थी। हेसिएन फैब्रिक की कोई घरेलू बिक्रियां नहीं थी। कंपनी ने सभी घरेलू बिक्रियां कारखाना बाह्य स्तर पर होने का दावा किया है और इसमें पैकिंग लागत शामिल नहीं है, जिसके लिए सत्यापन के बाद प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई थी। तद्नुसार, राबिया के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर पीसीएन-वार सामान्य मूल्य की गणना की गई है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

iii. यह नोट किया जाता है कि राबिया जूट मिल ने जांच की अवधि के दौरान भारत को *** मी. टन सैकिंग बैग, *** मी. टन हेसिएन फैब्रिक तथा *** मी. टन एक पीसीएन यार्न का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने राबिया जूट मिल द्वारा दाखिल किए गए उत्तर का सत्यापन किया है। राबिया ने स्वदेशी यातायात, बंदरगाह और अन्य संबद्ध व्ययों, बैंक प्रभारों, और पैकिंग लागत के संबंध में समायोजन किया है और प्राधिकारी द्वारा इसके लिए अनुमति प्रदान की गई है। तद्नुसार, पीसीएन-वार कारखाना बाह्य निर्यात कीमत की गणना की गई है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है :

विचाराधीन उत्पाद	भारित औसत सामान्य मूल्य (यूएस डॉलर/ मी. टन)	भारित औसत निर्यात कीमत (यूएस डॉलर/ मी. टन)	पाटन मार्जिन (यूएस डॉलर/ मी. टन)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज
जूट यार्न/ ट्वाइन	***	***	***	***	30-40
सैकिंग बैग	***	***	(***)	(***)	(20)– (10)
हेसिएन फैब्रिक	***	***	(***)	(***)	(20) – (10)

53. **मौना जूट मिल्स लिमिटेड (उत्पादक/ निर्यातक)**

सामान्य मूल्य

i. निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मौना जूट मिल्स लि. (इसके बाद इसे "मौना/ निर्यातक/ कंपनी" के रूप में कहा गया है) बंगलादेश से संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक व निर्यातक है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, मौना ने भारत में अपने अपने संगत ग्राहकों को सीधे संबद्ध वस्तुओं (सैकिंग क्लॉथ और 2 पीसीएन यार्न) का निर्यात किया है और साथ ही, अपनी दो संगत कंपनी नामत: एरन्स ट्रेड इंटरनेशनल लिमिटेड और इकोट्रेड इंटरनेशनल के ज़रिए भारत में असंगत ग्राहकों को निर्यात भी किया है। मौना और इसकी संगत कंपनियों ने पीसीएन आधार पर सूचना प्रदान की है। मौना का उत्तर यह दर्शाता है कि कंपनी ने घरेलू बाजार में सैकिंग बैग, सैकिंग क्लॉथ, हैसिएन फैब्रिक और यार्न की बिक्री की है तथा जांच की अवधि के दौरान भारत को सैकिंग क्लॉथ और यार्न का निर्यात किया है।

ii. मौना ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** मी. टन सैकिंग बैग और *** मी. टन 2 पीसीएन यार्न एन की बिक्री की है, जबकि उसने *** मी. टन 2 पीसीएन यार्न का भारत को निर्यात किया है। प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या उनकी बिक्रियां पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के संदर्भ में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में की गई है। घरेलू बिक्रियां, जब भारत को निर्यातों के साथ तुलना की जाए तो पर्याप्त मात्रा में है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी न सामान्य व्यापार जांच प्रक्रिया आयोजित की है ताकि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ अर्जक घरेलू बिक्री सौदे निर्धारित किए जा सकें। यदि लाभ अर्जक सौदे कुल बिक्रियों के 80 प्रतिशत से अधिक है, तो घरेलू बिक्रियों में सभी सौदों को सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार में लिया गया है और यदि लाभ अर्जक सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए केवल लाभ अर्जक घरेलू बिक्रियों को विचार में लिया गया है। जहां कुछ पीसीएन में कोई घरेलू बिक्रियां नहीं हैं, वहां लागत व तर्कसंगत लाभ को सामान्य मूल्य के लिए शामिल किया गया है। सैकिंग बैग की कोई घरेलू बिक्रियां नहीं थी और जूट यार्न/ ट्विन की *** प्रतिशत बिक्रियां लाभ अर्जक थी। कंपनी ने सभी घरेलू बिक्रियां को कारखाना बाह्य स्तर पर होने का दावा किया है और इसमें पैकिंग लागत शामिल नहीं है, जिसे प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद अनुमति प्रदान कर दी गई है। तद्नुसार, मौना के लिए कारखाना

बाह्य स्तर पर पीसीएन-वार सामान्य मूल्य की गणना की गई है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

iii. यह नोट किया जाता है कि मौना जूट मिल्स लि0 और उसके दो संगत निर्यातक, नामत: इरान्स ट्रेड इंटरनेशनल लिमिटेड और इकोट्रेड इंटरनेशनल ने जांच की अवधि के दौरान भारत को ***मी.टन यार्न के दो पीसीएन का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने मौना जूट मिल द्वारा दाखिल किए गए उत्तर का सत्यापन किया है। मौना ने स्वदेशी यातायात, सी एंड एफ लागत, खरीद कमीशन, बैंक लागत तथा पैकिंग लागत के संबंध में समायोजनों का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा इसके लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है। तद्नुसार, पीसीएन-वार कारखाना बाह्य निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित की गई है :

विचाराधीन उत्पाद	**भारित औसत सामान्य मूल्य (यूएस डॉलर/ मी. टन)**	**भारित औसत निर्यात कीमत (यूएस डॉलर/ मी. टन)**	**पाटन मार्जिन (यूएस डॉलर/ मी. टन)**	**पाटन मार्जिन %**	**पाटन मार्जिन रेंज**
जूट यार्न/ ट्वाइन	***	***	***	***	0 – 10

54. **नवहाटा जूट मिल्स लिमिटेड (उत्पादक/ निर्यातक)**

सामान्य मूल्य

i. निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नवहाटा जूट मिल्स लि0 (इसके बाद इसे "नवहाटा/ निर्यातक/ कंपनी" के रूप में कहा गया है) बंगलादेश से एक उत्पादक व निर्यातक है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, नवाहाटा ने भारत में अपने असंबद्ध ग्राहकों को सीधे संबद्ध वस्तुओं (सैकिंग क्लॉथ और हेसिएन फैब्रिक) का निर्यात किया है। नवहाटा ने पीसीएन आधार पर सूचना प्रदान की है। नवहाटा का उत्तर यह दर्शाता है कि कंपनी ने घरेलू बाजार में सैकिंग क्लॉथ की बिक्री की है और जांच की अवधि के दौरान भारत को सैकिंग क्लॉथ और हेसिएन फैब्रिक का निर्यात किया है।

ii. नवहाटा ने हेसिएन फैब्रिक की कोई घरेलू बिक्री नहीं की है, जबकि उसने भारत को *** मी. टन हेसिएन फैब्रिक का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या उनकी बिक्रियां पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के संदर्भ में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में की गई थी। घरेलू बिक्रियां भारत को निर्यातों की तुलना में पर्याप्त मात्रा में की गई हैं। चूंकि कोई घरेलू बिक्रियां नहीं थी, इसलिए लागत व तर्कसंगत लाभ पर सामान्य मूल्य के लिए विचार किया गया है। हेसिएन फैब्रिक की कोई घरेलू बिक्रियां नहीं थी। कंपनी ने सभी घरेलू बिक्रियां कारखाना बाह्य स्तर पर होने का दावा किया है और इसमें पैकिंग लागत शामिल नहीं है, जिसकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद अनुमति दी गई थी। तद्नुसार, नवाहाटा के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर पीसीएन-वार सामान्य मूल्य की गणना की गई है और इसका नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लेख किया गया है।

निर्यात कीमत

iii. यह नोट किया गया है कि नवहाटा जूट मिल ने जांच की अवधि के दौरान भारत को *** मी. टन हेसिएन फैब्रिक का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने नवहाटा जूट मिल द्वारा दाखिल किए गए उत्तर का सत्यापन किया है। नवहाटा ने ट्रक किराए, बैंक स्विफ्ट लागत, बंदरगाह एवं अन्य संगत व्यय और पैकिंग लागत के संबंध में समायोजनों का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा इसकी अनुमति दी गई है। तद्नुसार, पीसीएन-वार कारखाना बाह्य निर्यात कीमत की गणना की गई है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है :

विचाराधीन उत्पाद	भारित औसत सामान्य मूल्य (यूएस डॉलर/ मी. टन)	भारित औसत निर्यात कीमत (यूएस डॉलर/ मी. टन)	पाटन मार्जिन (यूएस डॉलर/ मी. टन)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज
हेसिएन फैब्रिक	***	***	(***)	(***)	(30) – (20)

55. **सागर जूट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड (उत्पादक/ निर्यातक)**

सामान्य मूल्य

i. निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सागर जूट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड (इसके बाद इसे "सागर/ निर्यातक/ कंपनी" के रूप में कहा गया है) बंगलादेश से संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक व निर्यातक है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, सागर ने भारत में अपने असंगत ग्राहकों को सीधे 12 पीसीएन यार्न की संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। सागर ने पीसीएन आधार पर सूचना प्रदान की है। सागर का उत्तर यह दर्शाता है कि कंपनी ने घरेलू बाजार में सैकिंग बैग, सैकिंग क्लॉथ और यार्न की बिक्री की है और जांच की अवधि के दौरान भारत को सैकिंग क्लॉथ और यार्न का निर्यात किया हे।

ii. सागर ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** मी. टन यार्न के एक पीसीएन की बिक्री की है, जबकि उसने भारत को *** मी. टन 12 पीसीएन यार्न का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या उनकी बिक्रियां पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के संदर्भ में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में थी। घरेलू बिक्रियां, भारत को निर्यातों की तुलना में पर्याप्त मात्रा में हैं। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने व्यापार जांच की सामान्य प्रक्रिया आयोजित की है ताकि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ अर्जक घरेलू बिक्री सौदे निर्धारित किए जा सके। यदि लाभ अर्जक सौदे कुल बिक्रियों के 80 प्रतिशत से अधिक है, तो घरेलू बिक्रियों में सभी सौदों को सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार में लिया गया है और यदि लाभ अर्जक सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए केवल लाभ अर्जक घरेलू बिक्रियों को विचार में लिया गया है। यदि कुछ पीसीएन में कोई घरेलू बिक्रियां नहीं हैं, तो लागत का तर्कसंगत लाभ पर सामान्य मूल्य के लिए विचार किया गया है। यह पाया गया था कि *** प्रतिशत यार्न की बिक्रियां लाभप्रद थी। कंपनी ने सभी घरेलू बिक्रियां कारखाना बाह्य स्तर पर होने का दावा किया है और इसमें पैकिंग लागत शामिल नहीं है, अत: प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद इसकी अनुमति प्रदान की गई है। तद्नुसार, सागर के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर पीसीएन-वार सामान्य मूल्य की गणना की गई है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

iii. यह नोट किया जाता है कि सागर जूट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान भारत को *** मी. टन 12 पीसीएन यार्न का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने सागर जूट मिल द्वारा दाखिल किए गए उत्तर का सत्यापन किया है। सागर ने समुद्री मालभाड़ा, स्वदेशी मालभाड़ा, बंदरगाह एवं अन्य संगत व्ययों तथा पैकिंग लागत के संबंध में समायोजनों का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा इसके लिए अनुमति प्रदान की गई है। तद्नुसार, पीसीएन-वार कारखाना बाह्य निर्यात कीमत की गणना की गई है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है :

विचाराधीन उत्पाद	भारित औसत सामान्य मूल्य (यूएस डॉलर/ मी. टन)	भारित औसत निर्यात कीमत (यूएस डॉलर/ मी. टन)	पाटन मार्जिन (यूएस डॉलर/ मी. टन)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज

जूट यार्न/ ट्वाइन	***	***	(***)	(***)	(10) - 0

56. **सिडलॉ टेक्सटाइल्स (बंगलादेश) लिमिटेड (उत्पादक/ निर्यातक)**

सामान्य मूल्य

i. निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सिडलॉ टेक्सटाइल्स (बंगलादेश) लिमिटेड (इसके बाद इसे "सिडलॉ/ निर्यातक/ कंपनी" के रूप में कहा गया है। बंगलादेश से संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक व निर्यातक है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, सिडलॉ ने भारत में अपने असंबद्ध ग्राहकों को सीधे संबद्ध वस्तुओं (सैकिंग क्लॉथ और 12 पीसीएन यार्न) का निर्यात किया है। सिडलॉ ने पीसीएन आधार पर सूचना प्रदान की है। सिडलॉ के उत्तर यह दर्शाते हैं कि कंपनी ने घरेलू बाजार में सैकिंग क्लॉथ और यार्न की बिक्री की है और साथ ही जांच की अवधि के दौरान भारत को उसका निर्यात किया है।

ii. सिडलॉ ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** मी. टन 4 पीसीएन यार्न की बिक्री की है, जबकि उसने भारत को *** मी. टन 12 पीसीएन यार्न का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या उनकी बिक्रियां पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के संदर्भ में सामान्य व्यापार प्रक्रिया में की गई हैं। घरेलू बिक्रियां, जब भारत में निर्यातों के साथ तुलना की जाए तो पर्याप्त मात्रा में हैं। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ अर्जक घरेलू बिक्री सौदों का निर्धारण करने के लिए सामान्य व्यापार जांच प्रक्रिया आयोजित की है। यदि लाभ अर्जक सौदे कुल बिक्रियों के 80 प्रतिशत से अधिक है, तो घरेलू बिक्रियों में सभी सौदों को सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार में लिया गया है और यदि लाभ अर्जक सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए केवल लाभ अर्जक घरेलू बिक्रियों को विचार में लिया गया है। ऐसे मामलों में, जहां कुछ पीसीएन में कोई घरेलू बिक्रियां नहीं हैं, वहां लागत व तर्कसंगत लाभ पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार किया गया है। यह पाया गया था कि *** प्रतिशत यार्न की बिक्रियां लाभ अर्जक थीं। कंपनी ने सभी घरेलू बिक्रियां कारखाना बाह्य स्तर पर होने का दावा किया है और इसमें पैकिंग लागत शामिल नहीं है, अत: प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद इसकी अनुमति प्रदान की गई है। तद्नुसार, सिडलॉ के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर पीसीएन-वार सामान्य मूल्य की गणना की गई है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

iii. यह नोट किया गया है कि सिडलॉ टेक्सटाइल्स (बंगलादेश) लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान भारत को *** मी. टन 12 पीसीएन यार्न का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने सिडलॉ जूट मिल द्वारा दाखिल किए गए उत्तर का सत्यापन किया है। सिडलॉ ने स्वदेशी यातायात, सीआईएफ व्ययों, निवल बैंकिंग प्रभारों, डाक एवं दस्तावेज प्रभारों और पैकिंग लागत के संबंध में समायोजनों का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा उसकी अनुमति प्रदान की गई है। तद्नुसार, पीसीएन वार कारखाना बाह्य निर्यात कीमत की गणना की गई है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है :

विचाराधीन उत्पाद	**भारित औसत सामान्य मूल्य (यूएस डॉलर/ मी. टन)**	**भारित औसत निर्यात कीमत (यूएस डॉलर/ मी. टन)**	**पाटन मार्जिन (यूएस डॉलर/ मी. टन)**	**पाटन मार्जिन %**	**पाटन मार्जिन रेंज**
जूट यार्न/ ट्वाइन	***	***	(***)	(***)	(20) - (10)

iv. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सागर जूट स्पिनिंग मिल्स और सिडलॉ टेक्सटाइल्स एक समूह है। तद्नुसार निम्नलिखित तालिका में एक समूह के रूप में उनका सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन दर्शाया गया है:

विचाराधीन उत्पाद	भारित औसत सामान्य मूल्य (यूएस डॉलर/ मी. टन)	भारित औसत निर्यात कीमत (यूएस डॉलर/ मी. टन)	पाटन मार्जिन (यूएस डॉलर/ मी. टन)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज
जूट यार्न/ ट्वाइन	***	***	(***)	(***)	(10) - 0

57. **अलीजान जूट मिल्स लिमिटेड और सोनाली आंश इंडस्ट्रीज लिमिटेड (उत्पादक/ निर्यातक)**

सामान्य मूल्य

i. निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अलीजान जूट मिल्स लिमिटेड (इसके बाद इसे "अलीजान/ निर्यातक/ कंपनी" के रूप में कहा गया है) और सोनाली अंश इंडस्ट्रीज लिमिटेड (इसके बाद इसे "सोनाली/ निर्यातक/ कंपनी" के रूप में कहा गया है) बंगलादेश से संबद्ध वस्तुओं के संगत उत्पादक व निर्यातक हैं। जैसा कि उल्लेख किया गया है, सोनाली और अलीजान ने संबद्ध वस्तुओं (13 पीसीएन यार्न) का भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे निर्यात किया है। अलीजान और सोनाली ने पीसीएन आधार पर सूचना प्रदान की है। अलीजान और सोनाली के उत्तर यह दर्शाते हैं कि कंपनियों ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में कोई बिक्रियां नहीं की हैं।

ii. सोनाली और अलीजान ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में कोई बिक्रियां नहीं की हैं, जबकि अलीजान ने *** मी. टन 12 पीसीएन यार्न का निर्यात किया है और सोनाली ने *** मी. टन 9 पीसीएन यार्न का निर्यात किया है। यदि कोई भी घरेलू बिक्रियां नहीं होती हैं तो लागत व तर्कसंगत लाभ पर सामान्य मूल्य के लिए विचार किया गया है। तद्नुसार अलीजान और सोनाली के लिए एक समूह के रूप में कारखाना बाह्य स्तर पर पीसीएन-वार सामान्य मूल्य की गणना की गई है तथा उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

iii. यह नोट किया जाता है कि अलीजान ने *** मी. टन 12 पीसीएन यार्न का निर्यात किया है और सोनाली ने *** मी. टन 9 पीसीएन यार्न का भारत को जांच की अवधि के दौरान निर्यात किया है। प्राधिकारी ने अलीजान और सोनाली द्वारा दाखिल किए गए उत्तरों का सत्यापन किया है। अलीजान और सोनाली ने स्वदेशी यातायात, बंदरगाह और अन्य संबद्ध व्ययों, बैंक प्रभारों तथा पैकिंग लागत के संबंध में समायोजनों का दावा किया है और इसके लिए प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। तद्नुसार अलीजान और सोनाली के लिए एक समूह के रूप में पीसीएन-वार कारखाना बाह्य निर्यात कीमत की गणना की गई है और इसके लिए प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। तद्नुसार, अलीजान और सोनाली के लिए एक समूह के रूप में पीसीएन-वार कारखाना बाह्य निर्यात कीमत की गणना की गई है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यातक	भारित औसत सामान्य मूल्य (यूएस डॉलर/ मी. टन)	भारित औसत निर्यात कीमत (यूएस डॉलर/ मी. टन)	भारत औसत पाटन मार्जिन (यूएस डॉलर/ मी. टन)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज
यार्न					
सोनाली	***	***	***	*** %	10 – 20

अलीजान	***	***	***	*** %	10 – 20
संयुक्त	***	*** ***	***	*** %	10 -20

58. **नवाब अब्दुल मलिक जूट मिल्स (बंगलादेश) लिमिटेड (उत्पादक/ निर्यातक)**

सामान्य मूल्य

i. निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नवाब अब्दुल मलिक जूट मिल्स (बंगलादेश) लिमिटेड (इसके बाद इसे "नवाब/ निर्यातक/ कंपनी" के रूप में कहा गया है) बंगला देश से संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक व निर्यातक है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, नवाब ने भारत में अपने असंबद्ध ग्राहकों को सीधे संबद्ध वस्तुओं (2 पीसीएन यार्न) का निर्यात किया है। नवाब ने पीसीएन आधार पर सूचना प्रदान की है। नवाब का उत्तर यह दर्शाता है कि कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में कोई बिक्रियां नहीं की हैं।

ii. नवाब ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में कोई बिक्रियां नहीं की हैं, जबकि उसने भारत को *** मी. टन 2 पीसीएन यार्न का निर्यात किया हे। यदि कोई भी घरेलू बिक्रियां नहीं होती हैं, तो सामान्य मूल्य के लिए लागत व तर्कसंगत लाभ पर विचार किया गया है। तद्नुसार, नवाब के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर पीसीएन-वार सामान्य मूल्य की गणना की गई है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

iii. यह नोट किया जाता है कि नवाब ने जांच की अवधि के दौरान भारत को *** मी. टन 2 पीसीएन यार्न का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने नवाब द्वारा दाखिल किए गए उत्तर का सत्यापन किया है। नवाब ने स्वदेशी यातायात, सी एंड एफ, अन्य प्रभारों, बैंक प्रभारों तथा पैकिंग लागत के संबंध में समायोजनों का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा इसके लिए अनुमति प्रदान की गई है। तद्नुसार, पीसीएन-वार कारखाना बाह्य निर्यात कीमत की गणना की गई है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है :

विचाराधीन उत्पाद	**सामान्य मूल्य (यूएस डॉलर/ मी. टन)**	**निर्यात कीमत (यूएस डॉलर/ मी. टन)**	**पाटन मार्जिन (यूएस डॉलर/ मी. टन)**	**पाटन मार्जिन %**	**पाटन मार्जिन रेंज**
जूट यार्न/ ट्वाइन	***	***	***	*** %	0 - 10

59. **ए.एम. जूट इंडस्ट्रीज लिमिटैड (उत्पादक/ निर्यातक)**

सामान्य मूल्य

i. निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ए.एम. जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड (इसके बाद इसे "ए.एम. जूट/ निर्यातक/ कंपनी" के रूप में कहा गया है) बंगलादेश से संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक व निर्यातक है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, ए.एम. जूट ने भारत में अपने असंबद्ध ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं (हेसिएन फैब्रिक और 5 पीसीएन यार्न) का सीधे निर्यात किया है। ए.एम. जूट ने पीसीएन आधार पर सूचना प्रदान की है। ए.एम. जूट का उत्तर यह दर्शाता है कि कंपनी ने घरेलू बाजार में हेसिएन क्लॉथ और यार्न की बिक्री की है और जांच की अवधि के दौरान उसे भारत को निर्यात किया है।

ii. ए.एम. जूट ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** मी. टन हेसिएन क्लॉथ और *** मी. टन पांच पीसीएन यार्न की बिक्री की है, जबकि उसने भारत को *** मी. टन हेसिएन फैब्रिक और *** मी. टन 5 पीसीएन यार्न का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या उनकी बिक्रियां पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के संदर्भ में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में की गई है। घरेलू बिक्रियां, भारत को निर्यातों की तुलना में पर्याप्त मात्रा में है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने सामान्य व्यापार जांच प्रक्रिया की है ताकि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ अर्जक घरेलू बिक्री सौदे निर्धारित किए जा सकें। यदि लाभ अर्जक सौदे कुल बिक्रियों के 80 प्रतिशत से अधिक है, तो घरेलू बिक्रियों में सभी सौदों को सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार में लिया गया है और यदि लाभ अर्जक सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए केवल लाभ अर्जक घरेलू बिक्रियों को विचार में लिया गया है। यदि कुछ पीसीएन में कोई भी घरेलू बिक्रियां नहीं हैं, तो सामान्य मूल्य के लिए लागत व तर्कसंगत लाभ को विचार में लिया गया है। यह पाया गया था कि जूट यार्न/ ट्वाइन की *** प्रतिशत बिक्रियां और हेसिएन फेब्रिक की *** प्रतिशत बिक्रियां लाभ अर्जक थी। हेसिएन फैब्रिक की कोई भी घरेलू बिक्रियां नहीं थी। कंपनी ने सभी घरेलू बिक्रियां कारखाना बाह्य स्तर पर होने का दावा किया है और इसमें पैकिंग लागत शामिल नहीं होती, जिसके लिए प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। तद्नुसार, ए.एम. जूट के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर पीसीएन-वार सामान्य मूल्य की गणना की गई है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

iii. यह नोट किया गया है कि एएम जूट ने जांच की अवधि के दौरान भारत को *** मी. टन हेसिएन फैब्रिक और *** मी. टन 5 पीसीएन यार्न का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने एएम जूट द्वारा दाखिल किए गए उत्तर का सत्यापन किया है। एएम जूट ने स्वदेशी यातायात के संबंध में समायोजनों का दावा किया है और उसके लिए प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। तद्नुसार, पीसीएन-वार कारखाना बाह्य निर्यात कीमत की गणना की गई है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

विचाराधीन उत्पाद	भारित औसत सामान्य मूल्य (यूएस डॉलर/ मी. टन)	भारित औसत निर्यात कीमत (यूएस डॉलर/ मी. टन)	पाटन मार्जिन (यूएस डॉलर/ मी. टन)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज
जूट यार्न/ ट्वाइन	***	***	(***)	(***)	0 – (10)
हेसिएन फैब्रिक	***	***	(***)	(***)	0 – (10)

60. **रानू एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड (उत्पादक/ निर्यातक)**

सामान्य मूल्य

i. निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रानू एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड (इसके बाद इसे "उत्पादक/ निर्यातक/ कंपनी" के रूप में कहा गया है) बंगलादेश संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक/ निर्यातक है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, कंपनी ने भारत में अपने असंबद्ध ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं (जूट सैकिंग बैग, जूट सैकिंग क्लॉथ और 1 पीसीएन यार्न) का सीधे निर्यात किया है। उत्पादक/ निर्यातक ने पीसीएन आधार पर सूचना प्रदान की है। उत्पादक/ निर्यातक का उत्तर यह दर्शाता है कि कंपनी ने घरेलू बाजार में जूट सैकिंग बैग, जूट सैकिंग क्लॉथ और 1 पीसीएन यार्न की बिक्री की है और जांच की अवधि के दौरान उसे भारत को निर्यात किया है।

ii. रानू एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** मी. टन जूट सैकिंग बैग और *** मी. टन 1 पीसीएन जूट सैकिंग यार्न की बिक्री की है, जबकि उसने भारत को *** मी. टन जूट सैकिंग बैग और *** मी. टन 1 पीसीएन जूट सैकिंग यार्न का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने यह जांच की

है कि क्या उनकी बिक्रियां पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के संदर्भ में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में की गई है। घरेलू बिक्रियां, भारत को निर्यातों की तुलना में पर्याप्त मात्रा में है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने सामान्य व्यापार जांच प्रक्रिया की है ताकि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ अर्जक घरेलू बिक्री सौदे निर्धारित किए जा सकें। यदि लाभ अर्जक सौदे कुल बिक्रियों के 80 प्रतिशत से अधिक हैं, तो घरेलू बिक्रियों में सभी सौदे सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार में लिए गए हैं और यदि लाभ अर्जक सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए केवल लाभ अर्जक घरेलू बिक्रियों को ही विचार में लिया गया है। यदि कुछ पीसीएन में कोई भी घरेलू बिक्रियां नहीं हैं, तो सामान्य मूल्य के लिए लागत व तर्कसंगत लाभ को विचार में लिया गया है। कंपनी ने सभी घरेलू बिक्रियां कारखाना बाह्य स्तर पर होने का दावा किया है और इसमें पैकिंग लागत शामिल नहीं होती, जिसके लिए प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। यह पाया गया था कि यार्न की *** प्रतिशत बिक्रियां और सैकिंग बैग की *** प्रतिशत बिक्रियां लाभ अर्जक थी। तद्नुसार जूट सैकिंग बैग, जूट सैकिंग क्लॉथ और 1 पीसीएन जूट सैकिंग यार्न के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर पीसीएन-वार सामान्य मूल्य की गणना की गई है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

iii. यह नोट किया गया है कि रानू एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान भारत को *** मी. टन जूट सैकिंग यार्न और *** मी. टन 1 पीसीएन जूट सैकिंग यार्न का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने उत्पादक/ निर्यातक द्वारा दाखिल किए गए उत्तर का सत्यापन किया है। कंपनी ने समुद्री मालभाड़ा, ट्रक किराया/ स्वदेशी यातायात, बंदरगाह और अन्य संगत व्ययों तथा पैकिंग व्यय के संबंध में समायोजनों का दावा किया है ओर उसके लिए प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। तद्नुसार, पीसीएन-वार कारखाना बाह्य निर्यात कीमत की गणना की गई है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है :

विचाराधीन उत्पाद	भारित औसत सामान्य मूल्य (यूएस डॉलर/ मी. टन)	एक्स-फैक्टरी निर्यात कीमत (यूएस डॉलर/ मी. टन)	पाटन मार्जिन (यूएस डॉलर/ मी. टन)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन रेंज
सैकिंग बैग	***	***	***	***	0 – 10
जूट यार्न/ ट्वाइन	***	***	(***)	(***)	(20) – (10)

61. **अरनु जूट मिल्स लिमिटेड (उत्पादक/ निर्यातक)**

सामान्य मूल्य

i. निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अरनु जूट मिल्स लिमिटेड (इसके बाद इसे "उत्पादक/ निर्यातक/ कंपनी" के रूप में कहा गया है) बंगलादेश से संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक व निर्यातक है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, कंपनी ने भारत में अपने असंबद्ध ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं (सैकिंग क्लॉथ) का सीधे निर्यात किया है। उत्पादक/ निर्यातक ने पीसीएन आधार पर सूचना प्रदान की है। उत्पादक/ निर्यातक का उत्तर यह दर्शाता है कि कंपनी ने केवल घरेलू बाजार में जूट सैकिंग बैग और 1 पीसीएन यार्न की बिक्री की है और जांच की अवधि के दौरान जूट सैकिंग बैग का भारतीय बाजार में निर्यात किया है।

ii. अरनु जूट मिल्स ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** मी. टन जूट सैकिंग बैग और *** मी. टन 1 पीसीएन जूट यार्न की बिक्री की है, जबकि उसने भारत को *** मी. टन जूट सैकिंग क्लॉथ का

निर्यात किया है। प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या उनकी बिक्रियां पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के संदर्भ में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में की गई है। यदि कुछ पीसीएन में कोई भी घरेलू बिक्रियां नहीं हैं, तो सामान्य मूल्य के लिए लागत व तर्कसंगत लाभ को विचार में लिया गया है। कंपनी ने सभी घरेलू बिक्रियां कारखाना बाह्य स्तर पर होने का दावा किया है और इसमें पैकिंग लागत शामिल नहीं होती, जिसके लिए प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। तद्नुसार, जूट सैकिंग क्लॉथ के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर पीसीएन-वार सामान्य मूल्य की गणना की गई है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

iii. यह नोट किया गया है कि अरनु जूट मिल्स लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है। अत: प्राधिकारी ने निर्यातक के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया है।

बंगलादेश के गैर-सैम्पल लेकिन सहयोगी श्रेणी के उत्पादक/ निर्यातक

62. प्राधिकारी ने सैम्पल श्रेणी के उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन के आधार पर भारित औसत पाटन मार्जिन के मूल्यांकन पर विचार किया है। यह भारित औसत पाटन मार्जिन यार्न/ ट्वाइन, हेसिएन फेब्रिक तथा सैकिंग बैग के लिए गैर-सैम्पल श्रेणी के उत्पादकों/ निर्यातकों को प्रदान किया गया है और इसे नीचे उल्लिखित तालिका में दर्शाया गया है।

विचाराधीन उत्पाद	**भारित औसत सामान्य मूल्य (यूएस डॉलर/ मी. टन)**	**भारित औसत निर्यात कीमत (यूएस डॉलर/ मी. टन)**	**पाटन मार्जिन (यूएस डॉलर/ मी.टन)**	**पाटन मार्जिन %**	**पाटन मार्जिन रेंज**
जूट यार्न/ ट्वाइन	***	***	***	***	10-20
सैकिंग बैग	निर्धारित नहीं किया				
हेसिएन फैब्रिक					

बंगलादेश के शेष/ असहयोगी उत्पादक/ निर्यातक

63. प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर शेष श्रेणी के लिए पाटनरोधी मार्जिन निर्धारित किया है। असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन इस प्रकार है :

विचाराधीन उत्पाद	**भारित औसत सामान्य मूल्य (यूएस डॉलर/ मी. टन)**	**भारित औसत निर्यात कीमत (यूएस डॉलर/ मी. टन)**	**पाटन मार्जिन (यूएस डॉलर/ मी.टन)**	**पाटन मार्जिन %**	**पाटन मार्जिन रेंज**
जूट यार्न/ट्वाइन	***	***	***	***	60 – 70
सैकिंग बैग	***	***	***	***	10 - 20
हेसिएन फैब्रिक	***	***	***	(***)	10– 20

छ.3.2 नेपाल के सभी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

64. अरिहन्त मल्टी-फाइबर्स लिमिटेड

सामान्य मूल्य

i. निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अरिहंत मल्टी फाइबर्स लिमिटेड (इसके बाद इसे "अरिहंत/ निर्यातक/ कंपनी" के रूप में कहा गया है) नेपाल से संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक व निर्यातक है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, अरिहंत ने भारत में अपने असंबद्ध ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं (सैकिंग बैग, हेसिएन फैब्रिक और यार्न) का सीधे निर्यात किया है। अरिहंत ने पीसीएन आधार पर सूचना प्रदान की है। अरिहंत का उत्तर यह दर्शाता है कि कंपनी ने घरेलू बाजार में सैकिंग बैग, हेसिएन फैब्रिक और यार्न की बिक्री की है और जांच की अवधि के दौरान उसे भारत को निर्यात किया है।

ii. अरिहंत ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** मी. टन हेसिएन फैब्रिक और *** मी. टन यार्न की बिक्री की है, जबकि उसने भारत को *** मी. टन सैकिंग बैग, *** मी. टन हेसिएन फैब्रिक और *** मी. टन यार्न का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या उनकी बिक्रियां पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के संदर्भ में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में की गई है। घरेलू बिक्रियां, भारत को निर्यातों की तुलना में पर्याप्त मात्रा में हैं। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने सामान्य व्यापार जांच प्रक्रिया की है ताकि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ अर्जक घरेलू बिक्री सौदे निर्धारित किए जा सकें। यदि लाभ अर्जक सौदे कुल बिक्रियों के 80 प्रतिशत से अधिक हैं, तो घरेलू बिक्रियों में सभी सौदे सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार में लिए गए हैं और यदि लाभ अर्जक सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए केवल लाभ अर्जक घरेलू बिक्रियों को ही विचार में लिया गया है। यदि कुछ पीसीएन में कोई भी घरेलू बिक्रियां नहीं हैं, तो सामान्य मूल्य के लिए लागत व तर्कसंगत लाभ को विचार में लिया गया है। यह पाया गया था कि *** प्रतिशत हेसिएन फैब्रिक, *** प्रतिशत सैकिंग बैग और *** प्रतिशत जूट यार्न/ ट्वाइन लाभ अर्जक थी। कंपनी ने सभी घरेलू बिक्रियां कारखाना बाह्य स्तर पर होने का दावा किया है और इसमें पैकिंग लागत शामिल नहीं होती, जिसके लिए प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। तद्नुसार, अरिहंत के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर पीसीएन-वार सामान्य मूल्य की गणना की गई है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

iii. यह नोट किया गया है कि अरिहंत ने जांच की अवधि के दौरान भारत को *** मी. टन हेसिएन फैब्रिक और *** मी. टन यार्न का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने एएम जूट द्वारा दाखिल किए गए उत्तर का सत्यापन किया है। अरिहंत ने स्वदेशी यातायात के संबंध में समायोजनों का दावा किया है और उसके लिए प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। तद्नुसार, पीसीएन-वार कारखाना बाह्य निर्यात कीमत की गणना की गई है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है :

विचाराधीन उत्पाद	भारित औसत सामान्य मूल्य (यूएस डॉलर/ मी. टन)	भारित औसत निर्यात कीमत (यूएस डॉलर/ मी. टन)	पाटन मार्जिन (यूएस डॉलर/ मी.टन)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज
जूट यार्न/ ट्वाइन	***	***	(***)	(***)	(10) – 0
सैकिंग बैग	***	***	(***)	(***)	(10) – 0

हेसिएन फैब्रिक	***	***	(***)	(***)	(10) – 0

65. **श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड**

सामान्य मूल्य

i. निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड (इसके बाद इसे "रघुपति/ निर्यातक/ कंपनी" के रूप में कहा गया है) नेपाल से संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक व निर्यातक है। जैसा कि उल्लेख किया गया हे, रघुपति ने भारत में अपने असंबद्ध ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं (सैकिंग बैग, हेसियन फैब्रिक और यार्न) का सीधे निर्यात किया है। रघुपति ने पीसीएन आधार पर सूचना प्रदान की है। उसका उत्तर यह दर्शाता है कि कंपनी ने घरेलू बाजार में हेसियन क्लॉथ और यार्न की बिक्री की है और जांच की अवधि के दौरान उसे भारत को निर्यात किया है।

ii. श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** मी. टन हेसियन फैब्रिक और *** मी.टन यार्न की बिक्री की है, जबकि उसने भारत को *** मी. टन हेसियन फैब्रिक और *** मी. टन यार्न का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या उनकी बिक्रियां पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के संदर्भ में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में की गई है। घरेलू बिक्रियां, भारत को निर्यातों की तुलना में पर्याप्त मात्रा में हैं। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने सामान्य व्यापार जांच प्रक्रिया की है ताकि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ अर्जक घरेलू बिक्री सौदे निर्धारित किए जा सकें। यदि लाभ अर्जक सौदे कुल बिक्रियों के 80 प्रतिशत से अधिक हैं, तो घरेलू बिक्रियों में सभी सौदे सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार में लिए गए हैं और यदि लाभ अर्जक सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए केवल लाभ अर्जक घरेलू बिक्रियों को ही विचार में लिया गया है। यदि कुछ पीसीएन में कोई भी घरेलू बिक्रियां नहीं हैं, तो सामान्य मूल्य के लिए लागत व तर्कसंगत लाभ को विचार में लिया गया है। यह पाया गया था कि हेसियन फैब्रिक की *** प्रतिशत बिक्रियां, जूट यार्न/ ट्वाइन की *** प्रतिशत बिक्रियां और सैकिंग बैग की *** प्रतिशत बिक्रियां लाभ अर्जक थी। कंपनी ने सभी घरेलू बिक्रियां कारखाना बाह्य स्तर पर होने का दावा किया है और इसमें पैकिंग लागत शामिल नहीं होती, जिसके लिए प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। तद्नुसार, श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर पीसीएन-वार सामान्य मूल्य की गणना की गई है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

iii. यह नोट किया गया है कि श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान भारत को *** मी. टन सैकिंग बैग, *** मी.टन हेसियन फैब्रिक और *** मी. टन यार्न का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड द्वारा दाखिल किए गए उत्तर का सत्यापन किया है। उसने स्वदेशी यातायात के संबंध में समायोजनों का दावा किया है और उसके लिए प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। तद्नुसार, पीसीएन-वार कारखाना बाह्य निर्यात कीमत की गणना की गई है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है :

विचाराधीन उत्पाद	**भारित औसत सामान्य मूल्य (यूएस डॉलर/ मी. टन)**	**भारित औसत निर्यात कीमत (यूएस डॉलर/ मी. टन)**	**पाटन मार्जिन (यूएस डॉलर/ मी. टन)**	**पाटन मार्जिन %**	**पाटन मार्जिन रेंज**
जूट यार्न/ ट्वाइन	***	***	***	***	0 - 10
सैकिंग बैग	***	***	(***)	(***)	(10) – 0

हेसिएन फैब्रिक	***	***	***	***	0 - 10

iv. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड और अरिहंत मल्टी फाइबर्स लिमिटेड एक समूह है। तद्नुसार, निम्नलिखित तालिका में उनके सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का एक समूह के रूप में उल्लेख किया गया है :

विचाराधीन उत्पाद	**भारित औसत सामान्य मूल्य (यूएस डॉलर/ मी. टन)**	**भारित औसत निर्यात कीमत (यूएस डॉलर/ मी. टन)**	**पाटन मार्जिन (यूएस डॉलर/ मी.टन)**	**पाटन मार्जिन %**	**पाटन मार्जिन रेंज**
जूट यार्न/ ट्वाइन	***	***	***	***	0 - 10
सैकिंग बैग	***	***	(***)	(***)	(10) – 0
हेसिएन फैब्रिक	***	***	(***)	(***)	(10) – 0

नेपाल के गैर-सैम्पल, लेकिन सहयोगी श्रेणी के उत्पादक/ निर्यातक

66. प्राधिकारी ने सैम्पल श्रेणी के उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन के आधार पर भारित औसत पाटन मार्जिन के मूल्यांकन पर विचार किया है। यह भारित औसत पाटन मार्जिन यार्न/ ट्वाइन, हेसियन फैब्रिक तथा सैकिंग बैग के लिए गैर सैम्पल श्रेणी के उत्पादकों/ निर्यातकों को प्रदान किया गया है और इसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है :

विचाराधीन उत्पाद	**भारित औसत सामान्य मूल्य (यूएस डॉलर/ मी. टन)**	**भारित औसत निर्यात कीमत (यूएस डॉलर/ मी. टन)**	**पाटन मार्जिन (यूएस डॉलर/ मी. टन)**	**पाटन मार्जिन %**	**पाटन मार्जिन रेंज**
जूट यार्न/ ट्वाइन	***	***	***	***	0 - 10
सैकिंग बैग	निर्धारित नहीं किया				
हेसिएन फैब्रिक					

नेपाल के शेष/ असहयोगी उत्पादक/ निर्यातक

67. प्राधिकारी ने उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर शेष श्रेणी के लिए पाटनरोधी मार्जिन का निर्धारण किया है। असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन नीचे दिया गया है। पाटन मार्जिन इस प्रकार है :-

विचाराधीन उत्पाद	**भारित औसत सामान्य मूल्य (यूएस डॉलर/ मी. टन)**	**भारित औसत निर्यात कीमत (यूएस डॉलर/ मी. टन)**	**पाटन मार्जिन (यूएस डॉलर/ मी. टन)**	**पाटन मार्जिन %**	**पाटन मार्जिन रेंज**
जूट यार्न/ ट्वाइन	***	***	***	***	50-60
सैकिंग बैग	***	***	***	***	40-50
हेसिएन फैब्रिक	***	***	***	***	20-30

च. क्षति की जांच और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना

च.1 घरेलू उद्योग के विचार

68. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

(i) प्राधिकारी ने बांग्लादेश और नेपाल[20] के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "जूट उत्पादों" की मूल पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम जारी किए। बांग्लादेशी उत्पादकों/निर्यातकों को दिए गए महत्वपूर्ण प्रोत्साहनों के कारण पाटनरोधी आवेदन पत्र के साथ बांग्लादेश के विरुद्ध सब्सिडी-रोधी जांच भी दायर की गई थी। प्राधिकारी और बांग्लादेश सरकार के बीच परामर्श और उनके आश्वासन पर कि उसके घरेलू उद्योग को दी जाने वाली नकद सब्सिडी कम कर दी जाएगी, प्राधिकारी ने सब्सिडीरोधी जांच शुरू नहीं की। तथापि, प्राधिकारी द्वारा लगाया गया पाटनरोधी शुल्क संभावित प्रतिकारी शुल्क से कम रहा है जो क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक था और क्षति मार्जिन अधिक भी था।

(ii) प्राधिकारी ने प्रवंचनारोधी जांच में अंतिम जांच परिणामों के माध्यम से जूट सेकिंग क्लॉथ के आयात के लिए सेकिंग बैग पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क बढ़ा दिया, क्योंकि जब उन्होंने यह पाया कि निर्यातक कपड़े का निर्यात करके और भारत में शुल्कों से बचने के लिए इसे सिलाई करके संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना कर रहे हैं। घरेलू उद्योग को लाभ पहुंचाने के अलावा, शुल्क लगाने से निर्यातकों की प्रवंचना की फर्जी परिपाटियों को रोकने में भी मदद मिलेगी।

(iii) जूट उद्योग के दो क्षेत्र अर्थात सरकारी खरीद और खुले बाजार में अंतर किया जाना चाहिए जैसा कि मूल जांच में किया गया था। संबद्ध आयातों का प्रभाव खुले बाजार में दिखाई दे रहा है, जहां वे घरेलू सामानों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। सरकारी खरीद क्षेत्र अलग है और विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है जो खुले बाजार के लिए परस्पर अनन्य हैं।

(iv) शुल्क लगाए जाने के तुरंत बाद नकद सब्सिडी की दर में वृद्धि हुई और जूट सेकिंग बैग एवं हेसियन फैब्रिक पर दी जा रही नकद सब्सिडी में पर्याप्त वृद्धि हुई थी। बांग्लादेश सरकार ने अगस्त, 2018 में नकद सब्सिडी में 2% की और वृद्धि की है। इसके परिणामस्वरूप, सेकिंग क्लॉथ के आयात में गिरावट आई और सेकिंग बैग का आयात फिर से शुरू हो गया है।

(v) संबद्ध निर्यातकों को दिए जाने वाले लाभों को लागू किए जाने की योग्यता के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली विशिष्टता और प्रोत्साहनों का लक्ष्य केवल विचाराधीन उत्पाद के प्रति ही नहीं है और यह किसी विशेष क्षेत्र/उद्योग की किस्म/क्षेत्र के लिए भी विशिष्ट हो सकते हैं। निर्यात और घरेलू सब्सिडी जैसे ये प्रोत्साहन पाटनरोधी जांच में यह सिद्ध करने की सीमा तक संगत हैं कि यह सरकारी सहायता है जो उन्हें पाटन का सहारा लेने की अनुमति दे रही है। कम कीमत पर बेचने की क्षमता सीधे इन सब्सिडी में दिखाई दे सकती है। उत्पादक/निर्यातक स्वयं भारतीय बाजार को लक्ष्य बनाने में आक्रामक हो रहे हैं और उन्हें विभिन्न उपायों के माध्यम से अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा भी सहायता दी जाती है, और यदि शुल्क समाप्त हो जाते हैं, तो भारतीय उद्योग कीमतों को उन स्तरों पर कम करने के लिए मजबूर होंगे जो लागत से काफी कम हैं। निर्यात के लिए दी जाने वाली नकद सब्सिडी निर्यात पर निर्भर करती है और इन उत्पादकों को निर्यात करने में सक्षम बनाने के लिए प्रदान की जाती है। प्रस्तावित नकद प्रोत्साहन की दर केवल जूट उद्योग के लिए है, और दर संशोधनों की पृष्ठभूमि स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि इन दरों को संशोधित किया गया था और प्राधिकारी द्वारा की गई जांच के उत्तर में प्रयोग किया गया था। इससे पता चलता है कि कैसे निर्यातकों को निर्यात के लिए प्रोत्साहित और संवर्धित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बांग्लादेश सरकार ने स्वीकार किया कि भारत बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण निर्यात लक्ष्य था और बना रहेगा।

---

[20] बांग्लादेश और नेपाल से "जूट उत्पादों" अर्थात जूट यार्न/ट्वाइन (मल्टीपल फोल्ड/केबल और सिंगल), हेसियन फैब्रिक, और जूट सेकिंग बैग्स के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम फा. सं. 14/19/2015-डीजीएडी 20 अक्तूबर 2016।

(vi) आवेदक केवल यह दर्शाने के लिए सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों के प्रभाव को सामने ला रहा है कि प्रस्तावित सहायता उपाय पाटित कीमतों पर महत्वपूर्ण मात्रा में निर्यात जारी रखने के लिए पर्याप्त हैं जैसा कि जांच की अवधि के आंकड़ों से सिद्ध है। निर्यात को प्रोत्साहित करने वाले ये सहायता उपाय पाटन और क्षति के जारी रहने/बार-बार होने की संभावना के निर्धारण से सीधे संबद्ध हैं।

(vii)कई नई शिपर समीक्षाएं भी की गईं और लगभग सभी जांचों में जांच अवधि के दौरान निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा निर्यात की बहुत सीमित मात्रा दिखाई गई। आयात की कीमतें कुछ मामलों में उन उत्पादों के लिए समकालीन कीमतों के साथ असंगत थीं।

(viii) डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों में, आयात की मात्रा को अत्यधिक कम करके आंका गया है, और बाजार की सूचना के अनुसार आयात की मात्रा बहुत अधिक है। यह बांग्लादेश सरकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट से भी स्पष्ट है जो दर्शाता है कि जूट यार्न, सुतली, जूट के बोरे और बैग के निर्यात में वैश्विक स्तर पर वृद्धि हुई है और भारत को निर्यात मूल्य में भी काफी वृद्धि हुई है। निर्यातक के उत्तर इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान निर्यात मात्रा में वृद्धि हुई है।

(ix) घरेलू उत्पादकों पर सब्सिडी वाले आयात के प्रभाव की जांच उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री, बाजार हिस्से जैसे सूक्ष्म-आर्थिक मानदंडों पर विचार करके की जानी चाहिए। यह न केवल कानून के तहत अच्छी तरह से प्रदान किया जाता है, बल्कि अन्य देशों की परिपाटी भी है।

(x) कोविड-19 के कारण जांच की अवधि में गिरावट के साथ, पूरी क्षति अवधि में मांग/स्पष्ट खपत में वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान आयातों में भी वृद्धि हुई है। मूल जांच अवधि के बाद से मांग में गिरावट के बावजूद, नेपाल से आयातों में वृद्धि हुई है जबकि बांग्लादेश से आयातों में पहले गिरावट आई और फिर बाद में वृद्धि हुई।

(xi) आयात निरपेक्ष रूप से और उत्पादन एवं खपत के संबंध में काफी हैं।

(xii)आयातों का प्रतिकूल प्रभाव समग्र रूप से भारतीय उद्योग पर देखा जाना चाहिए क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में उत्पादक हैं।

(xiii) मूल जांच की जांचावधि में संबद्ध आयातों ने घरेलू बाजार के लगभग 12 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा कर लिया है जो पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद और बढ़कर 18% हो गया है। मूल जांच की जांचावधि के दौरान भारतीय उद्योग का बाजार हिस्सा समान स्तर पर बना रहा। मूल जांच (91.2%) के आधार वर्ष के दौरान भारतीय उद्योग का बाजार हिस्सा पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद उस स्तर तक वापस नहीं पहुंचा है।

(xiv) कुछ उत्पादकों पर शुल्क की कम मात्रा, कुछ उत्पादकों को दी गई छूट, और कम शुल्क वाले और उत्पादन एवं करने की पर्याप्त क्षमता न रखने वाले उत्पादकों के माध्यम से किये जा रहे निर्यात संबद्ध देशों से निरंतर और आक्रामक आयातों के कारण हैं।

(xv) आयात केवल खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और आयात का प्रतिकूल प्रभाव खुले बाजार में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मूल जांच में आयातों का हिस्सा 36 प्रतिशत था, जो वर्तमान जांच की अवधि में दोगुने से अधिक बढ़कर 78 प्रतिशत तक पहुँच गया है।

(xvi) संबद्ध देशों से आयात अलग-अलग तथा सामूहिक रूप से घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं। आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत, बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत के स्तर से नीचे है। पाटनरोधी शुल्क लागू होने के मद्देनजर आयात के प्रतिकूल कीमत प्रभाव को रोका जा सकता है।

(xvii) घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग वर्ष 2019-20 तक बढ़ा है। तथापि, जांच की अवधि में इसमें तेजी से गिरावट आई है। यद्यपि इन मापदंडों में कुछ गिरावट, मांग में गिरावट के कारण हो सकती है, तथापि अतिरिक्त प्रभाव निरंतर काफी आयातों के कारण रहा है।

(xviii) भारतीय उद्योग को पूरी तरह से ठीक होने से रोक दिया गया क्योंकि उनका बाजार हिस्सा मूल जांच के आधार वर्ष के स्तर तक वापस नहीं पहुंचा है। खुले बाजार में घरेलू उत्पादों का बाजार हिस्सा, जहां आयातित उत्पाद प्रतिस्पर्धा करता है, वर्तमान जांचावधि में मूल जांच में 65% से घटकर 19% हो गया है!

(xix) लागू शुल्कों के परिणामस्वरूप लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव को नियंत्रित किया गया है। मूल जांच के दौरान उद्योग को भारी हानि हो रही थी और अब संबद्ध सामानों पर लगाए गए शुल्कों के कारण लाभ में है और यहां तक कि घरेलू उद्योग द्वारा बनाए रखी गई कीमत भी बिक्री के अवसरों को खोने की लागत पर है। तथापि, नकद लाभ, आरओसीई और ब्याज पूर्व लाभ में पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट देखी गई है।

(xx) उत्पादन में गिरावट के साथ-साथ जांच की अवधि में रोज़गार, मजदूरी और उत्पादकता में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में मात्रा और कीमत मानदंडों के संदर्भ में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

(xxi) घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन में वर्ष 2019-20 तक सुधार हुआ था लेकिन जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है। यद्यपि निष्पादन में गिरावट का एक हिस्सा मांग में गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तथापि शेष प्रतिकूल प्रभाव आयातों के कारण है। पाटनरोधी उपायों के लागू होने के कारण क्षति की सीमा को नियंत्रित रखा गया है। प्राप्त की जा रही कीमतों के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को उस सीमा तक शुल्कों को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित किया गया था। तथापि, कम कीमत वाले आयातों की लगातार आवक ने उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के मामले में घरेलू उद्योग की वृद्धि को रोक दिया है, जबकि इनके निमित्त निष्पादन में गिरावट आई है। विशेष रूप से खुले बाजार में मांग में आयात के हिस्से में काफी वृद्धि हुई है। इन कारकों से पता चलता है कि घरेलू उद्योग सुभेद्य है।

(xxii) शुल्क लगाए जाने के बाद, बांग्लादेश के निर्यातक प्रवंचना की परिपाटी में लगे रहे और शुल्कों के बावजूद एवं मांग में गिरावट के बावजूद आयात जारी है। यह दावा कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में काफी सुधार हुआ है, गलत है और इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि शुल्कों से अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति हुई है।

(xxiii) पाटनरोधी उपायों को जारी रखने से उद्योग को होने वाली क्षति को रोका जा सकेगा और उद्योग के निष्पादन में वर्तमान प्रतिकूल प्रभाव को रोका जा सकेगा। यह उद्योग को हुई क्षति का भी निवारण करेगा और घरेलू उत्पादकों को अर्थक्षम एवं प्रतिस्पर्धी बने रहने में सक्षम बनाएगा।

(xxiv) यह उपभोक्ताओं के हित में है कि वे उचित मूल्य वाले आयातों से प्रतिस्पर्धा में उपभोक्ताओं को उत्पाद की आपूर्ति करने में घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग बनाने में सक्षम हो। यदि उद्योग को नुकसान होने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो अंततः इसे पाटित आयातों से मिटा दिया जाएगा और उपभोक्ताओं को विदेशी उत्पादकों की दया पर छोड़ दिया जाएगा।

(xxv) आयात केवल खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और मांग-आपूर्ति के अंतर को खुले बाजार के संदर्भ में देखा जाना चाहिए क्योंकि सरकारी खरीद बाजार आयात के लिए उपलब्ध नहीं है। कोई मांग-आपूर्ति अंतर नहीं है, और भारतीय उद्योग के पास देश में स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए काफी क्षमताएं हैं। भारतीय जूट उद्योग पूरी तरह से *आत्मनिर्भर* (आत्मनिर्भर) है।

(xxvi) न केवल इस जांच के आधार वर्ष की तुलना में बल्कि मूल जांच के आधार वर्ष और जांच की अवधि की तुलना में भी खुले बाजार में संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में भारी वृद्धि हुई है। खुले बाजार में मांग को भारतीय उद्योग द्वारा आसानी से पूरा किया जा सकता है, लेकिन बांग्लादेश के निर्यातकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आक्रामक तरीकों के कारण, भारतीय उद्योग आवश्यक सीमा तक नहीं उबर पाया है।

(xxvii) आयातों पर अधिक निर्भरता के कारण प्रयोक्ताओं को उच्च मालसूची बनाए रखने के लिए बाध्य होना पड़ेगा जो प्रयोक्ता उद्योग के हित में नहीं होगा। स्थानीय रूप से उत्पादित जूट उत्पादों को खरीदने से प्रयोक्ताओं को मालसूची के निचले स्तर को बनाए रखने और उनकी लागत कम करने की अनुमति मिलेगी।

(xxviii) निर्यात पर निर्भरता के उच्च स्तर से निर्यातक द्वारा प्रयोक्ता उद्योग का शोषण हो सकता है। निर्यातक का उद्देश्य केवल लाभ को अधिकतम करना है, और यदि अवसर मिलता है तो वे अधिक आकर्षक बाजार में जाने

से नहीं हिचकिचाएंगे। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग न केवल लाभ को अधिकतम करने के लिए बल्कि प्रयोक्ताओं एवं पूरे देश के हित में भी कार्य करता है।

(xxix) उद्योग में अप्रत्यक्ष रोजगार, विशेष रूप से जूट किसानों का, का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जूट के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक होने के नाते, लगभग 4 मिलियन किसान वर्तमान में जूट उत्पादन में लगे हुए हैं। शुल्क की समाप्ति से न केवल उत्पादकों को बल्कि ऊपरी स्तर के उद्योग को भी नुकसान होगा क्योंकि यह उन किसानों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा जो घरेलू उद्योग के सफल और लाभप्रद प्रचालनों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं।

(xxx) घरेलू उद्योग के पास काफी क्षमताएं हैं और पिछले कुछ वर्षों में उसने और क्षमताएं बढ़ाई हैं। तथापि, क्षमता उपयोग गंभीर रूप से कम रहा है और भारतीय बाजार में पाटित आयातों की बाढ़ के कारण न केवल पिछले वर्ष से बल्कि इस जांच के आधार वर्ष से भी भारी गिरावट आई है। यदि शुल्कों को जारी नहीं रखा जाता है, तो पाटित आयात घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से को कम करते रहेंगे और यह अपनी विचाराधीन उत्पादन की क्षमता का औचित्य नहीं बना पाएगा तथा अपने संयंत्रों को बंद कर सकता है।

(xxxi) यदि घरेलू उद्योग बाजार हिस्सा बनाए रखने और दक्षता से प्रचालन करने में सक्षम है, तो वे भविष्य के निवेश की योजना भी बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यदि घरेलू उद्योग आने वाले वर्षों में अपने उत्पादन के आंकड़ों में वृद्धि करता है, तो वह बदले में अपने निर्यात में वृद्धि करेगा जिससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

(xxxii) प्रयोक्ताओं का कोई शोषण अथवा एकाधिकार स्थिति का निर्माण नहीं हुआ है क्योंकि घरेलू उद्योग एक कीमत लेने वाला है। पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने से निर्यातकों की अनुचित व्यापार परिपाटियों को कम करने और एक स्वस्थ बाजार बनाने में मदद मिलेगी जो पूरे देश के लिए फायदेमंद हो।

(xxxiii) घरेलू उद्योग विश्व स्तर पर विचाराधीन उत्पाद का निर्यातक होने के कारण उचित कीमत वाले बाजार में वैश्विक स्तर पर बांग्लादेश से निर्यातों से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। घरेलू उद्योग घरेलू स्तर पर भी ऐसे आयातों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा यदि उन्हें समान अवसर दिया जाए और शुल्कों का विस्तार यह सुनिश्चित कर सके कि भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा विद्यमान है।

(xxxiv) भारतीय उद्योग का एक बड़ा हिस्सा एमएसएमई क्षेत्र में आता है, और वे पहले से ही भारतीय बाजार में बाजार हिस्से के लिए बड़े उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय बाजार में कम कीमत के आयात की बाढ़ से, इन छोटे उत्पादकों को अपना प्रचालन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।

(xxxv) बांग्लादेश सरकार जूट उत्पादों के निर्यात पर कहीं भी 7.5% और 12% के बीच नकद सब्सिडी देती है। उन्होंने राष्ट्रीय जूट नीति, 2018 भी तैयार की है जिसमें इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए एक कोष बनाने और संबद्ध देश में निर्यातकों की निर्यातोन्मुखता को बढ़ावा देने की गुंजाइश शामिल है। शुल्कों के जारी रहने से इन योजनाओं का प्रभाव कम होगा।

(xxxvi) बांग्लादेश में स्थानीय मांग आपूर्ति की तुलना में बहुत कम है और यह सिद्ध है कि देश में बढ़ती क्षमता स्थानीय मांग का समर्थन करने के लिए नहीं बल्कि निर्यात बढ़ाने के लिए है।

(xxxvii) आवेदक उद्योग ने सरकारी खरीद और खुले बाजार के लिए बिक्री की मात्रा, मूल्य और कीमत की अलग-अलग सूचना दी थी। इसलिए, पक्षकारों द्वारा यह बयान कि आवेदक उद्योग ने खुले बाजार के लिए अलग से क्षति की सूचना प्रदान नहीं की है, गलत है और यह दर्शाता है कि ए.एम. जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आवेदन के पूरे अगोपनीय रुपांतर के माध्यम से नहीं पढ़ा है।

(xxxviii) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि आयात में गिरावट आई है और सामानों की कीमतों में वृद्धि हुई है, यह अनुरोध किया जाता है कि बांग्लादेश सरकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि आयात में वृद्धि हुई है और कमी नहीं हुई है। भारतीय सीमा शुल्क आंकड़ों में किसी भी कम सूचित किए गए आयात की तुलना बांग्लादेश सरकार के रिकॉर्ड के साथ की जानी चाहिए जो भारत को निर्यात में काफी वृद्धि दर्शाता है।

(xxxix) इस तर्क के संदर्भ में कि क्षति और क्षति की संभावना अन्य कारकों के कारण मौजूद है, प्राधिकारी को यह नोट करना चाहिए कि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है और कारणात्मक संपर्क की संगतता का तदनुसार आकलन किया जाना चाहिए।

(xl) अन्य कारकों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का तात्पर्य घरेलू उद्योग की नाजुक प्रकृति से है और शुल्क की समाप्ति "ताबूत में आखिरी कील" के रूप में कार्य कर सकती है। यद्यपि कानून के तहत अपेक्षा "ए" कारणात्मक संपर्क है, तथापि हितबद्ध पक्षकारों ने गलती से अपेक्षा को "कारणात्मक संपर्क" के रूप में माना है।

(xli)मांग में गिरावट के बावजूद यूएस डीओसी ने बेरियम क्लोराइड के मामले में मूल जांच शुरू की और मांग में गिरावट के कारण हुई क्षति के बारे में भी चर्चा नहीं हुई।

(xlii) क्षति को प्राधिकारी द्वारा खुली और सरकारी खरीद के लिए अलग-अलग देखा जा सकता है क्योंकि आयात केवल खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आयात कीमत काफी कम है और शुल्कों की समाप्ति से भी कीमत संबंधी क्षति होने की संभावना है।

(xliii) मांग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है और यह आरोप कि बांग्लादेश से निर्यात देश में मांग आपूर्ति अंतर के कारण हुआ तथा निर्यातकों ने कीमत भेदभाव का सहारा नहीं लिया, पूरी तरह से निराधार है। सरकारी क्षेत्र में तथाकथित गैर-आपूर्ति क्षमताओं के अभाव के कारण नहीं है और यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि भारतीय उद्योग क्षमता संबंधी कमी के कारण आपूर्ति करने में सक्षम नहीं था।

(xliv) भारतीय जूट उद्योग को उनके नियंत्रण से बाहर के कारकों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। भारत सरकार ने कच्चे जूट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है और चल रही बाजार कीमत पर कच्ची सामग्री की खरीद निर्धारित कर दी है। उद्योग को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट कीमतों पर कच्ची सामग्री की खरीद करनी थी। कच्चे जूट की चल रही कीमत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कीमत से अधिक है। इसलिए, यह एक ऐसी स्थिति है जहां आवश्यकता की सीमा तक कच्चा जूट उपलब्ध नहीं है और सरकारी खरीद में मांग को पूरा करने के लिए भारतीय उद्योग के लिए क्षमता की कमी नहीं है।

(xlv) घरेलू उद्योग खुले बाजार में बिक्री के उद्देश्य से कच्चे जूट का आयात कर सकता है और खुले बाजार में संबद्ध सामानों के उत्पादन के प्रयोजन के लिए कच्ची सामग्री की कोई कमी नहीं है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के पास क्षमता का अत्यधिक कम उपयोग किया गया है और घरेलू बाजार में आयात के लिए कोई मांग आपूर्ति अंतराल नहीं है।

(xlvi) इस तर्क के संबंध में कि उत्पादन और मांग के बीच स्पष्ट अंतर था, क्षेत्र-वार विश्लेषण से पता चलता है कि खुले बाजार में जहां आयात प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, घरेलू उद्योग जिसके पास पर्याप्त क्षमता से अधिक है, वह धीरे-धीरे विलुप्त होने की ओर बढ़ रहा है। भारतीय बाजार बांग्लादेश के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए "घरेलू बाजार" और भारतीय उद्योग के लिए "विदेशी बाजार" बन गया है, जो अनुचित मूल्य पर पाटित और सब्सिडी वाले आयातों के कारण है।

(xlvii) चेवियट की वार्षिक रिपोर्ट से निकाले गए बयानों के संदर्भ में, यह नोट किया जाना चाहिए कि कच्चे जूट की कीमत और उपलब्धता सरकारी खरीद से संबंधित है न कि खुले बाजार से। उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र के आधुनिकीकरण का अभाव एक दूरंदेशी दृष्टिकोण है। राजस्व संकेंद्रण और भारत सरकार पर निर्भरता का तात्पर्य सरकारी खरीद से है न कि खुले बाजार से।

(xlviii) किसी भी समय मौजूद कई कारण/कारण हो सकते हैं जो एक उद्योग के प्रचालन और/अथवा निष्पादन को प्रभावित कर सकते हैं जो केवल यह सिद्ध करता है कि उद्योग सुभेद्य है और अनुचित कीमत वाले पाटित एवं सब्सिडी वाले आयात के खिलाफ निवारण की आवश्यकता है। घरेलू उद्योग ने केवल सीमित उपाय की मांग की है, अर्थात पाटित आयातों से प्रभावित होने वाले निष्पादन को सुधारने का अनुरोध किया जा रहा है। घरेलू उद्योग पाटन और संभावित क्षति के बीच एक स्पष्ट कारणात्मक संपर्क है।

(xlix) उल्लिखित मामलों के विपरीत, विशेष रूप से विस्कोस फाइबर[21] के निष्कर्षों में, इस पर विश्वास करने और यह उल्लेख करने के लिए वर्तमान मामले में बहुत भिन्न तथ्य हैं कि प्राधिकारी ने पाटन जारी रहने की संभावना का पता लगाने के बावजूद शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश नहीं की। विस्कोस के मामले में, घरेलू उद्योग पर आयातों का कोई कीमत या मात्रात्मक प्रभाव नहीं था और मामला केवल पाटन और क्षति के बार-बार होने की संभावना के संबंध में था और उस मामले में कोई प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव नहीं था। तथापि, वर्तमान जांच में, मात्रात्मक मापदंडों पर लगातार प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पाटनरोधी शुल्क लागू होने के कारण कीमत मानदंडों पर क्षति को नियंत्रित किया गया है। वर्तमान जांच में मार्जिन स्पष्ट रूप से पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन, कीमत कटौती और अकेले नकद सब्सिडी का संकेत है। पहुंच कीमत उत्पादन लागत, बिक्री कीमत और क्षतिरहित कीमत से नीचे बना हुआ है। शुल्क समाप्त करने से निश्चित रूप से कीमत में कमी आएगी। इसलिए, इस मामले में पर्याप्त सकारात्मक साक्ष्य हैं जो शुल्क की समाप्ति और पाटन एवं क्षति के बार-बार होते रहने के बीच एक स्पष्ट संपर्क सिद्ध करते हैं।

(l) जूट आयुक्त के कार्यालय के आदेशों और भारत सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न अन्य कदमों का उल्लेख करते हुए अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए कई तर्कों के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि विभिन्न कारक आमतौर पर जूट आयुक्त को पहले की तुलना में बहुत बाद में ऑर्डर देने के लिए मजबूर करते हैं क्योंकि जूट मिलों में ऑर्डर का संचयन और संपूर्ण ऑर्डर मात्रा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जूट मिल के निष्पादन की निगरानी जूट आयुक्त के कार्यालय और उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा भी की जाती है। जब भी कुछ मिलों को प्रेषण में धीमा पाया जाता है, जूट आयुक्त का कार्यालय अत्यधिक सावधानी के उपाय के रूप में सभी जूट मिलों को सलाह देता है कि जूट की नियोजित मात्रा सुनिश्चित करने के लिए सरकारी खरीद पर बीटी टवील के उत्पादन के लिए अपनी पूरी सेकिंग क्षमता का उपयोग करें। गेहूं/धान/चावल की वास्तविक खरीद शुरू होने से पहले मंडियों में जूट बोरियों की नियोजित मात्रा उपलब्ध हो। इस तरह के आदेश आम तौर पर रबी के लिए दिसंबर के आसपास और खरीफ के लिए अगस्त के आसपास जारी किए जाते हैं और आमतौर पर 2 महीने के लिए प्रभावी होते हैं। सरकारी आपूर्ति के लिए मिलों को वर्ष में 3-4 माह के दौरान प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है।

(li) जूट आयुक्त का कार्यालय जूट मिलों को स्थानीय बाजार में आपूर्ति करने से नहीं रोकता है और उत्पादक/मिलें खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते वे सरकारी आपूर्ति के लिए किए गए आदेशों का पालन करें।

(lii) बांग्लादेश/नेपाल से जूट के सामानों का आयात खाद्यान्न बैगों की सरकारी मांग को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, 1987[22] के तहत इसकी अनुमति नहीं है। सरकारी आवश्यकताओं के लिए जूट बैग के निर्माण के लिए आयातित कच्चे जूट की अनुमति नहीं है। पीपी/एचडीपीई बैग जैसे सस्ते विकल्प के विरुद्ध जूट उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जेपीएम अधिनियम को प्रख्यापित किया गया था। यह आरक्षण जूट उद्योग के पास उपलब्ध अधिशेष क्षमता के लिए दिये जाने के लिए है, जिसके लिए खुले बाजार में जूट के सामान का विपणन समाप्त हो गया है। आरक्षण का विचार अनिवार्य क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ाना नहीं है, बल्कि धीरे-धीरे अपना खुद का बाजार विकसित करने की ओर बढ़ना है।

(liii) सरकार को आपूर्ति की जाने वाली जूट की बोरियों की कीमतों के परिकलन के लिए कच्चे जूट की कीमतों को सीमित कर दिया गया है और उस कीमत पर बाजार में कोई कच्चा जूट उपलब्ध नहीं है। अतः, मिलों को भारी हानियां हुई हैं और उत्पादन बंद हो गया है।

(liv) भारत में उगाया जाने वाला 30% कच्चा जूट उच्च ग्रेड का होता है और इसका उपयोग केवल खुले बाजार में बेचे जाने वाले जूट के सामान जैसे हेसियन/यार्न के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। मिलों के लिए उच्च श्रेणी के जूट से खाद्यान्न पैकिंग के लिए जूट बैग का निर्माण करना अव्यावहारिक है। हेसियन/ यार्न के लिए निर्माण मशीनरी अलग-अलग है और भारत में अधिकांश मिलों को 30% हेसियन/यार्न और 70% सेकिंग के निर्माण

---

[21] चीन जन. गण. और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "विस्कोस स्टेपल फाइबर" के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा में अंतिम जांच परिणाम दिनांक 31 जुलाई 2021, मामला संख्या: 31 जुलाई 2021, फा. सं. 7/03/2021-डीजीटीआर।

[22] जूट पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987, 1987 का अधिनियम संख्या 10

के लिए डिज़ाइन किया गया है। बांग्लादेश और नेपाल से पाटनरोधी शुल्क मुक्त आयात भारतीय उद्योग को इन क्षमताओं का उपयोग बंद करने के लिए मजबूर करेगा।

(lv) जूट आयुक्त कार्यालय ने खुले बाजार में खाद्यान्न, चीनी और दाल की पैकिंग के लिए बिकने वाले बोरे की आपूर्ति के लिए बार-बार अनुमति दी है। मिलों ने अनुमति लेकर या खाद्यान्न पैकेजिंग के लिए सरकारी आदेशों को पूरा कर खुले बाजार में बोरियां बेच दी हैं।

(lvi)जूट आयुक्त के कार्यालय द्वारा बी-टवील जूट बैगों को छोड़कर सेकिंग बैगों के उत्पादन को डायवर्ट न करने के लिए घोषित प्रतिबंध और परिणामस्वरूप भारतीय जूट मिलों को खुले बाजार में बी-टवील बैग बेचने के लिए अधिकृत न किया जाना ऐसी मिलों पर लागू नहीं होता है, जो पहले ही आवंटित बी-टवील जूट बैग के ऑर्डर को पूरा कर चुकी हैं और जिन्होंने समय पर सरकार को उनकी आपूर्ति की है।

(lvii) नवाब अब्दुल मलिक जूट मिल्स ने स्वीकार किया है कि निर्यातों में वृद्धि हुई है, जो यह दर्शाता है कि शुल्क लगाने से विचाराधीन उत्पाद के निर्यात की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसलिए, उद्योग को हुई क्षति केवल कीमत मानदंडों पर परिलक्षित होती है और मात्रात्मक पक्ष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं दर्शाती है। कीमत खाते में सुधार इसलिए हुआ है क्योंकि घरेलू उद्योग ने लागू शुल्कों को ध्यान में रखते हुए अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि की है। तथापि, यह अपनी मात्रा में वृद्धि नहीं कर सका, क्योंकि कुछ निर्यातकों को कम शुल्क और कुछ अन्य को दी गई छूट के मद्देनजर आयात की काफी मात्रा बनी हुई है।

(lviii) नवाब अब्दुल मलिक जूट मिल्स अथवा बांग्लादेश सरकार द्वारा इसका साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था कि कोई कच्चे जूट की उपलब्धता सीमित है। तथापि, घरेलू उद्योग ने इस बात का साक्ष्य दिया है कि कच्चे जूट का निर्यात काफी है और मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने के बांग्लादेश सरकार के प्रयासों के कारण घट रहा है। इसके अतिरिक्त, आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है और वर्तमान मात्रा घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के लिए पर्याप्त है।

(lix)बांग्लादेश जूट उद्योग के पास अधिशेष क्षमता होने के अलावा, जिसे कोई भी कंपनी बेकार रहने के बजाय बिक्री में उपयोग करना और महसूस करना चाहेगी, भारत को भी लक्षित करने की संभावना है, जिसकी काफी मांग है और निर्यातकों के लिए आकर्षक है तथा यह स्वीकार्य रूप से उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, बीजेएमसी के तहत मिलों को बंद करने का अनुरोध झूठा है, क्योंकि बीजेएमसी की वेबसाइट जिसे आखिरी बार जुलाई, 2021 में अद्यतन किया गया था, वह 25 मिलों की क्षमता और उत्पादन दर्शाती आ रही है। इस तरह के दावे भी भ्रामक हैं क्योंकि नवाब अब्दुल मलिक जूट मिल्स कुछ सार्वजनिक मिलों का उल्लेख कर रही हैं जो शायद बंद हो गई हों। इसके अतिरिक्त, बांग्लादेश जूट स्पिनर्स एसोसिएशन की वेबसाइट वर्तमान में दर्शाती है कि 291 मिलें चालू हैं।

(lx) यह दावा कि भारत के अलावा अन्य प्रमुख बाजार भी हो सकते हैं, झूठा है क्योंकि उन्होंने अपने स्वयं के अनुरोधों में स्वीकार किया है कि अन्य बाजारों में उनके निर्यात में केवल मामूली वृद्धि देखी गई है।

(lxi)ब्राजील का बाजार बांग्लादेश के लिए बंद कर दिया गया है और इतने लंबे समय के बाद भी बांग्लादेश से ब्राजील को कोई निर्यात नहीं होने के बावजूद, बांग्लादेश सरकार न तो भाग ले रही है और न ही इन शुल्कों को समाप्त करने के लिए कह रही है। यह केवल दो कारणों से हो सकता है - या तो बांग्लादेश सरकार कानूनी स्थिति से अवगत है और तथ्य यह है कि ब्राजीलियाई प्राधिकारी कानूनी प्रावधानों से चिपक जाएगा या बाजार इतना छोटा है कि बांग्लादेश सरकार को निर्यात क्षमता नहीं मिलती है। इसके विपरीत, बांग्लादेश सरकार इस बात से अवगत है कि भारत सरकार सहानुभूतिपूर्ण होगी और कानून के तहत रियायतों पर विचार करने की संभावना है, इस तथ्य को देखते हुए कि बाजार की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं।

(lxii) बांग्लादेश सरकार द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न चुनौतियों के बावजूद, जैसा कि अनुरोधों में उल्लेख किया गया है, यह क्षति अवधि के दौरान जूट उत्पादों के अपने निर्यात को बढ़ाने में कामयाब रहा है जैसा कि निर्यात निष्पादन आंकड़ों से सिद्ध है। यह वृद्धि भारत को होने वाले निर्यात में भी देखी गई।

(lxiii) अपने जूट उद्योग को हरित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए बांग्लादेश सरकार की नीति का अंतिम परिणाम यह होगा कि उद्योग अधिक लागत प्रतिस्पर्धी बन जाएगा, जिससे उन्हें मार्जिन में कार्य करने का लाभ मिलेगा जो अन्यथा भारतीय जूट उद्योग के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(lxiv) मांग किए जा रहे शुल्क संबंधों को बाधित करने के इरादे से नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे उद्योग में पाटित आयात की वास्तविक समस्या का समाधान करने के लिए हैं जो समान रूप से सुभेद्य और नाजुक है, यदि अब नहीं है।

(lxv) लगाए गए मार्जिन और परिणामी शुल्क इस बात की न्यायसंगत और सरल गणना पर आधारित हैं कि क्या सामग्री पाटित की जा रही है। अलग-अलग कंपनी-वार सूचना के आधार पर प्राधिकारियों द्वारा हमेशा उत्पादक/निर्यातक-वार शुल्क लगाया जाता है और निर्यातक/उत्पादक के वर्गीकरण के आधार पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है।

(lxvi) यद्यपि बांग्लादेश सरकार द्वारा दी गई सहायता का लक्ष्य भारतीय बाजार नहीं है, तथापि निर्यातकों द्वारा भारत को सस्ती कीमत पर सामान निर्यात करने के लिए सहायता का उपयोग किया जा रहा है। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 के तहत ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि सरकारी कार्रवाई विशेष रूप से भारत के खिलाफ लक्षित होनी चाहिए।

(lxvii) विभिन्न उत्पाद किस्मों के लिए शुल्क एक या अलग हो सकता है। इस निमित्त प्राधिकारी पर बिल्कुल कोई प्रतिबंध नहीं है।

(lxviii) मूल जांच के बाद से मांग में गिरावट के बावजूद, नेपाल से आयात में वृद्धि हुई है। नेपाल की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षतिरहित से कम है। नेपाल में उत्पादकों के पास वास्तव में केवल दो बाजार हैं - नेपाल और भारत तथा उनकी घरेलू मांग काफी सीमित है, और उनका संबद्ध सामानों का उत्पादन उनकी घरेलू मांग से काफी अधिक है।

(lxix) नेपाल के लिए कीमत कटौती सकारात्मक है और आधार वर्ष, तत्काल पूर्व वर्ष या पिछली क्षति जांच अवधि से आयातों की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, पाटन और क्षति की संभावना की जांच के साथ नेपाल से आयातों के प्रभाव की जांच पूरी हो गई है। मांग-आपूर्ति अंतराल और मौजूद है तथा नेपाल में उत्पादन में साथ-साथ वृद्धि किए बिना उत्पादन बढ़ रहा है। आयात की वर्तमान मात्रा ही निर्धारण के लिए पर्याप्त है।

(lxx) यह प्राधिकारी को निर्धारित करना है कि याचिकाकर्ता द्वारा लागत के आवंटन का तरीका उचित है या नहीं। घरेलू उद्योग नेपाल जूट ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए इस बयान पर चिंता व्यक्त करता है कि लागत बिक्री की मात्रा या बिक्री राजस्व के बजाय किसी अन्य उचित आधार के आधार पर आवंटित की जानी चाहिए।

(lxxi) औसत आधार पर कीमत कटौती विषम होगी और प्राधिकारी ने इसे आरंभिक अधिसूचना में देखा है। चूंकि, विभिन्न उत्पाद किस्मों के बीच कीमत काफी भिन्न होती है, इसलिए कोई निष्कर्ष निकालने के लिए औसत कीमत कटौती पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

(lxxii) पीसीएन-वार कीमत कटौती सकारात्मक है, और कीमत कटौती के संबंध में की गई टिप्पणी सही है तथा संभावना का संकेत देने वाला एक कारक है। इसके अतिरिक्त, पाटित और क्षतिकारक कीमत पर आयातों में वृद्धि, जब मांग में गिरावट आई है, इस तथ्य के साथ युग्मित है कि भारतीय बाजार आकर्षक है, और नेपाल में अतिरिक्त क्षमता मौजूद है, जो शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की संभावना का संकेतक है।

(lxxiii) उत्पाद की किस्म-वार कटौती जांच की शुरूआत के चरण में भी नेपाल से सकारात्मक थी। प्राधिकारी कृपया भारतीय बाजार में पीसीएन वार विश्लेषण पर विचार करें और तीसरे देशों को निर्यात की मात्रा और कीमत पर भी विचार करें तथा घरेलू उद्योग की कीमतों पर संभावित प्रभाव का निर्धारण करें।

(lxxiv) निर्णायक समीक्षाओं में संचयी मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। यूएस- जंग-प्रतिरोधी स्टील निर्णायक समीक्षा[23] के संबंध में डब्ल्यूटीओ पैनल के अनुसार अनुच्छेद 3.3 अपनी शर्तों से जांच के लिए आवेदन पत्र में सीमित है और निर्णायक समीक्षाओं पर लागू नहीं होता है।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

69. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

(i) चूंकि बांग्लादेश और नेपाल के लिए विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र अलग-अलग है, अतः यह अनुरोध किया जाता है कि क्षति के जारी रहने और बार-बार होने का बांग्लादेश और नेपाल से संचयी रूप से मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 3.3 आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों का विश्लेषण अनिवार्य करता है। संबद्ध सामानों की मात्रा, संबद्ध सामानों की मूल्य, संपत्तियों में अंतर, विनिर्देश और गुणवत्ता जैसे कारक यह निर्धारित करेंगे कि क्या किसी विशेष देश से आयातित संबद्ध सामानों को समान घरेलू वस्तुओं की तुलना में प्रयोक्ताओं द्वारा पसंद किया जाता है।

(iii) निम्नलिखित कारकों के कारण प्राधिकारी को संचयी मूल्यांकन का सहारा नहीं लेना चाहिए:

क. घरेलू उद्योग ने आयातों द्वारा कीमत कटौती का आरोप लगाया है, जिससे पाटनरोधी शुल्क हटा दिए जाने पर वास्तविक क्षति के बार-बार होने की संभावना का संकेत मिलता है। तथापि, ऐसी स्थिति केवल बांग्लादेश से आयातों के संबंध में देखी गई है न कि नेपाल के लिए जिसके लिए कीमत कटौती नकारात्मक है। बांग्लादेश के लिए कीमत कटौती 15-25% के बीच है।

ख. बांग्लादेश से आयात की मात्रा भी नेपाल से 66,847 मीट्रिक टन की तुलना में जांच की अवधि के दौरान काफी अधिक अर्थात 1,11,912 मीट्रिक टन है और इसलिए, एक बड़ा बाजार हिस्सा है।

ग. नेपाल से निर्यात की जाने वाली जूट की सुतली भी बांग्लादेश से निर्यात किए गए जूट के धागे/सुतली से तुलनीय नहीं है क्योंकि यह प्राधिकारी द्वारा सुझाए गए पांच पीसीएन के अंतर्गत नहीं आती है।

घ. अंत में, नेपाल और बांग्लादेश की तुलना में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र अलग है। चूंकि बांग्लादेश को सेकिंग कपड़े के संबंध में एक प्रवंचनारोधी जांच के अधीन रखा गया था, जबकि नेपाल को इसके क्षेत्र से बाहर रखा गया था, नेपाल के लिए विचाराधीन उत्पाद केवल जूट यार्न/सुतली, सेकिंग बैग और हेसियन कपड़े तक ही सीमित है। तथापि, बांग्लादेश के विरुद्ध मौजूदा निर्णायक समीक्षा जांच में सेकिंग क्लॉथ भी शामिल है। एक अनुक्रमक के रूप में, जबकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच केवल नेपाल से जूट के धागे/सुतली, सेकिंग बैग और हेसियन कपड़े के संबंध में की जा रही है, बांग्लादेश से घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच एक विस्तृत और भिन्न उत्पाद क्षेत्र के लिए की जाएगी जिसमें सेकिंग कपड़ा शामिल है।

ङ. चूंकि उत्पाद का क्षेत्र जिसके विरुद्ध घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन किया जा रहा है, नेपाल और बांग्लादेश के बीच भिन्न है, यह आयातों के संचयी मूल्यांकन के लिए उपयुक्त और उचित मामला नहीं है।

(iv) मूल जांच की क्षति की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की कुल घरेलू मांग में तथाकथित रूप से पाटित आयात के हिस्सों और क्षति की वर्तमान अवधि के बीच तुलना से पता चलता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद, विचाराधीन उत्पाद के आयात की मात्रा 9-12% से बढ़कर 11-18% तक हो गई, जैसा कि याचिकाकर्ता ने याचिका में पुष्टि की है और मौखिक सुनवाई के दौरान बार-बार दावा किया है।

(v) बांग्लादेश से भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात मुख्य रूप से भारतीय खुले बाजार में मांग-आपूर्ति अंतर की स्थिति का एक कारक है और ऐसे परिदृश्य में, निर्यातकों को उत्पाद को भारत में निर्यात करते समय किसी भी कीमत भेदभाव के तरीकों को अपनाने की आवश्यकता नहीं थी जैसा कि आरोप लगाया गया था।

---

[23] संयुक्त राज्य अमेरिका - जापान से जंग प्रतिरोधी कार्बन स्टील फ्लैट उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा डब्ल्यूटी/डीएस244/आर 14 अगस्त 2003

(vi) बांग्लादेश से निर्यातकों ने भारतीय प्रयोक्ता उद्योग को मांगों को पूरा करने में मदद की है जब भारतीय उत्पादक विशेष रूप से जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रहे और ऐसी आपूर्ति में पाटन एवं क्षति की कोई संभावना नहीं है।

(vii)यह नोट किया जाए कि कोविड-19 शटडाउन के कारण जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों के भारतीय उत्पादन में भारी कमी आई थी और भारतीय उत्पादन 1,055,795 एमटी के आधार वर्ष के स्तर से जांच की अवधि में घटकर 863,656 एमटी हो गया। तथापि, इसी अवधि में, मांग केवल आधार वर्ष में 1,203,483 मीट्रिक टन से घटकर 1,010,177 मीट्रिक टन हो गई और स्पष्ट रूप से संबद्ध उत्पाद के लगभग 146,521 मीट्रिक टन का अंतर था क्योंकि भारतीय उत्पादन ऐसी मांग को पूरा नहीं कर सका जिसके कारण से आयात बांग्लादेश आधार वर्ष में 98,766 मीट्रिक टन से बढ़कर जांच की अवधि में 111,912 मीट्रिक टन हो गया।

(viii) बांग्लादेश से आयात जांच की अवधि के दौरान वर्ष 2019-20 में 123,016 मीट्रिक टन से घटकर 111,912 मीट्रिक टन हो गया है। साथ ही, बांग्लादेश से निर्यात कीमत वर्ष 2019-20 में 38,834 रुपये/मीट्रिक टन से बढ़कर जांच की अवधि के दौरान 81,828 रुपये/मीट्रिक टन हो गई। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बांग्लादेश से आयातों का घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ix) दो अलग-अलग बाजारों के संबंध में, प्राधिकारी को निम्नलिखित सूचना प्रदान करनी चाहिए जो आवेदक उद्योग द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है:

क. सरकारी खरीद के लिए आरक्षित उत्पादन

ख. खुले बाजार के लिए उपलब्ध मात्रा

ग. पिछले 4 वर्षों में सरकारी खरीद आदेशों की पूर्ति न होने का कारण सहित विवरण।

घ. सरकारी आदेशों की पूर्ति न होने के कारण

ङ. सरकारी खरीद हटाने के बाद की मांग

च. खुले बाजार से और सरकारी खरीद से कीमत वसूली।

(x) यह भी स्पष्ट है कि भारतीय उत्पादकों को भारत सरकार को आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जूट और जूट कपड़ा नियंत्रण आदेश, 2016 के तहत निर्देशों का पालन करना पड़ा, जिसने आयातकों को मांग को पूरा करने के लिए आयातित सामग्री का सहारा लेने के लिए मजबूर किया।

(xi) घरेलू उद्योग यह स्पष्ट करने में सक्षम नहीं है कि वह अपने मात्रात्मक मानदंडों में गिरावट के बावजूद अपनी लाभप्रदता कैसे बनाए रखता है।

(xii)प्राधिकारी को सरकारी खरीद के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति और खुले बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय जूट उद्योग की क्षमता पर इसके प्रभाव की जांच करनी चाहिए।

(xiii) भारतीय उत्पादक आयातों के प्रति सुभेद्य नहीं हैं और उनके द्वारा स्वीकार किए गए अन्य कारकों के कारण क्षति उठा रहे हैं जो उनके द्वारा मांग की गई पाटनरोधी शुल्क के रूप में किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है।

(xiv) भारत में संबद्ध सामानों के एक प्रमुख उत्पादक (चेवियट) की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि उद्योग कीमत में वृद्धि और कच्चे जूट की अनुपलब्धता, उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र के आधुनिकीकरण की कमी, राजस्व एकाग्रता और भारत सरकार पर निर्भरता जैसे मुद्दों से चिंतित है। आयात स्वयं उनके लिए कोई महत्वपूर्ण चिंता का विषय नहीं है, इसलिए जब आयात उनके प्रमुख क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है जो भारत सरकार को आपूर्ति करता है।

(xv) क्षति अवधि के दौरान संबद्ध सामानों के आयात की प्रवृत्ति दर्शाती है कि आयात उचित कीमतों पर हो रहे थे और घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुंचा रहे थे। इसके अतिरिक्त, यह स्वीकार किया गया है कि घरेलू उद्योग को कोई निरंतर क्षति नहीं हुई है। ऐसी तथ्यात्मक स्थिति याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को खारिज करने की मांग करती है कि वे वर्तमान शुल्क की समाप्ति की स्थिति में बांग्लादेश से संबद्ध सामानों के आयात के प्रति सुभेद्य हैं।

(xvi) उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में कमी भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों के कारण भारत में घरेलू बाजार में स्वतंत्र रूप से आपूर्ति करने में घरेलू उद्योग की अक्षमता के कारण है। जांच की अवधि के दौरान उत्पादन और बिक्री में मामूली गिरावट घरेलू बाजार में स्वतंत्र रूप से आपूर्ति करने में घरेलू उद्योग की अक्षमता के कारण मांग में संकुचन को दर्शाती है। यह स्पष्ट है क्योंकि चेवियट कंपनी लिमिटेड ने घरेलू अनुपलब्धता के कारण अपनी एसईजेड यूनिट के लिए संबद्ध सामानों, विशेष रूप से जूट यार्न/सुतली का आयात किया है।

(xvii) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत संशोधित और अद्यतन सूचना के अनुसार, नेपाल के मामले में कोई कीमत कटौती नहीं देखी गई है। अद्यतन जांच की अवधि के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर आंकड़ों के अनुसार, बांग्लादेश से संबद्ध आयातों की कीमत कटौती काफी अर्थात 15-25% की सीमा में है, जबकि नेपाल से संबद्ध आयातों के लिए कीमत कटौती नकारात्मक है। नेपाल से आयातित जूट सुतली से घरेलू उद्योग पर कोई कीमत प्रभाव नहीं है क्योंकि वे घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित जूट यार्न/सुतली के 5 पीसीएन में से किसी के अंतर्गत नहीं आते हैं।

(xviii) हेसियन फैब्रिक और सेकिंग बैग के मामले में नेपाल से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत बांग्लादेश की तुलना में अधिक है। जूट यार्न के मामले में, धागों की गुणवत्ता और उपयोग में अंतर के कारण पहुंच मूल्य बांग्लादेश की तुलना में कम है। इस प्रकार बंगलादेश से आयातों के कारण याचिकाकर्ताओं को अधिक क्षति हो रही है।

(xix) यद्यपि याचिकाकर्ताओं ने वास्तविक क्षति का दावा नहीं किया है, तथापि उन्होंने उल्लेख किया है कि क्षति अवधि के दौरान उनके बाजार हिस्से में गिरावट आई है। यह स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग की घरेलू बाजार को स्वतंत्र रूप से आपूर्ति करने में असमर्थता और संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात करने के लिए प्रयोक्ता उद्योग की परिणामी बाध्यता के कारण है।

(xx) मालसूची के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार हुआ है। यह नोट करना संगत है कि उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के समान, मालसूची भी इस तथ्य को दर्शाती है कि घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में स्वतंत्र रूप से आपूर्ति करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि बिक्री कम हो गई है, मालसूची भी उसी तरह घट गई है क्योंकि घरेलू बाजार में पर्याप्त मांग थी।

(xxi) कोविड-19 के कारण प्रति दिन उत्पादकता और कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है, जिसके परिणामस्वरूप जांच की अवधि के दौरान कई लॉकडाउन लगाए गए थे और घरेलू उद्योग के प्रचालन में बाधा उत्पन्न हुई थी।

(xxii) यद्यपि बिक्री लागत में केवल 16% तक वृद्धि हुई है, तथापि घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में 26% तक वृद्धि करने में सक्षम था। तथापि, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता कम हुई है क्योंकि यह कोविड-19 से प्रभावित था जिसने इसके प्रचालन और उत्पादन के साथ-साथ घरेलू बाजार में स्वतंत्र रूप से बेचने में असमर्थता को प्रभावित किया था।

(xxiii) जांच की अवधि के दौरान उत्पादन, बिक्री और लाभप्रदता में मामूली गिरावट के संबंध में, प्राधिकारी को कोविड-19 के प्रभाव और बंदी के कारण उत्पादन में परिणामी नुकसान की जांच करनी चाहिए।

(xxiv) जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने स्वीकार किया है, उन्हें वास्तविक क्षति नहीं हो रही है और इसलिए, संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग के संगत आर्थिक मानदंडों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसलिए, आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क का प्रश्न ही नहीं उठता।

(xxv) घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि पाटन के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना के बीच एक कारणात्मक संपर्क मौजूद है। तथापि, जहां तक नेपाल से आयातों का संबंध है, वे पाटनरोधी शुल्कों को पहुंच मूल्य में शामिल नहीं किए जाने के बावजूद घरेलू उद्योग की कीमत कटौती नहीं कर रहे हैं। इसलिए, ऐसी स्थिति में जहां पाटनरोधी शुल्क हटा दिया जाता है, नेपाल से आयातों के कारण कीमत ह्रास और न्यूनीकरण की संभावना मौजूद नहीं है।

(xxvi) जूट आयुक्त के कार्यालय के विभिन्न आदेशों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि घरेलू उद्योग सरकारी खरीद क्षेत्र की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तदनुसार, वे खुले बाजार की मांग को भी पूरा नहीं कर सकते क्योंकि वे

सरकारी क्षेत्र की मांग को पूरा करने के बाद ही ऐसी मांग को पूरा कर सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से खुले बाजार में मांग-आपूर्ति के अंतर को दर्शाता है जिसे आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है।

(xxvii) एक महत्वपूर्ण कारक जिसकी प्राधिकारी को जांच करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या घरेलू उद्योग अपने द्वारा उत्पादित समान वस्तु को घरेलू बाजार में (क) पर्याप्त मात्रा में और (ख) बिना किसी प्रतिबंध के आपूर्ति करने में सक्षम है। इस संबंध में, निम्नलिखित मुद्दे संगत हैं:

क. जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, 1987 के तहत किए गए विभिन्न आदेश जिसमें घरेलू उद्योग द्वारा जूट बैग की आपूर्ति में कमी के कारण एफसीआई और अन्य सरकारी एजेंसियों की आपूर्ति करने का विशेष अधिकार है, उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार घनत्व उच्च पॉलीथीन अथवा पॉलीप्रोपाइलीन (एचडीपीई/पीपी) बैगों का प्रयोग करने के लिए छूट प्रदान कर पूरा किया गया था।

ख. जूट आयुक्त के कार्यालय ने 9 सितंबर, 2021 को एक आदेश जारी किया है जिसके माध्यम से सभी घरेलू उत्पादकों और याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्य अर्थात आईजेएमए को भारत सरकार को आपूर्ति के लिए सेकिंग बैग के निर्माण के लिए अपनी पूरी स्थापित क्षमता का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। एक घरेलू उत्पादक अन्य प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग ऐसी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद ही कर सकता है और वह भी जूट आयुक्त के कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने के बाद। जूट आयुक्त द्वारा सबसे हालिया सेकिंग मांग आदेश 27 जनवरी, 2022 को जारी किया गया है। इसलिए, आज भी, घरेलू उद्योग को खुले बाजार में समान वस्तु की आपूर्ति करने से रोक दिया गया है।

ग. इसलिए, घरेलू उद्योग को यह सिद्ध करना चाहिए कि उन्हें घरेलू बाजार में सेकिंग बैग की आपूर्ति करने की अनुमति है। जूट आयुक्त के कार्यालय से प्राप्त अनुमति को साक्ष्य के रूप में प्राधिकारी के पास दायर किया जाना चाहिए और यह सिद्ध करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किया जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति है।

(xxviii) जब घरेलू उद्योग को उसके द्वारा उत्पादित समान वस्तु को खुले घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति नहीं है और इसकी बिक्री ज्यादातर नेपाल के लिए खुले कैप्टिव बाजार तक सीमित है, तो नेपाल से आयात के कारण क्षति का सवाल ही नहीं उठता है।

(xxix) इसके अतिरिक्त, नेपाल द्वारा निर्यात किए गए धागे से घरेलू उद्योग को कोई नुकसान नहीं हो सकता था क्योंकि इसका उपयोग सेकिंग बैग के मुंह को बांधने के लिए किया जाता है और यह प्राधिकारी द्वारा बनाए गए पांच पीसीएन में से किसी के भीतर नहीं आता है।

(xxx) यदि जूट के घरेलू उत्पादकों को जांच की अवधि की विस्तारित अवधि के दौरान समान वस्तु की आपूर्ति करने की अनुमति नहीं दी गई थी, तो उस अवधि के भीतर किए गए आयातों को बाजार हिस्से के निर्धारण से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि यह उन संगत अवधियों के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। परिणामस्वरूप, कीमत प्रभाव जैसे सभी मापदंडों को भी तदनुसार समायोजित किया जाना चाहिए।

(xxxi) नेपाल जूट उत्पाद बनाने के लिए कच्चे जूट के लिए अपनी आवश्यकता का लगभग 50% आयात करता है जिससे भारत और भारतीय किसानों को सीधे लाभ होता है।

(xxxii) पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने से केवल भारत में कच्चे जूट विनिर्माताओं और उनके द्वारा नियोजित कामगारों को नुकसान होगा जिनमें खुले बाजार में संबद्ध सामानों के प्रयोक्ता भी शामिल हैं जिनके पास घरेलू उद्योग से समान वस्तु की पर्याप्त आपूर्ति नहीं है।

(xxxiii) दूसरी ओर, घरेलू उद्योग को कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि यह या तो पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने में सक्षम नहीं है या जूट आयुक्त के कार्यालय के आदेशों के तहत घरेलू बाजार में आपूर्ति करने से प्रतिबंधित है।

(xxxiv) चूंकि भारतीय जूट उत्पादक अपने आप में सरकारी आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ हैं, अतः पाटनरोधी शुल्क जारी रखने से केवल उन प्रयोक्ताओं पर अधिक दबाव पड़ेगा जिन्हें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।

(xxxv) भारतीय उत्पादकों को भारतीय खाद्य निगम को जूट बैग की आपूर्ति पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि नेपाल के जूट उत्पादक इस क्षेत्र की सेवा करने में असमर्थ हैं जिस पर भारतीय उत्पादकों का पूर्ण एकाधिकार है।

(xxxvi) भारत सरकार को समय पर जूट उत्पादों की आपूर्ति न होने के कारण, भारतीय जूट मिलें खुले बाजार में बी. टवील जूट उत्पादों को बेचने के लिए अधिकृत नहीं हैं। इस प्रकार, संबद्ध देशों से आयात भारत में उत्पादित सामानों से बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं और इसलिए, घरेलू उद्योग को किसी भी तरह से क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं।

(xxxvii) दिनांक 9 जुलाई, 2015 के पत्र संख्या जूट (इकॉन)/आईआर/2015 के अनुसार, जूट आयुक्त के कार्यालय ने सभी जूट मिलों को भारत सरकार को ऐसे एक भी बैग की आपूर्ति न करने की चेतावनी दी है, जो विदेशों से खरीदा गया है क्योंकि यह कार्यालय न केवल ब्लैकलिस्ट दो वर्षों की अवधि के लिए भारत सरकार को आपूर्ति करने से संबंधित संगठनों को ब्लैकलिस्ट करेगा, अपितु कंपनी के स्वामियों और निदेशकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाहियां भी शुरू करेगा। इस प्रकार, घरेलू जूट मिलों द्वारा उत्पादित सामान बांग्लादेश से आयातित सामान से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं।

(xxxviii) यह अनुरोध किया जाता है कि भारतीय जूट मिलों को सरकारी खरीद के लिए जूट उत्पादों को बेचने हेतु विशेष निर्देश दिए गए हैं। जूट आयुक्त के कार्यालय से वर्तमान आदेश संख्या जूट (विपणन/2/2003) दिनांक 7 फरवरी, 2017 से, यह पूर्णतः स्पष्ट है कि सभी जूट मिलों को खुले बाजार में किसी भी जूट उत्पाद की आपूर्ति नहीं करने का निर्देश दिया गया है।

(xxxix) पाटनरोधी शुल्क प्रकृति में स्थायी नहीं है और मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए कोई विशेष/असाधारण परिस्थितियां मौजूद नहीं हैं। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क को जारी नहीं रखा जाना चाहिए और प्राधिकारी को उसी आधार पर वर्तमान जांच को समाप्त कर देना चाहिए।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

70. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो पाटित आयातों की मात्रा सहित सभी संगत तथ्यों और समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर उन आयातों के परिणामी प्रभाव पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाएं।

71. नियमावली के नियम 23 में यह प्रावधान है कि निर्णायक समीक्षा के मामले में नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों सहित लागू होंगे। प्राधिकारी ने उन क्षति मानदंडों का मूल्यांकन किया है जो नियमावली और नियमावली के अनुबंध-II के तहत अपेक्षित हैं और यह भी जांच की है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।

72. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए इन तर्कों के संबंध में कि संबद्ध देशों से आयातों का संचयी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जैसा कि मूल जांच में था। जैसा कि उपर्युक्त उपयुक्त पैराओं में उल्लिखित किया गया है। जहां तक संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा की मात्रा नगण्य नहीं है। इसके अलावा, संबद्ध देशों से महत्वपूर्ण आयात न्यूनतम पाटन मार्जिन से ऊपर बना हुए है। इसके अतिरिक्त, केवल तथ्य यह है कि संबद्ध देशों में से किसी एक के संबंध में कीमत कटौती सकारात्मक है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता है कि आयातों का संचयी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। आयातों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा मौजूद है और उत्पादों का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग किया जा सकता है।

73. प्राधिकरण क्षति विश्लेषण से गैर-पाटित आयातों के बहिष्कार के संबंध में इच्छुक पार्टियों द्वारा की गई प्रस्तुतियों को नोट करता है। तदनुसार प्राधिकरण ने विषय देशों से आयात के आंकड़ों को पृथक कर दिया है और क्षति विश्लेषण के लिए पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार किया है। यह ध्यान दिया जाता है कि अलगाव के बावजूद, विभिन्न क्षति मापदंडों में रुझान काफी हद तक समान रहते हैं।

देश	मात्रा (मी. टन)				
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021 (पाटित आयात)
बांग्लादेश					
कुल आयात	**98,766**	**88,256**	**1,23,016**	**1,11,912**	
हेसियन फैब्रिक	766	933	1,124	921	305
सेकिंग बैग	1,766	7,013	17,506	23,115	19,616
यार्न	44,491	45,331	55,804	61,364	45,273
सेकिंग क्लॉथ	51,742	34,981	48,582	26,512	-
उप-जोड़ (क्लॉथ को छोड़कर)	**47,024**	**53,276**	**74,434**	**85,400**	**-**
उप-योग (क्लॉथ और गैर-पाटित आयात को छोड़कर)					**65,194**
नेपाल					
कुल आयात	**34,102**	**36,594**	**47,503**	**66,847**	
हेसियन	12,366	14,697	21,860	32,304	
सेकिंग बैग	16,261	18,313	22,214	27,606	
यार्न	5,475	3,583	3,269	6,937	
सेकिंग क्लॉथ			160	-	
उप-जोड़ (क्लॉथ को छोड़कर)	**1,32,868**	**1,24,850**	**1,70,519**	**1,78,758**	
उप-योग (क्लॉथ और गैर-पाटित आयात को छोड़कर)					**43,733**

74. यह नोट किया जाता है कि विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने जूट सेकिंग बैग की आपूर्ति पर सरकारी प्रतिबंधों के साथ-साथ खुले बाजार में आपूर्ति करने में भारतीय उद्योग की अक्षमता के संबंध में कई अनुरोध किए हैं। प्राधिकारी ने उद्योग स्तर पर आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए तीन उत्पाद किस्मों के लिए अलग-अलग क्षमता से नोट किया है कि सभी प्रकार की क्षमता का कम प्रयोग किया गया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जूट आयुक्त द्वारा प्रकाशित अधिसूचनाएं सरकारी उत्पादन के लिए बाजार में पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के लिए हैं। जूट आयुक्त खाद्यान्न, चीनी और दालों की पैकिंग के लिए खुले बाजार में बेचे जाने वाले सेकिंग बैग की आपूर्ति के लिए नियमित रूप से अनुमति देते हैं, और तदनुसार, मिलों ने सरकारी आदेश प्राप्त करने अथवा पूरा होने पर खुले बाजार में सेकिंग बोरों को बेच दिया है। किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी को यह भी सूचित किया जाता है कि जूट आयुक्त के कार्यालय द्वारा जारी प्रतिबंध ऐसी मिलों पर लागू नहीं होते हैं जिन्होंने सरकार को अपने आवंटित बी-टवील ऑर्डर समय पर पूरा कर लिया है।

75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय जूट उद्योग वास्तव में खाद्यान्न पैकेजिंग के लिए आवश्यक सेकिंग बैग की संपूर्ण आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि (क) सरकारी खरीद के लिए सेकिंग बैग के उत्पादन हेतु लगाई गई क्षमता खुले बाजार में जूट उत्पादों के उत्पादन के लिए आवश्यक सुविधाओं से भिन्न है, और (ख) घरेलू उद्योग कच्चे जूट (या तो उपलब्धता या कीमत) की कमी के लिए, न कि क्षमताओं के अभाव के कारण इस क्षेत्र में अधिक उत्पादन करने में असमर्थ है, (ग) देश में उपलब्ध कच्चे जूट का उपयोग अन्य जूट उत्पादों के उत्पादन के लिए भी किया जाता है जिनकी खपत सरकारी खरीद ते माध्यम से नहीं की जाती है और केवल खुले बाजार में बेचा जाता है। प्राधिकारी ने सरकारी खरीद के मुद्दे को समझने के लिए आईजेएमए का

दौरा किया। उपर्युक्त दौरे के दौरान, प्राधिकारी द्वारा यह पाया गया था कि खुले बाजार को पूरा करने के लिए समर्पित क्षमताएं थीं। खुले बाजार के लिए यार्न बनाने हेतु जिस प्रकार की स्पिंडल की आवश्यकता होती है, वह सरकारी खरीद के प्रयोजन से निर्मित किए जाने के लिए प्रयुक्त स्पिंडलों की किस्म से पूर्णतः भिन्न होती है। इसी प्रकार, खुले बाजार के लिए यार्न की बुनाई के लिए जिस प्रकार के करघों की आवश्यकता होती है, वे सरकारी खरीद के प्रयोजन से यार्न की बुनाई के लिए अपेक्षित करघों से पूर्णतः भिन्न होते हैं।

76. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में यह तर्क देते हुए कि आयात देश में मांग-आपूर्ति के अंतराल का परिणाम है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर सामान का निर्यात करना मांग-आपूर्ति अंतराल की मौजूदगी की संभावना का औचित्य नहीं हो सकता।

77. पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में या तो पूर्ण दृष्टि से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में काफी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव की जांच करने के लिए, प्राधिकारी इस बात की जांच करते हैं कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में भारी कटौती हुई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा काफी मात्रा तक कीमत का न्यूनीकरण करने के लिए है अथवा कीमत वृद्धि रोकने के लिए है, जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती।

78. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले तत्व जैसे उत्पादन, क्षमता, उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है। प्राधिकारी द्वारा यहां किया गया क्षति विश्लेषण किए गए विभिन्न अनुरोधों को हल करता है।

I. घरेलू उद्योग के पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) मांग का आकलन

79. भारत में उत्पाद की मांग अथवा प्रत्यक्ष खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में निर्धारित किया गया है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए गए लेनदेन-वार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने सैकिंग क्लॉथ के आयातों की जांच की और उन्हें आयात की मात्रा में शामिल किया है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि मूल जांच और वर्तमान जांच में भी नोट किया गया है, चूंकि उस क्षेत्र में मांग का काफी हिस्सा है, जहां सरकार खुले बाजार के विरुद्ध जूट सेकिंग बैग की खरीद करती है, जहां आयात प्रतिस्पर्धा करते हैं, अतः मांग के आकलन के प्रयोजनों के लिए प्राधिकारी ने भी इसी तरीके से परिकलित मांग को अलग किया है।

80. प्राधिकारी ने नीचे उल्लिखित तालिकाओं में केवल पाटित किए गए आयातों के प्रभाव का भी विश्लेषण किया है। यह ध्यान दिया जाता है कि रुझान कुल आयात के रूप में काफी हद तक एक समान तस्वीर चित्रित करते हैं।

मांग	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021 (पाटित आयात)
घरेलू उद्योग की बिक्रियां (केवल घरेलू उद्योग की बिक्री)	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	104	109	93	93
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	95	95	76	76
संबद्ध देश - आयात	मी. टन	81,126	89,869	1,21,777	1,52,247	1,08,926

संबद्ध देश – ग़ैर-पाटित आयात	मी. टन					43,951
अन्य देश - आयात	मी. टन	627	98	1,999	7,741	7741
कुल मांग/खपत	मी. टन	11,22,438	11,02,622	11,50,789	9,92,042	9,92,042
सेकिंग क्लॉथ – बांग्लादेश	मी. टन	51,742	34,981	48,582	26,512	26,512
सेकिंग क्लॉथ – घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	153	268	66	66

मांग (खुला बाजार)	**यूनिट**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021 (पाटित आयात)**
घरेलू उद्योग की बिक्रियां (केवल घरेलू उद्योग की बिक्री)	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	102	93	84	84
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	65	45	45	45
संबद्ध देश - आयात	मी. टन	81,126	89,869	1,21,777	1,52,247	1,08,926
संबद्ध देश – ग़ैर-पाटित आयात	मी. टन					43,951
अन्य देश - आयात	मी. टन	627	98	1,999	7,741	7,741
कुल मांग/खपत	मी. टन	3,23,072	2,72,450	2,62,511	2,95,701	2,95,701

मांग (सरकारी खरीद)	**यूनिट**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
सरकार को घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	103	115	94
सरकार को अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	103	110	85
कुल मांग/खपत	मी. टन	7,99,366	8,30,172	8,88,278	6,96,341

81. यह देखा जाता है कि सरकारी खरीद और खुले बाजार दोनों सहित संबद्ध सामानों की मांग में आधार वर्ष और पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी खरीद के लिए पृथक मांग के संदर्भ में, यह देखा जाता है कि इस क्षेत्र में मांग में उतार-चढ़ाव समान रेंज में रहा है, जिसमें कोई भारी परिवर्तन नहीं हुए हैं। खुले बाजार के लिए उपलब्ध मांग में, जहां संबद्ध आयात घरेलू उद्योग द्वारा बेचे जा रहे सामानों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, यह देखा जाता है कि पिछले वर्ष और आधार वर्ष दोनों की तुलना में जांच की अवधि में मांग में गिरावट आई है।

ख) आयात मात्रा और बाजार हिस्सा

82. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में या तो समग्र रूप से या भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में काफी वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की आयात मात्रा और क्षति जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों का हिस्सा निम्नानुसार है:

खुला बाजार						
विवरण	**यूनिट**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021 (पाटित आयात)**
आयात मात्रा						
बांग्लादेश	मी. टन	47,024	53,276	74,434	85,400	65,194
नेपाल	मी. टन	34,102	36,594	47,343	66,847	43,733
संबद्ध देश	मी. टन	81,126	89,869	1,21,777	1,52,247	1,08,927
अन्य देश	मी. टन	627	98	1,999	7,741	
कुल आयात	मी. टन	81,753	89,967	1,23,776	1,59,988	
के संबंध में संबद्ध आयात						
भारतीय उत्पादन	%	7.60	8.67	11.61	17.77	12.71
प्रवृत्ति		100	114	153	234	
मांग (खुला बाजार)	%	25	33	46	51	37
प्रवृत्ति		100	131	185	205	
सेर्किंग क्लॉथ -बांग्लादेश	मी. टन	51,742	34,981	48,582	26,512	

भारत में मांग में बाजार हिस्सा	**यूनिट**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021 (पाटित आयात)**
मांग में बाजार हिस्सा (सरकारी खरीद सहित)						
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	105	105	105	
अन्य भारतीय उद्योग को बिक्रियां	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	98	94	88	
मांग में बाजार हिस्सा (सरकारी खरीद को छोड़कर)						
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	%	***	***	***	***	***

प्रवृत्ति		100	125	112	99	
अन्य भारतीय उद्योग को बिक्रियां	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	80	55	53	
संबद्ध देश - आयात	%	***	***	***	***	***
अन्य देश - आयात	%	0.17	0.03	0.63	1.3	3

83. आधार वर्ष के साथ-साथ पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध देशों से आयातों की कुल मात्रा में वृद्धि हुई है। वर्तमान जांच की जांचावधि में आयात मूल जांच की जांच की अवधि में दर्ज मात्रा से अधिक हैं और पिछली जांच के आधार वर्ष की तुलना में काफी अधिक हैं। यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से जूट उत्पादों के आयात में समग्र रूप से वृद्धि हुई है और साथ ही भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में भी वृद्धि हुई है तथा क्षति अवधि में वह निरंतर काफी बनी रही है। मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद ये प्रवृत्तियां बनी हुई हैं। जूट उत्पादों के आयात की मात्रा में जांच की अवधि में, पूर्ण रूप से और भारत में उत्पादन एवं खपत दोनों के संबंध में काफी वृद्धि हुई है।

84. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि भारत में आने वाले आयात केवल खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हैं क्योंकि सरकारी खरीद के लिए यह क्षेत्र आयातित सेकिंग बैग की खरीद की अनुमति नहीं देता है, अतः सरकारी खरीद और खुले बाजार दोनों सहित बाजार हिस्से का संचयी मूल्यांकन भारतीय बाजार में वर्तमान परिदृश्य प्रतिनिधिकारक नहीं होगा। अतः, संबद्ध आयातों के प्रभाव और/अथवा निरंतर प्रभाव का आकलन करने के प्रयोजन से प्राधिकारी ने खुले बाजार के लिए परिकलित बाजार हिस्से अर्थात सरकारी खरीद को छोड़कर, पर भी विचार किया है। यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में खुले बाजार में मुख्य रूप से संबद्ध आयातों का प्रभुत्व है, जिसका घरेलू उद्योग में बहुत छोटा हिस्सा है। आधार वर्ष में आयात का बाजार हिस्सा जांच की अवधि में लिए गए हिस्से की तुलना में आधा था।

85. प्राधिकारी ने सरकारी खरीद खंड और खुले बाजार में घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में इच्छुक पक्षों की टिप्पणियों की जांच करने के बाद जहां तक संभव हो, दोनों खंडों का अलग-अलग विश्लेषण किया है। प्राधिकारी केवल उसी सीमा तक चिंतित हैं जहां तक यह घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित करता है और खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा करने वाले आयातों से परस्पर संबद्ध है। सरकारी खरीद बाजार संबद्ध आयातों से प्रभावित नहीं होता है।

86. जहां तक निरंतर क्षति न होने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने भी इसका दावा नहीं किया है। तथापि, घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद उस पर स्पष्ट रूप से प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि खुले बाजार में आयात का हिस्सा मूल जांच के आधार वर्ष में 9% से बढ़कर मूल जांच की जांचावधि में 12% हो गया है, जो वर्तमान जांच की अवधि में और बढ़कर 18% हो गया है।

II. कीमत प्रभाव

87. संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों की पहुंच कीमत से की गई है। प्राधिकारी इस तथ्य को नोट करते हैं कि विभिन्न पीसीएन से जुड़ी लागत और कीमत में अंतर मौजूद है। तथापि, प्राधिकारी ने कीमत कटौती और कीमत न्यूनीकरण एवं मूल्यह्रास के संदर्भ में कीमत प्रभाव की जांच करने के लिए भारित औसत पर विचार किया है।

क) कीमत कटौती

88. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों

की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती हुई है, अथवा इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का न्यूनीकरण करने अथवा कीमत वृद्धि रोकने के लिए, जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती। ऊपर बताए गए कारणों के लिए, प्राधिकारी ने बांग्लादेश से भी जूट सेकिंग क्लॉथ के लिए कीमत कटौती का निर्धारण किया है।

उत्पाद: हेसियन

संबद्ध देश: बांग्लादेश

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2020-21 (पाटित आयात)
1	आयात मात्रा	मी. टन	766	933	1,124	921	305
2	पहुँच कीमत	रु./मी. टन	82,075	66,382	50,600	1,12,435	1,10,756
3	बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	101	109	134	
4	कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	165	241	94	
5	कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
6	रेंज		20 -30	30 - 40	50 - 60	20 -30	20 -30

उत्पाद: सेकिंग

संबद्ध देश: बांग्लादेश

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2020-21 (पाटित आयात)
1	आयात मात्रा	मी. टन	1,766	7,013	17,506	23,115	19,616
2	पहुँच कीमत	रु./मी. टन	61,150	48,564	55,283	78,237	77,043
3	बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	106	115	128	
4	कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	253	252	128	
5	कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
	रेंज		10 – 20	30 - 40	30 – 40	10 - 20	10 - 20

उत्पाद: यार्न

संबद्ध देश: बांग्लादेश

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2020-21 (पाटित आयात)
1	आयात मात्रा	मी. टन	44,491	45,331	55,804	61,364	45,273
2	पहुँच कीमत	रु./मी. टन	63,619	44,245	39,117	88,506	87,824
3	बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	97	94	106	
4	कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	202	217	(167)	
5	कीमत कटौती	%	***	***	***	(***)	(***)
	रेंज		20 - 30	40 – 50	40 – 50	(10) - 0	(10) - 0

उत्पाद: हेसियन

संबद्ध देश: नेपाल

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2020-21 (पाटित आयात)
1	आयात मात्रा	मी. टन	12,366	14,697	21,860	32,304	25,792
2	पहुँच कीमत	रु./मी. टन	91,353	74,237	50,169	1,21,225	1,19,132
3	बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	101	109	134	
4	कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	213	416	143	
5	कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
	रेंज		10 -20	30 – 40	50 - 60	10 - 20	10 - 20

उत्पाद: सेकिंग

संबद्ध देश: नेपाल

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2020-21 (पाटित आयात)
1	आयात मात्रा	मी. टन	16,261	18,313	22,374	27,606	11,079
2	पहुँच कीमत	रु./मी. टन	67,077	44,663	34,879	85,956	85,283
3	बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	105	114	127	
4	कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	631	958	124	
5	कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
	रेंज		0 -10	40 - 50	50 – 60	0 - 10	0 - 10

उत्पाद: यार्न

संबद्ध देश: नेपाल

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2020-21 (पाटित आयात)
1	आयात मात्रा	मी. टन	5,475	3,583	3,269	6,937	6,862
2	पहुँच कीमत	रु./मी. टन	49,601	39,231	28,017	75,005	75,068
3	बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	97	94	105	
4	कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	127	155	34	
5	कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
	रेंज		30 – 40	40 - 50	60 -70	10 - 20	10 - 20

89. यह देखा जाता है कि पाटनरोधी शुल्क के बिना आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत से कम है और इसलिए घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। संबद्ध देशों के जूट उत्पादों और बांग्लादेश से जूट सेकिंग क्लॉथ दोनों के मामले में कीमत कटौती काफी सकारात्मक है।

ख) कीमत न्यूनीकरण एवं ह्रास

90. इस बात का आकलन करने के लिए कि क्या संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण/ह्रास कर रहे हैं और क्या इस तरह के आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी हद तक कम करना है अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और निवल बिक्री मूल्य की तुलना क्षति अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत के साथ की है,

और नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

क्रम सं.	विवरण (सरकारी खरीद सहित)	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि	जांच की अवधि (पाटित आयात)
1	घरेलू बिक्रियों की प्रति यूनिट बिक्रियों की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	103	110	127	
3	प्रति यूनिट बिक्री कीमत - घरेलू बिक्रियां	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	104	110	125	
5	पहुँच कीमत	रु./मी. टन	58,802	42,364	38,834	81,828	84,687

क्रम सं.	विवरण (केवल खुला बाजार)	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि	जांच की अवधि (पाटित आयात)
1	घरेलू बिक्रियों की प्रति यूनिट बिक्रियों की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	98	103	127	
3	प्रति यूनिट बिक्री कीमत - घरेलू बिक्रियां (उत्पाद शुल्क अथवा जीएसटी, जो भी लागू हो, को छोड़कर)	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	94	104	117	
5	पहुँच कीमत	रु./मी. टन	58,802	42,364	38,834	81,828	84,687

91. यह देखा जाता है कि क्षति अवधि के दौरान बिक्री की लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई है। बिक्री कीमत में वृद्धि लागत में वृद्धि की रेंज में ही है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत, बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत के स्तर से नीचे है। यह भी नोट किया जाता है कि जिस कीमत पर सामान का आयात किया जा रहा है, उसे देखते हुए यह संभावना है कि शुल्कों की समाप्ति से घरेलू उद्योग में कीमतों का न्यूनीकरण होगा।

III. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

92. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले कारकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार,

मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। प्राधिकारी ने विभिन्न तथ्यों और किए गए अनुरोधों पर विचार करते हुए वस्तुपरक रूप से क्षति मानदंडों की जांच की है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

93. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग

केवल खुला बाजार						
क्रम सं.	**विवरण**	**यूनिट**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**जांच की अवधि**
1	संस्थापित क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	100	100
2	उत्पादन मात्रा - विचाराधीन उत्पाद	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	103	107	93
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	103	107	93
4	घरेलू उद्योग की बिक्रियां (निर्यातों सहित)	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	103	107	93

94. यह नोट किया जाता है कि:

(i) घरेलू उद्योग की क्षमता लगातार बनी हुई है। भारतीय जूट उद्योग के सत्यापन के दौरान भारतीय जूट उद्योग की कुल क्षमता भी प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई थी। यह देखा जाता है कि उद्योग के पास कुल क्षमता भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ii) उत्पादन और बिक्री मानदंड भी क्षमता प्रवृत्तियों के समान एक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। तथापि, यह नोट किया जाता है कि क्षमता और उत्पादन में ऐसे स्थिर आंकड़े मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बाजार का एक बड़ा हिस्सा संबद्ध आयातों में रहता है, जो घरेलू उद्योग को अपनी क्षमता और अन्य मानदंडों को बढ़ाने से रोक रहा है।

(iii) जांच की अवधि में क्षमता उपयोग में काफी गिरावट आई है। वास्तव में, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग मूल जांच की जांचावधि में दर्ज उपयोग से केवल 10% अधिक है। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के पास बेकार क्षमता उपलब्ध है। यद्यपि क्षमता उपयोग में कुछ गिरावट मांग में गिरावट के कारण है, तथापि, आयातों में वृद्धि है जो घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।

(iv) जैसा कि उपर्युक्त पैरा में उल्लेख किया गया है, छः समर्थकों ने समर्थन दस्तावेजों के साथ प्राधिकारी के समक्ष सूचना प्रस्तुत की है। प्राधिकारी ने प्राप्त आंकड़ों का संज्ञान लिया है और इसका विश्लेषण किया है ताकि यह जांच की जा सके कि क्या इन समर्थकों के आंकड़े घरेलू उद्योग के आंकड़ों की तरह समान प्रवृत्ति दर्शाते हैं। छः समर्थकों की सूचना इस प्रकार है:

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
1	संस्थापित क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	100	100
2	उत्पादन मात्रा - विचाराधीन उत्पाद	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	101	100	80
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	101	100	81
4	घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	98	81	74

(v) यह देखा जाता है कि इस अवधि के दौरान अन्य उत्पादकों के लिए उपयोग में गिरावट आई है, यह भी देखा जाता है कि खुले बाजार में इन उत्पादकों की बिक्री में भी भारी गिरावट देखी गई है।

(vi) आईजेएमए के अपने दौरे के दौरान, प्राधिकारी ने पाया कि सरकारी खरीद के साथ-साथ खुले बाजार के लिए समर्पित मशीनरी है। सरकारी बाजार और खुले बाजार के लिए सेकिंग बैग हेतु समर्पित मशीनरी भी भिन्न है। यह नोट किया जाता है कि यदि भारतीय जूट मिलों के लिए खुले बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, तो खुले बाजार के लिए सामान के उत्पादन के लिए समर्पित मशीनरी भी उद्धृत हो जाएगी।

ख) भारतीय उद्योग की क्षमता और क्षमता का उपयोग

95. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने जांच की अवधि के लिए भारतीय उद्योग की क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग की भी जांच की है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

क्रम सं.	विवरण	क्षमता (मी. टन)	उत्पादन (मी. टन)	क्षमता उपयोग (%)
1	यार्न	1,20,000	61,300	51.08
2	सेकिंग	10,00,000	7,39,200	73.92
3	हेसियन	2,00,000	1,18,400	59.2

96. उपरोक्त जानकारी से, यह स्पष्ट है कि जो उत्पाद केवल खुले बाजार में समर्पित और बेचे जाते हैं अर्थात, यार्न और हेसियन फैब्रिक में सरकारी खरीद बाजार में बेचे जा रहे उत्पाद प्रकारों (बोरी बैग) की तुलना में काफी कम क्षमता का उपयोग स्तर होता है। इसलिए, प्राधिकरण नोट करता है, कि खुले बाजार में, जहां घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुएं आयात के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, उद्योग ने कम उपयोग दर्ज किया है।

ग) लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकदी प्रवाह

97. निवेश पर आय, ब्याज पूर्व और पश्चात लाभ/हानि, निवेश पर आय और क्षति अवधि के दौरान नकद लाभ नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

क्रम सं.	विवरण (सरकारी खरीद सहित)	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
1	पीबीटी - घरेलू बिक्रियां	रु./मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	117	109	96
2	कर पूर्व कुल लाभ- घरेलू बिक्रियां	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	120	118	87
3	नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	112	113	95
4	नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	104	91	67

क्रम सं.	विवरण (केवल सरकारी बाजार)	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
1	प्रति यूनिट पीबीटी - घरेलू बिक्रियां	रु./मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	150	74	200
2	कर पूर्व कुल लाभ(घरेलू बिक्रियां	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	156	83	164
3	नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	130	96	133
4	नियोजित पूंजी	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	120	153	145
5	नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	128	78	143

क्रम सं.	विवरण (सेकिंग की केवल खुले बाजार में बिक्रियां)	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
1	प्रति यूनिट पीबीटी - घरेलू बिक्रियां	रु./मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	57	180	70
2	कर पूर्व कुल लाभ- घरेलू बिक्रियां	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	59	142	67
3	नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	62	136	71

4	नियोजित पूंजी	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	120	91	122
5	नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	51	150	57

क्रम सं.	विवरण (सभी उत्पादों की केवल खुले बाजार में बिक्रियां)	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
1	प्रति यूनिट पीबीटी -घरेलू बिक्रियां	रु./मी. टन	***	(***)	***	(***)
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(6)	130	(124)
2	कर पूर्व कुल लाभ- घरेलू बिक्रियां	लाख रु.	***	(***)	***	(***)
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(6)	121	(105)
*** 3	नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	46	104	5
4	नियोजित पूंजी	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	111	112	140
5	नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	(***)
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	17	106	(38)

98. यह देखा जाता है कि:

(i) घरेलू उद्योग संबद्ध देशों पर शुल्क लगाए जाने के कारण अधिकतर अपने लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय को बनाए रखने में सक्षम रहा है।

(ii) इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग भी इन मानदंडों में अपने प्रदर्शन को बनाए रखने में सक्षम था, क्योंकि इसने कम कीमत वाले संबद्ध आयातों की लागत पर भी अपनी कीमतों को बनाए रखा था।

(iii) ब्याज पूर्व लाभ, नकद लाभ, निवेश पर आय ने समान प्रवृत्ति अपनाई है।

(iv) प्राधिकारी ने खुले बाजार और सरकारी खरीद के लिए अलग से लाभप्रदता का परिकलन भी किया है। तथापि, दोनों बाजारों के अलग-अलग विश्लेषण से पता चलता है कि ऊपर नोट की गईं प्रवृत्तियां सरकारी खरीद में प्राप्त की जा रही कीमतों के कारण हैं। तथापि, घरेलू उद्योग ने संबद्ध आयातों से अनुचित प्रतिस्पर्धा के कारण खुले बाजार में की जा रही बिक्री में लाभप्रदता में काफी गिरावट देखी है।

घ) मांग में बाजार हिस्सा

99. विचाराधीन उत्पाद की मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दिया गया है:

क्रम सं.	मांग (सरकारी बाजार सहित)	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी. टन	*** %	*** %	*** %	*** %

	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	106	107	105
2	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां	मी. टन	*** %	*** %	*** %	*** %
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	97	93	86
3	संबद्ध देश - आयात	मी. टन	7.23%	8.15%	10.58%	15.35%
4	अन्य देश - आयात	मी. टन	0.06%	0.01%	0.17%	0.78%
5	कुल मांग/खपत	मी. टन	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

क्रम सं.	**खुले बाजार में बाजार हिस्सा**	**यूनिट**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
1	घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी. टन	*** %	*** %	*** %	*** %
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	125	115	96
2	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां	%	*** %	*** %	*** *** %	*** %
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	78	56	50
3	संबद्ध देश - आयात	%	25.11%	32.99%	46.39%	51.49%
4	अन्य देश - आयात	%	0.19%	0.04%	0.76%	2.62%
क्रम सं.	**सरकारी खरीद में बाजार हिस्सा**	**यूनिट**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
1	घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी. टन	*** %	*** %	*** %	*** %
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	125	112	97
2	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां	%	*** %	*** %	*** %	*** %
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	91	76	93

100. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में खुले बाजार में संबद्ध आयातों का काफी हद तक प्रभुत्व रहा है। खुले बाजार में संबद्ध आयातों के हिस्से में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के साथ केवल गिरावट और छोटे हिस्से के साथ काफी वृद्धि हुई है। भारतीय उद्योग में अप्रयुक्त क्षमताओं की समस्या है है, तथापि, इसके साथ ही, क्षति अवधि के दौरान आयातों के बाजार हिस्से में 57% तक वृद्धि हुई है।

101. यह भी देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के पास भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है, जिसके बावजूद वह कम प्रयुक्त क्षमताओं पर प्रचालन करता आ रहा है।

ङ) रोजगार और उत्पादकता

102. घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित कर्मचारियों की संख्या का विश्लेषण, इसकी उत्पादकता निम्नानुसार दर्शाती है:

क्रम सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**जांच की अवधि**
1	कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	99	105	94

2	प्रति दिन उत्पादकता	मी. टन/दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	102	104	88

103. जांच की अवधि में रोजगार में गिरावट आई है। उत्पादन और कर्मचारियों की संख्या में गिरावट के साथ जांच की अवधि में प्रति दिन उत्पादकता में भी गिरावट आई है।

च) मालसूची

104. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

क्रम सं.	मालसूची	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	प्रारंभिक स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	92	85	68
2	अंतिम स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	92	73	75
3	औसत स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	92	79	71

105. घरेलू उद्योग के पास मालसूची के स्तर में वर्ष 2019-20 से गिरावट आई है।

छ) वृद्धि

106. बाजार हिस्से, क्षमता उपयोग, लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि खुले बाजार में जांच की अवधि में नकारात्मक रही है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग पर जांच की अवधि में दर्ज किए गए प्रतिकूल प्रभाव को वर्तमान में लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों के कारण नियंत्रित किया गया देखा जाता है।

ज) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

107. संबद्ध देशों से आयात कीमतों की जांच, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारक जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, आदि से पता चलता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत, क्षतिरहित और जांच की अवधि में बिक्री लागत से कम है। संबद्ध सामानों की मांग काफी बनी हुई है। आयातित सामानों की कीमत निवल बिक्री वसूली, उत्पादन लागत और घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से भी कम है।

झ) पाटन मार्जिन की मात्रा

108. संबद्ध देशों के विरुद्ध निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और कई निर्यातकों/उत्पादकों के लिए काफी है।

IV. क्षति मार्जिन/कम कीमत पर बिक्री

109. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा दी गई और जांच की अवधि के लिए प्रैक्टिसिंग एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देश से प्रत्येक पीसीएन की पहुँच कीमत की तुलना करने के लिए क्षति रहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षति रहित

कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यही व्यवहार यूटिलिटियों के साथ किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई असाधारण अथवा अनावर्ती व्यय उत्पादन लागत में नहीं लगाए जाते हैं। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियां तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) की पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किए गए अनुसार क्षति रहित कीमत निकालने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।

110 पहुंच कीमत और उपर्युक्त निर्धारित क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

क्रम सं.	विचाराधीन उत्पाद	पहुँच मूल्य (अमे. डॉ./मी. टन)	क्षतिरहित कीमत (अमे. डॉ./मी. टन)	क्षति मार्जिन (अमे. डॉ./मी. टन)	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन रेंज
क.	**बांग्लादेश**					
I.	**बांग्लादेश के नमूनाकृत उत्पादक/निर्यातक**					
1.	**बोगरा जूट मिल्स लिमिटेड**					
क.	जूट यार्न/ट्विन	***	***	(***)	(***)	(20) – (10)
ख.	सेकिंग बैग	***	***	(***)	(***)	(10) – 0
2.	**ए. एम. जूट इंडस्ट्रीज**					
क.	जूट यार्न/ट्विन	***	***	***	***	0 – 10
ख.	हेसियन फैब्रिक	***	***	***	***	10 – 20
3.	**हसन जूट मिल्स**					
क.	जूट यार्न/ट्विन	***	***	***	***	0 – 10
ख.	सेकिंग बैग	***	***	***	***	10 – 20
4.	**रानू एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड**					
क.	जूट यार्न/ट्विन	***	***	(***)	(***)	(30) – (20)
ख.	सेकिंग बैग	***	***	***	***	10 – 20
5.	**राबेया जूट मिल**					
क.	जूट यार्न/ट्विन	***	***	***	***	0 – 10
ख.	सेकिंग बैग	***	***	(***)	(***)	(10) – 0
ग.	हेसियन फैब्रिक	***	***	***	***	0 - 10
6.	**नवाटा जूट मिल्स लिमिटेड**					
क.	हेसियन फैब्रिक	***	***	***	***	20 – 30
7.	**मौना जूट मिल्स लिमिटेड**					
क.	जूट यार्न/ट्विन	***	***	***	***	10 – 20

8.	**अलीजान जूट मिल्स लिमिटेड**					
क.	जूट यार्न/ट्विन	***	***	***	***	0 -10
9.	**सोनाली अंश इंडस्ट्रीज लिमिटेड**					
क.	जूट यार्न/ट्विन	***	***	***	***	0 – 10
9क.	**सोनाली अंश इंडस्ट्रीज और अलीजान जूट मिल्स (एक समूह के रूप में)**					
क.	जूट यार्न/ट्विन	***	***	***	***	0 – 10
10.	**सिडलॉ टेक्सटाइल्स लिमिटेड**					
क.	जूट यार्न/ट्विन	***	***	***	***	10 – 20
11.	**सागर जूट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड**					
क.	जूट यार्न/ट्विन	***	***	***	***	0 – 10
11 क.	**सागर जूट स्पिनिंग मिल्स और सिडलॉ टेक्सटाइल्स (एक समूह के रूप में)**					
क.	जूट यार्न/ट्विन	***	***	***	***	0 – 10
12.	**नवाब अब्दुल मालेक जूट मिल्स (बांग्लादेश) लिमिटेड**					
क.	जूट यार्न/ट्विन	***	***	***	***	0 – 10
II.	**बांग्लादेश के गैर-नमूनाकृत लेकिन सहयोगी उत्पादक/निर्यातक**					
क.	जूट यार्न/ट्विन	***	***	***	***	0 – 10
ख.	सेकिंग बैग	***	***	***	***	10 – 20
ग.	हेसियन फैब्रिक	***	***	***	***	20 – 30
III.	**बांग्लादेश के असहयोगी/अवशिष्ट उत्पादक/निर्यातक**					
क.	जूट यार्न/ट्विन	***	***	***	***	10 - 20
ख.	सेकिंग बैग	***	***	***	***	10 - 20
ग.	हेसियन फैब्रिक	***	***	***	***	20 -30
ख.	**नेपाल**					
I.	**नेपाल के नमूनाकृत उत्पादक/निर्यातक**					
1.	**अरिहंत मल्टी फाइबर्स लिमिटेड**					
क.	जूट यार्न/ट्विन	***	***	***	***	0 – 10
ख.	सेकिंग बैग	***	***	***	***	0 – 10
ग.	हेसियन फैब्रिक	***	***	***	***	0 – 10
2.	**श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड**					
क.	जूट यार्न/ट्विन	***	***	(***)	(***)	(10) – 0
ख.	सेकिंग बैग	***	***	***	***	0 – 10
ग.	हेसियन फैब्रिक	***	***	***	***	10 – 20

2क.	**अरिहंत मल्टी-फाइबर और श्री रघुपति जूट मिल्स (एक समूह के रूप में)**					
क.	जूट यार्न/ट्विन	***	***	(***)	(***)	(10) - 0
ख.	सेकिंग बैग	***	***	***	***	0 – 10
ग.	हेसियन फैब्रिक	***	***	***	***	10 -20
II.	**नेपाल के गैर-नमूनाकृत लेकिन सहयोगी उत्पादक/निर्यातक**					
क.	जूट यार्न/ट्विन	***	***	(***)	(***)	(10) - 0
ख.	सेकिंग बैग	***	***	***	***	0 – 10
ग.	हेसियन फैब्रिक	***	***	***	***	10 -20
III.	**नेपाल के असहयोगी/अवशिष्ट उत्पादक/निर्यातक**					
क.	जूट यार्न/ट्विन	***	***	***	***	0 – 10
ख.	सेकिंग बैग	***	***	***	***	0 – 10
ग.	हेसियन फैब्रिक	***	***	***	***	10 – 20

छ. कारणात्मक संपर्क और अन्य कारक (गैर-आरोपण विश्लेषण)

111. प्राधिकारी ने जांच की कि क्या पाटनरोधी नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

क. पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और मूल्य

112. अन्य देशों से आयात मात्रा में काफी नहीं है अथवा उनकी कीमतें अधिक हैं।

ख. मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन

113. विचाराधीन उत्पाद की मांग में जांच की अवधि में गिरावट दर्ज की गई है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि मांग काफी बनी हुई है। विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में भी कोई परिवर्तन नहीं आया है।

ग. व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

114. कोई ज्ञात व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है।

घ. प्रौद्योगिकी में विकास

115. इस उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और न ही निकट भविष्य में कोई परिवर्तन होने की संभावना है।

ङ. निर्यात निष्पादन

116. आवेदक कंपनियां विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करती हैं। तथापि, उनकी निर्यात मात्रा काफी नहीं है। क्षति की सूचना को अलग कर दिया गया है और इसलिए, यह घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति के लिए जिम्मेदार कारक नहीं हो सकता।

क्षति की निरंतरता और कारण लिंक पर निष्कर्ष

117. उपर्युक्त विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए हैं:

क) नोट किया गया है कि एडीडी लागू होने के बावजूद विषय देशों से डंप किए गए आयातों की मात्रा महत्वपूर्ण बनी हुई है।

ख) डंप किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग के लिए मूल्य में कमी, मूल्य अवसाद और मूल्य दमन के कारण

प्रतिकूल मूल्य प्रभाव पड़ता है।

ग) घरेलू उद्योग को डंप किए गए आयातों की कीमतों के प्रभाव के संबंध में, यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में मामूली गिरावट आई है, जबकि विषय देशों से विषय वस्तुओं के आयात की बाजार हिस्सेदारी में काफी वृद्धि हुई है।

घ) यह भी नोट किया गया है कि आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में गिरावट आई है।

ङ) लाभप्रदता के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान लाभ, नकद लाभ और आरओसीई में मामूली गिरावट आई है।

ज. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना

118. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उसे कोई निरंतर क्षति नहीं हो रही है और पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में उसे क्षति होने की संभावना है। तदनुसार, यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने की अनुमति दी जाती है, तो प्राधिकारी ने पाटित आयातों के कारण पाटन जारी रहने और क्षति के बार-बार होने के संभावित परिदृश्य की जांच की है।

ज.1 घरेलू उद्योग के विचार

119. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और पाटन के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

(i) कम शुल्क वाले निर्यातकों के माध्यम से निर्यात भेजना एक मानदंड बन गया है। ऐसे निर्यातक अपनी क्षमताओं से अधिक संबद्ध उत्पाद का निर्यात करते आ रहे हैं, संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(ii) बांग्लादेश के निर्यात संवर्धन ब्यूरो के अनुसार, बांग्लादेश जूट उद्योग देश के लिए निर्यात आय के मामले में चौथे स्थान पर है तथा जूट यार्न और सुतली ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 41.61% तक निर्यात वृद्धि दर्ज की है। मूल जांच के बाद से इस विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप व्यापार उपायों पर प्रवंचना परिपाटियां, कई नई शिपर समीक्षाएं, बांग्लादेश सरकार का निरंतर हस्तक्षेप बांग्लादेश के उद्योग और उसकी सरकार के लिए उत्पाद तथा भारतीय बाजार की महत्ता दर्शाता है।

(iii) पर्याप्त भारतीय क्षमता और पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद आयात काफी बना हुआ है। निर्यातकों ने मौजूदा शुल्कों की प्रवंचना का भी प्रयास किया है।

(iv) निर्यातकों द्वारा कम क्षमताओं में चलने पर भी घरेलू उद्योग को अधिक क्षति पहुँचाए जाने की संभावना है। बांग्लादेश जूट मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा दिए गए बयानों के अनुसार, जो मिलें क्षमता से कम चल रही थीं, उनके क्षमता उपयोग में वृद्धि होने की संभावना है तथा वे वर्ष 2021 तक बुनाई और कताई के लिए क्षमता का विस्तार भी कर रही हैं।

(v) संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास काफी क्षमता उपलब्ध है और वे कम अवधि में उत्पादन बढ़ाने में भी सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त, निर्यातकों के पास काफी कम उपयोग की गई क्षमता है। मानक मानदंडों के आधार पर, यह देखा जाएगा कि जहां संस्थापित क्षमता 12,77,562 मीट्रिक टन है, उद्योग में 7,74,966 मीट्रिक टन की अतिरिक्त/अप्रचालित क्षमता है।

(vi) निर्यातकों के लिए भारतीय बाजार आकर्षक बना हुआ है, खासकर मांग में वैश्विक उछाल से उपहार क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में देखी गई है। उपहार क्षेत्र में खपत सीमित है, इस प्रकार, उत्पादन भी सीमित होता है। यह बांग्लादेश के अन्य जूट विविध जूट उत्पादों के निर्यात आंकड़ों से भी देखा जाएगा, कि निर्यात का कुल मूल्य केवल 24 करोड़ रुपये है, जिसकी विपरीत 8711 करोड़ रुपये के क्षेत्र में विचाराधीन उत्पाद की भारतीय मांग है।

(vii) आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। भारतीय बाजार कीमत के संदर्भ में आकर्षक है और अत्यधिक आकर्षक है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा बाजार है जिसमें विचाराधीन उत्पाद के लिए इतनी अधिक मांग है।

(viii) अगस्त, 2017 में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद, बांग्लादेश ने जूट उत्पादों पर अपनी नकद सब्सिडी को 7.5% से बढ़ाकर 10% कर दिया। सितंबर, 2018 में इसे 2% तक बढ़ाया गया था। बांग्लादेश सरकार द्वारा जूट उद्योग को नकद सब्सिडी/अनुदान और अन्य क्षेत्र-आधारित सब्सिडी निधियों के सीधे अंतरण के माध्यम से दी गई थी और इन प्रोत्साहनों से वे शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में और निर्यात कर पाएंगे।

(ix) बांग्लादेश ने पहले वर्ष 2011 में और फिर वर्ष 2014 में राष्ट्रीय जूट नीति शुरू की थी। कैबिनेट ने जूट की उचित कीमत; जूट उत्पादों का विविधीकरण; जूट मिलों का आधुनिकीकरण; जूट बाजार का विस्तार सुनिश्चित करते हुए गुणवत्ता के जूट के उत्पादन को दी गई प्राथमिकता के साथ मई, 2018 में 'राष्ट्रीय जूट नीति-2018' के प्रारूप को मंजूरी दी। इस नीति के तहत, सरकार जूट और जूट के सामानों की वैश्विक मांग के अनुरूप सार्वजनिक और निजी दोनों जूट मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए एक प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि बनाएगी। यह प्रोत्साहन के भाग के रूप में उद्यमियों के लिए कम ब्याज दर पर बैंक ऋण की व्यवस्था करेगी। जूट उद्योग को भी कृषि आधारित उद्योग घोषित किया जाएगा ताकि वह इन उद्योगों को दिए जाने वाले कर लाभ और राजकोषीय प्रोत्साहनों का लाभ उठा सके।

(x) संबद्ध देशों के घरेलू बाजारों में संबद्ध सामानों की आपूर्ति संबद्ध सामानों की मांग से काफी अधिक है और इसलिए संबद्ध सामानो के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा निर्यात के लिए उपलब्ध है। उत्पादकों के पास वर्तमान उत्पादन स्तरों पर भी काफी मालसूची है।

(xi) बांग्लादेश का जूट औद्योगिक क्षेत्र अत्यधिक निर्यातोन्मुख है और बांग्लादेश जूट स्पिनर्स एसोसिएशन के अनुसार, मिलें अपने निर्यात का लगभग 100% निर्यात करती हैं।

(xii) ब्राजील ने वर्ष 2016 में संबद्ध सामानों पर बांग्लादेश पर शुल्क बढ़ा दिया है, इस प्रकार, बांग्लादेश के निर्यातकों के लिए आज की तारीख में एक बाजार शुल्कों के कारण बंद है।

(xiii) बांग्लादेश जूट का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। कच्चे जूट का उत्पादन हमेशा बांग्लादेश में बाजार द्वारा अपेक्षित खपत से अधिक रहा है, और इसलिए, उत्पाद के लिए सबसे आवश्यक कच्चा माल, आगे, सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त, यह अनुमानित साक्ष्य है कि खपत में अपेक्षाकृत स्थिर स्थिति के बावजूद उत्पादन में लगातार वृद्धि होगी।

(xiv) जूट की खेती और इसके उत्पादों का निर्माण बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 5% और राष्ट्रीय रोजगार में लगभग 10-15% योगदान देता है। जूट के सामान और इसका निर्यात विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

(xv) भारत में 47 उत्पादक, जिन्होंने 5720 करोड़ रुपये रुपये से अधिक राशि का सामूहिक रूप से निवेश किया है (याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा नियोजित पूंजी पर विचार करते हुए) और 99,534 व्यक्तियों को रोजगार सीधे देता है (याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा रोजगार पर विचार करते हुए)। इस रोजगार में अप्रत्यक्ष रोजगार शामिल नहीं है।

(xvi) नेपाल में उत्पादकों के पास यथातथ्यतः केवल दो बाजार हैं - नेपाल और भारत। अतः, भारतीय बाजार पर अपने अधिशेष उत्पादन को बेचने के लिए एक उच्च निर्भरता और मजबूरी है, जिसकी वैश्विक स्तर पर मांग नहीं है।

(xvii) पिछले मामलों के इतिहास को देखते हुए, अर्थात, नई शिपर समीक्षाओं की एक श्रृंखला सहित बांग्लादेश के निर्यातकों द्वारा की गई प्रवंचना से इसकी संभावना सिद्ध हुई है। की गई 6 नई शिपर समीक्षाओं में से, 4 अलग-अलग पाटन मार्जिन के साथ की गईं थीं और दो में नई दरों की सिफारिश नहीं की गई थी।

(xviii) हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि क्षति और पाटन की संभावना का न होना सिद्ध करने के लिए घरेलू उद्योग का संघटन बदल गया है, एक अनुमान है और इसके लिए कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। दावा की गई क्षति समग्र रूप से घरेलू उत्पादकों पर आधारित प्रतिकूल प्रभाव है और पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में गहन क्षति की संभावना है।

(xix) आवेदक केवल यह दर्शाने के लिए बांग्लादेश सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों के प्रभाव को सामने ला रहा है कि प्रस्तावित समर्थन उपाय पाटित कीमतों पर काफी मात्रा में निर्यात जारी रखने के लिए पर्याप्त हैं जैसा

कि जांच की अवधि में आंकड़ों से सिद्ध है। निर्यात को प्रोत्साहित करने वाले ये समर्थन उपाय पाटन और क्षति के जारी रहने/बार-बार होने की संभावना के निर्धारण से सीधे तौर पर संबद्ध हैं।

(xx) जुलाई, 2020 में बीजेएमसी के तहत चलने वाली जूट इकाइयों को बंद कर दिया गया था, ये अनुरोध सही नहीं हैं। बांग्लादेश के दैनिक राष्ट्रीय "डेलीस्टार" में प्रकाशित लेख के अनुसार, बीजेएमसी के तहत चल रही जूट इकाइयों को बंद करना वे सार्वजनिक मिलें थीं, जिनका देश में कुल संस्थापित मिलों बहुत कम हिस्सा था। इस बंदी को इस उम्मीद के साथ सकारात्मक रूप से देखा गया कि उपयोग और उत्पादन में वृद्धि होगी और मौजूदा क्षमताओं को बढ़ाने की भी योजना थी। इस लेख में यह भी स्वीकार किया गया था कि उत्पादकों/निर्यातकों ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पाटन करना जारी रखा है, और प्राधिकारी को मीडिया में तथा मौखिक सुनवाई के दौरान इस तरह की स्पष्ट स्वीकारोक्ति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

(xxi) जूट उत्पादों के संदर्भ में अधिशेष क्षमता उपलब्ध है। कच्चे जूट की उपलब्धता अभी भी घरेलू खपत से अधिक है और इस प्रकार उत्पादन बढ़ने की संभावना है। भारत में वर्तमान आयात मात्रा ही क्षतिकारक है।

(xxii) यह तर्क दिया गया है कि कोई भी साक्ष्य/कानून/नियम नहीं बताता है कि किसी उद्योग की निर्यातोन्मुखता पर बढ़े हुए निर्यातों की संभावना का दोष जा सकता हो। निर्यातोन्मुखता को एकल आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए, उन्हें काफी अधिशेष क्षमताओं, कम उपयोग की गई क्षमता, सीमित घरेलू मांग के साथ उत्पादन और क्षमता बढ़ाने की योजनाओं के साथ देखा जाना चाहिए। इन कारकों के साथ उच्च निर्यातोन्मुखता यह दर्शाती है कि अधिशेष उत्पादन अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेचने का इरादा होगा, और इस तथ्य के साथ कि संबद्ध सामानों की सीमित वैश्विक मांग है और भारत एक महत्वपूर्ण बाजार है, भारतीय बाजार में आने वाले निर्यात की संभावना है।

(xxiii) यद्यपि बांग्लादेश सरकार द्वारा दिया गया समर्थन भारतीय बाजार की ओर लक्षित नहीं है, तथापि निर्यातकों द्वारा भारत को सस्ती कीमत पर सामान के निर्यात करने के लिए समर्थन का प्रयोग किया जा रहा है। अनुच्छेद 11.3 के तहत ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि सरकार की कार्रवाई विशेष रूप से भारत के विरुद्ध लक्षित हो।

(xxiv) जूट उत्पादों के संदर्भ में अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है। बांग्लादेश में कच्चे जूट की घरेलू उपलब्धता अभी भी घरेलू खपत से अधिक है और इस प्रकार, उत्पादन में वृद्धि की संभावना है। भारत में वर्तमान आयात मात्रा ही क्षतिकारक है।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

120. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां अथवा अनुरोध दायर किए हैं:

(i) मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन जारी रहने अथवा घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 (1ख) में परिकल्पित है और शुल्कों को समाप्त होने दिया जाना चाहिए।

(ii) पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना के बारे में याचिकाकर्ताओं के निर्धारण में पर्याप्त तथ्यात्मक आधार का अभाव है और उन्होंने मौजूदा शुल्कों को जारी रखने के एकमात्र उद्देश्य से केवल भ्रामक बयानों और अनुचित अनुमानों पर विश्वास किया है।

(iii) बांग्लादेश में उत्पादित जूट उत्पाद पूरी तरह से देश में उगाए जाने वाले कच्चे जूट से बनाए जाते हैं। जूट उत्पादों के उत्पादन और उसके निर्यात की मात्रा पूरी तरह से बांग्लादेश की वार्षिक जूट फसल पर निर्भर करती है। भूमि की कमी के कारण, देश में कच्चे जूट के उत्पादन के लिए भूमि का क्षेत्रफल पिछले 5 वर्षों के दौरान समान रहा है, इसलिए यह उत्पादन की मात्रा है और निकट भविष्य में बांग्लादेश में कच्चे जूट का उत्पादन बढ़ने का कोई संकेत नहीं है। देश में उगाए जाने वाले जूट की गुणवत्ता के कारण, बांग्लादेश के जूट उत्पादों की भारत सहित पूरे विश्व में भारी मांग है। इसके अतिरिक्त, वैश्विक मांग पैटर्न में किसी परिवर्तन के कोई संकेत नहीं हैं। अतः, संख्या में भारत को निर्यात में अचानक वृद्धि की कोई संभावना नहीं है, जिससे काल्पनिक रूप से भी बार-बार क्षति हो सकती है। इस संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा दिया गया तर्क

वास्तविकता को नहीं दर्शाता है।

(iv) वर्ष 2016 में ब्राजील द्वारा जूट बैग पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखना, जो वर्ष 1992 से लागू है, इन निर्यातों को भारत में अचानक मोड़ने और भारतीय उद्योग को पहुँचाने का कारण नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त, बांग्लादेश का ब्राजील को निर्यात समग्र रूप से बहुत कम है, क्योंकि उत्तरदाता ब्राजील को निर्यात नहीं करते हैं, यह सब इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि यह किसी भी महत्व का वास्तविक खतरा नहीं है।

(v) समीक्षा के बाद पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के लिए दो शर्तों की सकारात्मक संतुष्टि पाटन की संभावना; और क्षति की संभावना की आवश्यकता होगी। जबकि वापसी के लिए इसे केवल क्षति की संभावना पर नकारात्मक निष्कर्ष की आवश्यकता होगी।

(vi) याचिकाकर्ताओं ने पुष्टि की कि "घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन में सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति नहीं हुई है।" इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान कोई क्षति नहीं हुई है।

(vii) चूंकि याचिकाकर्ता सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर पाटन की संभावना के लिए एक उचित मामला बनाने में विफल रहे हैं, अतः इस भाग में उत्तरदाता यह अनुरोध करते हैं कि क्यों याचिकाकर्ता यह सिद्ध करने में विफल रहे हैं कि शुल्क वापस लेने से क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना होगी।

(viii) इस तथाकथित तथ्य से संबंधित याचिका द्वारा लाए गए क्षति विश्लेषण की संभावना से संबंधित सर्वप्रथम आधार कि बांग्लादेश सरकार जूट सामानों का निर्यात करने के लिए जूट उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु जूट उत्पादों को कर छूट, रियायत, अवकाश और निर्यात सब्सिडी के रूप में सहायता प्रदान करती आ रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए ये उपाय किए गए हैं। तथापि, याचिकाकर्ताओं द्वारा उल्लिखित किए गए अनुसार छूट, रियायत और अवकाश संबद्ध जूट उत्पादों पर लागू नहीं होते। यहां तक कि यदि ये संबद्ध जूट उत्पादों पर भी लागू होते, तो ये पाटन के लिए असंगत हैं और याचिका में यह स्पष्ट नहीं है कि ये समर्थन उपाय वर्तमान निर्णायक समीक्षा मामले में कैसे संगत हैं।

(ix) नकद सब्सिडी के संबंध में, आवेदक ने अनुरोध किया है कि जूट उत्पाद के लिए नकद सब्सिडी बढ़ाने का उद्देश्य भारत द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को निष्क्रिय करना था। इस तरह का खुला बयान इस तथ्य की अनदेखी करता है कि उद्योग अपने कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए निरंतर चुनौतियों का सामना कर रहा है और कई मामलों में अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है। अतः, बांग्लादेश सरकार निरंतर इस क्षेत्र को सहायताएं देती है और ये सहायताएं न केवल भारत को बल्कि सभी देशों को निर्यातों के लिए उपलब्ध हैं और इस तरह की सहायताएं लंबे समय से हैं। अतः, इस पर विचार करने का कोई कारण नहीं है कि वर्तमान निर्यात सब्सिडी योजना भारत द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को निष्क्रिय करने के लिए बनाई गई है।

(x) बांग्लादेश सरकार के विभिन्न सहायता उपायों को भारतीय बाजार से आगे निकलने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि पिछले कई वर्षों में कई उद्योगों के बंद होने और आंतरिक व्यवधानों को देखते हुए लाखों कामगारों एवं किसानों की आजीविका बचाने के उद्देश्य से इस क्षेत्र को स्थिर करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। बहुत से सहायता उपाय जो लागू हैं, प्रश्नगत पाटनरोधी शुल्क लगाने से पहले के हैं और किसी भी तरह से मौजूदा शुल्कों से संबद्ध नहीं हैं।

(xi) कुल मिलाकर, याचिकाकर्ताओं ने बांग्लादेश से अलग-अलग निर्यातकों के लिए सरकारी सहायता उपायों को शामिल किया प्रतीत होता है। ये सहायता उपाय सरकारी पहल हैं तथा किसी एक निर्यातक और इस प्रकार, उत्तरदाता उद्योग के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकती हैं। काल्पनिक रूप से कहें तो, भले ही इन सरकारी उपायों से भारतीय घरेलू उद्योग को कुछ हानि हुई हो (जो कि मामला नहीं है), यह क्षति विश्लेषण की संभावना के हिस्से के रूप में शुल्कों को जारी रखने का कानूनी आधार नहीं हो सकता है। प्रश्नगत सहायता पाटनरोधी शुल्कों से पूर्णतया असंबद्ध हैं।

(xii) याचिकाकर्ता ने बांग्लादेश में जूट उद्योग की स्थिति के अनुचित मूल्यांकन के माध्यम से बांग्लादेश से जूट उत्पादों के आयात में वृद्धि का डर पैदा किया है। सबसे पहले, यह सर्वविदित है कि बांग्लादेश विश्व में कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बांग्लादेश में उत्पादित कच्चे जूट की उच्च गुणवत्ता के कारण, बांग्लादेश के कच्चे जूट और जूट उत्पादों दोनों की विश्व भर में भारी मांग है। बांग्लादेश में उत्पादित जूट उत्पादों की मात्रा पूरी

तरह से देश में कच्चे जूट की उपलब्धता पर निर्भर करती है क्योंकि विश्व में कहीं से भी कच्चे जूट के आयात का कोई सवाल ही नहीं है। अतः जूट उत्पादों के उत्पादन में संभावित वृद्धि का आकलन देश में कच्चे जूट की उपलब्धता के आधार पर होना चाहिए। इस संदर्भ में प्राधिकारी बांग्लादेश में कच्चे जूट के उत्पादन की मात्रा की जांच करें।

(xiii) कुछ कंपनियों में अधिशेष क्षमता जूट उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि का निर्धारण कारक नहीं हो सकती। इसकी अपेक्षा, बांग्लादेश सरकार ने जुलाई, 2000 में बांग्लादेश जूट मिल कॉर्पोरेशन के तहत संचालित सभी जूट उद्योगों को बंद कर दिया है। अतः, जूट उत्पादों के आयात में वृद्धि की संभावना पर याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तर्क औचित्यपूर्ण नहीं हैं।

(xiv) याचिका में उल्लेख किया गया है कि चूंकि बांग्लादेश से आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य और लागत बिक्री से कम कीमत पर है, अतः यह संभावना है कि यदि शुल्क वापस ले लिये जाते हैं, तो बांग्लादेशी उत्पादक आक्रामक रूप से भारतीय बाजार को लक्ष्य बनाएंगे। उत्तरदाता आयातों के पहुंच मूल्य और बिक्री कीमत के सूचीकरण के परिकलन के संबंध में आंकड़ों में कम स्पष्टता के कारण इस तर्क पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(xv) याचिकाकर्ता यह समझने में विफल रहा है कि बांग्लादेशी जूट उद्योग भारतीय बाजार से अलग विकसित किया गया है। यहां तक कि जब शुल्क लागू थे, घरेलू जूट उद्योग के साथ उत्तरदाता के समग्र निर्यात में वृद्धि हुई है। अतः, प्रश्नगत पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की निर्यातक प्रकृति से संबद्ध नहीं है।

(xvi) बांग्लादेश के जूट उद्योग के आधुनिकीकरण के प्रयासों का वर्तमान मामले में संभावना विश्लेषण से कोई लेना-देना नहीं है।

(xvii) ऐसा कोई कारण नहीं दर्शाया गया है जिससे किसी को यह विश्वास हो सके कि निकट भविष्य में बांग्लादेश से निर्यात की कीमत में गिरावट आ सकती है तथा बांग्लादेश में वैश्विक परिदृश्य और स्थिति निकट भविष्य में कीमतों में और वृद्धि करने के लिए बहुत अनुकूल है। इसके विपरीत दावे सभी निराधार हैं।

(xviii) याचिका में पाटन और क्षति की संभावना के असमर्थित दावे शामिल हैं जिन्हें प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, निर्यातकों द्वारा भारी संख्या में उत्तर दायर किए गए हैं जो प्राधिकारी को क्षमता, क्षमता उपयोग, तीसरे देश के निर्यात, मालसूची आदि के संबंध में वास्तविक सूचना प्रदान करते हैं जो संभावना की जांच के संदर्भ में संगत हैं। यह सिद्ध होगा कि इस तरह की तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए याचिका में किए गए दावे औचित्यपूर्ण नहीं हैं।

(xix) घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए साक्ष्य अद्यतन जांच की अवधि के लिए नकारात्मक कीमत कटौती दर्शाते हैं।

(xx) याचिका में नेपाल के लिए भारत को एकमात्र निर्यात बाजार उल्लिखित किया गया है क्योंकि घरेलू उद्योग को क्षति के बार-बार होने की संभावना एकमात्र कारक है यदि इसके विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क बंद कर दिये जाते हैं। उत्तरदाताओं का अनुरोध है कि भारत नेपाल के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार होने के नाते अच्छी तरह से सुस्थापित है। तथापि, केवल यह तथ्य कि भारत एक महत्वपूर्ण बाजार है, अपने आप में क्षति के बार-बार होने की संभावना को दर्शाने वाला कारक नहीं हो सकता है। बल्कि, इसे किसी अन्य महत्वपूर्ण कारक के साथ जोड़ा जाना चाहिए जो एक साथ क्षति पहुंचाने में सक्षम हैं। ऐसा कोई अन्य कारक नहीं है क्योंकि कीमत कटौती भी नकारात्मक है।

(xxi) नेपाल के संबंध में, घरेलू उद्योग द्वारा लिखित अनुरोध में किया गया एकमात्र अनुरोध यह है कि नेपाल से आयातों में वृद्धि हुई है। ततापि, केवल हेसियन फैब्रिक और सेकिंग बैग के संबंध में आयात में वृद्धि हुई है। यह घरेलू उत्पादकों द्वारा पर्याप्त मात्रा में समान वस्तु, विशेष रूप से सेकिंग बैग के उत्पादन में आने वाली बाधाओं और सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण है जो घरेलू उत्पादकों को खुले बाजार में बेचने से रोकता है। इससे प्रयोक्ताओं को नेपाल से संबद्ध सामानों का आयात करना अनिवार्य हो गया है।

(xxii) जब घरेलू उद्योग केवल बांग्लादेश से आयातों से परेशान होता है, और मामले की पृष्ठभूमि को देखते हुए, जिसमें विभिन्न प्रवंचनारोधी और नई शिपर समीक्षा जांच शामिल हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि आयात

प्रतिस्पर्धा का सामना केवल बांग्लादेश से किया जा रहा है। ऐसे कोई तथ्य नहीं हैं जो नेपाल से आयातों के कारण क्षति के बार-बार होने की संभावना को दर्शाते हों।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

121. वर्तमान जांच बांग्लादेश और नेपाल से संबद्ध सामानों के आयात पर लगाए गए शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के तहत, प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या मौजूदा शुल्कों की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।

122. प्राधिकारी के ध्यान में लाए गए सभी कारकों की जांच यह निर्धारित करने के लिए की गई है कि क्या शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है। प्राधिकारी ने पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न सूचनाओं पर विचार किया है।

123. बांग्लादेश और नेपाल के संबंध में जूट उत्पादन के आपूर्ति और मांग के आंकड़ों से संबंधित कुछ आंकड़ों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में, यह दोहराया जाता है कि प्राधिकारी ने रिपोर्ट का संज्ञान नहीं लिया है।

124. प्राधिकारी ने धारा 9क(5) के तहत निर्धारित अपेक्षा, पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 और अनुबंध-II (vii) के संदर्भ में वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मापदंडों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में लाए गए अन्य संगत कारकों पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना की जांच की है, जो निम्नानुसार है:

(i) भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की अधिक दर जिससे आयातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।

(ii) निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य, अथवा आसन्नवर्ती, पर्याप्त वृद्धि जिनसे किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पाटित निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।

(iii) क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं, जिनसे घरेलू कीमतों पर काफी ह्रासमान अथवा न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा तथा इनसे अधिक उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना होगी और

(iv) उस वस्तु की मालसूची की जांच की जा रही हो।"

125. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने अन्य संगत कारकों की भी जांच की है जो घरेलू उद्योग को पाटन जारी रखने अथवा बार-बार होने की संभावना तथा परिणामस्वरूप क्षति पर प्रभाव डालते हैं। संभावना के मापदंडों की जांच इस प्रकार है:

i. संबद्ध सामानों का निरंतर पाटन और मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचनारोधी।

126. पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद संबद्ध देशों के कुछ उत्पादकों/निर्यातकों से संबद्ध सामानों का पाटन जारी रहा है। आयातों की मात्रा भी पूर्ण दृष्टि से और सापेक्ष दृष्टि से काफी बनी रही है। यह भी नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद बांग्लादेश से सैकिंग क्लॉथ के आयात की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है, जिसके कारण सेकिंग क्लॉथ पर शुल्क में वृद्धि हुई है। बांग्लादेश के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा जिस तरह से प्रवंचना की गई, वह नोट करने योग्य है, क्योंकि सेकिंग क्लॉथ से सेकिंग बैग बनाने की उत्पादन प्रक्रिया में केवल तीन तरफ से कपड़े की सिलाई की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, उत्पादकों ने भारतीय जूट बाजार में अपनी उपस्थिति बनाए रखी है।

127. नीचे दी गई तालिका घरेलू उद्योग द्वारा सेकिंग क्लॉथ के उत्पादन के आंकड़े दर्शाती है।

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	सेकिंग क्लॉथ	मी. टन	***	***	***	***

	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	114	184	41
2	उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	मी. टन	100	102	106	93
3	सेकिंग क्लॉथ का हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	111	173	44

128. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा सेकिंग क्लॉथ का उत्पादन इसके कुल उत्पादन की तुलना में बहुत कम है। तथापि, बांग्लादेश से आने वाले सेकिंग क्लॉथ का आयात कुल आयात का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिशत है। अगर भारतीय बाजार में सेकिंग क्लॉथ की इतनी अधिक मांग होती तो घरेलू उद्योग सेकिंग क्लॉथ का निर्माण और बिक्री इसी तरह से करता। तथापि, स्थिति ऐसी नहीं है। इससे पता चलता है कि बांग्लादेश से उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा निर्यात किया जा रहा सेकिंग क्लॉथ और कुछ नहीं बल्कि सेकिंग बैग का एक अंतिम रूप है और विचाराधीन उत्पाद का एक रूप है जिसका सहारा मौजूदा पाटनरोधी जांच को रोकने के लिए लिया जा रहा है। प्राधिकारी ने बांग्लादेश[24] से संबंधित अपने प्रवंचना-रोधी परिणामों में भी इसे सिद्ध किया था।

ii. बांग्लादेश और नेपाल में अधिशेष क्षमताएं

129. संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास अधिशेष क्षमताओं के संबंध में सूचना नीचे दी गई है। प्राधिकारी ने क्षति की संभावना की जांच करने के लिए नमूनाकृत और गैर-नमूनाकृत उत्पादकों/निर्यातकों के लिए जांच की अवधि हेतु सूचना की अलग-अलग जांच की है।

बेकार क्षमता	क्षमता	उत्पादन	क्षमता उपयोग	भारतीय मांग के % के रूप में बेकार क्षमता	भारतीय मांग के % के रूप में बेकार क्षमता
	मी. टन	मी. टन	%	%	रेंज
बांग्लादेश					
नमूनाकृत	***	***	***	***	0-10
गैर-नमूनाकृत	***	***	***	***	20-30
कुल	***	***	***	***	20-30
नेपाल					
नमूनाकृत	***	***	***	***	0-10
गैर-नमूनाकृत	***	***	***	***	0-10
कुल	***	***	***	***	0-10

स्रोतः ईक्यूआर

130. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में नमूनाकृत उत्पादक/निर्यातकों की क्षमता का लगभग ***% और बांग्लादेश के गैर-नमूनाकृत उत्पादक/निर्यातकों की क्षमता का ***% बेकार था। नेपाल के मामले में, यह देखा जाता है कि नमूनाकृत निर्यातकों की क्षमता की लगभग ***% और गैर-नमूनाकृत निर्यातकों की क्षमता की ***% क्षमता बेकार पड़ी थी।

[24] बांग्लादेश से जूट सेकिंग बैगों के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की तथाकथित प्रवंचना के संबंध में प्रवचंनारधी जांच में अंतिम जांच परिणाम दिनांक 19 मार्च, 2019 (फा.सं. 7/3/2018-डीजीएडी)।

131. बांग्लादेश में कच्चे जूट सामग्री की सीमित उपलब्धता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

132. ब्राजील ने वर्ष 2016 में बांग्लादेश से संबद्ध सामानों पर शुल्क बढ़ा दिया है। इस प्रकार, बांग्लादेश के निर्यातकों के लिए एक बाजार शुल्कों के कारण बंद रहा है। यह स्पष्ट रूप से इस बात की भी पुष्टि करता है कि बांग्लादेश ने भारत में बड़ी मात्रा में पाटित आयातों का निर्यात क्यों जारी रखा है। ब्राजील ने अब निर्णायक समीक्षा शुरू की है, जो पहली बार वर्ष 1992 में लागू की गई थी।

iii. बाजार हिस्सा और आयात का ऐतिहासिक विश्लेषण

133. प्राधिकारी ने मूल जांच के आधार वर्ष से वर्तमान जांच की अवधि तक आयातों की मांग में बाजार हिस्से का विश्लेषण किया है। सरकारी खरीद के लिए बाजार और इसे छोड़कर दोनों पर विचार करते हुए इसका विश्लेषण किया गया है।

मूल जांच के बाद से आयात की मात्रा और बाजार हिस्सा (सरकारी खरीद सहित)

क्रम सं.	वर्ष	आयात	मांग	हिस्सा
1	2011-12	1,26,108	14,32,360	8.80%
2	2012-13	1,85,833	14,92,084	12.45%
3	2013-14	1,63,443	14,69,694	11.12%
4	2014-15	1,72,709	14,78,961	11.68%
5	2014-15	76,520	12,76,947	5.99%
6	2015-16	92,227	12,79,758	7.21%
7	2016-17	60,428	11,55,241	5.23%
8	2017-18	1,34,433	12,79,644	10.51%
9	2017-18	1,33,495	11,78,706	11.33%
10	2018-19	1,24,948	11,40,443	10.96%
11	2019-20	1,72,517	12,03,483	14.33%
12	2020-21	1,86,499	10,20,490	18.28%

मूल जांच के बाद से आयात की मात्रा और बाजार हिस्सा (सरकारी खरीद को छोड़कर)

क्रम सं.	वर्ष	आयात	मांग	सरकारी	निवल मांग	हिस्सा	
						सकल	सरकारी को छोड़कर
1	2011-12	1,26,108	14,32,360	7,95,475	6,36,885	8.80%	20%
2	2012-13	1,85,833	14,92,084	9,95,086	4,96,998	12.45%	37%
3	2013-14	1,63,443	14,69,694	6,84,658	7,85,036	11.12%	21%

4	2014-15	1,72,709	14,78,961	6,91,300	7,87,661	11.68%	22%
5	2014-15	76,520	12,76,947	6,91,300	5,85,647	5.99%	13%
6	2015-16	92,227	12,79,758	8,10,123	4,69,635	7.21%	20%
7	2016-17	60,428	11,55,241	8,61,229	2,94,012	5.23%	21%
8	2017-18	1,34,433	12,79,644	7,99,583	4,80,061	10.51%	28%
9	2017-18	1,33,495	11,78,706	7,99,583	3,79,123	11.33%	35%
10	2018-19	1,24,948	11,40,443	8,42,793	2,97,650	10.96%	42%
11	2019-20	1,72,517	12,03,483	7,72,157	4,31,326	14.33%	40%
12	2020-21	1,86,499	10,20,490	6,80,064	3,40,426	18.28%	55%

134. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद संबद्ध देशों से आयातों में काफी वृद्धि हुई है। यह उम्मीद की जाती है कि किसी व्यापार उपचारात्मक उपाय के परिणाम और विशेष रूप से, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से आयात की मात्रा को उस स्थिति में कम नहीं किया जा सकता, जहां देश में पर्याप्त क्षमताएं हों। तथापि, इस जांच में वही परिणाम नहीं रहा है। अतः प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपनाई गई स्थिति से असहमत हैं कि उपायों को लागू करने से संबद्ध निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह सिद्ध है कि खुले बाजार में बांग्लादेश और नेपाल का हिस्से जांच की अवधि में 55% तक पहुंच गया है। मूल जांच के आधार वर्ष और मूल जांच की जांचावधि की तुलना में काफी वृद्धि हुई है, जिसमें हिस्सा क्रमशः 20% और 13% था।

iv. निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश सरकार के प्रयास

135. बांग्लादेश के लिए जूट क्षेत्र का महत्व सर्वविदित है और बांग्लादेश सरकार द्वारा इसे स्वीकार किया गया है। जूट क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण उद्योग रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि बांग्लादेश को कच्चे जूट की प्रचुरता के साथ-साथ कच्चे जूट की बेहतर गुणवत्ता की प्रचुरता का एक अंतर्निहित लाभ है। यह लाभ स्वाभाविक रूप से और भौगोलिक रूप से बांग्लादेश के पास है। इसके अतिरिक्त, एक प्राकृतिक लाभ होने के कारण, बांग्लादेश सरकार जूट उत्पादों के उत्पादकों/निर्यातकों को विभिन्न सहायता उपायों की पेशकश करती है जो निर्यात को प्रोत्साहित करते हैं।

136. बांग्लादेश सरकार अपने जूट उत्पादों के निर्यात पर 7.5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत के बीच कहीं भी नकद सब्सिडी देती है, जैसा कि बांग्लादेश सरकार ने स्वीकार किया है। जबकि निर्यात के लिए नकद सब्सिडी अपने आप में जूट के लिए निर्यात बाजारों के महत्व को दर्शाती है, इस मामले में यह विशिष्ट है कि जिस तरह से इस नकद सब्सिडी का उपयोग भारतीय बाजार की ओर निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया गया था। नीचे दी गई तालिका संगत वर्षों में प्रत्येक उत्पाद किस्म के लिए उपलब्ध नकद सब्सिडी का प्रतिशत दर्शाती है:

क्रम सं.	**अवधि**	**नकद सब्सिडी**	
		यार्न	**सेकिंग बैग और हेसियन फैब्रिक**
1	2015	5	7.5
2	2016	5	7.5
3	जनवरी, 2017	मूल जांच के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा लगाए गए शुल्क	
4	2017	5	10

5	मार्च, 2018	प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई प्रवंचना जांच	
6	अगस्त, 2018	7	12

137. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाता है कि वित्त मंत्रालय द्वारा शुल्क लगाए जाने पर नकद सब्सिडी की दर में वृद्धि हुई है। प्रवंचना जांच शुरू करने पर इन दरों में और अधिक वृद्धि हुई थी। परिणामस्वरूप, यह देखा गया कि सेकिंग क्लॉथ के आयात में गिरावट आई और सेकिंग बैग का आयात फिर से शुरू हो गया। प्राधिकारी दो घटनाओं को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जांच की गई थी, उसमें किसी भी परिवर्तन से नकद सब्सिडी की दरों के स्वरूप को सीधे ही प्रभावित किया गया देखा गया था।

138. इसके अतिरिक्त, यह दर्शाया गया है कि बांग्लादेश सरकार ने इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए एक कोष बनाने के उद्देश्य से 'राष्ट्रीय जूट नीति 2018' तैयार की है। इस प्रकार, ये प्रोत्साहन और योजना केवल बांग्लादेश में निर्यातकों की निर्यातोन्मुखता को ही बढ़ावा देते हैं।

v. निर्यातोन्मुखता

139. संबद्ध देशों में उत्पादकों की निर्यातोन्मुखता के संबंध में सूचना नीचे दी गई है। प्राधिकारी ने क्षति की संभावना की जांच करने के लिए जांच की अवधि के लिए सूचना की जांच की है।

निर्यातोन्मुखता	**उत्पादन**	**निर्यात**	**निर्यातोन्मुखता**	**भारतीय मांग के % के रूप में निर्यातोन्मुखता**	
	मी. टन	**मी. टन**	**%**	**%**	**रेंज**
बांग्लादेश					
नमूनाकृत	***	***	***	***	9-10
गैर-नमूनाकृत	***	***	***	***	22-23
कुल	***	***	***	***	**30-40**
नेपाल					
नमूनाकृत	***	***	***	***	0-10
गैर-नमूनाकृत	***	***	***	***	0-10
कुल	***	***	***	***	**0-10**

स्रोतः ईक्यूआर

140. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों में उत्पादक अपने उत्पादन के एक बड़े हिस्से का उपयोग निर्यात प्रयोजनों के लिए कर रहे हैं। शुल्क की समाप्ति की स्थिति में, यह संभावना है कि भारतीय बाजार की आकर्षकता को देखते हुए इन निर्यातों को भारत की ओर मोड़ दिया जाएगा।

vi. बाजार में निर्यातकों की लगातार मौजूदगी और घरेलू उद्योग की भेद्यता

141. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का पाटित और क्षतिकारक कीमतों पर आयात न केवल जारी है, बल्कि किसी एक या अन्य रूप में काफी भी बना हुआ है। प्रवंचनारोधी जांच में प्राधिकारी ने पाया कि सेकिंग क्लॉथ के निर्यात के माध्यम से बांग्लादेश से शुल्क की प्रवंचना के कारण शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव को कम किया गया था। प्राधिकारी प्रवंचनारोधी जांच से संबंधित अंतिम जांच परिणाम को देखते हैं, जिसमें प्राधिकारी ने बांग्लादेशी निर्यातकों द्वारा पाटनरोधी शुल्क में प्रवंचना सिद्ध की थी।

142. बांग्लादेश से बांग्लादेश के निर्यातकों/उत्पादकों के लिए भारतीय बाजार का महत्व भी प्राधिकारी द्वारा की गई

नई शिपर जांचों की संख्या से भी सिद्ध है। यह निर्यातक द्वारा कम/शून्य शुल्क प्राप्त करने और बाजार में अपनी मौजूजगी बनाए रखने के लिए तैयार किया गया एक अन्य तंत्र था।

vii. तीसरे देश से पाटन

143. प्राधिकारी ने तीसरे देशों को उनके निर्यात में पाटन मार्जिन का निर्धारण करके निर्यातकों के संभावित व्यवहार का निर्धारण किया है।

144. बांग्लादेश में नमूनाकृत उत्पादकों/निर्यातकों के लिए तीसरे देश के पाटन के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

	पाटित कीमतों पर तीसरे देशों को निर्यात	तीसरे देशों को कुल निर्यात	पाटित कीमतों पर अन्य देशों को निर्यात		भारतीय मांग के % के रूप में पाटित कीमतों पर निर्यात	
	मी. टन	मी. टन	%	रेंज	%	रेंज
नमूनाकृत	***	***	***	60-70	***	0-10
गैर-नमूनाकृत	***	***	***	50-60	***	0-10
कुल	***	***	***	50-60	***	0-10

स्रोतः ईक्यूआर

145. यह देखा जाता है कि बांग्लादेश के उत्तरदाता नमूनाकृत और गैर-नमूनाकृत उत्पादक/ निर्यातकों के तीसरे देशों को निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पाटित कीमतों पर है। तीसरे देशों को ये पाटित निर्यात कुल भारतीय मांग का 9.76% दर्शाएंगे।

viii. तीसरे देश के क्षतिकारक निर्यात

146. प्राधिकारी ने तीसरे देश के क्षतिकारक निर्यातों की जांच की है और संबद्ध सामानों की पहुंच कीमत (तीसरे देशों से) की तुलना न्यूनतम मूल्य वाले पीसीएन के क्षतिरहित कीमत के साथ करते हुए एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाया है। तीसरे देश के क्षतिकारक निर्यातों के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

	क्षतिकारक कीमत पर अथवा उससे कम पर अन्य देशों को निर्यात	तीसरे देशों को कुल निर्यात	क्षतिकारक कीमत पर अथवा उससे कम पर अन्य देशों को निर्यात		भारतीय मांग के % के रूप में क्षतिकारक कीमत पर अथवा उससे कम पर अन्य देशों को निर्यात	
	मी. टन	मी. टन	%	रेंज	%	रेंज
नमूनाकृत	***	***	***	70-80	***	0-10
गैर-नमूनाकृत	***	***	***	60-70	***	10-20
कुल	***	***	***	60-70	***	10-20

स्रोतः ईक्यूआर

147. यह देखा जाता है कि बांग्लादेश के उत्तरदाता नमूनाकृत और गैर-नमूनाकृत उत्पादक/निर्यातकों का तीसरे देशों को महत्वपूर्ण निर्यात उन कीमतों पर हैं जो उन्हें भारत में भेजे जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारक हो सकते हैं।

ix. भारतीय बाजार की मूल्य आकर्षकता

148. मूल्य आकर्षकता के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

	भारत में एनएसआर से कम पर अन्य देशों को निर्यात	तीसरे देशों को कुल निर्यात	भारत से कम कीमत पर अन्य देशों को निर्यात (एनएसआर)		भारतीय मांग के % के रूप में भारत से कम कीमत पर अन्य देशों को निर्यात	
	मी. टन	मी. टन	%	रेंज	%	रेंज
नमूनाकृत	***	***	***	50-60	***	0-10
गैर-नमूनाकृत	***	***	***	80-90	***	10-20
कुल	***	***	***	80-90	***	10-20

149. यह देखा जाता है कि बांग्लादेश के उत्तरदाता नमूनाकृत और गैर-नमूनाकृत उत्पादक/ निर्यातकों का तीसरे देशों को निर्यातों का महत्वपूर्ण हिस्सा भारत में प्रचलित कीमतों से कम कीमतों पर है।

झ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

150. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एंटी-डंपिंग ड्यूटी का उद्देश्य, सामान्य रूप से, डंपिंग की अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को होने वाली चोट को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति स्थापित की जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। एंटी-डंपिंग उपाय की निरंतरता का उद्देश्य किसी भी तरह से विषय देशों से आयात को प्रतिबंधित करना नहीं है। प्राधिकरण मानता है कि एंटी-डंपिंग शुल्क जारी रखने से भारत में उत्पाद के मूल्य स्तर प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि एंटी डंपिंग उपाय लागू होने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, एंटी-डंपिंग उपाय की निरंतरता यह सुनिश्चित करेगी कि डंपिंग अभ्यास से कोई अनुचित लाभ प्राप्त न हो और घरेलू उद्योग की गिरावट को रोका जा सके और विषय वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिल सके।

151. प्राधिकारी ने विचार किया कि क्या एंटी-डंपिंग जारी रखने से जनता के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए, प्राधिकरण ने भारतीय बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता पर शुल्कों की निरंतरता के प्रभाव, उत्पाद के उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ घरेलू उद्योग पर प्रभाव और बड़े पैमाने पर आम जनता पर प्रभाव को तौला। यह निर्धारण वर्तमान जांच के दौरान प्रस्तुत प्रस्तुतियों और साक्ष्यों पर आधारित है।

152. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी इच्छुक पक्षों से विचार आमंत्रित करते हुए दीक्षा अधिसूचना जारी की। प्राधिकरण ने प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संघों के लिए उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के किसी भी संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है। तथापि, इच्छुक पाटनरोधी पाटनों में से किसी भी पक्ष ने अपने प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की है।

153. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा अपनी प्रस्तुतियों में की गई प्रस्तुतियों पर इस संबंध में विचार किया गया है। जहां तक उपभोक्ता उद्योग द्वारा निर्धारित शुल्क के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकरण नोट करता है कि वर्तमान जांच एक सूर्यास्त समीक्षा जांच है, और इसलिए, भविष्य में उपभोक्ताओं पर प्रस्तावित शुल्कों के प्रभाव पर विचार करने से पहले, प्राधिकरण को पहले लगाए गए शुल्क के प्रभाव पर विचार करना चाहिए। ऐसी स्थिति में जहां एंटी-डंपिंग ड्यूटी चार साल से अधिक समय से लागू है, उत्पाद की कीमत में वृद्धि (कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के लिए उचित समायोजन के बाद) और उसी का प्रभाव उपभोक्ताओं पर प्रस्तावित शुल्क के संभावित प्रभाव का सबसे अच्छा संकेतक है। शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू और आयातित उत्पाद के मूल्य में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस प्रभाव का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग अथवा बांग्लादेशी/नेपाली उत्पादकों द्वारा उत्पाद के मूल्य में कोई भौतिक वृद्धि नहीं की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतों में कोई भी वृद्धि उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुरूप रही है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि पीओआई में घरेलू उद्योग के निवेश पर रिटर्न में काफी गिरावट आई है।

154. प्राधिकरण नोट करता है कि भारतीय पटसन उद्योग देश के लिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से दोनों प्रकार से महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल राज्य में जूट मिलों को बड़े पैमाने पर एक जिले अर्थात् उत्तर 24 परगना में रखा गया है। इस जिले के लोग बड़े पैमाने पर जिले के आसपास की जूट मिलों द्वारा नियोजित हैं। परिवारों की पूरी आजीविका और जीविका जूट मिलों पर निर्भर है। इसलिए, जूट मिलों के प्रदर्शन पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव तुरंत श्रमिकों और उनके परिवारों की आजीविका को प्रभावित करता है। यह सूचित किया गया है कि भारतीय पटसन उद्योग लगभग 4 लाख कामगारों को रोजगार प्रदान करता है और इसलिए, यह कामगार ही होंगे जो किसी भी उपाय का प्रभाव वहन करेंगे जिससे पटसन उद्योग में गिरावट आएगी।

155. भारतीय पटसन उद्योग का एक अधिक महत्त्वपूर्ण हिस्सा कच्चे पटसन किसान हैं। भारतीय जूट उद्योग जुड़ा हुआ है और इसका सीधा असर 40 लाख किसानों की आजीविका पर पड़ रहा है। यह निर्विवाद है कि कच्चा जूट देश की अर्थव्यवस्था, किसानों की आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और मूल रूप से पैकेजिंग उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत माना जाता है। यह स्वीकार किया जाता है कि जूट पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 जूट किसानों को एक सुनिश्चित बाजार प्रदान करने के लिए प्रख्यापित किया गया था, और इस प्रकार, जूट मिलों को केवल घरेलू कच्चे जूट की खरीद को अनिवार्य करके उस बाजार में बिक्री के लिए उत्पादन सुविधाओं को समर्पित करने की आवश्यकता थी। तथापि, प्राधिकरण द्वारा यह सत्यापित किया गया है कि व्यावहारिक रूप से सभी पटसन मिलों ने खुले बाजार में भी उपभोग के लिए निर्धारित वस्तुओं के समानांतर उत्पादन सुविधाएं विकसित की हैं। इसके अलावा, ये उत्पादन सुविधाएं विभिन्न बाजार खंडों में जाने वाले उत्पादों के लिए बड़े पैमाने पर समर्पित हैं, और ऊपर उल्लेख किया गया है कि खुले बाजार में बेचे जा रहे उत्पादों के लिए विकसित उत्पादन सुविधाओं का उपयोग भारत सरकार द्वारा खरीदे गए सामानों के उत्पादन के लिए नहीं किया जा सकता है।

156. इसके अलावा, भारत में उगाए जाने वाले कच्चे जूट का लगभग 25% उच्च श्रेणी का है जिसका उपयोग केवल फाइन यार्न और हेसियन फैब्रिक के उत्पादन के लिए किया जाता है, अर्थात खुले बाजार में बेचे जा रहे उत्पाद। इन उत्पादों में एक उच्च आरामदायक है, बेहतर मूल्य प्राप्त करते हैं और पैकेजिंग उत्पादों जैसे चाय, कॉफी के लिए बैग और शॉपिंग बैग, फर्निशिंग सामग्री, सजावटी कपड़े आदि में बेहतर उपयोग करते हैं। इसलिए, यह ध्यान दिया जाता है कि यदि खुले बाजार को असुरक्षित छोड़ दिया जाता है और अनुचित कीमतों पर डंप किए गए आयात के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, तो भारतीय जूट मिलें अव्यावहारिक हो जाएंगी। इससे कच्चे जूट किसानों को बाजार का नुकसान होगा और उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्राधिकरण के संज्ञान में लाया गया है कि इस बाजार में विकास की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि विश्व स्तर पर प्लास्टिक से प्राकृतिक/बायो-डिग्रेडेबल उत्पादों की ओर बढ़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर कहा गया है, बोरे और यार्न/हेसियन दोनों के लिए उत्पादन सुविधाएं आवश्यक रूप से सह-अस्तित्व में होनी चाहिए और भारतीय उद्योग के लिए केवल सरकारी खरीद के आधार पर व्यवहार्य संचालन जारी रखना असंभव है।

157. यह भी नोट किया गया है कि पटसन बोरे बैग, पटसन यार्न/सुतली और हेसियन फैब्रिक का आयात केवल खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा करता है। घरेलू उद्योग द्वारा खुले बाजार में बिक्री के लिए निर्मित और समर्पित उत्पादों को महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है। खुले बाजार में विषय आयात की निरंतर और बढ़ती हिस्सेदारी की उपस्थिति में, भारतीय उद्योग खुले बाजार से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप ये समर्पित क्षमताएं, निवेश, संयंत्र उपकरण, रोजगार और विशाल बुनियादी ढांचा पूरी तरह से निरर्थक हो जाएगा, और उद्योग को बारहमासी नुकसान उठाना पड़ेगा।

158. प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि भारतीय बाजार विषय देशों से आयात के लिए आकर्षक बना हुआ है और इस अवधि में इसमें कमी नहीं आई है। मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क के बावजूद विषय उत्पाद की डंपिंग भी जारी है। इसके अलावा, बांग्लादेश के निर्यातकों ने मूल शुल्क लगाए जाने के बाद अपस्ट्रीम उत्पाद की डंपिंग का भी सहारा लिया है। प्राधिकरण ने इस घटना से निपटने के लिए एक परिवंचना जांच की। इस प्रकार, जूट उत्पाद भारत के लिए एक आकर्षक निर्यात उत्पाद बने हुए हैं, जिसमें निरंतर डंपिंग और भारत में घरेलू उद्योग को परिणामी चोट लगी है।

159. प्राधिकरण नोट करता है कि शुल्क लगाने से आयात किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं होगा, बल्कि केवल यह

सुनिश्चित होगा कि माल उचित मूल्य पर उपलब्ध हो। इसके अलावा, देश में मांग-आपूत का कोई अंतर नहीं है, क्योंकि घरेलू उत्पादकों के पास भारतीय बाजार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। इसके अतिरिक्त, उत्पाद को अन्य देशों से भी आयात किया जा सकता है।

160. प्राधिकरण कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संबद्ध देशों पर लगाए गए डंपिंग रोधी शुल्क के प्रभाव पर की गई टिप्पणियों को भी नोट करता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट[25] में निम्नलिखित पाया है:

"1.23 घरेलू जूट उद्योग और उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए, जूट यार्न / सुतली (मल्टीपल फोल्ड / केबल और सिंगल), हेसियन फैब्रिक और जूट सेकिंग बैग जो बांग्लादेश में उत्पन्न या निर्यात किए गए हैं, के 'जूट उत्पादों' के आयात पर निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क है। नेपाल को 5 जनवरी, 2017 से लागू किया गया था। जून 2019 में, जूट पर लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क की वसूली को रोकने के लिए बांग्लादेश में उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले टैरिफ शीर्ष 5310 के तहत जूट सेकिंग कपड़े पर एंटी-डंपिंग शुल्क भी लगाया गया था। बोरिंग बैग। इन हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश में 13 सुतली मिलों में परिचालन फिर से शुरू हो गया है, जिससे लगभग 20 हजार श्रमिकों को लाभ हुआ है और घरेलू बाजार में 2 लाख टन जूट के सामान की अतिरिक्त मांग पैदा हुई है|"

एक अन्य रिपोर्ट[26] में, आयोग ने निम्नलिखित पाया है:

"1.26 भारत बांग्लादेश से जूट और जूट उत्पादों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है क्योंकि बांग्लादेश सरकार जूट के सामानों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। 2019-20 के दौरान, बांग्लादेश ने हेसियन, सेकिंग और कालीन बैकिंग कपड़ों (CBC) पर 12 प्रतिशत की नकद सब्सिडी, यार्न और सुतली पर 7 प्रतिशत और जूट विविध जूट उत्पादों पर 20 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की। ये सब्सिडी बढ़े हुए उत्पादन को बढ़ावा देती है, बाजार को विकृत करती है और भारतीय जूट उत्पादकों और उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। घरेलू पटसन उत्पादकों और उद्योग के हितों की रक्षा के लिए, पटसन यार्न/सुतली (मल्टीपल फोल्ड/केबल और सिंगल), हेसियन कपड़े और जूट सेकिंग बैग जो बांग्लादेश और नेपाल में उत्पन्न या निर्यात किए गए थे, के आयात पर निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क था। 5 जनवरी 2017 से प्रभावी। जून 2019 में, जूट सेकिंग बैग पर लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क की वसूली को रोकने के लिए बांग्लादेश में उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले टैरिफ शीर्ष 5310 के तहत जूट सेकिंग कपड़े पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया गया था। इन उपायों के बावजूद, बांग्लादेश से जूट और जूट उत्पादों के आयात में लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 2018-19 में US$109 मिलियन से बढ़कर 2019-20 में US$175 मिलियन हो गई। बांग्लादेश की निर्यात सब्सिडी नीति भारतीय जूट वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है और इस तरह अंतरराष्ट्रीय बाजार में उच्च हिस्सेदारी हासिल करती है। आयोग ने बांग्लादेश से आयात की बारीकी से निगरानी करने और बांग्लादेश से जूट और जूट उत्पादों के सब्सिडी वाले आयात को प्रतिबंधित करने के लिए शुल्क संरचना और काउंटरवेलिंग शुल्क सहित सुधारात्मक उपाय करने की सिफारिश की है।"

161. इसलिए यह नोट किया गया है कि विषय वस्तुओं के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क जारी रखना भारत में विषय वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों के हित में होगा। तथ्य यह है कि यह एक पूंजी और श्रम गहन उद्योग है, उपाय की निरंतरता आगे की चोट को रोकदेगी और घरेलू उत्पादकों को विषय देशों के निर्यातकों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए समय देगी।

ञ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

162. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण के उत्तर में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकतर अनुरोध प्रकृति में पुनरावृत्ति के हैं और हितबद्ध पक्षकारों ने अधिकतर अपनी पूर्व के अनुरोध दोहराए हैं। प्राधिकारी ने उपर्युक्त पैराओं में इन अनुरोधों की जांच पहले ही कर ली है और केवल अतिरिक्त अनुरोधों की जांच, प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित जांच में संगत पाई गई सीमा तक की गई है।

---

[25] जूट 2020 - 21 सीज़न के लिए मूल्य नीति, कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, अक्टूबर 2019, पृष्ठ 10।

[26] जूट 2021 - 22 सीज़न के लिए मूल्य नीति, कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, अक्टूबर 2020, पृष्ठ 10।

अ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

163. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.5 के अनुसार तेजी से एक निर्णायक समीक्षा "की जानी होती है और वह समीक्षा की शुरुआत की तारीख के बारह माह के भीतर की जाएगी।" अत: इस प्रकार की समीक्षा बारह के भीतर की जानी चाहिए। मूल जांच के विपरीत समीक्षा अवधि के विस्तार के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 23(2) में भी यही उल्लेख है, अर्थात "उप नियम(1) के तहत शुरु की गई कोई समीक्षा उस समीक्षा की शुरुआत की तारीख से बारह माह से अनधिक की अवधि के भीतर की जाएगी" इस प्रकार भारतीय कानून में भी बारह माह की अवधि के भीतर समीक्षा किए जाने की अपेक्षा है। अत: प्राधिकारी को यह जांच रद्द कर देनी चाहिए क्योंकि यह डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.5 के तहत दायित्व का उल्लंघन होगा।

ii. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को रखने का प्रस्ताव मूल जांच में परिभाषित किया गया है और वह प्राधिकारी की सतत् परिपाटी के अनुरूप है। इस प्रस्ताव की अंतिम जांच परिणामों के लिए पुष्टि की जाए।

क) नेपाल के निर्यातकों ने पीसीएन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. नेपाल के निर्यातकों ने उनके द्वारा निर्यातित जूट ट्वीन को पीसीएन से अलग रखने की मांग नहीं की, इसकी अपेक्षा उन्होंने पृथक/अतिरिक्त पीसीएन के लिए अनुरोध किया है क्योंकि उनके द्वारा निर्यातित जूट ट्वीन जूट यार्न/ट्वीन अर्थात (i) सेकिंग, (ii) हेसिएन, (iii) सीबी, (iv) सीआरटी/सीआरएक्स और (v) सीआरएम के लिए प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित पांच ग्रेडों/गुणवताओं के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए जा सकते। साथ ही, नेपाल से निर्यातित जूट यार्न/ट्वीन के लिए पृथक/अतिरिक्त पीसीएन के अनुरोध का घरेलू उद्योग अथवा किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा विरोध नहीं किया गया था।

ख. नेपाल के निर्यातकों ने यह दावा नहीं किया है कि उनके द्वारा निर्यातित जूट ट्वीन भारत में उत्पादित अथवा बेचा नहीं जाता है। इसके बजाय यह अनुरोध किया गया था कि उनके द्वारा निर्यातित जूट ट्वीन प्राधिकारी द्वारा सुझाए गए पांच ग्रेडों/गुणवत्ताओं के अंतर्गत नहीं आता। उत्तरदाता यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके द्वारा निर्यातित जूट ट्वीन भारत में बेचा जाता है। तथापि, इस बात से इंकार किया जाता है कि इसका प्रयोग प्राधिकारी द्वारा तैयार किए गए पांच पीसीएन के अंतर्गत आने वाले यार्न के रूप में उसी अंतिम प्रयोग के लिए किया जा सकता है।

ग. जूट यार्न का अंतिम प्रयोग, जिसके लिए प्राधिकारी द्वारा पीसीएन सुझाव गए हैं, वीविंग हेसिएन क्लॉथ, सैकिंग क्लॉथ/बैग्स के लिए और विभिन्न प्रकार के कारपेट के लिए करघों में प्रयोग हेतु होते हैं। उनमें काफी अधिक "ब्रैक स्ट्रेंथ" होती है जो वार्प अथवा वेफ्थ थ्रीड्स के रूप में करघों में प्रयोग के लिए अपेक्षित होता है। उत्तरदाताओं द्वारा विनिर्मित जूट ट्वीन का प्रयोग दालों अथवा चीनी अथवा किसी अन्य मद से बैग भरे जाने के बाद सैकिंग बैगों के मुंह की सिलाई के लिए अथवा सैकिंग बैगों के कहीं फटने अथवा अन्य क्षति की सिलाई के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जूट ट्वीन 2 प्लाई अथवा 3 प्लाई में प्रस्तुत किया जाता है और इस प्रकार, करघों में उसका उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि अकेला सिंगल थ्रेडेड यार्न का उपयोग सैकिंग बैग बनाने के लिए करघों के प्रयोग किया जाता है।

iii. प्राधिकारी से अनुरोध है कि जूट सैकिंग बैग और जूट सैकिंग क्लॉथ को समान वस्तु माना जाए और जूट सैकिंग क्लॉथ को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाए तथा उत्पाद पर एक शुल्क स्वीकृत किया जाए।

iv. बंगलादेश सरकार ने डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 11.5 की स्पष्ट अपेक्षा के अनुसार जून, 2021 के भीतर प्रकटन विवरण की उम्मीद की। तथापि, चूंकि जून, 2022 के भीतर कोई प्रकटन जारी नहीं किया गया था, अत: बंगलादेश सरकार का यह मत था कि समीक्षा रद्द कर दी गई है। तथापि, बंगलादेश सरकार जांच का निष्कर्ष निकालने की अपेक्षित तारीख़ के बाद लगभग दो माह, 18 अगस्त, 2022 को प्रकटन प्राप्त करने के लिए आश्चर्यचकित था। इन परिस्थितियों में, बंगलादेश सरकार, प्राधिकारी से अनुरोध करती है कि वे इस प्रकटन के आधार पर कोई सिफारिश न करें।

v. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार "घरेलू उद्योग" बनने की अपेक्षा निर्णायक समीक्षा में भी लागू और यह कहना सही नहीं है कि आधार का परीक्षण निर्णायक समीक्षा में संगत नहीं है।

vi. निर्णायक समीक्षा के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग का अर्थ उन उत्पादकों से है जिनका कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। घरेलू उत्पादकों का हिस्सा केवल 27.46 प्रतिशत है, जो वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख उत्पादन नहीं माना जा सकता। यह नोट किया जाए कि चीन से सर्टेन ऑयरन अथवा स्टील फास्नर्स संबंधी पाटनरोधी उपायों में अपीलीय निकाय ने पाया कि यूरोपीय संघ के प्राधिकारियों ने फास्नर के कुल अनुमानित यूरोपीय संघ के उत्पादन के मात्र 27 प्रतिशत वाले उत्पादकों से युक्त घरेलू उद्योग परिभाषित कर अनुच्छेद 4.1 का उल्लंघन किया।

vii. याचिकाकर्ता कंपनियों को हिसाब प्रत्येक उत्पाद किस्म के लिए अलग-अलग किया जाना चाहिए (अर्थात्, जूट यार्न/ट्वीन/हेसिएन, जूट सेकिंग क्लॉथ, और जूट सेकिंग बैग) के लिए अलग अलग किया जाना चाहिए न कि समग्र रूप से सभी उत्पादों के लिए।

viii. दिनांक 29 जुलाई, 2021 की व्यापार सूचना सं. 05/2021 के अनुसार 32 घरेलू उत्पादकों द्वारा दी गई सूचना और 6 घरेलू उत्पादकों द्वारा दी गई क्षति संबंधी सूचना पर विचार करना पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के समग्र उल्लंघन में होगा, जिसमें प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा और उनकी ओर से याचिका के आधार पर जांच शुरु करना अपेक्षित है।

ix. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.5 के अनुसार पाटित और अपाटित आयातों को क्षति तथा संभावना विश्लेषण करते समय अलग-अलग किया जाना चाहिए।

x. पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की आवश्यकता नहीं है और व्यापार जनहित में शुल्क समाप्त किया जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

xi. संचयी मूल्यांकन उपयुक्त नहीं है क्योंकि नेपाल से आयातों का पाटन मार्जिन न्यूनतम है। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.3 और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध II के पैरा (iii) किसी देश, जिसमें न्यूनतम पाटन मार्जिन है, संचयी रूप से मूल्यांकित किए जाने की अनुमति नहीं देते।

xii. यहां तक कि यद्यपि सरकारी खरीद और खुले बाजार के लिए क्षमता भिन्न हो सकती है। तथापि, जूट आयुक्त द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जूट मिलों को आवश्यक रूप से बाजार में आपूर्ति करने से पूर्व सरकारी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। प्राधिकारी ने उन कंपनियों की विशिष्ट रूप से पहचान नहीं की है, जिन्होंने सरकारी आवश्यकता का पूरा किया है और पूरा नहीं किया है। अत: यह स्पष्ट नहीं है कि क्या भारत में घरेलू उत्पादकों के पास भारत में खुले बाजार के लिए मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त क्षमता है।

xiii. दिनांक 05.08.2019 को प्रकाशित बिजनेस स्टैंडर्ड में समाचार लेख के अनुसार इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन (याचिकाकर्ता एसोसिएशन) ने इस तथ्य को विशिष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उनके पास सीमित क्षमता है। अत: कच्चे जूट की अनुपलब्धता खुले बाजार में आपूर्ति करने के लिए घरेलू उत्पादकों की क्षमता को प्रभावित करने वाला एकमात्र कारण नहीं है बल्कि घरेलू उत्पादकों के पास सीमित क्षमता है। इसके अतिरिक्त, कच्चे जूट की अनुपलब्धता केवल सरकारी बाजार के लिए उत्पादन को प्रभावित नहीं करती बल्कि खुले बाजार के लिए भी उत्पादन को प्रभावित करती है।

xiv. भारतीय उद्योग को क्षति सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण है कि जूट मिल खुले बाजार के लिए उत्पादन करने से पूर्व सरकारी खरीद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करेंगी और उन कीमतों में प्रतिबंध जिन पर जूट तथा जूट टेक्सटाइल कन्ट्रोल ऑर्डर, 2016 के अनुसार उद्योग द्वारा अंतिम उत्पाद बेचा जा सकता है।

xv. घरेलू उद्योग को सिद्ध करना चाहिए उन्हें घरेलू बाजार को सैकिंग बैग की आपूर्ति करने की अनुमति दी गई थी। जूट आयुक्त से प्राप्त अनुमतियां साक्ष्य के रूप में दायर की जानी चाहिए थी और हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा की जानी चाहिए थी। तथाप्र, ऐसा कोई साक्ष्य दायर अथवा साझा नहीं किया गया है।

xvi. यह तथ्य कि घरेलू उद्योग को खुले बाजार को आपूर्ति करने से रोका गया था, माल सूची की स्थिति से सिद्ध है जो दर्शाती है कि औसत स्टॉक में गिरावट आई है।

xvii. घरेलू उद्योग को क्षति नेपाल से आयात के बजाए बंगलादेश से आयातों के कारण है। बंगलादेश और नेपाल से विचाराधीन उत्पाद के पहुंच मूल्य और संबद्ध सामानों के पहुंच मूल्य की तुलना से यह स्पष्ट है कि बंगलादेश की तुलना में नेपाल से कहीं अधिक है।

xviii. किसी के बात के होते हुए भी कि खुले बाजार के सैकिंग बैगों के विनिर्माण हेतु पृथक करघों की आवश्यकता होती है, आवेदक खुले बाजार को सैकिंग मांग आदेश प्रचालन में रहते हुए तब तक आपूर्ति नहीं कर सकते जब तक अनुमति प्राप्त न हो जाए।

xix. प्राधिकारी के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि केवल बंगलादेश से आयातों के संबंध में पाटन और क्षति की संभावना है। नेपाल की तुलना में बंगलादेश में अधिशेष क्षमता और निर्यातोन्मुखता कहीं अधिक है। इसके अतिरिक्त बंगलादेश जूट मिल सरकार से नकद सब्सिडी भी प्राप्त कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, बंगलादेश से तीसरे देशों को ही ऐसे निर्यात हैं, जो पाटित कीमतों पर हैं।

xx. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में उतार-चढ़ाव के साथ संबद्ध सामानों की कीमतों के उतार-चढ़ाव में कोई सह-संबंध नहीं है। घरेलू उद्योग की कीमतों पर कीमत कटौती का कोई प्रभाव नहीं है और कोई कीमत न्यूनीकरण अथवा ह्रास नहीं है, जैसा कि प्राधिकारी ने पाया कि बिक्री कीमत में वृद्धि लागत में वृद्धि के समान है।

xxi. प्राधिकारी ने नेपाल से आयातित जूट यार्न/ट्वीन के लिए नकारात्मक क्षति मार्जिन निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त, दो अन्य उत्पाद श्रेणियों अर्थात सैकिंग बैग और हेसिएन फैब्रिक के लिए पाटन मार्जिन नकारात्मक है और समग्र रूप से उत्पाद के लिए समग्र नकारात्मक है। नेपाल से आयातों पर उपाय जारी रखने के लिए कोई मामला नहीं बनता है।

xxii. नियम 23(1) में उल्लेख है कि पाटनरोधी शुल्क क्षति पहुंचाने वाले पाटन का सामना करने के लिए आवश्यक सीमा तक और उसी अवधि तक लागू रहेंगे। जब पाटन नकारात्मक है तो वर्तमान शुल्क रद्द किया जाना चाहिए और शुल्क लगाया जाना जारी रखने के लिए कोई मामला नहीं बनता हे।

xxiii. पाटन और क्षति के बार-बार होने की संभावना के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा विश्लेषण किए गए कारकों से यह देखा जा सकता है कि इनमें से एक को छोड़कर, सभी कारक बंगलादेश से संबंधित हैं। नेपाल के संबंध में जांच किया गया एकमात्र कारक अधिशेष क्षमता है, जो 0-10 प्रतिशत के बीच अत्यधिक कम है। इस प्रकार, नेपाल से क्षति के बार-बार होने की संभावना का खतरा मौजूद नहीं हे।

xxiv. बंगलादेश से जूट सैकिंग क्लॉथ पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क दिनांक 18.06.2019 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 24/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) में उल्लिखित शुल्क के अनुसार जारी रखी जानी चाहिए न कि किसी अन्य दर पर । इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिसूचना वर्तमान समीक्षा के परिणाम की अवधि के साथ रखी जानी चाहिए।

xxv. प्राधिकारी को पृथक शुल्क तालिका शामिल करनी चाहिए जो जूट सैकिंग क्लॉथ पर लागू होगी।

xxvi. राबेया जूट मिल्स और बोगरा जूट मिल मूल जांच में प्राधिकारी के समक्ष नहीं थीं। प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्क की नई मात्रा निर्धारित करनी चाहिए जो इन निर्यातकों पर लागू होगी, यदि प्राधिकारी संभावना की मौजूदगी के संबंधा में सकारात्मक रूप से निष्कर्ष निकालें।

xxvii. प्राधिकारी को जनता जूट मिल पर लागू पाटनरोधी शुल्क में संशोधन नहीं करना चाहिए क्योंकि वह मूल जांच में नमूनाकृत निर्यातक था। इस पर पूर्व के शुल्क जारी रहने चाहिएं क्योंकि जनता के आंकड़ों का नए मार्जिन के निर्धारण के लिए प्रयोग नहीं किया गया हे।

xxviii. सोनाली और अलीजान के लिए क्षति माज्रिन अधिक उल्लिखित किया गया प्रतीत होता है। उत्तरदाताओं के लिए क्षति मार्जिन अन्य निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन से कम होना चाहिए। यह नकारात्मक अथवा न्यूनतम हो सकता है।

xxix. ए.एम. जूट मिल ने अक्तूबर, 2019 में अर्थात्, मूल तथा प्रवंचना शुल्क लगाए जाने के बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरु किया है। उत्तरदाता के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन नकारात्मक है। अनुरोध है कि

प्राधिकारी की विगत परिपाटी के अनुसार उन्हें ए.एम. जूट मिल के लिए एक अलग पाटन मार्जिन/शुल्क देना चाहिए क्योंकि वह एक नया उत्पादक/निर्यातक है।

xxx. प्राधिकारी एस. 9ए में निर्धारित किए गए अनुसार अथवा नियम 18(2) के आधार पर किसी निर्यातक अथवा उत्पादक की वास्तविक निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के आधार पर शुल्क निर्धारित कर सकते हैं। तथापि, नियम 18(2) के प्रावधान ए.एम. जूट मिल्स के मामले में लागू नहीं हैं क्योंकि यह प्रावधान केवल गैर-नमूनाकृत सहकारी उत्पादक/निर्यातक के लिए लागू है।

xxxi. प्राधिकारी ने बंगला देश में कच्चे जूट की उपलब्धता के संबंध में बंगलादेश सरकार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार नहीं किया है। प्राधिकारी को इस संबंध में अपने जांच परिणाम देखने चाहिएं।

xxxii. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे नेपाल से आयातों के संबंध में वर्तमान निर्णायक समीक्षा को रद्द करें। वैकल्पिक रूप से चूंकि नेपाल से अधिकतर निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन/क्षति मार्जिन नकारात्मक है। अत: प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे मूल जांच के दौरान निर्धारित शुल्क जारी रखने के बजाए ऐसे निर्यातकों के लिए 'शून्य' शुल्क दर दें।

xxxiii. रानु एग्रो ने सैकिंग क्लॉथ के संबंध में पूरी सूचना प्रस्तुत की है, जिसका प्राधिकार ने बंगलादेश में डेस्क सत्यापन तथा स्थल पर सत्यापन के दौरान विधिवत् सत्यापन किया था। अत: प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे जूट सैकिंग बैग और जूट सैकिंग क्लॉथ को समान वस्तु मानें और रानु एग्रो को व्यक्तिगत रूप से वही शुल्क प्रदान करें।

xxxiv. प्राधिकारी द्वारा परिकलित पाटन मार्जिन रानु एग्रो द्वारा परिकलित पाटन मार्जिन से भिन्न है। यह भी अनुरोध है कि रानु एग्रो को पाटनरोधी शुल्क की अलग दर दी जाए, यदि प्राधिकारी हसन जूट एंड स्पिनिंग मिल को उसकी संबद्ध कंपनी हसन जूट और स्पिनिंग मिल को दिए गए शुल्क देने का निर्णय लें।

xxxv. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों से संबंधित आंकड़ों में कई परिवर्तन हुए हैं जो सैकिंग क्लॉथ को विचाराधीन उत्पाद में शामिल न करने के कारण है। प्राधिकारी को प्रकटन विवरण जारी करने से पूर्व संशोधित आर्थिक मानदंड उपलब्ध कराने चाहिए थे। हितबद्ध पक्षकारों को उस पर अपनी टिप्पणियां देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। तथापि, इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था जो प्राकृति न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

ञ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

164. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. शुल्क की वर्तमान राशि समीक्षा जांच में बढ़ाई जानी चाहिए।

ii. प्राधिकारी को पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.4 और पाटनरोधी नियमावली के नियम 17(3) और 19(2) के अनुसार गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों के लिए मार्जिन के परिकलन में न्यूनतम/शून्य मार्जिन को अलग करना चाहिए।

iii. जो नए निर्यातक वर्तमान मामले में उत्तर दे रहे हैं, उन्हें अलग मार्जिन नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि भारत को आयात मात्रा में काफी गिरावट आई है और बाजार आसूचना के अनुसार इन निर्यातकों से निर्यात मात्रा (क) कम है और (ख) कुछ पीसीएन तक सीमित हैं। यह कम निर्यात मात्रा और सीमित उत्पाद किस्म के निर्यात, निर्यातकों द्वारा की जा रही पाटन परिपाटियों की सही तस्वीर नहीं दे सकते।

iv. संबद्ध देशों से जिन उत्पादकों ने मूल जांच में उत्तर दिया है, परंतु निर्णायक समीक्षा जांच में उत्तर नहीं दिया है, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना जाना चाहिए क्योंकि वे अनिवार्य प्रश्नावली के उत्तर देने में विफल रहे हैं।

v. प्राधिकारी को ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों के मामलों की आयात मात्रा समाप्त नहीं करनी चाहिए जिन्हें मात्रा और कीमत प्रभाव की जांच करते समय नकारात्मक पाटन मार्जिन प्रदान किया गया है। प्राधिकारी ने निम्नलिखित उत्पादों अर्थात् टोलीन डाई-आइसोसाइनेट (टीडीआई), पथालिक एनहाड्राइड अमोनियम नाइट्राइट, क्लियर फ्लोट ग्लास, कास्टिक सोडा, एसीटोन, टायर क्यूरिंग प्रैस, और एमडीएफ के संबंध में निर्णायक समीक्षा करते समय आयातों की न्यूनतम मात्रा को कम नहीं किया है।

vi प्रकटन विवरण में विदेशी उत्पादकों की उत्पादन लागत के निर्धारण के संबंध में पद्धति की व्याख्या नहीं की गई है। यह सार्वजनिक जानकारी है कि उत्पादक विभिन्न उत्पाद किस्मों के लिए कच्ची सामग्री, यूटिलिटियों, परिवर्तन लागतों तथा मूल जांच के समय पीसीएन के लिए सही सही सूचना देने में विफल रहे। इस प्रकार, प्राधिकारी को यह प्रकट करना चाहिए कि यह मानते हुए कि जांच में कई पीसीएन शामिल हैं, उत्पादन लागत कैसे निर्धारित की गई है।

vii. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षतिरहित कीमत बहुत कम है, जिससे कम क्षति मार्जिन बनता है। क्षति रहित कीमत कई कारकों के कारण कम की गई है। घरेलू उद्योग आगे कोई अनुरोध/टिप्पणियां देने में असमर्थ है क्योंकि घरेलू उद्योग को दी गई एनआईपी दर्शाने वाली कार्य-तालिका ही दी गई है। अनुमति न दिए जाने के संबंध में, किसी विवरण के अभाव में घरेलू उद्योग अपने हिततों की रक्षा करने में अत्यधिक असमर्थ है।

viii. निर्णायक समीक्षा प्रणाली में एक विशिष्ट खंड है जिसमें विचाराधीन उत्पाद के तीसरे देशों के बाजारों को अर्थात् भारत को छोड़कर, अन्य बाजारों को निर्यातों के संबंध में लेन-देनवार ब्योरे की आवश्यकता होती है। उत्तरों के अगोपनीय रूपांतर से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ऐसी सूचना दी गई है। यदि उत्पादकों ने वह सूचना प्रस्तुत नहीं की है कि प्राधिकारी को मानना चाहिए कि हितबद्ध पक्षकारों ने आवश्यक सूचना रोकी है और आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सवोत्तम उपलब्ध सूचना पर विचार करना चाहिए।

ix. बाजार आसूचना रिपोर्ट को स्वीकार किया जाना चाहिए, आवेदक ने केवल वास्तविक आंकड़ों को गोपनीय होने का दावा किया था। तथापि, उन्होंने वह स्रोत प्रकट किया, जिस अवधि के लिए आंकड़े एकत्रित किए गए थे और साथ ही, वह विवरण भी दिया जिसमें बाजार आसूचना रिपोर्ट से प्रयुक्त सूचना का सार है। उपर्युक्त रिपोर्ट में अधिशेष क्षमता निर्यात और कच्ची सामग्री की खपत से संबंधित सूचना निहित है जो किसी भी दशा में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी। इस प्रकार, घरेलू उद्योग द्वारा विश्वास की गई रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिए।

x. वास्तविक सूचना और रिपोर्ट का नाम तथा बाजार आसूचना रिपोर्ट के अपेक्षित सभी संगत ब्यौरे प्राधिकारी को दिए गए थे जो दिए गए आंकड़ों की शुचिता और प्राधिकारिता का सत्यापन करने के लिए पर्याप्त थे।

xi. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को व्यवहार में लाने पर भी प्राधिकारी को क्षमता, क्षमता विस्तार, निर्यातोन्मुखता के संबंध में उद्योग स्तर पर स्थिति दर्शाते हुए रिकॉर्ड में रखे गए साक्ष्य पर विचार करना चाहिए।

xii. न्यूनतम पाटन मार्जिन के निर्धारण का अर्थ यह नहीं है कि संबद्ध देशों के उत्पादकों को पाटनरोधी शुल्क लागू होने से छूट दी जा सके। इन उत्पादकों को तभी छूट दी जा सकती है जब प्राधिकारी निम्नलिखित निर्धारणों के संबंध में नकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचे: (क) जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, (ख) जांच की अवधि के दौरान विभिन्न तीसरे देशों के निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, (ग) जांच की अवधि के दौरान तीसरे देशों को पाटित और क्षतिकारक निर्यातों की मात्रा, (घ) जांच की अवधि के दौरान भारत को पाटित और क्षतिकारक निर्यातों की मात्रा।

xiii. प्रवंचना किए गए उत्पाद की काफी मात्रा[27] भारत में आई है। जांचाधीन उत्पाद के आयातों की भारी मात्रा पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में विचाराधीन उत्पाद के गहन आयातों की संभावना सिद्ध करने के लिए स्वयं में पर्याप्त है।

xiv. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों द्वारा तीसरे देशों को किए गए तीसरे देश के निर्यातों की काफी मात्रा निर्धारित की है और भारतीय मांग के संबंध में उसकी तुलना की है। यह दोहराया जाता है कि प्राधिकारी को केवल खुले बाजार के संबंध में यह प्रतिशतता निकालनी क्योंकि यह खुले बाजार में है जिसमें संबद्ध देश के आयात प्रतिस्पर्धा करते हैं।

xv. प्राधिकारी ने हाल में की गई टीडीआई जांच में समान संभावित मानदंडों पर विचार किया। वस्तुत: वर्तमान मामले में और अधिक मानदंड संभावना की मौजूदगी दर्शाते हैं। इस प्रकार, शुल्क बढ़ाए जाने चाहिएं, जैसा कि हाल में की गई टीडीआई जांच में किया गया था।

---

[27] परवंचना जांच के आधार वर्ष से वर्तमान जांच अवधि तक संचयी मात्रा 2,58,058 एमटी है, क्षति अवधि में संचयी मात्रा 161977 एमटी है जबकि भारतीय उद्योग का क्षति अवधि के दौरान सैकिंग क्लॉथ का अनुमानित उत्पादन 15,325 एमटी था।

xvi. प्राधिकारी द्वारा किया गया तीसरे देश का निर्यात विश्लेषण यह दर्शाता है कि नेपाल में भारत को छोड़कर तीसरे देश के निर्यात नहीं हैं और यही कारण है कि यह विश्लेषण नेपाल के लिए नहीं किया गया है।

xvii. यथा तथ्यत: नेपाल में उत्पादकों के पास केवल दो बाजार हैं – नेपाल और भारत। तथापि, घरेलू मांग अत्यधिक सीमित है। नेपाल वस्तुत: कच्चे जूट के लिए भी भारत पर निर्भर है। नेपाल के निर्यातकों पर कम शुल्क स्तर लगता है और परिणामस्वरूप वे भारत बाजार में काफी निर्यात बढ़ाने में सक्षम रहे हैं।

xviii. बंगलादेश सरकार ने कई नीतियां बनाई हैं, जिनमें देश में उत्पादकों को अपनी क्षमताएं और निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

xix. यह बात दोहराई जाती है कि उपाय लगाना जनहित में है। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता एसोसिएशन के लिए उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के किसी संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए एक प्रश्नावली निर्धारित की। तथापि, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई। यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है और यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव था तो उसे अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा आसानी से सिद्ध किया जा सकता था।

ञ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

165. बारह माह के भीतर समीक्षा जांच पूरी न किए जाने के संबंध में बंगलादेश सरकार द्वारा किए गए अनुरोध के बारे में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.2 में यह उल्लेख है कि:

> "11.4 साक्ष्य और प्रक्रिया के संबंध में अनुच्छेद 6 के प्रावधान इस अनुच्छेद के तहत की गई किसी भी समीक्षा पर लागू होंगे। ऐसी कोई भी समीक्षा शीघ्रता से की जाएगी और सामान्यत: समीक्षा की शुरुआत की तारीख के बारह माह के भीतर की जाएगी ।"

अनुच्छेद 11.4 में 'सामान्यत:' शब्द का प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि बारह माह की निर्धारित समयावधि के बाद भी जांच पूरी की जा सकती है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जांच के लिए समय-सीमा के विस्तार से संबंधित ब्यौरे डीजीटीआर की वेबसाइट पर 10.06.2022 को विधिवत् अधिसूचित किए गए थे।

166. बंगलादेश में नेपाल से आयातों के गैर-संचयन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध के बारे में यह नोट किया जाता है कि नेपाल के उत्पादकों का मार्जिन न्यूनतम है। तथापि, शेष श्रेणी के लिए मार्जिन न्यूनतम से अधिक मार्जिन है और इसीलिए संचयन की शर्तें पूरी की गई हैं। इसके अतिरिक्त, यूएस – ऑयल कन्ट्री ट्यूबलर सामान निर्णायक समीक्षा में पैनल ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"7.335 यह निष्कर्ष निकाले जाने पर कि संचयन की निर्णायक समीक्षा सहित आमतौर पर पूरे करार में अनुमति दी जाती है, दूसरा मुद्दा जो हमें हल करना है, वह यह है कि क्या अनुच्छेद 3.3 में निर्धारित संचयन के प्रयोग के लिए शर्तें निर्णायक समीक्षा पर ही लागू होती हैं। अर्जेन्टीना ने विरोध किया है कि यदि पैनल यह पाता है कि संचयन की निर्णायक समीक्षा में अनुमति दी जाती है तो फिर उन्हें यह भी देखना चाहिए संचयन के प्रयोग के संबंध में अनुच्छेद 3.3 की शर्तें निर्णायक समीक्षा पर लागू होती हैं। हम असहमत हैं।

7.336 हम नोट करते हैं कि अनुच्देछ 3 का पैराग्रफ 3 ही वह पैरा है जिसमें अनुच्छेद 3 के तहत "जांच" शब्द है। अत:, हमारे मत में अपनी शर्त के अनुसार अनुच्छेद 3.3 जांच में प्रयोग के उसके क्षेत्र को सीमित करता है। इस संबंध में हम नोट करते हैं कि यह विशेष मुद्दा यूएस-कोरोजन-रेजिसटेंट स्टील निर्णायक समीक्षा में भी उठाया गया था और पैनल ने मत दिया:

जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, फुटनोट 9 में क्षति की परिभाषा सही अनुच्छेद 3 के प्रावधान, यदि पूरे पाटनरोधी करार पर सामान्य रूप से लागू हैं, तो अनुच्छेद 3 का पैरा 3 इस अर्थ में अपवादात्मक है कि यह अकेला स्पष्ट रूप से "जांचों" के संदर्भ में उल्लिखित है। अनुच्छेद 3 के किसी भी अन्य पैरा के पाठ में अन्यत्र कहीं भी "जांच" शब्द उल्लिखित नहीं है। अत: हमारा मत है कि अनुच्छेद 3.3 उसके अनुसार जांचों में लागू होने तक सीमित है और निर्णायक समीक्षा पर लागू नहीं होता। अनुच्छेद 5.8 में नगण्यता मानक पर अनुच्छेद 3.3 में क्रास संदर्भ निर्णायक समीक्षा पर लागू नहीं होता।

हम इस मत से सहमत हैं और इसीलिए यह पाते हैं कि अनुच्चेद 3.3 में निर्धारित शर्तें निर्णायक समीक्षा में लागू नहीं होती[28] ।

167. नेपाल के निर्यातकों ने कहा है कि उनके द्वारा निर्यात किए गए धागे के लिए पीसीएन को उचित रूप से तैयार नहीं किया गया है। प्राधिकरण नोट करता है कि निर्यातकों द्वारा उत्पादित यार्न का उपयोग बोरियों के मुंह को सिलाई करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसके अलावा, निर्यातकों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि घरेलू उद्योग भी उपज का उपयोग करता है और उसी धागे को बेचता है जिसका उपयोग बोरियों के मुंह को सिलाई के लिए किया जाता है। इसलिए, निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा दी गई सूचना/दस्तावेजों के आधार पर प्राधिकरण ने नेपाल के निर्यातकों द्वारा उत्पादित जूट यार्न को संबंधित पीसीएन श्रेणी में रखा है।

168. जहां तक गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन के निर्धारण का संबंध है, वह पाटनरोधी नियमावली के नियम 17(3) और 18(2) के अनुसार नमूनाकृत उत्पादकों के भारित औसत मार्जिन के आधार पर निर्धारित किया जाना होता है। प्रावधान निम्नानुसार हैं:

नियम 17(3):

"(3) "निर्दिष्ट प्राधिकारी जांचाधीन वस्तु से संबंधित प्रत्येक ज्ञात निर्यातक या उत्पादक के लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित करेंगे;

बशर्ते कि, ऐसे मामले में, जहां शामिल निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों की संख्या या वस्तुओं का प्रकार इतना बड़ा है कि ऐसा निर्धारण अव्यवहारिक हो जाता है, तो वह अपने जांच परिणामों को चयन के समय उपलब्ध सूचना के आधार पर सांख्यिकीय रूप से वैध सैम्पलों का उपयोग करके एक तर्कसंगत संख्या में हितबद्ध पक्षकारों या वस्तुओं तक सीमित कर सकते हैं अथवा संबंधित देश से निर्यातों की मात्रा की सबसे अधिक प्रतिशतता तक सीमित कर सकते हैं, जिसकी एक तर्कसंगत रूप से जांच की जा सकती है और इस परन्तुक के तहत किए गए, वस्तुओं के निर्यातकों, उत्पादकों या प्रकार के किसी चयन को अधिमानत: संबंधित निर्यातकों, उत्पादकों अथवा आयातकों के परामर्श से या उनकी सहमति से किया जाएगा।

नियम 18(2):

"(2) जिन मामलों में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने देश विशेष से निर्यातों की मात्रा की प्रतिशतता का चयन किया है, जैसा कि नियम 17 के उप नियम (3) में उल्लिखित है, जांच में शामिल न किए गए निर्यातकों/उत्पादकों से आयातों पर लगाया गया कोई पाटनरोधी शुल्क बढ़ेगा नहीं-

(i) चुने गए निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में सिद्ध पाटन का भारित औसत मार्जिन अथवा,

(ii) जहां पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के लिए देयता संभावित सामान्य मूल्य के आधार पर परिकलित की जाती है, वहां चयननित निर्यातकों अथवा उत्पादकों के भारित औसत सामान्य मूल्य और अलग-अलग जांच में किए गए निर्यातकों/उत्पादकों की निर्यात कीमत के बीच का अंतर;

बशर्ते कि केन्द्र सरकार इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए किसी शून्य मार्जिन, निर्यात कीमत की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त 2 प्रतिशत से कम के मार्जिन और नियम 6 के उप नियम (8) में दी गई परिस्थितियों में सिद्ध मार्जिन पर ध्यान नहीं देगी। केन्द्र सरकार नियम 17 के उप नियम (3) के दूसरे परन्तुक में उल्लिखतानुसार जांच प्रक्रिया के दौरान जिन उत्पादक/निर्यातकों ने आवश्यक सूचना दी है, जांच में शामिल न किए गए किसी उत्पादक अथवा निर्यातक से आयातों पर अलग-अलग शुल्क लागू करेंगे।

उपर्युक्त प्रावधानों से यह देखा जा सकता है कि गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों के लिए पाटन-मार्जिन का परिकलित करते समय नमूनाकृत उत्पादकों के लिए किसी शून्य तथा न्यूनतम पाटन मार्जिन पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, यह नोट किया जाता है कि गलती से त्रुटि होने के कारण, संबद्ध देशों से गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों के लिए भारित औसत पाटन मार्जिन निर्धारित करते समय नमूनाकृत उत्पादकों के शून्य तथा न्यूनतम मार्जिन पर भी ध्यान दिया गया था। इस त्रुटि को इस अंतिम जांच परिणाम में अब ठीक कर दिया गया है और गैर-नमूनाकृत उत्पादकों के लिए भारित औसत

---

[28] पैनल रिपोर्ट, युनाइटेड स्टेट्स — अर्जेंटीना से ऑयल कंट्री ट्यूबलर गुड्स पर एंटी-डंपिंग उपायों की सूर्यास्त समीक्षा, WT/DS268/R।

मार्जिन का पुन: परिकलन पाटनरोधी नियमावली के नियम 17(3) और 18(2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। शेष श्रेणी के लिए मार्जिन के परिकलन में भी त्रुटि थी, जिसे भी ठीक कर दिया गया है।

169. कुल उत्पादन में घरेलू उद्योग के हिस्से के संबंध में की गई प्रस्तुतियों के संबंध में और यह एक 'प्रमुख अनुपात' का गठन करता है या नहीं, यह नोट किया गया है कि स्थायी और घरेलू उद्योग की स्थिति से संबंधित मुद्दे की प्राधिकरण द्वारा अंतिम निष्कर्षों में प्रासंगिक शीर्षकों के तहत पहले ही जांच की जा चुकी है।

170. रानु एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में यह नोट किया जाता है कि उपयुक्त सेल के चयन में गलती से त्रुटि थी। इस त्रुटि को ठीक कर दिया गया है और तद्नुसार मार्जिन जोकि संशोधित कर दिया है।

171. विचाराधीन उत्पाद में सैकिंग क्लॉथ को शामिल न किए जाने के कारण घरेलू उद्योग से संबंधित आंकड़ों में किए गए परिवर्तनों के बारे में यह नोट किया जाता है कि वे प्रकटन के स्तर पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किए गए थे और उस पर, उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था।

172. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग को यह सिद्ध करना चाहिए कि उन्हें मांग आदेशों के मद्देनजर, घरेलू बाजार को सैकिंग बैगों की आपूर्ति की अनुमति थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग आदेशों को पूरे उद्योग के लिए बिक्री से रोकने के लिए कहा जा सके। इसका अर्थ केवल दायित्व से है और एक बार सरकारी खरीद/मांग के प्रति दायित्व पूरा किया गया तो जूट मिलें खुले बाजार में उत्पाद को बेचने के लिए स्वतंत्र थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस प्रकार के दायित्व समय-समय पर जूट आयुक्त के कार्यालय द्वारा लगाए जाते हैं और इनका आशय सामानों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना मात्र है। यह भी नोट किया जाता है कि उपर्युक्त ऑर्डर का संबंध केवल सरकारी खरीद के लिए सैकिंग बैग से ही है और अन्य उत्पादों से नहीं है। प्राधिकारी ने आवेदक कंपनियों द्वारा खुले बाजार में सैकिंग बैग की मासिक बिक्री की भी जांच की की है। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग पूरी जांच की अवधि में खुले बाजार में उत्पाद की बिक्री कर रहा था। इस प्रकार, मांग आदेशों से खुले बाजार में सामानों की बिक्री नहीं रुकी और यह आयातों के लिए कारण नहीं हो सकता।

173. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए गैर-हानिकारक मूल्य (एनआईपी) का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना, अनुबंध III के साथ पठित पाटनरोधी नियमों में निर्धारित सिद्धांतों और आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर किया है।

174. व्यय की अस्वीकृति और उचित प्रतिफल का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार है। इसे आंकड़ों के सत्यापन के दौरान घरेलू उद्योग को भी समझाया गया था।

175. जैसा कि ऊपर नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति नहीं हो रही है। अत: प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना की जांच की है। जैसा कि, वर्तमान जांच में उपर्युक्त पैराओं में की गई जांच से सिद्ध है, घरेलू उद्योग को क्षति के बार-बार होने की संभावना है। अत: प्राधिकारी ने मूल जांच में निर्धारित किए गए अनुसार शुल्क जारी रखे जाने की सिफारिश की है। प्राधिकारी ने निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार वर्तमान शुल्कों की सिफारिश की है।:

क्र.सं.	**प्रतिभागित स्तर और नमूनाकृत है अथवा गैर-नमूनाकृत**	**सिफारिश किया गया शुल्क**	**अपवाद**
1	निर्णायक समीक्षा में नमूनाकृत और मूल जांच में मौजूद नहीं	मूल जांच में निर्धारित किए गए अनुसार गैर-नमूनाकृत सहकारी शुल्क	
2	निर्णायक समीक्षा और मूल जांच में नमूनाकृत	मूल जांच में निर्धारित किए गए अनुसार अलग शुल्क	
3	निर्णायक समीक्षा में नमूनाकृत और मूल जांच में गैर- नमूनाकृत	मूल जांच में निर्धारित किए गए अनुसार गैर-नमूनाकृत सहकारी शुल्क	

4	निर्णायक समीक्षा में गैर-नमूनाकृत मूल जांच में नमूनाकृत/व्यक्तिगत व्यवहार	मूल जांच में निर्धारित किए गए अनुसार अलग शुल्क नेपाल के मामले में जिन गैर-नमूनाकृत उत्पादकों को मूल जांच में अलग व्यवहार प्रदान किया गया था, उन्हें वही शुल्क प्रदान किया गया है।	
5	निर्णायक समीक्षा और मूल जांच में जो उपस्थित नहीं थे।	मूल जांच में निर्धारित किए गए अनुसार अवशेष शुल्क	
6	मूल जांच में गैर-नमूनाकृत	मूल जांच में निर्धारित किए गए अनुसार ग्रे नमूनाकृत सहकारी शुल्क	
7	निर्णायक समीक्षा में गैर-नमूनाकृत परंतु मूल जांच में गैर-हाजिर	मूल जांच में निर्धारित अनुसार अवशेष शुल्क	मूल जांच से नमूनाकृत उच्चतम सहकारी शुल्क (केवल नेपाल के मामले में क्योंकि प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में नेपाल के लिए कोई नमूनाकरण नहीं किया गया था)

ट. निष्कर्ष

176. उठाए गए तर्कों, दी गई सूचना, अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराई गई सूचना, को ध्यान में रखते हुए जैसा कि उपर्युक्त जांच परिणामें रिकॉर्ड किया गया है और घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने और और बार-बार होने की उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

क. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद जूट उत्पाद है जिसमें जूट यार्न/सुतली (मल्टीपल फोल्डेड/केबल्ड और सिंगल), हेसियन फैब्रिक और जूट बैग शामिल हैं जो मूल जांच के समान हैं।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद की समान वस्तु हैं।

ग. आवेदक कंपनियां पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग हैं।

घ. आवेदन-पत्र में निर्णायक समीक्षा की शुरुआत के लिए सभी संगत सूचनाएं हैं और आवेदन पत्र में वर्तमान निर्णायक समीक्षा की शुरुआत का औचित्य बनाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।

ड. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर संबंध सामानों के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। संबद्ध देशों से निर्यात की अधिक मात्रा के लिए निर्धारित डंपिंग मार्जिन डी-मिनिमिस से ऊपर है।

च. पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग के परिचालन प्रदर्शन में मामूली गिरावट के बावजूद, समीक्षा जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग काफी हद तक अपनी लाभप्रदता बनाए रखने में सक्षम रहा है। तथापि, यह विषय देशों से डंप किए गए आयातों की पुनरावृत्ति के प्रति संवेदनशील बना हुआ है।

च. निम्नलिखित कारकों की मौजूदगी के कारण घरेलू उद्योग को क्षति के बार-बार होने की संभावना है।

i. पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद, बंगलादेश और नेपाल से संबद्ध सामानों का पाटन जारी रहा है। आयातों की मात्रा भी पूर्ण दृष्टि से और तुलनात्मक संदर्भ में काफी रही हे। संबद्ध सामानों का बाजार हिस्सा काफी बढ़ा है और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

ii. यह भी नोट किया जाता है कि बंगलादेश के जूट सैकिंग क्लॉथ से आयात मात्रा शुल्क लगाए जाने के बाद काफी बढ़ी है, जिससे परिवंचना जांच भी की गयी और उसके बाद जूट सैकिंग क्लॉथ पर शुल्क बढ़ाए गए।

iii. बंगलादेश में उत्पादकों के पास काफी अधिशेष क्षमताएं मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों में उत्पादन उनकी घरेलू मांग की तुलना में काफी अधिक है।

iv. संबद्ध देशों में उत्पादक/निर्यातक अत्यधिक निर्यातोन्मुख हैं।

v. बंगलादेश सरकार ने सब्सिडी के प्रावधान, जो जूट उत्पादों के निर्यात पर प्रोत्साहन देते हैं, सहित कुछ उपाय अधिनियमित किए हैं।

vi संबद्ध देशों में अनुमानित मालसूची भारतीय मांग को पूरा करने के लिए काफी पर्याप्त हैं।

vii. तीसरे देशों को काफी निर्यात हैं, जो घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम कीमत पर हैं। तीसरे देशों को निर्यातों का काफी हिस्सा भी पाटित कीमतों पर हैं।

viii. चूंकि भारत एक सबसे बड़ा बाजार है। अत: बंगलादेश और नेपाल से उस समय पाटनरोधी शुल्क बंद करना जबकि संबद्ध देशों से तीसरे देशों को निर्यात कीमत भारत से पाटित कीमतों से कम हैं और क्षति रहित कीमत से कम हैं, स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि भारतीय उद्योग को बनाए रखने के लिए शुल्क जारी रखना आवश्यक है। इसके अतिरक्त, नेपाल से निर्यात के मामले में एकमात्र बाजार भारत है। इसलिए, नेपाल से निर्यात अनिवार्य रूप से भारतीय बाजार में आएगा।

छ. यह स्पष्ट संकेत देता है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पूरी संभावना है कि संबद्ध देशों से पाटित आयात बढ़ेंगे।

ज. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध सामनों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखना, भारत में संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादकों के हित में होगा। यह तथ्य कि यह एक पूंजी है पूंजी एवं श्रम-गहन उद्योग है, उपाय जारी रखने से और क्षति रुकेगी तथा घरेलू उत्पादकों को संबद्ध देशों के निर्यातकों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने का समय देगा।

झ. इसके अतिरिक्त संबद्ध उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना की गई है। प्राधिकारी द्वारा की गई प्रवंचनारोधी जांच वर्तमान जांच में एक संबद्ध देश के विरुद्ध थी।

177. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण पाता है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में पाटन और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना है, और इसलिए, पांच वर्षों की और अवधि के लिए पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की सिफारिश करता है।

ढ. सिफारिशें

178. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरु की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्तओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक सपंर्क के पहलुओं तथा घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की संभावना के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था।

179. यह निष्कर्ष निकालने पर कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क बंद करने की अनुमति दी जाती है तो पाटन और क्षति की संभावना का सकारात्मक साक्ष्य है, प्राधिकारी का यह मत है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क आगे जारी रखे जाने की आवश्यकता है। उपर्युक्त सिद्ध किए गए अनुसार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने की सिफारिश करना उपयुक्त मानते हैं। तद्नुसार, बंगलादेश और नेपाल के उत्पादकों के लिए निम्नलिखित शुल्क तालिका के अनुसार पाटनरोधी शुल्कों की सिफारिश की जाती है।

180. इस प्रकार, पाटनरोधी नियमावली के नियम 4(घ) और नियम 17(1) (ख) में निहित प्रावधान के अनुसार, प्राधिकारी मौजूदा पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना, जारी रखने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की संभावना दूर की जा सके। तद्नुसार, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के सभी आयातों पर, केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्षों के लिए लगाए जाने हेतु निम्नलिखित शुल्क तालिका के कॉलम 8 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	शीर्ष/उप-शीर्ष	सामानों का विवरण**	विनिर्देशन	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क राशि	मुद्रा/यूनिट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्न/ट्विन	सभी रूपों और विनिर्देशनों में	बांग्लादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	हसन जूट मिल्स लिमिटेड	NIL	अमे. डॉ./मी. टन
2. 2.	-वही-	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	हसन जूट मिल्स लिमिटेड	NIL	अमे. डॉ./मी. टन
3. 3.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	अलीजान जूट मिल्स लिमिटेड	20.35	अमे. डॉ./मी. टन
4. 4.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	सोनाली अंश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	20.35	अमे. डॉ./मी. टन
5. 5.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	सिडलॉ टेक्सटाइल्स (बांग्लादेश) लिमिटेड	102.93	अमे. डॉ./मी. टन
6. 6.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	सागर जूट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड	102.93	अमे. डॉ./मी. टन
7. 7.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	जनता जूट मिल्स लिमिटेड	20.68	अमे. डॉ./मी. टन
8. 8.	-वही-	हेसियन फैब्रिक	-वही-	-वही-	-वही-	जनता जूट मिल्स लिमिटेड	NIL	अमे. डॉ./मी. टन

9. 9.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	आशा जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	19.30	अमे. डॉ./मी. टन
10. 10.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	प्राइड जूट मिल्स	104.16	अमे. डॉ./मी. टन
11. 11.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	शरीफ जूट मिल्स लिमिटेड	152.85	अमे. डॉ./मी. टन
12. 12.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	अनवर जूट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड	109.59	अमे. डॉ./मी. टन
13. 13.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	बोगरा जूट मिल्स लिमिटेड	97.19	अमे. डॉ./मी. टन
14. 14.	-वही-	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	बोगरा जूट मिल्स लिमिटेड	125.21	अमे. डॉ./मी. टन
15. 15.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	एएम. जूट . इंडस्ट्रीज लिमिटेड	97.19	अमे. डॉ./मी. टन
16. 16.	-वही-	हेसियन फैब्रिक	-वही-	-वही-	-वही-	एएम. जूट . इंडस्ट्रीज लिमिटेड	351.72	अमे. डॉ./मी. टन
17. 17.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	हसन जूट एंड स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड	97.19	अमे. डॉ./मी. टन
18. 18.	-वही-	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	हसन जूट एंड स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड	125.21	अमे. डॉ./मी. टन
19. 19.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	रानू एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	97.19	अमे. डॉ./मी. टन
20. 20.	-वही-	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	रानू एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	125.21	अमे. डॉ./मी. टन
21. 21.	-वही-	हेसियन फैब्रिक	-वही-	-वही-	-वही-	नवाटा जूट मिल्स लिमिटेड	351.72	अमे. डॉ./मी. टन

22. 22.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	मौना जूट मिल्स लिमिटेड	97.19	अमे. डॉ./मी. टन
23. 23.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	राबेया जूट मिल	97.19	अमे. डॉ./मी. टन
24. 24.	-वही-	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	राबेया जूट मिल	125.21	अमे. डॉ./मी. टन
25. 25.	-वही-	हेसियन फैब्रिक	-वही-	-वही-	-वही-	राबेया जूट मिल	351.72	अमे. डॉ./मी. टन
26. 26.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	ओरिएंटल जूट मिल्स लिमिटेड	97.19	अमे. डॉ./मी. टन
27.	-वही-	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	ओरिएंटल जूट मिल्स लिमिटेड	125.21	अमे. डॉ./मी. टन
28.	-वही-	हेसियन फैब्रिक	-वही-	-वही-	-वही-	ओरिएंटल जूट मिल्स लिमिटेड	351.72	अमे. डॉ./मी. टन
29. 27.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	नवाब अब्दुल मालेक जूट मिल्स (बीडी) लिमिटेड	97.19	अमे. डॉ./मी. टन
30. 28.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	रहमान जूट स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड	97.19	अमे. डॉ./मी. टन
31. 29.	-वही-	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	रहमान जूट मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड	125.21	अमे. डॉ./मी. टन
32. 31.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	राजबाड़ी जूट मिल्स लिमिटेड	97.19	अमे. डॉ./मी. टन
33. 33.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	उषा जूट स्पिनर्स लिमिटेड	97.19	अमे. डॉ./मी. टन
34. 35.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	मदीना जूट इंडस्ट्रीज	97.19	अमे. डॉ./मी.

						लिमिटेड		टन
35.	-वही-	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	मदीना जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	125.21	अमे. डॉ./मी. टन
36.	-वही-	हेसियन फैब्रिक	-वही-	-वही-	-वही-	मदीना जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	351.72	अमे. डॉ./मी. टन
37.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	मिर्जा जूट मिल्स लिमिटेड	97.19	अमे. डॉ./मी. टन
38.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	जेम जूट मिल	97.19	अमे. डॉ./मी. टन
39.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	अफजल फाइबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज	97.19	अमे. डॉ./मी. टन
40.	-वही-	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	अफजल फाइबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज	125.21	अमे. डॉ./मी. टन
41.	-वही-	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	अनम जूट प्रोडक्ट्स लिमिटेड	125.21	अमे. डॉ./मी. टन
42.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	बोनान्ज़ा जूट कम्पोजिट एंड डाइवर्स फैक्ट्री लिमिटेड	97.19	अमे. डॉ./मी. टन
43.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	जमुना जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	97.19	अमे. डॉ./मी. टन
44.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	जॉय जूट मिल्स लिमिटेड	97.19	अमे. डॉ./मी. टन
45.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	जूट टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड	97.19	अमे. डॉ./मी. टन
46.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	गोल्डन जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	97.19	अमे. डॉ./मी. टन
47.	-वही-	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	हसन जूट	125.21	अमे.

						इंडस्ट्रीज लिमिटेड		डॉ./मी. टन
48.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	माजेदा जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	97.19	अमे. डॉ./मी. टन
49.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	रिलायंस जूट मिल्स लिमिटेड	97.19	अमे. डॉ./मी. टन
50.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	सलीम एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	97.19	अमे. डॉ./मी. टन
51.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	शमशेर जूट मिल्स लिमिटेड	97.19	अमे. डॉ./मी. टन
52.	-वही-	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	शमशेर जूट मिल्स लिमिटेड	125.21	अमे. डॉ./मी. टन
53.	-वही-	हेसियन फैब्रिक	-वही-	-वही-	-वही-	शमशेर जूट मिल्स लिमिटेड	351.72	अमे. डॉ./मी. टन
54.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	वहाब जूट मिल्स	97.19	अमे. डॉ./मी. टन
55.	-वही-	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	वहाब जूट मिल्स	125.21	अमे. डॉ./मी. टन
56.	-वही-	हेसियन फैब्रिक	-वही-	-वही-	-वही-	वहाब जूट मिल्स	351.72	अमे. डॉ./मी. टन
57.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	अकिज जूट मिल्स लिमिटेड	97.19	अमे. डॉ./मी. टन
58.	-वही-	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	अकिज जूट मिल्स लिमिटेड	125.21	अमे. डॉ./मी. टन
59.	-वही-	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	लवली जूट मिल्स लिमिटेड	125.21	अमे. डॉ./मी. टन
60.	-वही-	जूट	-वही-	-वही-	-वही-	उपर्युक्त क्रम	162.45	अमे.

		यार्न/ट्विन				संख्या को छोड़कर कोई भी उत्पादक		डॉ./मी. टन
61.	-वही-	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	उपर्युक्त क्रम संख्या को छोड़कर कोई भी उत्पादक	138.97	अमे. डॉ./मी. टन
62.	-वही-	हेसियन फैब्रिक	-वही-	-वही-	-वही-	उपर्युक्त क्रम संख्या को छोड़कर कोई भी उत्पादक	351.72	अमे. डॉ./मी. टन
63.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	बांग्लादेश	उपर्युक्त को छोड़कर कोई भी अन्य देश	कोई भी	162.45	अमे. डॉ./मी. टन
64.	-वही-	सेकिंग बैग	-वही-	बांग्लादेश	उपर्युक्त को छोड़कर कोई भी अन्य देश	कोई भी	138.97	अमे. डॉ./मी. टन
65.	-वही-	हेसियन फैब्रिक	-वही-	बांग्लादेश	उपर्युक्त को छोड़कर कोई भी अन्य देश	कोई भी	351.72	अमे. डॉ./मी. टन
66.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	उपर्युक्त को छोड़कर कोई भी अन्य देश	बांग्लादेश	कोई भी	162.45	अमे. डॉ./मी. टन
67.	-वही-	सेकिंग बैग	-वही-	उपर्युक्त को छोड़कर कोई भी अन्य देश	बांग्लादेश	कोई भी	138.97	अमे. डॉ./मी. टन
68.	-वही-	हेसियन फैब्रिक	-वही-	उपर्युक्त को छोड़कर कोई भी अन्य देश	बांग्लादेश	कोई भी	351.72	अमे. डॉ./मी. टन

69.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	अरिहंत मल्टी-फाइबर लिमिटेड	24.61	अमे. डॉ./मी. टन
70.	-वही-	सेकिंग बैग	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	अरिहंत मल्टी-फाइबर लिमिटेड	35.25	अमे. डॉ./मी. टन
71.	-वही-	हेसियन फैब्रिक	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	अरिहंत मल्टी-फाइबर लिमिटेड	NIL	अमे. डॉ./मी. टन
72.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड	24.61	अमे. डॉ./मी. टन
73.	-वही-	सेकिंग बैग	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड	35.25	अमे. डॉ./मी. टन
74.	-वही-	हेसियन फैब्रिक	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड	NIL	अमे. डॉ./मी. टन
75.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	स्वास्तिक जूट मिल्स लिमिटेड	15.36	अमे. डॉ./मी. टन
76.	-वही-	सेकिंग बैग	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	स्वास्तिक जूट मिल्स लिमिटेड	8.18	अमे. डॉ./मी. टन
77.	-वही-	हेसियन फैब्रिक	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	स्वास्तिक जूट मिल्स लिमिटेड	34.20	अमे. डॉ./मी. टन
78.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	बाबा जूट मिल्स	26.07	अमे. डॉ./मी. टन

79.	-वही-	सेकिंग बैग	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	बाबा जूट मिल्स	33.73	अमे. डॉ./मी. टन
80.	-वही-	हेसियन फैब्रिक	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	बाबा जूट मिल्स	6.30	अमे. डॉ./मी. टन
81.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	नेपाल जूट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	26.07	अमे. डॉ./मी. टन
82.		सेकिंग बैग	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	नेपाल जूट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	35.25	अमे. डॉ./मी. टन
83.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	-वही-	-वही-	उपर्युक्त क्रम संख्या को छोड़कर कोई भी उत्पादक	28.72	अमे. डॉ./मी. टन
84.	-वही-	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	उपर्युक्त क्रम संख्या को छोड़कर कोई भी उत्पादक	8.18	अमे. डॉ./मी. टन
85.	-वही-	हेसियन फैब्रिक	-वही-	-वही-	-वही-	उपर्युक्त क्रम संख्या को छोड़कर कोई भी उत्पादक	38.90	अमे. डॉ./मी. टन
86.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	नेपाल	उपर्युक्त को छोड़कर कोई भी अन्य देश	कोई भी	28.72	अमे. डॉ./मी. टन
87.	-वही-	सेकिंग बैग	-वही-	नेपाल	उपर्युक्त को छोड़कर कोई भी अन्य देश	कोई भी	8.18	अमे. डॉ./मी. टन
88.	-वही-	हेसियन फैब्रिक	-वही-	नेपाल	उपर्युक्त को छोड़कर	कोई भी	38.90	अमे. डॉ./मी. टन

					कोई भी अन्य देश			
89.	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	उपर्युक्त को छोड़कर कोई भी अन्य देश	नेपाल	कोई भी	28.72	अमे. डॉ./मी. टन
90.	-वही-	सेकिंग बैग	-वही-	उपर्युक्त को छोड़कर कोई भी अन्य देश	नेपाल	कोई भी	8.18	अमे. डॉ./मी. टन
91.	-वही-	हेसियन फैब्रिक	-वही-	उपर्युक्त को छोड़कर कोई भी अन्य देश	नेपाल	कोई भी	38.90	अमे. डॉ./मी. टन

181. इसके अतिरिक्त, बंगलादेश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "जूट सैकिंग क्लॉथ" पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने की सिफारिश करते हुए प्राधिकारी द्वारा दिनांक 9 मार्च, 2019 की अधिसूचना संख्या 7/3/2018-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम और फिर दिनांक 18 जून, 2019 की अधिसूचना सं. 24/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा वित्त मंत्रालय द्वारा उसे लगाए जाने को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का यह मत है कि बंगलादेश से "जूट सेकिंग क्लॉथ" के आयातों पर भी पाटनरोधी शुल्क का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है सिवाय निम्नलिखित उत्पादकों को छोड़कर, जिनके लिए उपरोक्त अधिसूचना में शुल्कों के विस्तार से छूट दी गई थी:

1. मेसर्स मौना जूट मिल्स लिमिटेड
2. मेसर्स अरनू जूट मिल्स लिमिटेड
3. मेसर्स रहमान जूट मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड
4. मेसर्स जमुना जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
5. मेसर्स सागर जूट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड
6. मेसर्स सिडलॉ टेक्सटाइल्स (बांग्लादेश) लिमिटेड
7. मेसर्स पार्टेक्स जूट मिल्स लिमिटेड बांग्लादेश
8. मेसर्स आशा जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
9. मैसर्स नवहाटा जूट मिल्स लिमिटेड
10. मैसर्स माइमैनसिंह जूट मिल्स लिमिटेड

ण. आगे की प्रक्रिया

182. इन जांच परिणामों से उत्पन्न होने वाले केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार, सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा-कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2022

FINAL FINDINGS

Case No. (SSR) 9/2021

Subject: Sunset Review Investigation concerning imports of "Jute Products" originating in or exported from Bangladesh and Nepal.

F. No. 7/09/2021-DGTR.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the "AD Rules");

A. BACKGROUND OF THE CASE

a. The Original Investigation

1. The original investigation concerning imports of the subject goods from Bangladesh and Nepal was initiated by the Authority vide Notification No. 14/19/2015-DGAD, dated 21.10.2015. Definitive anti-dumping duties were recommended vide Notification No. 14/19/2015-DGAD, dated 20.10.2016 and was imposed vide Customs Notification No. 01/2017-Customs (ADD), dated 05.01.2017, and amended further by Customs Notification No. 11/2017-Customs (ADD), dated 03.04.2017. Subsequently, an anti-circumvention investigation was initiated vide Notification No. 7/3/2018-DGAD, dated 20.03.2018 concerning imports of 'jute sacking cloth', (a penultimate stage of "Jute Sacking Bag") from Bangladesh. The Authority vide Notification No. 7/3/2018-DGAD, dated 19.03.2019 recommended extension of the existing anti-dumping duty imposed on sacking bags vide the above notifications, and was imposed vide Customs Notification No. 24/2019-Customs (ADD), dated 18.06.2019.

b. Present Sunset Review Investigation

2. Indian Jute Mills Association (IJMA) (hereinafter referred to as the "applicant" or the "applicant association") filed a duly substantiated application before the Authority, on behalf of the domestic industry, in accordance with Section 9A (5) of the Act read with Rule 23 of the Rules. After *prima facie* examination of the facts, the Authority initiated a Sunset Review (SSR) investigation vide Notification No. 7/9/2021-DGTR dated 28th June 2021 to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from Bangladesh and Nepal.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regards to the investigation.

   i. The Authority, issued a public notice dated 28th June 2021 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating a sunset review investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries.

   ii. The Authority forwarded a copy of the public notice along with the questionnaires to the Embassies of the subject countries in India, all known exporters, importers and industry associations (whose details were made available by the applicant) and gave them the opportunity to make their views known in writing in accordance with Rule 6(2) of the AD Rules. They were advised to reply within thirty days from the date of publication of the notification or from the date of letters.

   iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known exporters and the Embassies of the subject countries in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules. A copy of the application was also provided to the other interested parties, as requested.

   iv. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

List of exporters and manufacturers from Bangladesh	
Corofin Jutex Corporation	Karim Jute Spinners Ltd.
Mitual Jute Spinners Ltd.	Nowapara Jute Mills Ltd.
Sadat Jute Industries Ltd.	Shamsher Jute Mills Ltd.
Shinepukur Holdings Ltd.	World Trading Corporation
Abir International	Atmmr Enterprise
Alam Trade International	Alif Ianernational
Aliss International	Amanat International
Anss Corporation (Pvt) Ltd	ABC Agency
ACME Trade International	Anika Overseas Discovery Service
Arkay & Kayar Associates	Asimpex Trading Corp. Ltd
Amin Jute Products	Bengal Braided Rugs Ltd.
Bengulf Trading Co. Ltd	Bengulf Trading Co. Ltd
Bonny International Ltd	Bengal Jute & Burlap Agencies
Bag & Burlap International Ltd	BBI Jute & Product Export Ltd
Banglar Annsh (Pvt) Ltd	B.N. Trading
Bangladesh Allied Business Asso.	Bankor International Corporation
Bangladesh Jute Processing Co.	Beiico International Ltd.
Bhuiyan Int'l Corp	Burlap World Ltd.
Bizline Corporate Ltd.	Bulk Trade International
Brothers International	Bangladesh International Trade
B.desh Jute Diversification Center	Beheshti Export & Import
Bangladesh Export Limited	CDR Trade International
Commimpex	Confident Jute & Bag Ltd.
Concrete Fibres International	Consolidated Commodities
Creation (Pvt) Ltd	Crifoo Intertrade Ltd.
Corr-The Jute Works	Corofin Jutex Corporation
Cosmotic	Continental Trade Exchange Ltd.
Dubai Jute & Bag Corporation	Dipali Agncies
Delca Bangladesh Ltd	Desh Bidesh Enterprise
Dawan Export International	Dewan Trade International
Eastern Trade International	Erans Trade International Ltd.
Ecotrade International	Ecotrade International
East Asian Business Associates	Exim N. Trade
Erab Limited	Esses Exporters Ltd.
Enam & Sons	Eehamm International Ltd.
Edge Trading	Extra Pace Logistics Ltd

Enam Express Limited	Early Bird Corporation
Eshan Jute Products	Faisal Trading Co.
Farhan Style Limited	Fibres International Ltd.
Food Grade Jute Traders	Faimex Trade International
Fibre Deals Limited	Fair Trading Company
Fatima Alyaf Tala-e-Jute Inds Ltd	Gem Jute Limited
Global Jute Goods	Globe Solidarity Ltd.
Golden Jute Diversification Center Ltd.	Global Jute Trading Ltd.
H.F Exporters	Hamona Tradig Corporation
Hossain Jute Trading Co.	Hanif Impex International
HN Enterprise	International Trade Exchange
International Burlap Supplier	Indus Enterprise
Immense Trading House	Jute & Bags Export Corporation
Jute Expo Trading Ltd.	Jute Heaven
Jute Export Corporation	Jutex Bangladesh
Jainex International	Jutex International
Jahan Trader	Jahan International Trading Co.
Jute Mate Packeging Co.	Jute Export Trading Corporation
JBL International	Jupiter Jute Leather Corporation
Jahan Enterprise	Kiron Enterprise
Knaf International	Kingshuk Limited
Khan Sons Interl (BD) Ltd.	Lupa International
Lotus International	Louis Dreyfus Co. Ltd.
Lipton Jute Trade International	Metropolitan Export Corp
Monami International Ltd.	M.F International
Mask Associate (Pvt) Ltd.	Maico Jute Bag Corporation
Meem International	Monir Trading Corporation
Mowlik Trade & Services Ltd.	Mohajan Trade International
M.R. Associates	M. Rahman & Co.
M.H. Trading	Mikuni Corporation
Mawada Traders	Mart Overseas Ltd.
Monosur & Brothers	Mee Trading Corporation
Modern Import & Export	M.M International
Neptune Enterprise	Nature Fibre Services Ltd.
Narsingdi Jute Traders	Natural Jute Products
New Agencies	Neety Enterprise
Orient Trade International	Omega Fashion Limited
Online Limited	Passco Jute

Prime Enterprise	Rainbow Associates
Relible Trade International	Rean Trade International
Rush Export International Ltd.	Rose Corner (Pvt) Ltd.
Riimex Enterprise	R.E.B Agencies
Rafique Trade International	Raj Fibre Ltd
Seatex International	Swift Trade Impex
Shathi Export International Ltd.	Shams Trade International Ltd.
Sami Enterprise	Sealand Export International
SWS Trade Lines (Pvt.) Ltd.	Sagorika International
Sonali Ansh Trading (Pvt) Ltd.	Shyamol Bangla Jutex Ltd.
Sonali Fibres Trading Co.	Sea-Rock Consortiam
Sonargaon Fibres	Sonjes International
SMSN Trade International	Said Enterprise
Skyland & Fam Ltd.	Saddat Trading Co. Ltd.
Samser Enterprise	Shutdeepta Trade Co.
Sadia Jute Trading	Sahrifpur Trading Agencey
Sutapa Impex	Sacks Export & Trading Intel.
S. Islam & Sons	S.S Engineering Works
S.S Enterprise	The Globe Traders
Takawa Mah Enterprise Ltd.	The Golden Fibre Trade Center Ltd.
Trade International	Taurus Limited
Trade Impex	Tamara Trading Agencies Ltd.
Uni Exim	Ujala Trading Corporation
Victory Enterprise Ltd.	Vicar International
Varity Jute Trading Co.	Vertex International Ltd.
William Agencies	Wizard Incorporation
Yakub Ali (Faridpur) Ltd.	A.R.A Jute Mills Ltd.
ABC Agency	Ahad Jute Mills Ltd.
Akil Jute Mills Ltd.	Al-Haj Aminuddin Jute Mills Ltd.
Alijan Jute Mills Ltd.	Anwar Jute Spinning Mills Limited
Aziz Fibres Ltd.	B.S. Jute Spinners Ltd.
Bangladesh Jute Mills Corporation	Bengal Jute Industries Ltd.
Charmuguria Jute Mills Ltd.	Chittagong Jute Mfg. Co. Ltd.
Corofin Jutex Corporation	Creative International
Faridpur Jute Fibres Ltd.	Fatima Alyaf Tala-E Jute Inds. Ltd.
Ferdaus Jute Mills Ltd.	Islam Khan Jute Mills Ltd.
Janata Jute Mills Ltd.	Jute Spinners Ltd.
Karim Jute Spinners Ltd.	Keraniganj Jute Fibres Ltd.

Lytton Jute Mills Limited	Metropolitan Exports Corporation
Mutual Jute Spinners Ltd.	Nawab Abdul Malek Jute Mills (BD) Ltd.
New Dacca Industries Limited	Nissan Jute Mills Limited
Northern Jute Manufacturing Co. Ltd.	Nowapara Jute Mills Ltd.
Patuakhali Jute Mills Ltd.	Popular Jute Mills Ltd.
Sadat Jute Industries Limited	Saddat Trading Co. Ltd.
Sagar Jute Spinning Mills Limited	Sarwar Jute Mills Ltd.
Sayeed Jute Spinning Ltd.	Shamsher Jute Mills Ltd.
Sharif Jute Mills Ltd.	Shihab Jute Spinners Ltd.
Shinepukur Holding Limited	Shyamol Bangla Jutex Ltd.
Sidlaw Textile (Bangladesh) Ltd.	Sonali Ansh Industries Ltd.
Specialised Jute Yarn & Twine Mfg. Co. Ltd.	Supreme Jute and Knitex Limited
Transocean Fibres Processors (BD) Ltd.	Usha Jute Spinners Ltd.
Victory Jute Products Ltd.	Word Trading Corporation
List of exporters and manufacturers of Nepal	
Ambika,	Trans Trade Service
Asahi Overseas Traders	General overseas Agency
Ashok Trading Concern	Ghorashyar Enterprises
Atlantic Trading Concern	Golchha Organization
B.K. International	Greentex Enterprises
Baba Enterprises	Gupta Enterprises
Balaju Enterprises	Him International (P) Ltd.
Bhudeo Khadya Udogy	Indra Trade Concern
Bijaya Enterprises	Jalnex Enterprises
Sangam International Enterprises	Binit Enterprises
Khatu International	Brighter Industries(P) Ltd.
Laxmi Concern	Chhagan Mall Traders
Madam Lal Chiranjibi Lal Chhyangle Trade Links	Mahesh Overseas Enterprises
Diamond Nepal Enterprises	Nepal United Company (P) Ltd.
Digo International (P) ltd.	New Trade Centre
Dugar Brothers & Sons.	Paban Overseas Concern
Dugar Organization	R & R Enterprises Pvt. Ltd.
Exportex Trading	Rajshree Enterprises
Gaurav Impex	

v. Following producers/exporters from the subject countries have filed the exporter's questionnaire response or made any submissions:

Mirza Jute Mills Ltd.	Hasan Jute & Spinning Mills Ltd.
Gem Jute Mill	Hasen Jute Industries Limited
Afzal Fibre Processing Industries	Janata Jute Mills Limited
Anam Jute Products Ltd.	Sadat Jute Industries Ltd
Asha Jute Industries Ltd.	A.M Jute Industries Limited
Usha Jute Spinners Limited	Arihant Multi-Fibres Limited
Bogra Jute Mills Limited	Shree Raghupati Jute Mills Ltd
Bonanza Jute Composite & Diverse Factory Ltd.	Baba Jute Mills
Mouna Jute Mills Limited	Swastik Jute mills Pvt. Ltd
Erans Trade International Ltd	Nepal Jute industries Pvt.Ltd.
Ecotrade International	Alijan Jute Mills Limited
Jamuna Jute Industries Ltd	Glory Jute Limited
Rahman Jute Mills (Pvt.) Ltd.	Madina Jute Industries Limited
Joy Jute Mills Limited	Mazeda Jute Industries Limited
Jute Textile Mills Limited	Nawab Abdul Malek Jute Mills
Nawhata Jute mills Ltd.	(Bd)Limited
Golden Jute Industries Limited	Reliance Jute Mills Ltd.
Pride jute Mills Limited	Salim Agro Industries Limited
Rabeya Jute Mills	Sham sher Jute Mills Limited
Rajbari Jute Mills Limited	Sonali Aansh Industries Limited
Sagar Jute Spinning Mills Ltd	Wahab Jute Mills
Sidlaw Textiles Limited	Ranu Agro Industries Ltd.
Oriental Jute Mills Limited	Akij Jute Mills Ltd.
Hasan jute mills ltd	Arnu Jute Mills Ltd.

vi. Considering the number of responding exporters/producers from the subject countries, the Authority had undertaken sampling. Accordingly, vide notification dated 14th January 2022, the Authority published the final list of sampled and non-sampled exporters, provided below:

Sampled	Non-sampled
Hasan Jute Mills Limited	Mirza Jute Mills Ltd.
Hasan Jute Spinning Mills Limited	Gem Jute Mill
Alijan Jute Mills Limited	Afzal Fibre Processing Industries
Arnu Jute Mills Limited, Bangladesh	Anam Jute Products Ltd.
A.M. Jute Industries Limited	Asha Jute Industries Ltd.
Sagar Jute Spinning Mills Ltd.	Usha Jute Spinners Limited
Sidlaw Textiles Ltd.	Bonanza Jute Composite & Diverse Factory Ltd.
Oriental Jute Mills	Jamuna Jute Industries Ltd
Nawab Abdul Malek Jute Mills (Bangladesh) Limited	Rahman Jute Mills (Pvt.) Ltd.

Nawhata Jute Mills Ltd	Joy Jute Mills Limited
Rabeya Jute Mill	Jute Textile Mills Limited
Bogra Jute Mills Ltd	Golden Jute Industries Limited
Ranu Agro Industries Limited, Bangladesh	Pride jute Mills Limited
Sonali Aansh Industries Limited.	Rajbari Jute Mills Limited
Mouna Jute Mills Ltd	Hasen Jute Industries Limited
Erans Trade International Ltd	Janata Jute Mills Limited
Ecotrade International	Sadat Jute Industries Ltd.
Arihant Multi-Fibres Ltd	Baba Jute Mills
Shree Raghupati Jute Mills Ltd.	Swastik Jute mills Pvt. Ltd
	Nepal Jute Industries Pvt. Ltd.
	Glory Jute Limited
	Madina Jute Industries Limited
	Mazeda Jute Industries Limited
	Reliance Jute Mills Ltd.
	Salim Agro Industries Limited
	Shamsher Jute Mills Limited
	Wahab Jute Mills
	Akij Jute Mills Ltd.
	Lovely Jute Mills Ltd.
	Nowapara Jute Mills Ltd.
	Nowapara Packaging Industries Ltd.
	Bangla Pat Diversified Mills Limited

vii. Questionnaires were also sent to the following known importers, users and the associations of the subject goods in India seeking necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

Ahmed Exports	Alamim Enterprise
Ashim Kar & Industries P. Ltd.	B.G. Udyog
Bengal Jute & Bag Co.	Bhagtara Jute Industries Pvt. Ltd.
Birla Corporation Ltd.	Chamundi Explosives Pvt. Ltd.
Cheviot Company	Chiranjilal Gaurishanker & Company
Clifton Business Pvt. Ltd.	G.N. Commercial Company
Gaba Overseas Pvt. Ltd.	Gyaniram Agarwal & Company
Industrial Associates	Industrial Associates Jute Pvt. Ltd.
J.J. Patel and Brothers	J.K Sons & Company
J.K Sons Jute Company Pvt. Ltd.	K.L Jute Products Pvt. Ltd.
Knap International	Kosmic Hitech Motors Pvt. Ltd.

Mohan Jute Ltd.	Navin International
Pacific Jute Ltd.	Privi Exports Pvt. Ltd.
R. Harilal & Company (Calcutta)	Ramsaran & Sons
Romy Enterprises	Sarvamangla Pratishthan
Satyam Impex	Satyendra Packaging Pvt. Ltd.
SDJ International	Srijoni Impex
Tuhin Kanz & Co.	Unnati Overseas
Veer International	Vishwatma Commercial Pvt. Ltd.
Yucon Overseas Pvt. Ltd.	Eskay International
Golder Floor	Grover International
Radha Krishna	Rugs Creation
Caledonian	Nav Durga
Kailash Chand	

viii. Only one importer i.e. J.K Sons Jute Co. Private Ltd., has filed the importer's questionnaire response.

ix. Additionally, submissions were received from the Jute Product Importer Association, the Bangladesh Jute Spinners Association, and the Nepal Jute Traders Association of India. These submissions have been addressed by the Authority to the extent found relevant and necessary.

x. The Authority also received submissions from the Government of Bangladesh which had also participated in the oral hearing.

xi. Accordingly, the Authority issued the final list of interested parties on 14th December, 2021 in this investigation.

xii. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

xiii. Further information was sought from the applicant to the extent deemed necessary.

xiv. Desk verification of the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigations.

xv. The non-injurious price (hereinafter referred to as 'NIP') based on the cost of production and the cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and has been worked out so as to ascertain whether the present anti-dumping duty is sufficient to remove injury to the domestic industry.

xvi. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April 2020 to 30th March 2021 (12 months) (hereinafter referred to as the "period of investigation" or "POI"). The injury analysis period includes the period of investigation and the preceding three years, 2017-18, 2018-19 and 2019-20.

xvii. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views during the oral hearing held on 9th February 2022. The interested parties were requested to submit their written submissions and rejoinder submissions latest by 14th February, 2022 and 18th February 2022 respectively.

xviii. Existing anti-dumping duties have been extended thrice vide the following notifications of the

Ministry of Finance (a) Notification No. 10/2022-Customs (ADD) dated 24th February 2022, duties extended upto 30th June 2022 (b) Notification No. 11/2022-Customs (ADD) dated 31st March 2022, duties extended upto 31st August 2022, (c) Notification No. 18/2022-Customs (ADD) dated 31st May 2022, duties extended upto 30th November 2022.

xix. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded its observation on the basis of the facts available.

xx. In accordance with Rule 16 of the AD Rules, 1995 the essential facts of the investigation were disclosed to the interested parties vide disclosure statement dated 18th August 2022 and comments received thereon, considered relevant by the Authority have been addressed in the final findings. The Authority notes that most of the post disclosure comments made by the interested parties are mere reiterations of the earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these final findings.

xxi. *** in this final finding represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.

xxii. Exchange rate considered for the POI for conversion of USD to Indian Rupees is 1 USD = Rs. 75.19.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 Views of the domestic industry

4. The domestic industry has made the following submission with regard to the scope of the product under consideration and like article:

i. The product under consideration is "jute products" comprising of jute yarn/twine (multiple folded/cabled and single), hessian fabrics, jute sacking cloth and jute sacking bags."

ii. Jute products are primarily used in packaging; geotextiles - landfill covering, embankment reinforcement; protection of rooting plants; hessian cloths of various types; braids and webbing; fine and coarse yarns; bailing and bundle cloths; wrapping; bedding foundation; boot and shoe linings; tailors back packing; fuse yarns; hand bags and all types of stiff bags; aprons of all types; iron, steel, tube and rod wrapping; canal linings; mail bags; motor linings; needle felts; roofing felts; rope; covering fabrics; tyre wrapping; upholstery foundation; strings of all types.

iii. The product under consideration remains the same as it was in the original investigation and subsequently the existing duties on 'jute sacking bag' were extended to 'jute sacking cloth' from Bangladesh and the same is also included in the product scope of the current investigation. Jute sacking cloth from Nepal is outside the purview of the current investigation.

iv. According to the Hon'ble CESTAT order in *M/s Anwar Jute Spinning Mills Ltd. & Ors v. Union of India*[1], it was explicitly held that the three different types of jute products i.e., yarn, fabric, and bag were to be considered as one product and that it is not tenable to have separate investigation for the different types.

v. The interested parties have submitted that the anti-circumvention findings were issued in 2019 and the present POI has no impact of circumvention at all, and that the anti-circumvention measures were pursued to cover up the applicant's poor definition of the PUC. It was further argued that the scope of the PUC should not be extended to product types covered under circumvention duty findings, and should be reviewed under Rule 28. With respect to these contentions the following is submitted:

a. The other parties seem to agree that the circumvented product was rightly included, and that they misused/abused the exemption. Once the duties were were extended, the imports stopped and imports re-started from the companies which were exempted.

b. Circumvention of duties of sacking bag is an established act of circumvention of an anti-dumping measure in place. These practices undertaken by the producers/exporters in any investigation, displays their aggressive, unfair, unethical nature and a desperate need to maintain their presence in the Indian market. Circumvention as a ground for extension of duties

[1] Anti Dumping Appeals No. 50696-50701 of 2017.

in a sunset review was also considered and accepted by the Ministry of Finance in "Axles for Trailers from China"[2]. The Ministry of Finance's notifications published in anti-circumvention investigations state that duties shall be co-terminus with original duties imposed on the PUC and circumvention duties shall only terminate should original duties be terminated.

c. Review of circumvention as provided in Rule 28 is similar to new-shipper reviews, wherein any party for reasons such as claiming exemption on the grounds of being new producer, or has evidence that circumvention is not occurring anymore, has sought review.

d. Once circumvention of existing anti-dumping duty has been established, it has been proven, that the subject goods via a country or in a certain form are actually the subject goods from the original country of investigation. Therefore, expiry review of original measures entails automatic review and consequent extension of duty on circumvented goods as well. European Commission has also followed the same practice in sunset review investigations of bicycles originating in China PR, crystalline silicon photovoltaic modules and key components originating in China PR, solar panels etc. that were conducted after circumvention investigation and the original duties were extended to the circumvented product along with the original product under investigation.

C.2 Views of the other interested parties

5. Following submissions have been made by the other interested parties with regard to the product under consideration and the like article:

i. The initiation says that the scope of the PUC in the present matter covers the PUC as originally defined and also those categories (jute sacking cloth) which were covered in the anti-circumvention investigation. This is a departure from the consistent practices of the Authority.

ii. The Ministry of Finance Notification No. 24/2019-Customs (ADD) dated 18.6.2019 states that the anti-dumping duty imposed under the said notification shall be co-terminus with the antidumping duty on jute sacking bags. Further, Rule 28 (1) of the AD Rules stipulates that the Designated Authority may review the need for the continued imposition of the duty, where warranted, on its own initiative or provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the measures, upon request by any interested party which submits positive information substantiating the need for the review.

iii. The AD Rules now provide for a separate review of circumvention measures. In view of the above, it is requested that the Authority may restrict the scope of the PUC in the present investigation to the PUC as originally defined and should not cover the products covered by the Ministry of Finance Notification No. 24/2019-Customs (ADD) dated 18.6.2019.

iv. Any review of the anti-circumvention duty should be carried out as per Rule 28 of the AD Rules and not in the manner proposed in the initiation notification of the present investigation.

v. Regarding the submission that sacking cloth is not part of the PUC for Nepal, the Authority should clarify if the PUC is not identical for both the subject countries, then how the conditions mentioned under paragraph 3 of Annexure II of the AD Rules are met with.

vi. There cannot be two different sets of the PUC for the subject countries. The case of *Anwar Jute Spinning Mills Ltd. and Ors.*[3] has no contextual applicability on the present case as it is not about the inter se likeness of the product but rather the scope of the PUC.

vii. The initiation notice dated 28.06.2021 suggests that the PUC includes sacking cloth for both Bangladesh and Nepal. Since anti-circumvention investigation against imports of sacking cloth was initiated and carried out only against Bangladesh, sacking cloth must not be included insofar as producers and exporters of Nepal are concerned. There was never any allegation regarding circumvention of anti-dumping duty imposed on sacking bags by Nepal, nor was Nepal a part of the said anti-circumvention investigation. As sacking cloth was never included into the scope of the PUC insofar as Nepal was concerned, Nepal must not be subjected to examination of dumping of the same.

viii. With respect to five grades/ qualities/ batches considered by Authority for comparison of jute

[2] Final Findings in Sunset Review investigation of anti-dumping duties concerning imports of 'axle for trailers' originating in or exported from China PR dated 27th October 2021 (F.No. 7/7/2021).
[3] *Supra* note 1.

yarn/twine exported from the subject countries, Respondents who produce and export the PUC from Nepal export a grade/ quality of jute twine which does not fall within any of the five grades/ qualities/ batches viz. (1) Sacking, (2) Hessian (3) CB, (4) CRT/CRX, or (5) CRM.

ix. Rather, the jute twine exported by respondents from Nepal is different as it is used only for sewing the mouths of jute bags and such jute twine is unsuitable for being consumed in either sacking bag or cloth, hessian products, CB, CRT/CRX, or CRM and therefore, do not fall within the abovesaid five grades/ qualities/ batches of PCN proposed by the Authority. Therefore, information has been filed under a separate PCN for the specific grade/ quality/batch exported to India with '0E' as the PCN code as none of the codes suggested by the DGTR were suitable for the product exported by the respondents.

x. Regarding the submission of the petitioners that the three types of products should be regarded as one, it is submitted that while the investigation may be in respect of one single product, the dumping margin and injury analysis should be done for each product separately. The Authority had adopted the same approach in the original investigation.[4]

C.3 Examination by the Authority

6. The present investigation is a sunset review investigation concerning anti-dumping duties imposed on imports of "jute products" originating in or exported from Bangladesh and Nepal. Hence, the PUC in the present investigation is also "jute products" originating in or exported from Bangladesh and Nepal. The product under investigation as defined in the original investigation is as follows:

> *"26. The product under consideration in the present investigation is "Jute Products" comprising of Jute Yarn/twine (multiple folded/cabled and single), Hessian Fabrics and Jute Sacking bags. At the time of initiation, the classification was considered under Chapter 53 and 63 of the 1975 Act and further sub-classified under custom heads 5307, 5310 and 6305. It was stated that the said customs classification is however only indicative and is in no way binding on the scope of the present investigation. However, it is later noted from the data filed by producers/exporters from Nepal that the exports of yarn/twine have also been made by exporters/ producers of the product from Nepal under Custom heading no. 5607, which covers Twine, Cordage, Ropes and Cables whether or not Plaited or Braided and whether or not impregnated, coated, covered or sheathed with rubber and plastics.*
>
> *27. The Authority notes that Jute is a natural and an eco-friendly fiber, which comes from the inner bark of plants. The broad usages of jute include packaging, geo-textiles, protection of rooting plants, making of cloths, bags, wrapping, boot and shoe lining, fuse yarns, aprons, canal and motor linings, ropes, strings, upholstery foundation, curtains and furnishing fabrics etc. Further, Jute can also be mixed with wool for fine yarn and fabric production.*
>
> *28. Raw jute in the form of bales is processed in jute mills to produce products like jute yarn/twine, hessian fabric, sacking bags, and other products. The manufacturing process of Jute entails different stages such as selection of jute for a batch, piecing up, softening and lubricating, conditioning or piling, breaker carding, finisher carding, first drawing, second drawing, third drawing and spinning"*

7. The subject goods are classified under Chapter 53 and 63 of the Customs Tariff Act and have been further sub-classified under custom heading 53101013, 63051040, 53101012 53071010 and 53072000. The said customs classification is, however, only indicative and is in no way binding on the scope of the present investigation. Further, this being a sunset review investigation, the scope of the PUC remains the same as it was in the original investigation.

---

[4] "127(i) The PUC in initiation is considered as jute products comprising of Jute Yarn/Twine (multiple folded/cabled and single), Hessian fabric, and Jute sacking bags from Bangladesh and Nepal. Though these product types are interrelated but are differentiated in terms of production and end usage with different custom headings. It is clarified that the authority has treated the three products as different articles. The Authority has assessed the dumping margin and injury margin for the 3 product types separately and recommends levy of Anti-dumping measures separately for these 3 product types. As regards Jute Yarn from Nepal, the Authority notes that the same was not excluded from the PUC in initiation and having noted the quantum of imports through the exporter's questionnaire and confirmation of imports by DGCIS, has included the same for consideration of measures as per AD Rules. In this regard it is further reiterated that the investigation on dumping assessment has been done separately for the three product types taking into account volume and price of such goods as verified during the investigation."

8. The Authority notes that the subject goods are being imported in the form of jute yarn/twine, hessian fabric and sacking bags. The Authority had proposed Product Control Numbers (PCNs) for jute yarn/twine (multiple folded/cabled and single) in order to make an apple-to-apple comparison. No PCNs were adopted for sacking bag and hessian fabric. Considering the parameters that impact the associated costs and prices of the product, and after taking into account the submissions made, the Authority adopted the following PCN methodology for jute yarn/twine[5]:

1st Digit for Grade/Quality/Batch	Grade/Quality/ Batch	2nd Digit for Count	Count
1	Sacking	A	Upto 14 LBS
		B	More than 14 LBS and upto 20 LBS
		C	More than 20 LBS and upto 24 LBS
		D	More than 24 LBS and upto 28 LBS
		E	More than 28 LBS
2	Hessian	A	Upto 8 LBS
		B	More than 8 LBS and upto 12 LBS
		C	More than 12 LBS and upto 16 LBS
		D	More than 16 LBS and upto 20 LBS
		E	More than 20 LBS and upto 24 LBS
		F	More than 24 LBS and upto 28 LBS
3	CB	A	Upto 8 LBS
		B	More than 8 LBS and upto 12 LBS
		C	More than 12 LBS and upto 16 LBS
		D	More than 16 LBS and upto 20 LBS
		E	More than 20 LBS and upto 24 LBS
		F	More than 24 LBS and upto 28 LBS
4	CRT/CRX	A	Upto 8 LBS
		B	More than 8 LBS and upto 12 LBS
		C	More than 12 LBS and upto 16 LBS
		D	More than 16 LBS and upto 20 LBS
		E	More than 20 LBS and upto 24 LBS
		F	More than 24 LBS and upto 28 LBS
5	CRM	A	Upto 8 LBS
		B	More than 8 LBS and upto 12 LBS
		C	More than 12 LBS and upto 16 LBS
		D	More than 16 LBS and upto 20 LBS
		E	More than 20 LBS and upto 24 LBS
		F	More than 24 LBS and upto 28 LBS

[5] Notified vide Notification No. 7/9/2021-DGTR dated 27th September 2021.

9. It is also noted that post the issuance of the final findings[6] in the original investigation, the Authority conducted an anti-circumvention investigation[7]. Through its final finding[8] dated 19th March 2019, the Authority concluded that the duties imposed on jute sacking bag was being circumvented through exports of jute sacking cloth from Bangladesh and consequently through Customs Notification No. 24/2019-Customs (ADD)[9] anti-dumping duty was also extended on jute sacking cloth imported from Bangladesh.

10. Regarding the submission of interested parties with respect to difference in the jute yarn/twine, the Authority notes that the production of fabric in fact requires single ply yarn, whereas production of yarn for stitching bag requires two ply or three-ply yarn. The Nepalese producers have not established with verifiable information that this yarn is not produced and sold in India. It is also noted that the Nepalese producers did not identify any product attribute for making a possibly different PCN for this product.

11. The Authority further notes that the PCNs for yarn have been devised considering grade/quality/batch and count. In respect of grade/quality/batch, yarn was divided into sacking, hessian, CB, CRX/CRT, and CRM. In respect of count, yarn has been divided into certain pounds. The PCN have been devised and finalised after due consultation with all the stakeholders. The Authority has not identified the attribute now advocated by the interested parties. Further, the interested parties have not established how the attributes identified by them shall result in a different product, and how the goods produced and sold by the domestic industry does not meet the criteria laid down for like article under the AD Rules. The Authority considers that the yarn exported by the Nepalese producers, by their own admission, is used for the same applications for which yarn produced and sold by the domestic producers is consumed.

12. The Authority notes from the information on record that the PUC produced by the domestic industry is "like article" to the goods imported from the subject countries. The goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of technical specifications, functions or end-uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially interchangeable. Accordingly, the Authority holds that the subject goods produced by the applicant are 'like article' to the subject goods being imported from the subject countries.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1 Views of the domestic industry

13. The domestic industry has made the following submissions with regard to the domestic industry and the standing:

i. The application has been filed by Indian Jute Mills Association (IJMA) and six members of the applicant association have participated as domestic producers and filed the requisite information. The application has received supported from 33 producers prior to the initiation of the investigation.

ii. Further, six other producers have filed injury information duly supported with tax audit reports and financial statements, supporting the application post-initiation.

iii. Twenty-six other producers of the Indian jute industry have also provided the Authority with segregated data regarding government procurement and open market for basic volume information for the entire injury period.

iv. The analysis of domestic industry's standing is not a mandatory requirement in a sunset review investigation.

v. The applicant companies have neither imported the subject goods from the subject countries nor are they related to any importer in India or producer/exporter from subject countries.

---

[6] Final Findings issued in *Anti-dumping investigation concerning imports of "Jute products" viz- Jute Yarn/Twine (multiple folded/cabled and single), Hessian fabric, and Jute sacking bags from Bangladesh and Nepal* dated 20th October 2016, F. No. 14/19/2015-DGAD.

[7] Initiation of *Anti-Circumvention investigation concerning alleged circumvention of anti-dumping duty imposed on the imports of Jute Sacking Bags from Bangladesh* dated 20th March 2018, F. No. 7/3/2018 – DGAD.

[8] Final Findings issued *in Anti-Circumvention investigation concerning alleged circumvention of anti-dumping duty imposed on the imports of Jute Sacking Bags from Bangladesh dated* 19th March 2019, F. No. 7/3/2018 – DGAD.

[9] Dated 18th June 2019.

vi. M/s Cheviot Company has submitted that it has imported jute yarn from Bangladesh for their SEZ unit. and, therefore, should be considered irrelevant under Rule 2(b) of the AD Rules.

vii. The applicant companies constitute 'a major proportion' of the total Indian production according to Rule 2(b) and considering the support received, they also satisfy the requirement of standing under Rule 5(3) of the AD Rules.

viii. The production figures of the participating companies reported in the petition are only for the PUC. The miniscule quantity of the N-PUC produced by M/s Gloster Ltd. has been excluded while determining the share of the petitioning companies. Moreover, inclusion of the N-PUC data in case of the other domestic producers would at the least understate the share of the present domestic industry in gross domestic production.

ix. Regarding the submission of the other interested parties requesting the Authority to look beyond the legal provisions and to take into commercial considerations for addressal of potential risks to the Indian industry which does not form part of the domestic industry, it is submitted that as per Article 3.4 of the Anti-dumping Agreement, the investigating authority has to determine the injury with respect to the domestic industry. The information of other domestic companies not forming part of the domestic industry is not relevant for evaluating the "relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the domestic industry".

x. The companies outside the domestic industry provide no basis for conclusions about the impact of dumped imports on the domestic industry. In the EC - Bed Linen[10] dispute, it has been held that *information concerning other companies does not inform the evaluation of "factors and indices having a bearing on the state of the industry" and, therefore, the European Commission had failed to act consistently with Article 3.4 of the Anti-dumping Agreement* as they considered the producers not part of the domestic industry in its evaluation.

xi. Regarding the contention of the other interested parties that only six out of the fifteen applicants in the previous investigations have participated in the present investigation and that the composition of the domestic industry has changed, it is submitted that the production by the applicant companies accounts for major proportion. In the case of a scattered and fragmented industry 28 % share should be considered as sufficient to be considered a major proportion. Further, volume injury has been claimed and the Authority should consider the adverse effect on the volume parameters for the industry as a whole. The information regarding the details of the market share in demand for the Indian industry as a whole has been submitted with the Authority.

xii. Regarding the claim of other interested parties that the other applicants in the previous investigations have not joined the present investigation because of the huge improvement in the performance parameters it is submitted that this argument is purely conjectural. Further, the claim of injury is based on the continued adverse effect on the domestic producers as a whole, and likelihood of intensified injury in the event of cessation of antidumping duty. Therefore, such allegations are without relevance

D.2 Views of the other interested parties

14. Following submissions have been made by the other interested parties regarding the standing of the domestic industry:

i. The websites of the petitioning companies states that they produce several varieties of jute products, not all of which are claimed to be covered under the PUC. However, while stating the performance of the domestic industry, the applicant has presented the entire quantity of production of the petitioning companies as the total production of the PUC except for the POI wherein there is a marginal difference. In spite of this, share of production of all varieties of jute products of the petitioning companies has been marginally above 25% of total domestic production during the injury period. If the Authority considers the production of only the PUC by the applicant companies, then their share will be much lower than 25%. The Authority should examine whether the petition meets the requirement of Rule 23 (1B) read with Rule 2(b).

[10] European Communities — Anti-Dumping Duties on Imports of Cotton-type Bed Linen from India WT/DS141/R.

ii. The collective output of the six petitioners during the POI is 242,175 MT out of the total Indian production of 863,565 MT i.e., 28.04% of the total Indian production. The said output cannot be considered to be a major proportion of the Indian domestic industry as the rest of the Indian producers constitute more than 70%. Even in the original investigation, the collective output of the petitioners was 42.78%. Therefore, the application should be rejected solely on the grounds of standing.

iii. The Authority should also examine the standing of the domestic industry with respect to each product type to verify as to whether the domestic industry is representative for each of the product types.

iv. The petitioner has not submitted any evidence to substantiate its claim that it is a fragmented industry.

v. Cheviot Company Limited is ineligible to be treated as part of the domestic industry as it has imported the subject goods during the POI. Rule 2(b) of the AD Rules excludes producers who "*are themselves importers…"* in which case, "*the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers*." While it has been stated that Cheviot has imported jute yarn from Bangladesh for their SEZ unit, the prescription for disqualification of domestic producer from scope of domestic industry upon importing subject goods under Rule 2(b) is not couched in any exceptions and is absolute.

vi. Without prejudice to the submission that Cheviot Company Limited cannot be included within the domestic industry, the petitioners account for only 28% of the Indian production notwithstanding the inclusion of Cheviot and therefore, cannot be said to be a constituting 'a major proportion'.

vii. Regarding what constitutes a major proportion the WTO panel in China — Autos (US)[11] had observed that the percentage of production covered must be sufficiently large to qualify as an "important, serious or significant" proportion of total production. In the abovesaid report, the WTO Panel held that the threshold requirement of 25% for making an application has no correlation with the requirement to constitute major proportion. Rather, the investigating authority is required to determine whether the domestic producers being examined are sufficiently large, varied, important, serious, significant to be considered as representative of the domestic industry.

viii. Twenty – nine companies had participated in the original investigation. The number of participants has fallen from 15 to 6 which shows that other jute mills are not participating in the present investigation because of improvement in their economic parameters.

ix. While 25% is minimum threshold, facts and circumstances must be examined on case-to-case basis to determine whether the domestic producers constituting the domestic industry represent an important, major and significant share of domestic production so as to constitute 'a major proportion'. When the

---

[11] "*7.207. When an IA defines the domestic industry as producers of the like product accounting for a "major proportion" of total domestic production, it must ensure that the percentage of production covered is sufficiently large to qualify as an "important, serious or significant" proportion of total production. That both the Anti-Dumping and SCM Agreements refer to "a" major proportion as opposed to "the" major proportion indicates that the percentage of production deemed a "major proportion" need not be greater than 50% of total production. We note in this respect that a panel previously accepted 46% of total production as sufficiently "important, serious or significant" to constitute a major proportion of total domestic production…*

…

…

7.220 On appeal, China argued, inter alia, that the Panel erred in rejecting China's claim that the domestic industry as defined did not account for a "major proportion" of total domestic production. ***The Appellate Body upheld China's appeal with respect to the major proportion issue, but rejected the remainder of China's appeal. The Appellate Body found that the IA had relied on a 25% benchmark in concluding that 27% of total domestic production was a major proportion. The Appellate Body concluded that this benchmark, which was based on the standing requirement in Article 5.4 of the Anti-Dumping Agreement, was "wholly unrelated" to the proper interpretation of the term "major proportion", and thus, by applying that benchmark, the IA defined a domestic industry covering a low proportion of domestic production, significantly restricting the data coverage for an accurate and undistorted injury determination.[345] In addition, the Appellate Body concluded that, by defining the domestic industry on the basis of producers' willingness to be included in the sample, the IA's approach imposed a self-selection process among domestic producers that introduced a material risk of distortion.*** *The Appellate Body observed that the sample was a subset of the domestic industry, and thus the Appellate Body failed to see why willingness to be included in the subset should affect inclusion in the wider universe of the domestic industry.346 Moreover, the Appellate Body noted that the IA had, in fact, identified and obtained information from more producers than the 45 it ultimately included in the domestic industry.* ***The Appellate Body concluded that by including in the domestic industry only those producers willing to be included in the sample, the IA's approach shrank the universe of producers whose data could have been used in making the injury determination.***"

domestic industry comprises of a large majority of jute mills which have not participated, and only six jute mills constituting a mere 28% of the total domestic production have participated, they should not be considered as representative of the domestic industry.

a. Support letters contained in both letters dated 9th of March 2022 filed by the applicant - Indian Jute Mills Association on behalf of the various domestic producers supporting the levy have not been submitted in conformity with Trade Notice No.13 of 2018. The support letters should not be accepted at this stage as the same is also grossly delayed, especially considering the fact that the oral hearing between the interested parties had already been conducted along with the exchange of written submissions and rejoinder submissions.

b. Accepting support letters at such belated stage would be in derogation of time limits prescribed in law and by Authority, especially since no information whatsoever as required in questionnaires provided under Annex-I and Annex-II of Trade Notice No. 13 of 2018 was submitted by the supporters at stage of initiation or within the time limit prescribed in the Initiation Notice dated 28th June 2021.

x. IJMA has not provided any evidence that they qualify as an interested party in terms of Rule 2(c)(ii) and Para 4.9.10 given at page no. 50 of the Manual of Operating Practices for trade remedy investigations. They have not even provided a list of members(producers) producing the subject goods to enable the Authority to ascertain their status as an interested party.

xi. The thirty-three supporting companies have not provided any data for investigation. They have only enclosed their letters of support with the petition which is not sufficient enough to reach any conclusion. These companies cannot be treated as supporting companies in terms of Trade Notice No. 13/2018 dated 27th September 2018 and Trade Notice No. 14/2018 dated 1st October 2018.

D.3 Examination by the Authority

15. Rule 2(b) of the AD Rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry " means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry ' must be construed as referring to the rest of the producers"

16. The application has been filed by Indian Jute Mills Association (IJMA). Following members of the applicant association have participated as domestic producers and have filed the requisite information:

i. Bowreah Jute Mills Pvt. Ltd.

ii. Caledonian Jute & Industries Ltd

iii. Cheviot Company Limited

iv. Gloster Limited

v. Hoogly Infrastructure Pvt. Ltd.

vi. Ludlow Jute & Specialities Limited

17. The application filed by IJMA was supported by the following other domestic producers:

i. Alliance Mills (Lessees) Ltd.

ii. Bally Jute Company Ltd.

iii. Budge Budge Co.Ltd.

iv. Mahadeo Jute & Industries Ltd.

v. RDB Textiles Ltd.

vi. Shaktigarh Textile and Industries Ltd.

vii. Jagatdal Jute & Industries Ltd.

viii. Kamarhatty Co. Ltd.

ix. The Naihati Jute Mills Co.Ltd.

x. Reliance Jute Mills (International) Ltd.

18. Post filing of the application, the Authority received support letters from the following domestic producers:

i. Prabartak Jute Mills Limited
ii. Kalinga Jute Products Pvt. Ltd.
iii. Eluru Jute Mills Pvt. Ltd.
iv. HSB Agro Industries Ltd.
v. The Mahabir Jute Mills Ltd.
vi. Maheswari Jute Spinners Pvt. Ltd.
vii. Aditya Translink Pvt. Ltd.
viii. Ambica Jute Mills
ix. Anglo India Jute & Textile Industries Pvt. Ltd.
x. Auckland International Ltd.
xi. The Angus Company Ltd.
xii. Barnagore Jute Factory Plc.
xiii. Birla Corporation Ltd.
xiv. Dalhousie Jute Company
xv. Delta Limited
xvi. The Empire Jute Company Ltd.
xvii. The Ganges Manufacturing Co., Ltd.
xviii. The Hooghly Mills Company Ltd.
xix. Vijai Shree Pvt. Ltd.
xx. Calcutta Jute Manufacturing Co. Ltd.
xxi. Shree Gouri Shankar Jute Mills Ltd.
xxii. Kanknarrah Company Ltd.
xxiii. Northbrook Jute Company Ltd.
xxiv. RDB Textiles Ltd.
xxv. Shaktigarh Textile and Industries Ltd.
xxvi. Sunbeam Vanijya Pvt. Ltd.
xxvii. Agarpara Jute Mills Ltd.
xxviii. Tepcon International (India) Ltd.
xxix. Trend Vyapaar Ltd.

19. The Authority has also received support from another association of the Indian jute industry, namely A P Mesta Twine Mills Association. This association has the following producers as its members:

i. Sai Vardhan Jute Private Limited
ii. Keshava Jute Mills Pvt. Ltd.
iii. Andhra Pradesh Fibres Ltd
iv. Sri Ganesh Jute Mills
v. Sri Lakshmi Jute Mills
vi. Navya Jute Mills Pvt.
vii. Uma Jute Twine Mills
viii. Sri Santhosh Trading Co.
ix. DGR Jute Mills Private Limited
x. Neelam Jute Private Limited
xi. Sri Sksn Jute Mills
xii. Sri Lakshmi Ganapthi Jute Mills

20. Further, the applicant has also submitted to the Authority support letters, wherein the following domestic producers provided volume information such as production, sales, capacity and stocks:

i. The Ganges Manufacturing Co. Ltd.
ii. Goyal Merchants Pvt. Ltd.
iii. HSB Agro Industries Ltd. (Jute Division)
iv. Jagatdal Jute and Industries Ltd.
v. Jutex Industries Pvt. Ltd.
vi. Kamakshi Jute Industries Ltd.
vii. Aditya Translink Pvt. Ltd.
viii. Mahadeo Jute and Industries Ltd.
ix. Birla Corporation Ltd. (Birla Jute Mills)
x. Murlidhar Ratanlal Exports Ltd.
xi. Prabartak Jute Mills Ltd.
xii. RDB Textiles Ltd.
xiii. Reliance Jute Mills (International) Ltd.
xiv. Shree Gouri Shankar Jute Mills Ltd.
xv. The Angus Co. Ltd.
xvi. Alliance Mills (Lessees) Ltd.
xvii. Trend Vyapas Ltd.
xviii. Ambica Jute Mills Ltd.
xix. Auckland International Ltd.
xx. Bally Jute Co. Ltd.
xxi. Budge Budge Co. Ltd.
xxii. Delta Ltd.
xxiii. Ganges Jute Pvt. Ltd.
xxiv. Shaktigarh Textile and Industries Ltd. (Gondalpara Mill Unit)
xxv. Shaktigarh Textile and Industries Ltd (Hastings Mill Unit)
xxvi. Shaktigarh Textile and Industries Ltd (Barshul Mill Unit)

21. The applicant has also submitted injury information of six other producers along with verifiable documents in the form of tax audit reports and financial statements, of the following companies:

i. Anglo India Jute and Textile Industries Pvt. Ltd.
ii. Calcutta Jute Manufacturing Co. Ltd.
iii. Eluru Jute Mills Pvt. Ltd.
iv. The Naihati Jute Mills Co. Ltd.
v. The Hooghly Mills Co. Ltd.
vi. Vijai Shree Pvt. Ltd.

22. Though the Authority has examined the domestic industry's standing, it is noted that the test of standing is not relevant in the case of sunset review. The Authority corroborated the information provided regarding the total Indian production with the information published on the Office of Jute Commissioner's website and found that the figure published on the website is in the same range as the data furnished by the applicant. Information regarding the share of production of the applicant companies and the supporters is given in the table below:

SN	Particulars	Production in MT in the POI	%
1	Applicant's total production	2,35,322	27.46%
2	Supporter (Format H) 6 companies	1,06,620	12.44%
3	Supporter (with volume and value information) 26 companies	4,55,818	53.20%
4	Applicant with supporters (Format H and supporting evidence)	3,41,942	39.91%
5	Applicant along with all supporters	7,97,760	93.12%
6	Others	58,923	6.87%
7	Total Indian production	8,56,683	100.00%

23. From the participation received in the present investigation, including the participating applicant companies and the various number of producers that have supplemented their support to the application with information, the Authority notes that the production of the applicant companies constitutes 27.46% of the total domestic production in India.

24. With regards to the submission of other interested parties regarding exclusion of the NPUC, it is noted that the NPUC produced by the domestic industry has been excluded in determining the share of the domestic industry in total domestic production.

25. It is further noted that the applicant company has not imported the subject goods during the POI and is not related to any exporter or producer of the subject goods in the subject country or any importer of the product under consideration in India.

26. The Authority notes the submission by the other interested parties with respect to imports made by Cheviot Company Limited for its SEZ unit and, therefore, should not be considered as an eligible domestic producer. In this regard, it is noted that the units existing in Special Economic Zones ("SEZ") are not treated as "domestic industry" for the purpose of Rule 2(b) on account of their special status granted in terms of Section 30 of the SEZ Act, 2005. Cheviot Company Limited has its units located in DTA area as well as in SEZ area. The imports made by Cheviot Company Limited has been made for its SEZ unit and not its DTA unit. Thus, imports made for the SEZ unit does not disentitle Cheviot Company Limited from being an eligible domestic producer in terms of Rule 2(b).

27. The Authority also notes that there is no absolute bar under Rule 2(b) of the AD Rules which mandates the exclusion of every domestic producer which has made imports. From the scope of domestic industry. The Gauhati High Court in its recent judgement in *Century Plyboards v. Union of India*[12] has observed that the Authority enjoys certain discretion with respect to inclusion/exclusion of such importing domestic producers[13]. Such discretion is, however, not unfettered and is to be exercised on a case-to-case basis. The imports made by Cheviot is examined below:

SN	Particulars	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	Imports made by Cheviot	1,260	1,431	1,111	960
2	Trend	100	113	88	76
3	Cheviot's production	***	***	***	***
4	Trend	100	98	109	82

[12] W.P.(C) 1102/2022.

[13] "54. In view of the above, it is the considered view of the Court that the amendment brought in to the definition of 'domestic industry' by the notification dated 01.12.2011 in Rule 2(b) of the ADR 1995 do bring in a discretion upon the authorities to include the producers related to the exporters or importers of the dumped article or the importers themselves in the concept of 'domestic industry'. But again because of the nature and implications of the successive amendments, we have to understand that such discretion may not be an absolute discretion but would be a circumstantial discretion to be determined on case to case basis."

5	Total Indian Consumption	11,78,706	11,40,443	12,03,483	10,10,177
6	Total Imports from Bangladesh	98,766	88,256	1,23,016	1,11,912
	Imports in relation to				
7	Own production	2.89	3.24	2.32	2.67
8	Trend	100	112	80	92
9	Indian consumption	0.11	0.13	0.09	0.10
10	Total imports from Bangladesh	1.28	1.62	0.90	0.86

28. It is seen that the imports made by Cheviot Company Limited in its SEZ unit is low in relation to its own production, and insignificant in relation to consumption, total Indian imports and gross domestic production and therefore, holds Cheviot as an eligible domestic producer in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

29. As regards the argument that the supporters have not provided information as per the prescribed trade notice and therefore, should not be treated as supporters to the application made by the applicant, it is noted that indeed, several producers have not provided any information about their economic parameters. However, 32 other domestic producers have provided information on installed capacity, production quantity, sales volume and value, separately for domestic sales, exports and captive consumption as required under Trade Notice No. 05/2021 dated 29th July, 2021. Further, six of the other producers have provided complete injury information along with supporting evidence in the form of tax audit report and financial statements. The Authority notes that it cannot be ignored that the share of the applicant along with the 32 producers providing information as required under Trade Notice 05/2021 dated 29th July, 2021 constitutes around 93% of the total Indian production and share of the applicant along with 6 supporting producers who have provided information along with supporting evidence constitutes around 40% of total Indian production.

30. The Authority has not taken into account the injury information provided by such producers who have submitted it at a belated stage. However, since these companies have provided relevant information, the same has nevertheless been separately examined in order to ascertain whether their performance shows a materially different position as compared to the applicant domestic industry, and whether non-consideration of their data would lead to material distortion in the eventual conclusion and for examining the overall state of the Indian industry as a whole.

31. Considering the above facts, the Authority holds that the applicant companies constitute domestic industry under Rule 2(b) of the AD Rules and the application meets the requirements of 'standing' under Rule 5(3) of the AD Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1 Views of the domestic industry

32. The domestic industry has made the following submissions with regard to confidentiality:

i. The information claimed as confidential by the domestic industry are related to price which is a business sensitive information and as such cannot be disclosed in any manner. As regards the comment that actual figures should have been disclosed, it must be noted that injury examination is done to evaluate the effect of the dumped imports on the domestic industry over the injury period wherein the investigating authority is required to determine whether the situation of the domestic industry during the POI can be described as "injurious". In this respect, the trend of the information is more important while examining injury rather than the actual figures.

ii. As regards the information on surplus estimates in Bangladesh, demand and supply/ production in Bangladesh, consumption of raw jute in Bangladesh etc. is concerned, it is submitted that this information cannot be disclosed as the same is not readily available in public domain. However, the sources through which such information has been taken have been disclosed.

iii. The applicant had circulated the non-confidential version of the application and addendum vide letter dated 22.06.2021 along with all the information filed post filing of the initial petition. The injury annexures also underwent some minor changes for which an addendum was attached along with the application. There was no change in the figures for the injury period in the application considered at the

stage of initiation and the information was provided after updating the POI data.

E.2 Views of the other interested parties

33. Following submissions have been made by other interested parties regarding confidentiality:

i. Majority of information provided in the petition has been kept confidential for which no non-confidential summary has been provided. No non-confidential summary has been provided even for information such as surplus estimates in Bangladesh, demand and supply/production in Bangladesh, consumption of raw jute in Bangladesh and so on which pertains to the respondents. This makes it difficult for the respondents, to properly evaluate the situation and make useful contribution in the investigation.

ii. The ability of the respondents to verify and assess whether the entire gamut of information submitted by the supporters with respect to Annex-II in the letter circulated on 14th March 2022 or for that matter, the limited volume information submitted by the supporters vide letter dated 11th March 2022 has been completely circumscribed as the supporters providing such information have claimed complete confidentiality without providing an adequate non-confidential summary or reasons why such summarization is not possible.

iii. The domestic industry has claimed excessive confidentiality and has filed an incomplete petition. The domestic industry has not furnished any information related to costing nor has it provided any reasonable justification for its claim as per Rule 7 of the AD Rules and Trade Notice No. 1/2013[14] and 10/2018[15]. The petitioner has withheld and manipulated information related to the allegations of injury.

E.3 Examination by the Authority

34. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

" Confidential information : (l) Notwithstanding anything contained in sub-Rules (2), (3)and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, and sub-rule (4) of rule 15, and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of the investigation shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality be treated as such by tt and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the party's providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information. "

35. The Authority notes the submissions of the interested parties with respect to the confidential report filed by the domestic industry in relation to Bangladesh and Nepal regarding surplus capacity, demand, supply etc. The domestic industry expressed its inability to provide an adequate non-confidential summary of the same as it contained third party information. The Authority, therefore, notes such excessive confidentiality would have prevented other interested parties from making meaningful submissions on certain aspects such as surplus estimates in Bangladesh, demand and supply/production in Bangladesh, consumption of raw jute in Bangladesh, etc. Accordingly, the Authority has not accepted the same.

36. Regarding other submissions made by the domestic industry and the other interested parties with regard to confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. The Authority notes that the information provided by the interested parties on confidential basis was duly examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been

[14] Trade Notice No: 1/2013 Requirements for Submission of Confidential/Non-confidential information by Stakeholders.

[15] Trade Notice No: 10/2018 Streamlining of Anti-Dumping Investigations- Clarification regarding Disclosure of Information in Confidential Version / Non-Confidential Version of Responses filed by the Domestic Industry and Other Interested Parties dated 7th September 2018, F.No. 4/17/2018.

considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient nonconfidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

F. MISCELLANEOUS

F.1 Views of the domestic industry

37. The domestic industry has made the following miscellaneous submissions:

i. The domestic industry shall respond to the offer of price undertaking as and when the Authority communicates the conditions and base price for the same.

ii. Applicant has provided the import data in PDF and has complied with the Trade Notice 07/2018. Since the CESTAT order in Exotic Décor Pvt. Ltd., the Authority authorizes all interested parties to obtain such data from DGCI&S. No prejudice can be caused to the interested parties by obtaining the import data in PDF from the petitioner and in excel form from DGCI&S.

F.2 Views of the other interested parties

38. The other interested parties have made the following miscellaneous submissions:

i. The initiation is bad in law as the Authority has not made any enquiry from other domestic producers to ascertain likelihood and injury as it had done in a recent investigation.

ii. Initiating a sunset review is a two-stage process. The first stage being an examination of the sunset review application with a view to satisfy itself that such a review is required to be initiated. In the present case, initiation notice does not reveal the basis on which the Authority came to the conclusion that a review was required vis-à-vis Nepal since dumping margin was found *de minimis*. Furthermore, no *prima facie* satisfaction was recorded about the continuation of injury to the domestic industry due to imports from Nepal or for that matter, a likelihood thereof.

iii. The Authority has observed that a number of factors indicate the existence of likelihood of recurrence of injury from Bangladesh but with respect to Nepal it was only mentioned that India is a significant market for Nepalese producers and that price undercutting was positive. However, the petition filed by the domestic industry indicated a negative price undercutting. In a situation where neither dumping has continued nor injury to the domestic industry is likely to recur, sunset review investigation against Nepal should not have been initiated.

iv. Despite (i) Arihant Multi-Fibres Limited, and (ii) Shree Raghupati Jute Mills (iii) Swastik Jute Mills Pvt. Ltd., and (iv) Baba Jute Mills Pvt. Ltd. having participated in the original investigation and an individual rate of duty been ascribed to them, the domestic industry has not mentioned these producers/exporters from Nepal in their application for the initiation of investigation. It indicates that no effort was made by the petitioner to determine the producers and exporters from Nepal since no material injury is being suffered due to imports coming from Nepal.

v. From the submissions made by the domestic industry during the course of the investigation, it is manifest that the apprehension regarding likelihood of injury expressed is solely focused on imports from Bangladesh and not Nepal. As the petitioners have conspicuously omitted Nepal from the said discussions, it shows that they are not perturbed by imports from Nepal.

vi. With the change in the POI by the Authority, the petitioner was supposed to change the data pertaining to the POI only, however, to our surprise, the petitioner has changed all the vital figures of the injury period in their revised petition for the POI as well as the previous years. It appears that the domestic industry was trying to manipulate the data by making amendments in the petition to mislead the Authority. This raises serious questions about the reliability and authenticity of the data provided by the petitioner.

vii. The petitioner was required to file the correct information at the initiation stage itself strictly in terms of the prescribed formats. The information provided in the original petition which formed the basis for the initiation of the present investigation cannot be revised at a later stage without providing specific reasons.

viii. The petitioner has kept the information regarding the possible production capacity of producers from Bangladesh as confidential which is quite surprising as this information is collected from international organisations and the website of the Government of Bangladesh. Such information is not confidential by nature and keeping such information confidential contravenes Article 6.5 of the Anti-dumping Agreement.

F.3 Examination by the Authority

39. The miscellaneous submissions by the interested parties to the extent found relevant have been addressed below:

a. As regards the submission that the initiation notification did not reveal the basis on which the investigation was initiated against Nepal, the Authority notes that the initiation notification noted that the dumping margin is negative for Nepal at this stage, however, dumping margin needs to be further looked at during the investigation after considering the PCN-wise information. It was further noted that price undercutting for Nepal was positive and that India is an extremely significant market, making Nepalese producers highly dependent on it which justifies initiation of the investigation against Nepal as well.

b. As regards the argument that there is no evidence placed by the applicant to show that there exists likelihood of dumping and injury from imports of the subject goods from Nepal, it is noted that the application did provide information regarding the prevailing demand, supply and production situation in Nepal to substantiate the likelihood of dumping and injury from Nepal.

c. As regards the argument that the applicant has modified the information for the period prior to the POI while updating information for the POI selected by the Authority, it is noted that the interested parties have incorrectly referred to the data in the application. The information as provided in the addendum to the application had undergone some changes in the period prior to the POI. The application along with the addendum was shared with all the interested parties. Thus, there was no change in the data for years prior to the POI at the stage of initiation.

G. ASSESSMENT OF DUMPING AND DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. Views of the domestic industry

40. The submissions of the domestic industry with regards to the normal value, the export price and the dumping margin, are as follows:

i. The normal value for exporters/producers from Bangladesh has been considered on the basis of prices published by sellers on various websites as no evidence was found regarding the prices of subject goods while the normal value for Nepal has been constructed owing to the absence of publicly available information.

ii. The Authority may consider the following for modification of duty:

a. Where exports volumes are significantly higher in comparison to the levels during the original investigation or in relation to current imports, the export price is to be considered reliable enough to consider modification of duty.

b. Where export volumes are not significant enough to establish reliability of the export price, the dumping margin and injury margin in the current period may not be considered representative and the previous duties may kindly be extended.

c. Reliability of export price with reference to both volume and price is important before considering modification of duty. If there has been a significant increase in imports in the current period, both volume and price should be considered for modification of duty.

iii. The export price was determined on the basis of transaction wise DGCI&S data with due adjustments.

iv. A comparison of the normal value and the export price. shows that the dumping margin is quite significant and positive despite imposition of anti-dumping duties.

v. The declaration of Government of Bangladesh during the hearing that their jute industry is not profitable shows that Bangladeshi exporters are making exports at dumped prices. The responses should be scrutinized in light of this statement and the responses that show a contrary position may be read to imply that the information is not factually correct, or even fabricated.

vi. As regards the submission that the dumping and injury margin claims by the applicant are highly misleading and inflated, it is submitted that the applicant does not object to calculation of margins based on responses filed provided the same be examined as not deficient and incomplete in any manner. Based on the statement made during the oral hearing the applicant suspects that the

questionnaire responses are grossly deficient.

vii. The other interested parties have submitted that applicant's analysis of normal value, export price and dumping margin are violative of AD Rules and Anti-dumping Agreement and that such faulty analysis also colours the likelihood analysis. It has also been contended dumping margin be calculated on the basis of information regarding cost of production, export price to India as submitted by the respondent in their EQRs. With respect to these contentions, it is submitted that the normal value, export price and the dumping margin has been determined on the basis of the best information available and are not faulty.

viii. The Authority should verify the claims made by the interested parties in their EQRs and examine them particularly from the perspective of likelihood of dumping and injury.

ix. None of the interested parties have denied the occurrence of dumping during the oral hearing. In fact the Government of Bangladesh admitted that the sales are not profitable and thus, the claim of no dumping appears to be incorrect. Arguendo, if the dumping margin is negative, the Authority should consider the volume and the price at which goods have been sold in the export market, their capacity, export orientation etc. to determine likelihood.

x. All responses filed by Alijan Jute Mills Ltd., Nawab Abdul Malek Jute Mills (Bangladesh) Ltd., and Sonali Aansh Industries Ltd., should be rejected as the same was filed vide links despite DGTR's requirement not permitting it. A party filing through such medium can amend/alter their submissions anytime despite having made incorrect/deficient submission.

xi. According to the website of Rabeya Jute Mill, it has three sister concerns that are engaged in trading, namely Abdul Samad and Sons, Samad Trading Corporation, S.R. Enterprise, but none of these names were mentioned in the response and it is not known whether any of these listed traders are engaged in the trading of the subject goods.

xii. Erans Trade International Ltd. (related exporter of Mouna) identifies itself as a mere exporter of the subject goods in its response but on their website, it has claimed that it is a producer of the subject goods. This contradiction should be verified and if it is a producer, then it should have provided all relevant information that a producer has to file. If such information cannot be verified, the Authority may reject the response of not just Erans but the entire group.

xiii. According to the questionnaire responses 14 exporters have seen an increase in exports to India and all of them fall in the low duty/exempted category. This trend is not coincidental but rather a planned activity to continuously export the subject goods in the Indian market and as per market intelligence, these exporters constitute about 50% of the total volume of the subject imports. Some of the exporters do not even have the capacity to export the subject goods in huge volumes and are routing exports of producers having high duty.

xiv. The applicant through its letter[16] dated 04th June 2021 has explained as to why certain evidence of prices that were available were not chosen or considered appropriate. The letter also contains the final and appropriate information to be considered for determining the normal value and has also provided the sources, i.e., links of the prices considered. The normal value tables given in the letter dated 22nd June 2021 are merely a replication and extension of the information given in the previous letter. Further, the applicant has adjusted the normal value considering available information and the best estimates.

xv. Regarding the transaction wise cash incentives provided by the Government to the respondent, the Authority had in the original dumping investigation stated that the said adjustment is not specifically provided under Article 2.4 of the Anti-dumping Agreement. The Hon'ble CESTAT has also considered that the approach adopted by the Authority is appropriate. Further, no authority allows adjustment for duty drawback received by Indian exporters, nor DPEB was being allowed when it was being granted.

G.2. Views of the other interested parties

41. The other interested parties have made the following submissions with regard to the normal value, export price and dumping margin:

[16] Paras 7-12 of the letter.

i. The applicant has not submitted any evidence which indicates that the export price of any exporter is unreliable.

ii. With respect to dumping from Nepal, the Authority had observed in the initiation notice that as comparisons were done on an average basis, *de minimis* dumping margin may not be representative of actual situation of dumping due to various PCNs involved. However, PCNs were suggested by the Authority only with respect to jute yarn and not sacking bags or hessian fabric. Also, the producers/exporters from Nepal have only exported one type of jute yarn which does not fall under any of the PCNs suggested by the Authority. As such, overall dumping margin from Nepal is negative notwithstanding the multiple PCNs suggested by the Authority vis-à-vis yarn/twine as Nepal exports only one product type per category of the PUC i.e., yarn, hessian fabric and sacking bags.

iii. In paragraph 8 of the letter of the petitioner sent to the Authority on 4 June 2021, it was mentioned: "*8. The petitioner made efforts to gather evidence of domestic prices of jute products in Nepal and Bangladesh, however, as it would be seen from the table below, these prices are not reliable as they seem to be one blanket price for all product types, thus making it unreliable for analysis*". Moreover, in paragraph 12 of the same letter, the petitioner has stated the following: *"12. Petitioner has further found following information/evidence with regard to costs/prices in Bangladesh. These could however not be used for the reason that these do not contain information about specific type of the product involved"*. Thus, the petitioner itself claims that the prices and cost of production provided by it are not reliable.

iv. Despite being fully aware of the fact that jute products are imported through land customs station, the petitioner has charged US$ 30/MT as freight to artificially reduce the export price. Secondly, 3% commission charge was adjusted in the petition, which is arbitrary. It is clear from the EQR of the respondent that respondent has never provided such commission. Thirdly, bank charge, insurance charge and inland transportation cost considered in the petition are all arbitrary. For instance, marine insurance is normally 0.10% to 0.125% of 110% of the CIF value and it is never as high as 0.5% of CIF as claimed by the applicant.

v. Moreover, while estimating the normal value for different categories of jute products, the petitioner has failed to estimate the export price of the same category of jute products.

vi. Appendix 3A of EQR of the respondent shows that it received cash incentive from the Government during the POI. Without considering this adjustment, a fair comparison in line with Annexure I of the AD Rules and Article 2.4 of the Anti-dumping Agreement cannot be made.

vii. Since the petitioner has relied on positive dumping margin as a ground for the likelihood analysis for the continuation of anti-dumping duty, the respondent, based on the above mentioned three factors, submits that the likelihood analysis based on such faulty determination of dumping margin contradicts with both the AD Rules as well as the WTO disciplines.

viii. The Authority may determine the individual margins of dumping and injury based on the responses as filed by each of the parties as the claims of dumping and injury margin made by the petitioners are highly misleading and inflated and cannot form the basis for a fair and just determination.

ix. Individual margins for all exporters irrespective of the sampling done be determined since complete response have been filed by all the exporters upon initiation.

x. Determination of fresh dumping and injury margin are essential because the margins determined in the original case have undergone substantial changes.

xi. Three entities from Nepal i.e. (i) Swastik Jute Mills Pvt Ltd; (ii) Baba Jute Mills (P.) Ltd and (iii) Nepal Jute Industries Pvt Ltd have not been selected in the sample. The Authority must determine individual dumping margins for them as they have filed full questionnaire responses with all supporting documents and evidence. The prevalent global practice is to select a sample first and then proceed to direct the sampled producers to provide full EQRs.

xii. Arihant Multi-Fibres Limited and Shree Raghupati Jute Mills Ltd. are related parties which had participated and were considered cooperative in the original investigation and were allotted a common rate of duty with hessian fabric being assigned a nil rate of duty. Since no duty was levied in the original investigation itself, a product which was not found to be dumped and not subject to duty cannot be subject to sunset review. Therefore, the present sunset review investigation should be restricted to examination of only jute yarn/twine and sacking bags in so far as Arihant Multi-Fibres Limited and Shree Raghupati Jute Mills are concerned. As per the WTO Appellate Body Report in Mexico — Anti-Dumping Measures on

Rice[17], an anti-dumping investigation must be terminated against a producer/exporter once the rate of dumping is determined as *de minimis*.

xiii. The statement of the Government of Bangladesh regarding losses suffered by the exporters/producers of Bangladesh was of general nature and is not applicable to all exporters/producers from Bangladesh.

xiv. A.M. Jute Industries Ltd. has provided the Authority with its actual information which has been verified by the Authority and it is requested that the Authority use this information for computation of dumping and injury margin.

xv. The claims with respect to alleged traders of M/s Rabeya Jute Mills is entirely unfounded and has no basis. The listed concerns are independently run and are in no way related to M/s Rabeya Mills and none of them deal in jute or jute related products.

xvi. Erans Trade International Ltd. is only an exporter of finished goods and is not a manufacturer. The website of the company is under construction and the developer of the website has used the term wrongly which was not verified by the Company. Therefore, it is requested that the Authority should ignore the same.

xvii. Out of the 14 exporters referred to by the petitioners whose imports to India have allegedly increased, eleven are subject to high duty. The exports of the three other producers have declined during the POI as can be seen from Annexure C.

G.3. Examination by the Authority

42. Under Section 9A (1)(c) normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

(b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

43. At the time of initiation, the Authority determined the normal value by taking the facts which were considered sufficient to initiate the investigation, However, after initiation the determination of normal value has been made after taking into account the responses received from the interested parties.

44. Since a large number of producers/exporters from the subject countries have responded, the Authority has undertaken sampling as per the relevant provisions relating to sampling is Article 6.10 of the Anti-Dumping Agreement[18] and Rule 17 (3) of the AD Rules.[19]

---

[17] Appellate Body Report, Mexico – Definitive Anti-Dumping Measures on Beef and Rice WT/DS295/AB/R dated 29 November 2005.

[18] Article 6.10: "The authorities shall, as a rule, determine an individual margin of dumping for each known exporter or producer concerned of the product under investigation. In cases where the number of exporters, producers, importers or types of products involved is so large as to make such a determination impracticable, the authorities may limit their examination either to a reasonable number of interested parties or products by using samples which are statistically valid on the basis of information available to the authorities at the time of the selection, or to the largest percentage of the volume of the exports from the country in question which can reasonably be investigated.

45. As regards the claim on adjustment on export subsidy by the producers/exporters of Bangladesh, the Authority holds that this adjustment is not specifically provided under Article 2.4 of the WTO Agreement on Anti-dumping.

46. Accordingly, the Authority had undertaken sampling of 19 exporter questionnaires filed by various producers/exporters from the subject countries. The sampling has been done by selecting exporters with different quantum of exports to India. Based on the sampling following 19 producers/exporters were firmed up as a sample after seeking views of all concerned cooperative producers/exporters, which are as follows:

i. Hasan Jute Mills Limited
ii. Hasan Jute Spinning Mills Limited
iii. Alijan Jute Mills Limited
iv. Arnu Jute Mills Limited, Bangladesh
v. A.M. Jute Industries Limited
vi. Sagar Jute Spinning Mills Ltd.
vii. Sidlaw Textiles Ltd.
viii. Oriental Jute Mills
ix. Nawab Abdul Malek Jute Mills (Bangladesh) Limited
x. Nawhata Jute Mills Ltd
xi. Rabeya Jute Mill
xii. Bogra Jute Mills Ltd
xiii. Ranu Agro Industries Limited, Bangladesh
xiv. Sonali Aansh Industries Limited.
xv. Mouna Jute Mills Ltd
xvi. Erans Trade International Ltd
xvii. Ecotrade International
xviii. Arihant Multi-Fibres Ltd
xix. Shree Raghupati Jute Mills Ltd.

47. The Authority has determined the normal values for all the sampled producers/exporters on the basis of the information submitted by them in the following manner:

6.10.1 Any selection of exporters, producers, importers or types of products made under this paragraph shall preferably be chosen in consultation with and with the consent of the exporters, producers or importers concerned.
6.10.2 In cases where the authorities have limited their examination, as provided for in this paragraph, they shall nevertheless determine an individual margin of dumping for any exporter or producer not initially selected who submits the necessary information in time for that information to be considered during the course of the investigation, except where the number of exporters or producers is so large that individual examinations would be unduly burdensome to the authorities and prevent the timely completion of the investigation. Voluntary responses shall not be discouraged."

[19] Rule 17 (3): "The designated authority shall determine an individual margin of dumping for each known exporter or producer concerned of the article under investigation: Provided that in cases where the number of exporters, producers, importers or types of articles involved are so large as to make such determination impracticable, it may limit its findings either to a reasonable number of interested parties or articles by using statistically valid samples based on information available at the time of selection, or to the largest percentage of the volume of the exports from the country in question which can reasonably be investigated, and any selection, of exporters, producers, or types of articles, made under this proviso shall preferably be made in consultation with and with the consent of the exporters, producers or importers concerned:

Provided further that the designated authority shall, determine an individual margin of dumping for any exporter or producer, though not selected initially, who submit necessary information in time, except where the number of exporters or producers are so large that individual examination would be unduly burdensome and prevent the timely completion of the investigation."

a. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine the profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. If profit making transactions are more than 80% of the total sales, then all the transactions in the domestic sales has been considered for the determination of normal value and in cases, profitable transactions is less than 80%, only profitable domestic sales have been taken into consideration for the determination of the normal value; or

b. Where there were no domestic sales or no profitable domestic sales or the domestic sales were insufficient of comparable product, the normal value was constructed based on the cost of production of the products exported to India along with reasonable addition for profits.

48. The Authority has accorded individual dumping margins to all the sampled producers/exporters. For the non-sampled producers/exporters, weighted average dumping margin of the sampled producers/exporters has been accorded separately for the 3 product types. The Authority has calculated the dumping margin for the residual category of producers/exporters on the basis of facts available. The non-sampled producers/exporters are as under:

i. Mirza Jute Mills Ltd.

ii. Gem Jute Mill

iii. Afzal Fibre Processing Industries

iv. Anam Jute Products Ltd.

v. Asha Jute Industries Ltd.

vi. Usha Jute Spinners Ltd.

vii. Bonanza Jute Composite & Diverse Factory Ltd.

viii. Jamuna Jute Industries Ltd.

ix. Rahman Jute Mills (Pvt.) Ltd.

x. Joy Jute Mills Ltd.

xi. Jute Textile Mills Ltd.

xii. Golden Jute Industries Ltd.

xiii. Pride jute Mills Ltd.

xiv. Rajbari Jute Mills Ltd.

xv. Hasen Jute Industries Ltd.

xvi. Janata Jute Mills Ltd.

xvii. Sadat Jute Industries Ltd.

xviii. Baba Jute Mills

xix. Swastik Jute mills Pvt. Ltd

xx. Nepal Jute Industries Pvt. Ltd.

xxi. Glory Jute Ltd.

xxii. Madina Jute Industries Ltd.

xxiii. Mazeda Jute Industries Ltd.

xxiv. Reliance Jute Mills Ltd.

xxv. Salim Agro Industries Ltd.

xxvi. Shamsher Jute Mills Ltd.

xxvii. Wahab Jute Mills

xxviii. Akij Jute Mills Ltd.

xxix. Lovely Jute Mills Ltd.

xxx. Nowapara Jute Mills Ltd.

xxxi. Nowapara Packaging Industries Ltd.

xxxii. Bangla Pat Diversified Mills Ltd.

49. The Authority notes that the questionnaire responses filed by Nowpara Jute Mills Ltd., Nowapara Packaging Industries Ltd. and Bangla Pat Diversified Mills Ltd. are incomplete and have, therefore, been rejected by the Authority. Accordingly, these producers have been treated as non – cooperative.

G.3.1. Determination of normal value and export price for all sampled exporters of Bangladesh

50. **Bogra Jute Mill (Producer/Exporter)**

Normal Value

i. Based on the information furnished in the EQ Response, the Authority notes that Bogra Jute Mill (hereinafter referred to as "Bogra/Exporter/the Company") is a producer cum exporter of the subject goods from Bangladesh. As noted, Bogra has exported the subject goods (sacking bag, sacking cloth and two PCNs of yarn) directly to its unrelated customers in India. Bogra has provided the information on PCN basis. Response of Bogra shows that the company has sold sacking bag, sacking cloth and yarn in the domestic market as well as exported the same to India during the POI.

ii. Bogra has sold *** MT of sacking bag and *** MT of two PCNs of yarn in the domestic market during the POI, whereas, it has exported *** MT sacking bag and *** MT of two of the PCNs of yarn to India. The Authority has examined whether their sales are made in ordinary course of trade in terms of Annexure I to the Anti-dumping Rules. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods. If profit making transactions is more than 80% of the total sales, then all the transactions in the domestic sales has been considered for the determination of normal value and in cases, profitable transactions is less than 80%, only profitable domestic sales have been taken into consideration for the determination of the normal value. It was found that *** % sales of sacking bag and *** % sales of jute yarn/twine were profitable. The company has claimed all domestic sales are at ex-factory level and does not involve packing cost, the same is allowed by the Authority after verification. Accordingly, the PCN wise normal value at ex-factory level for Bogra has been calculated and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

Export Price

iii. It is noted that Bogra Jute Mill has exported *** MT sacking bag and *** MT of two of the PCNs of yarn to India during the POI. The Authority has verified the response filed by Bogra Jute Mill. Bogra has claimed adjustments on account of inland transportation, certificate of origin charges, SAFTA expenses, oil content expenses, C&F charges, bank charges and packing cost and the same is allowed by the Authority. Accordingly, the PCN wise ex-factory export price has been calculated and the same mentioned in the dumping margin table below.

PUC	Weighted Average Normal Value (US$/MT)	Weighted Average Export Price (US$/MT)	Dumping Margin (US$/MT)	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
Jute yarn/twine	***	***	(***)	(***)	(10) – 0
Sacking bag	***	***	(***)	(***)	(20) – (10)

51. **Hasan Jute Mills Ltd. (Producer/Exporter) & Hasan Jute & Spinning Mill**

Normal Value

i. Based on the information furnished in the EQ Responses, the Authority notes that Hasan Jute Mills Ltd. and its related company Hasan Jute & Spinning Mill (hereinafter referred to as "Hasan/Exporter/the Company") are producers of subject goods from Bangladesh. However, goods have been exported to India only by Hasan Jute Mills Ltd. and the related company Hasan Jute & Spinning Mill has sold in the domestic market only. As noted, Hasan has exported the subject goods (sacking bag and 8 PCNs of yarn)

directly to its unrelated customers in India. Both companies have provided the information on PCN basis. The response of Hasan shows that the company has sold sacking bag and yarn in the domestic market as well as exported the same to India during the POI.

ii. Both the companies together have sold *** MT of sacking bags and *** MT of eight PCNs of yarn in the domestic market during the POI, whereas, it has exported *** MT sacking bag and *** MT of eight PCNs of yarn to India. The Authority has examined whether their sales are made in the ordinary course of trade in terms of Annexure I to the AD Rules. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods. If profit making transactions is more than 80% of the total sales, then all the transactions in the domestic sales has been considered for the determination of normal value and in cases, profitable transactions is less than 80%, only profitable domestic sales have been taken into consideration for the determination of the normal value. It was found that *** % sales of sacking bag and *** % sales of jute yarn/twine were profitable. The company has claimed all domestic sales are at ex-factory level and does not involve packing cost, the same is allowed by the Authority after verification. Accordingly, the PCN wise normal value at ex-factory level for the group has been calculated and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

Export Price

iii. It is noted that Hasan Jute Mill Ltd. has exported *** MT sacking bag and *** MT of eight PCNs of yarn to India during the POI. The Authority has verified the response filed by Hasan Jute Mill. Hasan has claimed adjustments on account of inland transportation, C&F expenses, net bank charges, document making cost, and packing cost \and the same is allowed by the Authority. Accordingly, the PCN wise ex-factory export price has been calculated and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

PUC	Weighted Average Normal Value (US$/MT)	Weighted Average Export Price (US$/MT)	Dumping Margin (US$/MT)	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
Jute yarn/twine	***	***	(***)	(***)	(10) – 0
Sacking bag	***	***	(***)	(***)	(20) - (10)

52. **Rabeya Jute Mill (Producer/Exporter)**

Normal Value

i. Based on the information furnished in the EQ Response, the Authority notes that Rabeya Jute Mill (hereinafter referred to as "Rabeya/Exporter/the Company") is a producer cum exporter of the subject goods from Bangladesh. As noted, Rabeya has exported the subject goods (sacking bag, hessian fabric and 1 PCN of yarn) directly to its unrelated customers in India. Rabeya has provided the information on PCN basis. The response of Rabeya shows that the company has sold sacking bag and yarn in the domestic market and sacking bag, hessian fabric and one PCN of yarn exported to India during the POI.

ii. Rabeya has sold *** MT of sacking bag and *** MT of one PCN of yarn in the domestic market during the POI whereas, it has exported *** MT sacking bag, *** MT of hessian fabric and *** MT of one PCN of yarn to India. The Authority has examined whether their sales are made in ordinary course of trade in terms of Annexure I to the Anti-dumping Rules. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods. If profit making transactions is more than 80% of the total sales, then all the transactions in the domestic sales has been considered for the determination of normal value and in cases, profitable transactions is less than 80%, only profitable domestic sales have been taken into consideration for the determination of the normal value. In case there is no domestic sales in some of the PCNs, cost plus reasonable profit has been considered for normal value. It was found that *** % of sales of sacking bag and *** % of sales of jute yarn/twine were profitable. There were no domestic sales of hessian fabric. The Company has claimed all domestic sales are at Ex-factory level and does not involve packing cost, the same is allowed by the Authority after verification. Accordingly, the PCN wise normal value at ex-factory

level for Rabeya has been calculated and the same mentioned in the Dumping Margin table below.

Export Price

iii. It is noted that Rabeya Jute Mill has exported *** MT sacking bag, *** MT of Hessian Fabric and *** MT of one of the PCN of yarn to India during the POI. The Authority has verified the response filed by Rabeya Jute Mill. Rabeya has claimed adjustments on account of inland transportation, port & other related expenses, bank charges and packing cost and the same is allowed by the Authority. Accordingly, the PCN wise ex-factory export price has been calculated and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

PUC	Weighted Average Normal Value	Weighted Average Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
Jute yarn/twine	***	***	***	***	30 – 40
Sacking bag	***	***	(***)	(***)	(20) – (10)
Hessian fabric	***	***	(***)	(***)	(20) – (10)

53. **Mouna Jute Mills Ltd. (Producer/Exporter)**

Normal Value

i. Based on the information furnished in the EQ Response, the Authority notes that Mouna Jute Mills Ltd. (hereinafter referred to as "Mouna/Exporter/the Company") is a producer cum exporter of the subject goods from Bangladesh. As noted, Mouna has exported the subject goods (sacking cloth and 2 PCNs of yarn) directly to its unrelated customers in India and also exported the subject goods (Sacking Cloth) through two of its related company namely Erans Trade International Ltd. and Ecotrade International to unrelated customers in India. Mouna and its related companies have provided the information on PCN basis. Response of Mouna shows that the Company have sold sacking bag, sacking cloth, hessian fabric and yarn in the domestic market and sacking cloth and yarn exported to India during the POI.

ii. Mouna has sold *** MT of sacking bag, and *** MT of two of the PCNs of yarn in the domestic market during the POI whereas, it has exported *** MT of two PCNs of yarn to India. The Authority has examined whether their sales are made in ordinary course of trade in terms of Annexure I of the AD Rules. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods. If profit making transactions is more than 80% of the total sales, then all the transactions in the domestic sales has been considered for the determination of normal value and in cases, profitable transactions is less than 80%, only profitable domestic sales have been taken into consideration for the determination of the normal value. In case there is no domestic sales in some of the PCNs, cost plus reasonable profit has been considered for normal value. There were no domestic sales of sacking bag and *** % sales of jute yarn/twine were profitable. The Company has claimed all domestic sales are at ex-factory level and does not involve packing cost, the same is allowed by the Authority after verification. Accordingly, the PCN wise normal value at ex-factory level for Mouna has been calculated and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

Export Price

iii. It is noted that Mouna Jute Mills Ltd. along with its two related exporters namely Erans Trade International Ltd. and Ecotrade International have exported *** MT of two of the PCNs of yarn to India during the POI. The Authority has verified the response filed by Mouna Jute Mill. Mouna has claimed adjustments on account of inland transportation, C&F cost, buying commission, bank cost and packing cost and the same is allowed by the Authority. Accordingly, the PCN wise ex-factory export price has been calculated and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

PUC	Weighted Average Normal Value (US$/MT)	Weighted Average Export Price (US$/MT)	Dumping Margin (US$/MT)	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
Jute yarn/twine	***	***	***	***	0 - 10

54. **Nawhata Jute Mills Ltd. (Producer/Exporter)**

Normal Value

i. Based on the information furnished in the EQ Response, the Authority notes that Nawhata Jute Mills Ltd. (hereinafter referred to as "Nawhata/Exporter/the Company") is a producer cum exporter of the subject goods from Bangladesh. As noted, Nawhata has exported the subject goods (sacking cloth and hessian fabric) directly to its unrelated customers in India. Nawhata has provided the information on PCN basis. Response of Nawhata shows that the Company have sold sacking cloth in the domestic market and sacking cloth and hessian fabric exported to India during the POI.

ii. Nawhata has not made any domestic sales of hessian fabric whereas it has exported *** MT of hessian fabric to India. The Authority has examined whether their sales are made in ordinary course of trade in terms of Annexure I to the Anti-dumping Rules. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. As there were no domestic sales, cost plus reasonable profit has been considered for normal value. There were no domestic sales of hessian fabric. The Company has claimed all domestic sales are at ex-factory level and does not involve packing cost, the same is allowed by the Authority after verification. Accordingly, the PCN wise normal value at ex-factory level for Nawahata has been calculated and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

Export Price

iii. It is noted that Nawhata Jute Mill has exported *** MT of hessian fabric to India during the POI. The Authority has verified the response filed by Nawhata Jute Mill. Nawhata has claimed adjustments on account of truck fare, bank swift cost, port & other related exp and packing cost and the same is allowed by the Authority. Accordingly, the PCN wise ex-factory export price has been calculated and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

PUC	Weighted Average Normal Value (US$/MT)	Weighted Average Export Price (US$/MT)	Dumping Margin (US$/MT)	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
Hessian Fabric	***	***	(***)	(***)	(30) – (20)

55. **Sagar Jute Spinning Mills Ltd. (Producer/Exporter)**

Normal Value

i. Based on the information furnished in the EQ Response, the Authority notes that Sagar Jute Spinning Mills Ltd. (hereinafter referred to as "Sagar/Exporter/the Company") is a producer cum exporter of the subject goods from Bangladesh. As noted, Sagar has exported the subject goods 12 PCNs of yarn directly to its unrelated customers in India. Sagar has provided the information on PCN basis. Response of Sagar shows that the Company have sold sacking bag, sacking cloth and yarn in the domestic market and sacking cloth and yarn exported to India during the POI.

ii. Sagar has sold *** MT of one PCN of yarn in the domestic market during the POI whereas, it has exported *** MT of twelve of the PCNs of yarn to India. The Authority has examined whether their sales are made in ordinary course of trade in terms of Annexure I to the Anti-dumping Rules. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods. If profit making transactions is more than 80% of the total sales, then all the transactions in the domestic sales has been considered for the determination of normal value and in cases, profitable transactions is less than 80%, only profitable domestic sales have been taken into consideration for the determination of the normal value. In case there

is no domestic sales in some of the PCNs, cost plus reasonable profit has been considered for normal value. It was found that *** % of sales of yarn were profitable. The Company has claimed all domestic sales are at ex-factory level and does not involve packing cost, the same is allowed by the Authority after verification. Accordingly, the PCN wise normal value at ex-factory level for Sagar has been calculated and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

Export Price

iii. It is noted that Sagar Jute Spinning Mills Ltd. has exported *** MT of twelve of the PCNs of yarn to India during the POI. The Authority has verified the response filed by Sagar Jute Mill. Sagar has claimed adjustments on account of ocean freight, inland freight, port & other related expenses and packing cost and the same is allowed by the Authority. Accordingly, the PCN wise ex-factory export price has been calculated and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

PUC	**Weighted Average Normal Value (US$/MT)**	**Weighted Average Export Price (US$/MT)**	**Dumping Margin (US$/MT)**	**Dumping Margin %**	**Dumping Margin Range**
Jute yarn/twine	***	***	(***)	(***)	(10) - 0

56. **Sidlaw Textiles (Bangladesh) Ltd. (Producer/Exporter)**

Normal Value

i. Based on the information furnished in the EQ Response, the Authority notes that Sidlaw Textiles (Bangladesh) Ltd. (hereinafter referred to as "Sidlaw/Exporter/the Company") is a producer cum exporter of the subject goods from Bangladesh. As noted, Sidlaw has exported the subject goods (sacking cloth and 12 PCNs of yarn) directly to its unrelated customers in India. Sidlaw has provided the information on PCN basis. Response of Sidlaw shows that the Company have sold sacking cloth and yarn in the domestic market as well as exported the same to India during the POI.

ii. Sidlaw has sold *** MT of four of the PCNs of yarn in the domestic market during the POI whereas, it has exported *** MT of twelve of the PCNs of yarn to India. The Authority has examined whether their sales are made in ordinary course of trade in terms of Annexure I to the Anti-dumping Rules. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods. If profit making transactions is more than 80% of the total sales, then all the transactions in the domestic sales has been considered for the determination of normal value and in cases, profitable transactions is less than 80%, only profitable domestic sales have been taken into consideration for the determination of the normal value. In case there is no domestic sales in some of the PCNs, cost plus reasonable profit has been considered for normal value. It was found that *** % of sales of yarn were profitable. The Company has claimed all domestic sales are at ex-factory level and does not involve packing cost, the same is allowed by the Authority after verification. Accordingly, the PCN wise normal value at ex-factory level for Sidlaw has been calculated and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

Export Price

iii. It is noted that Sidlaw Textiles (Bangladesh) Ltd. has exported *** MT of twelve of the PCNs of yarn to India during the POI. The Authority has verified the response filed by Sidlaw Jute Mill. Sidlaw has claimed adjustments on account of inland transportation, CIF expenses, net banking charges, postage & documentation charges and packing cost and the same is allowed by the Authority. Accordingly, the PCN wise ex-factory export price has been calculated and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

PUC	Weighted Average Normal Value	Weighted Average Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
Jute yarn/twine	***	***	(***)	(***)	(20) - (10)

iv. The Authority notes that Sagar Jute Spinning Mills and Sidlaw Textiles are a group. Accordingly, the following table mentions their normal value, export price and dumping margin as a group:

PUC	Weighted Average Normal Value	Weighted Average Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
Jute yarn/twine	***	***	(***)	(***)	(10) - 0

57. **Alijan Jute Mills Limited and Sonali Aansh Industries Limited (Producer/Exporter)**

Normal Value

i. Based on the information furnished in the EQ Responses, the Authority notes that Alijan Jute Mills Limited (hereinafter referred to as "Alijan/Exporter/the Company") and Sonali Aansh Industries Limited (hereinafter referred to as "Sonali/Exporter/the Company") are the related producer cum exporter of the subject goods from Bangladesh. As noted, Sonali and Alijan have exported the subject goods (13 PCNs of yarn) directly to its unrelated customers in India. Alijan and Sonali have provided the information on PCN basis. Responses of Alijan and Sonali shows that the companies have not made any sales in the domestic market during the POI.

ii. Sonali and Alijan have not made any sales in the domestic market during the POI whereas, Alijan exported *** MT of twelve of the PCNs of yarn and Sonali exported *** MT of nine of the PCNs of Yarn to India. In case there are no domestic sales, cost plus reasonable profit has been considered for normal value. Accordingly, the PCN wise normal value at ex-factory level for Alijan and Sonali as a group have been calculated and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

Export Price

iii. It is noted that Alijan exported *** MT of twelve of the PCNs of yarn and Sonali exported *** MT of nine of the PCNs of yarn to India during the POI. The Authority has verified the responses filed by Alijan and Sonali. Alijan and Sonali have claimed adjustments on account of inland transportation, port and other related expenses, bank charges and packing cost and the same is allowed by the Authority. Accordingly, the PCN wise ex-factory export price for Alijan and Sonali as a group have been calculated and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

Exporter	Weighted Average Normal Value (US$/MT)	Weighted Average Export Price (US$/MT)	Weighted Average Dumping margin	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
Yarn					
Sonali	***	***	***	*** %	10 – 20
Alijan	***	***	***	*** %	10 – 20
Combined	***	*** ***	***	*** %	10 -20

58. **Nawab Abdul Malek Jute Mills (Bangladesh) Limited (Producer/Exporter)**

Normal Value

i. Based on the information furnished in the EQ Response, the Authority notes that Nawab Abdul Malek Jute Mills (Bangladesh) Limited (hereinafter referred to as "Nawab/Exporter/the Company") is a producer cum exporter of the subject goods from Bangladesh. As noted, Nawab has exported the subject goods (2

PCNs of yarn) directly to its unrelated customers in India. Nawab has provided the information on PCN basis. Response of Nawab shows that the Company has not made any sales in the domestic market during the POI.

ii. Nawab has not made any sales in the domestic market during the POI whereas, it has exported *** MT of two of the PCNs of Yarn to India. In case there are no domestic sales, cost plus reasonable profit has been considered for normal value. Accordingly, the PCN wise normal value at ex-factory level for Nawab has been calculated and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

Export Price

iii. It is noted that Nawab has exported *** MT of two of the PCNs of yarn to India during the POI. The Authority has verified the response filed by Nawab. Nawab has claimed adjustments on account of inland transportation, C&F, other charges, bank charges and packing cost and the same is allowed by the Authority. Accordingly, the PCN wise ex-factory export price has been calculated and the same is mentioned in the dumping margin table below.

PUC	Normal Value (US$/MT)	Export Price (US$/MT)	Dumping Margin (US$/MT)	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
Jute yarn/twine	***	***	***	*** %	0 - 10

59. **A.M. Jute Industries Ltd. (Producer/Exporter)**

Normal Value

i. Based on the information furnished in the EQ Response, the Authority notes that A.M. Jute Industries Ltd (hereinafter referred to as "AM Jute/Exporter/the Company") is a producer cum exporter of the subject goods from Bangladesh. As noted, AM Jute has exported the subject goods (hessian fabric and 5 PCNs of yarn) directly to its unrelated customers in India. A.M. Jute has provided the information on PCN basis. Response of A.M. Jute shows that the Company have sold hessian cloth and yarn in the domestic market as well as exported the same to India during the POI.

ii. AM Jute has sold *** MT of hessian cloth and *** MT of five PCNs of yarn in the domestic market during the POI whereas, it has exported *** MT of hessian fabric and *** MT of five PCNs of yarn to India. The Authority has examined whether their sales are made in ordinary course of trade in terms of Annexure I to the AD Rules. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods. If profit making transactions is more than 80% of the total sales, then all the transactions in the domestic sales has been considered for the determination of normal value and in cases, profitable transactions is less than 80%, only profitable domestic sales have been taken into consideration for the determination of the normal value. In case there is no domestic sales in some of the PCNs, cost plus reasonable profit has been considered for normal value. It was found that *** % of sales of jute yarn/twine and *** % sales of hessian fabric were profitable. There were no domestic sales of hessian fabric. The Company has claimed all domestic sales are at ex-factory level and does not involve packing cost, the same is allowed by the Authority after verification. Accordingly, the PCN wise normal value at ex-factory level for AM Jute has been calculated and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

Export Price

iii. It is noted that AM Jute has exported *** MT of hessian fabric and *** MT of five PCNs of yarn to India during the POI. The Authority has verified the response filed by AM Jute. AM Jute has claimed adjustments on account of inland transportation, and the same is allowed by the Authority. Accordingly, the PCN wise ex-factory export price has been calculated and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

PUC	Weighted Average Normal Value (US$/MT)	Weighted Average Export Price (US$/MT)	Dumping Margin (US$/MT)	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
Jute yarn/twine	***	***	(***)	(***)	0 – (10)
Hessian Fabric	***	***	(***)	(***)	0 – (10)

60. **Ranu Agro Industries Ltd. (Producer/Exporter)**

Normal Value

i. Based on the information furnished in the EQ Response, the Authority notes that Ranu Agro Industries Limited (hereinafter referred to as "Producer/Exporter/the Company") is a producer cum exporter of the subject goods from Bangladesh. As noted, the company has exported the subject goods (jute sacking bag, jute sacking cloth and one PCN of yarn) directly to its unrelated customers in India. The producer/exporter has provided information on PCN basis. Response of producer/exporter shows that the Company has sold jute sacking bag, jute sacking cloth and one of the PCNs of jute sacking yarn in the domestic market as well as exported the same to India during the POI.

ii. Ranu Agro Industries Limited has sold *** MT of jute sacking bag and *** MT one of the PCNs of jute sacking yarn in the domestic market during the POI whereas, it has exported *** MT of jute sacking bag, and *** MT one of the PCNs of jute sacking yarn as well to India. The Authority has examined whether their sales are made in ordinary course of trade in terms of Annexure I to the Anti-dumping Rules. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods. If profit making transactions is more than 80% of the total sales, then all the transactions in the domestic sales has been considered for the determination of normal value and in cases, profitable transactions is less than 80%, only profitable domestic sales have been taken into consideration for the determination of the normal value. In case there is no domestic sales in some of the PCNs, cost plus reasonable profit has been considered for normal value. The Company has claimed all domestic sales are at ex-factory level and does not involve packing cost, the same is allowed by the Authority after verification. It was found that *** % sales of yarn and *** % of sales of sacking bag were profitable. Accordingly, the PCN wise normal value at ex-factory level for jute sacking bag, jute sacking cloth and one of the PCNs of jute sacking yarn has been calculated and the same mentioned in the dumping margin table below.

Export Price

iii. It is noted that Ranu Agro Industries Limited has exported *** MT of jute sacking bag and *** MT one of the PCNs of jute sacking yarn to India during the POI. The Authority has verified the response filed by producer/exporter. The company has claimed adjustments on account of ocean freight, truck fare/inland transportation, port and other related expenses and packing expenses and the same is allowed by the Authority. Accordingly, the PCN wise ex-factory export price has been calculated and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

PUC	Weighted Average Normal Value (US$/MT)	Ex-Factory Price (US$/MT)	Dumping Margin (US$/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin Range
Sacking bag	***	***	***	***	0 – 10
Jute yarn/twine	***	***	(***)	(***)	(20) – (10)

61. **Arnu Jute Mills Ltd. (Producer/Exporter)**

Normal Value

i. Based on the information furnished in the EQ Response, the Authority notes that Arnu Jute Mills Ltd., (hereinafter referred to as "Producer/Exporter/the Company") is a producer cum exporter of the subject goods from Bangladesh. As noted, company has exported the subject goods (sacking cloth) directly to its unrelated customers in India. Producer/exporter has provided the information on PCN basis. Response of producer/exporter shows that the company have sold jute sacking bag and one PCN of the yarn only in the domestic market and jute sacking cloth in the Indian market during the POI.

ii. Arnu Jute Mills Ltd., has sold *** MT of jute sacking bag and *** MT one of the PCN of jute yarn in the domestic market during the POI whereas, it has exported *** MT of jute sacking cloth to India. The Authority has examined whether their sales are made in ordinary course of trade in terms of Annexure I to the Anti-dumping Rules. In case there is no domestic sales in some of the PCNs, cost plus reasonable profit has been considered for normal value. The Company has claimed all domestic sales are at ex-factory level and does not involve packing cost, the same is allowed by the Authority after verification. Accordingly, the PCN wise normal value for jute sacking cloth has been constructed and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

Export Price

iii. It is noted that Arnu Jute Mills Ltd., has not exported the PUC to India during the POI. Therefore, the Authority has not determined dumping margin for the exporter.

Non-Sampled but cooperative category of producers/exporters of Bangladesh

62. The Authority has considered the weighted average dumping margin evaluated on the basis of individual dumping margins for the producers/exporters of the sampled category. This weighted average dumping margin is accorded to the non-sampled category of producers/exporters for yarn/twine, hessian fabric and sacking bag and has been mentioned in the table mentioned below.

PUC	Weighted Average Normal Value (US$/MT)	Weighted Average Export Price (US$/MT)	Dumping Margin (US$/MT)	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
Jute yarn/twine	***	***	***	***	10 - 20
Sacking bag	NOT DETERMINED				
Hessian fabric					

Residual/Non-cooperative producers/exporters of Bangladesh

63. The Authority has determined the anti-dumping margin for the residual category on the basis of best information available. The dumping margin for non – cooperative producers/exporters is as under:

PUC	Weighted Average Normal Value (US$/MT)	Weighted Average Export Price (US$/MT)	Dumping Margin (US$/MT)	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
Jute yarn/twine	***	***	***	***	60 - 70
Sacking bag	***	***	***	***	10 - 20
Hessian fabric	***	***	***	***	10 - 20

G.3.2. Determination of normal value and export price for all sampled exporters of Nepal

64. **Arihant Multi-Fibres Ltd.**

Normal Value

i. Based on the information furnished in the EQ Response, the Authority notes that Arihant multi fibres Ltd (hereinafter referred to as "Arihant/Exporter/the Company") is a producer cum exporter of the subject goods from Nepal. As noted, Arihant has exported the subject goods (sacking bag, hessian fabric and yarn) directly to its unrelated customers in India. Arihant has provided the information on PCN basis. The EQ response of Arihant shows that the Company has sold sacking bag, hessian fabric and yarn in the domestic market as well as exported the same to India during the POI.

ii. Arihant has sold *** MT of sacking bag and *** MT of hessian fabric and *** MT of yarn in the domestic market during the POI whereas, it has exported *** MT of sacking bag and *** MT of hessian fabric and *** MT of yarn to India. The Authority has examined whether their sales are made in ordinary course of trade in terms of Annexure I to the Anti-dumping Rules. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods. If profit making transactions is more than 80% of the total sales, then all the transactions in the domestic sales has been considered for the determination of normal value and in cases, profitable transactions is less than 80%, only profitable domestic sales have been taken into consideration for the determination of the normal value. In case there is no domestic sales in some of the PCNs, cost plus reasonable profit has been considered for normal value. It was found that *** % of hessian fabric, *** % of sacking bag and *** % of jute yarn/twine were found to be profitable. The Company has claimed all domestic sales are at ex-factory level and does not involve packing cost, the same is allowed by the Authority after verification. Accordingly, the PCN wise normal value at ex-factory level for Arihant has been calculated and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

Export Price

iii. It is noted that, Arihant has exported *** MT of sacking bag and *** MT of hessian fabric and *** MT of yarn to India during the POI. The Authority has verified the response filed by Arihant. Arihant has claimed adjustments on account of inland transportation which has been allowed by the Authority. Accordingly, the PCN wise ex-factory export price has been calculated and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

PUC	Weighted Average Normal Value (US$/MT)	Weighted Average Export Price (US$/MT)	Dumping Margin (US$/MT)	Dumping Margin % (US$/MT)	Dumping Margin Range
Jute yarn/twine	***	***	(***)	(***)	(10) – 0
Jute sacking bag	***	***	(***)	(***)	(10) – 0
Hessian Fabric	***	***	(***)	(***)	(10) – 0

65. **Shree Raghupati Jute Mills Ltd.**

Normal Value

i. Based on the information furnished in the exporter questionnaire response, the Authority notes that Raghupati (hereinafter, referred to as "Raghupati/Exporter/the Company") is a producer cum exporter of the subject goods from Nepal. As noted, Arihant has exported the subject goods (sacking bag, hessian fabric and yarn) directly to its unrelated customers in India. It has provided the information on PCN basis. Its response shows that the Company has sold sacking bag, hessian fabric and yarn in the domestic market as well as exported the same to India during the POI.

ii. Shree Raghupati Jute Mills Ltd. has sold *** MT of sacking bag and *** MT of hessian fabric and *** MT of yarn in the domestic market during the POI whereas, it has exported *** MT of sacking bag and *** MT of hessian fabric and *** MT of yarn to India. The Authority has examined whether their sales are made in ordinary course of trade in terms of Annexure I to the Anti-dumping Rules. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the

authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods. If profit making transactions is more than 80% of the total sales, then all the transactions in the domestic sales has been considered for the determination of normal value and in cases, profitable transactions is less than 80%, only profitable domestic sales have been taken into consideration for the determination of the normal value. In case there is no domestic sales in some of the PCNs, cost plus reasonable profit has been considered for normal value. It was found that *** % of sales of hessian fabric, *** % of sales of jute yarn/twine and *** % of sales of sacking bag were found to be profitable. The Company has claimed all domestic sales are at ex-factory level and does not involve packing cost, the same is allowed by the Authority after verification. Accordingly, the PCN wise normal value at ex-factory level for Shree Raghupati Jute Mills Ltd. has been calculated and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

Export Price

iii. It is noted that Shree Raghupati Jute Mills Ltd. has exported *** MT of sacking bag and *** MT of hessian fabric and *** MT of yarn to India during the POI. The Authority has verified the response filed by Shree Raghupati Jute Mills Ltd. It has claimed adjustments on account of inland transportation, and the same is allowed by the Authority. Accordingly, the PCN wise ex-factory export price has been calculated and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

PUC	Weighted Average Normal Value (US$/MT)	Weighted Average Export Price (US$/MT)	Dumping Margin (US$/MT)	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
Jute yarn/twine	***	***	***	***	0 - 10
Sacking bag	***	***	(***)	(***)	(10) – 0
Hessian Fabric	***	***	***	***	0 - 10

iv. The Authority notes that Shree Raghupati Jute Mills Ltd and Arihant Multi-Fibres Ltd. are a group. Accordingly, the following table mentions their normal value, export price and dumping margin as a group:

PUC	Weighted Average Normal Value (US$/MT)	Weighted Average Export Price (US$/MT)	Dumping Margin (US$/MT)	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
Jute yarn/twine	***	***	***	***	0 - 10
Sacking bag	***	***	(***)	(***)	(10) – 0
Hessian Fabric	***	***	(***)	(***)	(10) – 0

Non-sampled but cooperative category of producers/exporters of Nepal

66. The Authority has considered the weighted average dumping margin evaluated on the basis of individual dumping margins for the producers/exporters of the sampled category. This weighted average dumping margin has been accorded to the non-sampled category of producers/exporters for yarn/twine, hessian fabric and sacking bag and has been mentioned in the table mentioned below.

PUC	Weighted Average Normal Value (US$/MT)	Weighted Average Export Price (US$/MT)	Dumping Margin (US$/MT)	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
Jute yarn/twine	***	***	***	***	0 - 10
Sacking bag	NOT DETERMINED				
Hessian Fabric					

Residual/Non cooperative producers/exporters of Nepal

67. The Authority has determined the anti-dumping margin for the residual category on the basis of best information available. The dumping margin for non – cooperative producers/exporters are as under:

PUC	Weighted Average Normal Value (US$/MT)	Weighted Average Export Price (US$/MT)	Dumping Margin (US$/MT)	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
Jute yarn/twine	***	***	***	***	50 - 60
Sacking bag	***	***	***	***	40 - 50
Hessian Fabric	***	***	***	***	20 - 30

F. EXAMINATION OF INJURY AND LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURENCE OF INJURY

F.1 Views of the domestic industry

68. The following submission were made by the domestic industry with regard to injury and causal link:

i. The Authority issued final findings in the original anti-dumping investigation of "Jute Products" originating in or exported from Bangladesh and Nepal.[20] An anti-subsidy investigation was also filed against Bangladesh in tandem with the anti-dumping application due to the significant incentives given to the Bangladeshi producers/exporters. Pursuant to the consultation between the Authority and the Government of Bangladesh and on their assurance that the cash subsidies given to its domestic industry would be reduced, the Authority did not initiate the anti-subsidy investigation. However, the anti-dumping duties imposed by the Authority have remained lower than the likely countervailing duty that was needed to address the injury and the injury margin was also higher.

ii. The Authority vide final findings in the anti-circumvention investigation extended the existing anti-dumping duty on sacking bags to imports of jute sacking cloth after it found that the exporters were circumventing the anti-dumping duty on subject goods by exporting the cloth and stitching it in India to avoid the duties. Besides benefiting the domestic industry, imposition of duties would also help in curbing the fraudulent practices of the exporters.

iii. The two segments of the jute industry, i.e., government procurement and open market should be differentiated as was done in the original investigation. The effect of the subject imports is visible in the open market, where they are competing with the domestic goods. The government procurement segment is different and is impacted by different factors that are mutually exclusive to the open market.

iv. The rate of cash subsidies increased soon after duties were imposed and there was substantial increase in the cash subsidy being offered on jute sacking bags and hessian fabric. The Government of Bangladesh has further enhanced the cash subsidies by 2% in August 2018. As a result of this, the imports of sacking cloth declined, and imports of sacking bag started again.

[20] Final Findings in Anti-dumping investigation concerning imports of "jute products" viz- Jute Yarn/Twine (multiple folded/cabled and single), Hessian fabric, and Jute sacking bags from Bangladesh and Nepal dated 20th October 2016 F.No. 14/19/2015-DGAD.

v. Regarding applicability of benefits given to subject exporters, it is submitted that specificity and incentives offered by a government need not be targeted towards the PUC only and may be specific towards a particular sector/type of industry/ region as well. These incentives like the export and domestic subsidy are relevant in an anti-dumping investigation to the extent of substantiating that it is this government support which is allowing them to resort to dumping. The ability to sell at lower price can be directly reflected in these subsidies. The producers/exporters are themselves being aggressive in targeting the Indian market and are also supported by the government to maintain their presence vide various measures, and in case duties cease, the Indian industry will be forced to reduce prices at levels that are significantly below cost. The cash subsidy given to the exports is contingent on exports and is provided to enable these producers to export. The rate of cash incentive offered are dedicated to the jute industry, and the background of rate modifications clearly show that these rates were modified and used in response to investigations conducted by the Authority. This shows how the exporters are incentivized and promoted to export. Further, the Government of Bangladesh admitted that India was and continues to be an important export destination for Bangladesh.

vi. The applicant is bringing forth the effect of incentives offered by the government merely to show that the support measures offered are enough to continue exports in significant volumes at dumped prices as is evident from the data in the POI. These support measures encouraging exports are directly related to determination of likelihood continued/recurrence of dumping and injury.

vii. Several new shipper reviews were also conducted and almost all investigations showed very limited volume of exports by the exporters/producers during the investigation period. The import prices were also inconsistent in some cases with the contemporary prices for those products.

viii. In the DGCI&S import data, the volume of imports is highly understated, and the import volume is much higher as per market intelligence. This is also evident from the report published by Government of Bangladesh which shows that exports of jute yarn, twine, jute sacks, and bags have increased globally and export value to India has also shown significant increase. The exporter responses also confirm that export volume has increased over the injury period.

ix. The impact of subsidized imports on domestic producers as a whole should be examined by considering macro-economic parameters such as production, capacity utilization, sales, market share. This is not only well provided under the law, but also a practice of other countries.

x. The demand/apparent consumption has increased throughout the injury period, with a decline in the POI due to the COVID-19. The imports have also increased over the injury period. Despite the decline in demand since the original investigation period, imports from Nepal have increased while imports from Bangladesh first declined and then subsequently have increased.

xi. The imports are significant in absolute terms and in relation to production and consumption.

xii. The adverse effect of imports should be seen on the Indian industry as a whole as there are a large number of producers in India.

xiii. The subject imports captured around 12% of the domestic market in the POI of the original investigation which has further increased to 18% despite imposition of anti-dumping duties. Market share of the Indian industry has remained at similar levels prevailing during the POI of the original investigation. The market share of the Indian industry during the base year of the original investigation (91.2%) has not reached back to those level despite anti-dumping duties being in place.

xiv. The low quantum of duty on some producers, exemption granted to some producers, and exports being made through producers with low duty and not having adequate capacity to produce and export are the reasons for continued and aggressive imports from the subject countries.

xv. The imports are competing only in the open market and adverse effect of imports is clearly visible in the open market. The share of imports was 36% in the original investigation, which has more than doubled to reach 78% in the present POI.

xvi. The imports from the subject countries are individually as well as collectively undercutting the prices of the domestic industry. The import price is below the level of cost of sales, selling price and non-injurious price of the domestic industry. The adverse price impact of imports could be arrested in view of the anti-dumping duties in place.

xvii. The production, sales, and capacity utilization of the domestic industry has increased till 2019-20. It has, however, declined sharply in the POI. While some fall in these parameters can be attributed to the fall in demand, the additional effect has been due to continued significant imports.

xviii. The Indian industry was prevented from full recovery as their market share has not reached back to the levels in the base year of the original investigation. The market share of the domestic products in the open market where the imported product competes, has reduced to 19% in the present POI from 65% in the original investigation.

xix. The adverse impact on profitability has been contained as a result of the duties in place. The industry was suffering huge losses during the original investigation and is now in profits because of the duties imposed on the subject goods and, even the price maintained by the domestic industry is at the cost of losing sale opportunities. However, cash profits, ROCE and profit before interest have seen a decline in the POI as compared to the previous year.

xx. Employment, wages, and productivity per day have declined in the POI along with decline in production. The domestic industry has registered a negative growth in terms of volume and price parameters in the POI.

xxi. The overall performance of the domestic industry had improved up to 2019-20 but it has declined in the POI. While part of the decline in performance can be attributed to decline in demand, the rest of the adverse impact is due to imports. The extent of the injury has remained contained due to the anti-dumping measures in force. The performance of the domestic industry has improved in terms of prices being fetched and injury to the domestic industry was contained to that extent in view of duties. However, the persistent incoming of low-priced imports has prevented the growth of the domestic industry in terms of production, sale and capacity utilization, while performance declined on these accounts. The share of the imports in demand, especially in the open market, has increased significantly. These factors show that domestic industry is vulnerable.

xxii. Post imposition of duties, the exporters from Bangladesh have engaged in circumvention practice and imports have continued despite duties and decline in demand. The claim that there is marked improvement in the performance of the domestic industry is incorrect and thus it cannot be said that the duties have served its intended purpose.

xxiii. The continued imposition of anti-dumping measure would prevent enhanced injury to the industry and arrest the current adverse impact in the performance of the industry. It will also redress the injury suffered by the industry and enable the domestic producers to remain viable and competitive.

xxiv. It is in the consumers' interest to have a competitive domestic industry capable of supplying the product to the consumers in competition to fair priced imports. If the industry is left to suffer, it would eventually be wiped out by the dumped imports and the consumers will be left at the mercy of the foreign producers.

xxv. Imports are competing only in the open market and the demand-supply gap needs to be seen in reference to the open market as the government procurement market is not available to imports. There is no demand-supply gap, and the Indian industry has significant capacities to cater to the local demand in the country. The Indian jute industry is fully *atmanirbhar* (self-reliant).

xxvi. There has been a massive increase in the market share of subject imports in the open market not just in comparison to the base year of this investigation but even in comparison to the base year and the POI of the original investigation. The demand in the open market can easily be catered by the Indian industry but due to the aggressive methods used by exporters from Bangladesh, the Indian industry has not recovered to the extent needed.

xxvii. The users would be forced to maintain a higher inventory due to high dependency on the imports which will not be in the interest of the user industry. Buying locally produced jute products would allow the users to maintain a lower level of inventories and reduce their cost.

xxviii. A high degree of export dependency may lead to exploitation of the user industry by the exporter. The exporter's aim is only profit maximization, and they will not hesitate to move to a more lucrative market if the opportunity arises. The domestic industry, on the other hand, operates not just for profit maximization but also in the interest of the users and the country as a whole.

xxix. The industry has a very high share of indirect employment especially, the jute farmers. Being one of the largest producers of jute, roughly 4 million farmers are currently engaged jute production. Cessation of duties would not only cause injury to the producers but also to the upstream industry as it will severely affect the farmers who depend for their livelihood on the successful and profitable operations of the domestic industry.

xxx. The domestic industry has significant capacities and has added more capacities in the past few years. However, the capacity utilization has remained severely low and there has been a steep decline not just from the previous year but also from the base year of this investigation due to dumped imports flooding the Indian market. If duties are not continued, the dumped imports would continue chipping away the market share of the domestic industry and it will not be able to justify its PUC capacity and might shut down its plants.

xxxi. If the domestic industry is able to maintain the market share and operate efficiently, they may also plan future investments and grow further. If the domestic industry increases its production figures in the upcoming years, it will in turn increase its exports which would help increase the foreign exchange reserves of the country.

xxxii. There is no exploitation of users or creation of a monopolistic situation as the domestic industry is a price taker. Continuation of anti-dumping duty would help in reducing the unfair trade practices of the exporters and create a healthy market that is beneficial for the whole country.

xxxiii. The domestic industry being an exporter of the PUC globally can compete with the exports from Bangladesh globally in a fair priced market. The domestic industry will be able to compete with such imports even domestically if a level playing field is provided to them and extension of duties can make sure that fair competition is prevalent in the Indian market.

xxxiv. A major portion of the Indian industry falls in the MSME sector, and they already struggle to compete with the bigger producers for market share in the Indian market. With low priced imports flooding the Indian market, these small producers will be forced to shut down their operations and will be completely wiped out.

xxxv. The government of Bangladesh extends cash subsidy of an amount anywhere between 7.5% and 12% on the exports of jute products. They have also formulated National Jute Policy 2018 which includes the scope for creating a fund for modernization of the sector and promote the export orientation of the exporters in the subject country. The continuation of duties will reduce the effect of these schemes.

xxxvi. The local demand in Bangladesh is severely lower than the supply and it is evident that increasing capacities in the country are not to support the local demand but to enhance the exports.

xxxvii. The applicant industry had provided segregated information of sales volume, value, and price for government procurement and open market. Hence, the statement by the parties that the applicant industry has not provided the injury information separately for the open market is wrong and indicates that A.M. Jute Industries Ltd. has not perused through the entire non-confidential version of the application.

xxxviii. As regards the argument that imports have declined and that the prices of goods have increased, it is submitted that the Report published by the Government of Bangladesh clearly shows that the imports have increased and not decreased. Any under reported imports in Indian customs data, must be compared with the records of Government of Bangladesh which shows significantly increasing exports to India.

xxxix. In reference to arguments that injury and likelihood of injury exists due to other factors, the Authority must note that this is a sunset review investigation and relevance of causal link should be accordingly judged.

xl. Injury caused to the domestic industry due to other factors implies the fragile nature of the domestic industry and cessation of duty can work as the “last nail in the coffin”. Although the requirement under law is “a” causal link, the interested parties have wrongly considered the requirement as “the” causal link.

xli. The US DOC initiated the original investigation in the matter of Barium Chloride, despite a decline in demand and there was not even a discussion about injury caused due to decline in demand.

xlii. The injury may be seen by the Authority for open and government procurement separately as imports are competing only in the open market. Import price is significantly low and cessation of duties is likely to lead to price injury as well.

xliii. There is no demand-supply gap and the allegation that exports from Bangladesh were due to demand supply gap in the country and that the exporters have not resorted to price discrimination is completely baseless. The alleged non-supply in the government sector is not due to absence of capacities and there is no evidence to show that the Indian industry was not able to supply due to capacity constraints.

xliv. The Indian jute industry cannot be blamed for factors beyond their control. Government of India has imposed restrictions on import of raw jute and also proscribed purchase of raw material at the going market price. The industry had to procure the raw material at prices specified by the Government of India. The ruling price of raw jute is higher than the price notified by the Government of India. Hence, it is a situation where the raw jute is not available to the extent of requirement and there is no capacity shortage for the Indian industry to meet the demand in the government procurement.

xlv. The domestic industry can import raw jute for the purpose of sale in the open market and there is no scarcity of raw material for the purpose of production of subject goods in the open market. Further, the capacity with the domestic industry is grossly underutilized and there is no demand supply gap warranting imports in the domestic market.

xlvi. Regarding arguments that there was a clear gap between the production and demand, segment wise analysis would show that in the open market where the imports are competing, the domestic industry that has more than sufficient capacity is gradually heading toward extinction. The Indian market has become "home market" for producers/exporters from Bangladesh and "foreign market" for Indian industry due to unfairly priced dumped and subsidized imports.

xlvii. In reference to statements extracted from Cheviot's annual report, it should be noted that price and availability of raw jute concerns government procurement and not open market. Lack of modernization of the production ecosystem is a forward-looking approach. Revenue concentration and dependence on Government of India refers to government procurement and not the open market.

xlviii. There may be multiple reasons/causes existing at any given time that could be impacting the operations and/or performance of an industry which only establishes that the industry is vulnerable and needs redressal against unfairly priced dumped and subsidized imports. The domestic industry has sought only limited remedy, i.e., the performance being impacted by the dumped imports are being requested to be remedied. There is a clear causal link between dumping and likely injury to the domestic industry.

xlix. Unlike the cases referred, especially the findings in Viscose fibre[21], the present case has very different facts, to rely and state that the Authority despite finding likelihood of continuation of dumping did not recommend continuation of duties. In the Viscose case, there was no price or volume effect of imports on the domestic industry and the case merely stood on likelihood of recurrence of dumping and injury and there was no adverse volume effect in that case. However, in the instant investigation as, there has been a continued adverse impact on the volume parameters. The injury on price parameters is contained because of the anti-dumping duties in place. The margins in the current investigation are clearly indicative of the dumping margin, injury margin, price undercutting, and cash subsidy alone. The landed price continues to be below the cost of production, selling price, and the NIP. Cessation of duties will most definitely result in price depression. Therefore, there is ample positive evidence in this case that establishes a clear nexus between the expiry of duty and continuation of recurrence of dumping and injury.

l. As regards multiple arguments raised by the other interested parties stating orders of the Office of the Jute Commissioner, and various other steps taken by the Government of India, it is submitted that various factors usually compel the Jute Commissioner to place orders much later than as previously planned, leading to accumulation of orders in the jute mills and to ensure the supply of entire order quantity the performance of each jute mill is monitored by the Office of the Jute Commissioner and also, the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution. Whenever few mills are found to be slow in the despatches, the Office of the Jute Commissioner as a measure of abundant caution advises all jute mills to utilize their full sacking capacity for production of B-Twill for government procurement to ensure that planned quantity of jute bags are available at the mandies before actual start of procurement of wheat / paddy / rice. Such orders are normally issued around December for Rabi and around August for Kharif and are normally meant to be effective for 2 months. Mills are directed to give priority during 3-4 months in a year for Government supply.

[21] Final Findings in Sunset Review of anti-dumping investigation concerning imports of "Viscose Staple Fibre" originating in or exported from China PR and Indonesia dated 31st July 2021, Case No: 31st July 2021, F.No. 7/03/2021-DGTR.

li. The Office of the Jute Commissioner does not prohibit jute mills from supplying to the local market and the producers/mills are free to sell in the open market provided they comply with the orders undertaken for the government supply.

lii. The imports of jute goods from Bangladesh/Nepal cannot fill the government demand for food grain bags as the same is not permitted under The Jute Packaging Materials Act, 1987[22]. Imported raw jute is not permitted for manufacturing jute bags for government requirements. The JPM Act was promulgated to provide protection to the jute industry against cheaper substitutes like PP/HDPE bags. The reservation is meant to be given for surplus capacity available with the jute industry for which marketing of jute goods in open market is exhausted. The idea of reservation is not to increase dependence on the mandated sector, but to slowly move towards developing a market of its own.

liii. The prices of raw jute for calculation of prices for jute bags supplied to the government is capped and no raw jute is available in the market at that price. Hence, mills have run into deep losses and shut production.

liv. 30% raw jute grown in India is of higher grades and can only be used for production of jute goods like hessian/yarn sold in open market. It is unviable for the mills to manufacture jute bags for food grain packing from high grade jute. The manufacturing machinery for hessian/yarn is different and most of the mills in India are designed for manufacturing 30% hessian/yarn and 70% sacking. Anti-dumping duty free imports from Bangladesh and Nepal will force the Indian industry to stop utilizing these capacities.

lv. The Office of Jute Commissioner has granted permission time and again for supply of sacking bags sold in the open market for packing food grains, sugar, and pulses. The mills have sold sacking bags in the open market after taking due permission or by completing the government orders for food grain packaging.

lvi. The restrictions announced by the Office of the Jute Commissioner to not divert the production of sacking bags other than B-Twill jute bags and the Indian jute mills consequently not being authorized to sell the B-Twill bags in the open market does not apply to such mills which have already fulfilled the allotted B-Twill jute bag orders and supplied them to the government on time.

lvii. Nawab Abdul Malek Jute Mills has admitted that exports have increased, which indicates that the imposition of duties did not have impact on the volume of exports of the PUC. Hence, injury to the industry is reflected only on the price parameters and shows no adverse effect on the volume side. The improvement on price account is because the domestic industry has increased its selling price considering the duties in place. However, it could not increase its volume, as significant volume of imports has persisted in view of the low duty to some exporters and exemption given to some others.

lviii. No evidence was submitted by Nawab Abdul Malek Jute Mills or the Government of Bangladesh to substantiate that the availability of raw jute is limited. However, the domestic industry has provided evidence that raw jute exports are significant and are declining because of Government of Bangladesh's efforts to focus on exports of value-added products. Further, the import volume has increased and the current volume itself is sufficient to cause injury to the domestic industry.

lix. The Bangladesh jute industry besides having surplus capacities which any company would want to utilise and realise in sales instead of letting it remain idle, is also likely to target India which has significant demand and is attractive for the exporters and admittedly continues to be the most important destination for them. Further, the submission that mills closed under BJMC is false, as the website of BJMC which was last updated in July '21 continues to show capacity and production of 25 mills. Such claims are also misleading as Nawab Abdul Malek Jute Mills is referencing to certain public mills that might have been closed. Further, Bangladesh Jute Spinners Association's website currently shows that 291 mills are in operation.

lx. The claim that there may be other major markets other than India is false as they have admitted in their own submissions that their exports to other markets has only seen a slight increase.

lxi. The Brazilian market has been closed to Bangladesh and despite no exports from Bangladesh to Brazil even after such a long time, the Government of Bangladesh has not even been participating, nor asking for cessation of these duties. This could be only on two accounts – either the Government of Bangladesh is aware of the legal position and the fact the Brazilian Authority would stick by the legal provisions or the market itself is so small that the Government of Bangladesh does not find export potential. In contrast, the Government of Bangladesh is aware that the Government of India shall be sympathetic and is likely to consider concessions under the law given the fact that the market potential is huge.

[22] The Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 Act No. 10 of 1987.

lxii. Despite the various challenges faced by the Government of Bangladesh as has been stated in submissions, it has managed to increase its exports of jute products during the injury period as is evident from the export performance data. This increase was also seen in exports to India.

lxiii. The ultimate consequence of the Government of Bangladesh's policy to modernize their jute industry to head towards a greener economy will be that the industry will become more cost competitive, giving them the advantage of working in margins that are otherwise not available with the Indian jute industry.

lxiv. The duties being sought are not with the intention to hamper the relations but to address a genuine problem of dumped imports in an industry that is equally vulnerable and fragile if not more.

lxv. The margins and consequent duties imposed are based on an equitable and simple calculation of whether the goods are being dumped. Duties are always imposed producer/exporter-wise by the authorities based on individual company-wise information and no duty is imposed on the basis of the categorization of the exporter/producer.

lxvi. Although the support given by the Government of Bangladesh is not targeted to the Indian market, the support nonetheless is being used by the exporters to export goods at cheaper price to India. There is no requirement under Article 11.3 of the Anti-dumping Agreement that government actions should be specifically targeted against India.

lxvii. The duty can be one or different for different product types. There is absolutely no bar on the Authority on this account.

lxviii. Despite decline in demand since, the original investigation, the imports from Nepal has increased. The landed price of Nepal is below the selling price and the NIP of the domestic industry. The producers in Nepal have de-facto only two markets – Nepal and India and their domestic demand is quite limited, and their production of subject goods is significantly higher than their domestic demand.

lxix. Price undercutting for Nepal is positive and there is significant increase in volume of imports from the base year, the immediate previous year, or previous investigation injury period. Further, the examination of impact of imports from Nepal is complete with its examination of likelihood of dumping and injury. There exists demand-supply gap and increasing production without simultaneous increase in consumption in Nepal. The current volume of imports itself is sufficient for determination.

lxx. It is for the Authority to determine whether the manner of allocation of costs by the petitioner is reasonable. The domestic industry expresses concern over the statement made by Nepal Jute Traders Association of India that the costs should be allocated based on the sales quantity or any other reasonable basis rather than sales revenue.

lxxi. Price undercutting on an average basis would be skewed and the Authority has observed the same in the initiation notification. Since, the price differs significantly between different product types, the average price undercutting cannot be relied upon to make any conclusion.

lxxii. The PCN-wise price undercutting is positive, and the observation made with respect to price undercutting is correct and is a factor indicating likelihood. Further, increase in imports at dumped and injurious price, when the demand has declined, coupled with the fact that Indian market is attractive, and there exists excess capacity in Nepal which is indicative of likelihood of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of duties.

lxxiii. The product type-wise undercutting was positive from Nepal even at the stage of initiation. The Authority may kindly consider the PCN wise analysis to Indian market and also consider the volume and value of exports to third countries and determine the likely effect on prices of the domestic industry.

lxxiv. Cumulative assessment is not necessary in sunset reviews. According to the WTO panel on US — Corrosion-Resistant Steel Sunset Review[23], Article 3.3 by its own terms is limited in application to investigations and does not apply to sunset reviews.

F.2 Views of the other interested parties

69. The other interested parties have made the following submissions with regards to injury and likelihood of continuation or recurrence of injury:

[23] United States — Sunset Review of Anti-Dumping Duties on Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products from Japan WT/DS244/R 14th Agugust 2003.

i. As the scope of the PUC for Bangladesh and Nepal differs, it is submitted that continuation and recurrence of injury should not be cumulatively assessed from Bangladesh and Nepal.

ii. Article 3.3 of ADA mandates an analysis of conditions of competition between imported article and like domestic articles. Factors such as volume of subject goods, value of subject goods, differences in properties, specifications and quality would determine whether subject goods imported from a particular country are preferred by users over like domestic articles.

iii. The Authority should not resort to cumulative assessment because of the following factors:

a. The domestic industry has alleged price undercutting by imports, thereby indicating possibility of recurrence of material injury if anti-dumping duties are removed. However, such position has been observed only with respect to imports from Bangladesh only and not for Nepal for which the price undercutting is negative. The price undercutting for Bangladesh is in the range of 15-25%.

b. The volume of imports from Bangladesh is also substantially more i.e., 1,11,912 MT during the POI as compared to 66,847 MT from Nepal and therefore, commands a sizeable market share.

c. The jute twine exported from Nepal is also not comparable to the jute yarn/twine exported from Bangladesh since it does not fall under the five PCNs suggested by the Authority.

d. Lastly, the scope of PUC vis-à-vis Nepal and Bangladesh is different. As Bangladesh was subjected to an anti-circumvention investigation in relation to sacking cloth whereas Nepal was left out of its ambit, the PUC for Nepal is restricted to jute yarn/twine, sacking bags and hessian fabric only. However, the present sunset review investigation against Bangladesh also includes sacking cloth. As a sequitur, whereas injury to domestic industry is going to be examined only with respect to jute yarn/twine, sacking bags and hessian fabric from Nepal, injury to domestic industry from Bangladesh is going to be examined for an enlarged and different product scope which includes sacking cloth.

e. Since the product scope against which injury to the domestic industry is being gauged differs between Nepal and Bangladesh, it is not a fit and proper case for cumulative assessment of imports.

iv. A comparison between the shares of allegedly dumped import in total domestic demand of the PUC during the period of injury of original investigation and the present period of injury shows that despite imposition of anti-dumping duties, the volume of import of the PUC has increased from 9-12% to 11-18% as confirmed by the petitioner in the petition and repeatedly claimed during the oral hearing.

v. The export of the PUC from Bangladesh to India is a factor of demand-supply gap situation primarily in the Indian open market and in such a scenario, the exporters did not have to adopt any price discrimination methods while exporting the product to India as alleged.

vi. The exporters from Bangladesh have helped the Indian user industry to meet the demands when the Indian producers had failed to ensure adequate supply of the subject goods especially during the POI and such supplies lack any likelihood of dumping and injury inherently.

vii. It may be noted that there was a sharp reduction in the Indian production of the subject goods during the POI on account of COVID-19 shut downs and the Indian production declined to 863,656 MT in the POI from a base year level of 1,055,795 MT. However, in the same period, the demand has only declined from 1,203,483 MT in the base year to 1,010,177 MT and there was clearly a gap of about 146,521 MT of the subject product as the Indian production could not meet such demand because of which imports from Bangladesh increased from 98,766 MT in the base year to 111,912 MT in the POI.

viii. The imports from Bangladesh have declined during the POI from 123,016 MT in 2019-20 to 111,912 MT. At the same time, the export price from Bangladesh has increased significantly from Rs. 38,834/MT in the 2019-20 to Rs. 81,828/MT during the POI. This clearly demonstrates that imports from Bangladesh have no bearing on the economic parameters of the domestic industry.

ix. Regarding the two separate markets, the Authority should provide the following information which has not been submitted by the applicant industry:

a. Production reserved for government procurement

b. Quantities available for open market

c. Details of non fulfilment of government procurement orders in last 4 years with reason.

d. Reasons for non-fulfilment of government orders

e. Demand after removing government procurement

f. Price realization from open market and from government procurement.

x. It is also apparent that the Indian producers had to follow the directions under the Jute and Jute Textile Control Order 2016 to ensure supplies to the Government of India which compelled the importers to resort to imported material to meet the demand.

xi. The domestic industry has not been able to explain how has it been maintaining its profitability despite a decline in its volume parameters.

xii. The Authority should examine the injury caused to the domestic industry due to government procurement and the impact it has on the ability of the Indian jute industry to meet the open market requirements.

xiii. The Indian producers are not vulnerable to imports and are suffering injury on account of other factors as admitted by them which does not warrant any protection by way of anti-dumping duty as demanded by them.

xiv. Annual report of a leading producer of the subject goods in India (Cheviot) shows that the industry is concerned with issues such as increase in price and non-availability of raw jute, lack of modernization of the production ecosystem, revenue concentration and dependence on the Government of India. The imports per se do not pose any significant concern to them more so when the imports cannot compete in their major segment which is supplies to the Government of India.

xv. The trend of imports of the subject goods during the injury period shows the imports were taking place at fair prices and were not causing any injury to the domestic industry. Further, it has been admitted that the domestic industry did not suffer any continued injury. Such a factual position demands rejection of the contention of the petitioners that they are vulnerable to imports of the subject goods from Bangladesh in the event of expiry of present duties.

xvi. The reduction in production, sales and capacity utilization is due to the inability of the domestic industry to supply freely to the domestic market in India due to various restrictions imposed by the Government of India from time to time. The slight dip in production and sales during the POI is reflective of the contraction in demand due to the inability of the domestic industry to supply to the domestic market freely. This is evident as Cheviot Company Limited has imported the subject goods, specifically jute yarn/twine for its SEZ unit due to domestic unavailability.

xvii. As per the revised and updated information submitted by the domestic industry, no price undercutting has been observed in case of Nepal. The price undercutting of the subject imports from Bangladesh is significant i.e., in the range of 15-25%, as per the data filed by the petitioner for updated POI while price undercutting for the subject imports from Nepal is negative. There is no price effect on the domestic industry from the jute twine imported from Nepal as they do not fall under any of the 5 PCNs of jute yarn/twine manufactured by the domestic industry.

xviii. The landed price of the subject imports from Nepal is higher than Bangladesh in case of hessian fabric and sacking bags. In the case of jute yarn, the landed price is lower than that of Bangladesh due to difference in quality and usage of the yarn. Thus, the imports from Bangladesh have been causing more injury to the petitioners.

xix. Though the petitioners have not claimed material injury, they have stated that their market share has declined over the injury period. This is clearly attributable to the inability of the domestic industry to supply to the domestic market freely and consequent compulsion of the user industry to import the subject goods from the subject countries.

xx. The domestic industry's position with respect to inventory has improved. It is relevant to note that similar to production, sales and capacity utilisation, inventory is also reflective of the fact that the domestic industry was not able to supply to the domestic market freely inasmuch as while sales have reduced, inventory has also decreased at the same time because there was sufficient demand in the domestic market.

xxi. Productivity per day and number of employees have decreased due to COVID-19 which had resulted in multiple lockdowns imposed during the POI and had hampered operations of the domestic industry.

xxii. While the cost of sales has increased by only 16%, the domestic industry was able to increase its prices by 26%. However, the profitability of the domestic industry has reduced during the POI because it was impacted by COVID-19 which affected its operations and production as well as its inability to sell in the domestic market freely.

xxiii. With respect to slight decline of production, sales and profitability during the POI, the Authority must examine the impact of COVID-19 and resultant loss in production due to the shutdowns.

xxiv. As admitted by the petitioners, they are not suffering from material injury and therefore, the subject imports had no impact on the relevant economic parameters of the domestic industry. Therefore, the question of a causal link between imports and injury does not arise.

xxv. The domestic industry has contended that there exists a causal relationship between the likelihood of continuation or recurrence of dumping and likelihood of continuation or recurrence of injury. However, insofar as the imports from Nepal are concerned, they are not undercutting the prices of the domestic industry despite the anti-dumping duties not being included in the landed value. Therefore, the possibility of price suppression and depression due to imports from Nepal in a situation wherein antidumping duty is removed, does not exist.

xxvi. The various orders from the Office of Jute Commissioner clearly shows that the domestic industry is not able to fulfil the demand of the government procurement sector. Accordingly, they cannot cater to the demand of the open market as well because they can cater to such demand only after fulfilling the demand of the government sector. This clearly shows the demand-supply gap in the open market which is being fulfilled by the imports.

xxvii. A critical factor that the Authority needs to examine is whether the domestic industry is able to supply the like article produced by it to the domestic market in (a) adequate quantity and (b) without restrictions. In this regard, the following issues are relevant:

a. The various orders made under the Jute Packaging Materials Act, 1987 wherein due to shortfall in supply of jute bags by the domestic industry, which has exclusive rights to supply FCI and other government agencies, the same was met by granting relaxation for use of *high-density polyethylene* or *polypropylene (*HDPE/PP) bags as per the provisions of the Act.

b. The Office of Jute Commissioner has issued an Order dated 9th of September 2021 through which all the domestic producers and members of the petitioner association viz. IJMA have been directed to utilize their entire installed capacity for manufacturing sacking bags for supply to the Government of India. A domestic producer can utilize its capacity to meet other commitments only after fulfilling such commitments and that too after obtaining permission from the Office of Jute Commissioner. The most recent sacking requisition order has been issued by the jute commissioner on 27th January 2022. Therefore, even on the present day, the domestic industry is foreclosed from supplying the like article to the open market.

c. Therefore, the domestic industry must establish that they are allowed to supply sacking bags to the domestic market. The permissions obtained from the Office of Jute Commissioner must be filed as evidence with the Authority and be shared with interested parties to establish that the domestic industry is allowed to sell in the domestic market.

xxviii. When the domestic industry is not allowed to sell the like article produced by it in the open domestic market and its sales are mostly restricted to a captive market not open to Nepal, the question of injury due to imports from Nepal does not arise.

xxix. Furthermore, the yarn exported by Nepal could not have caused any injury to the domestic industry either as it is used to tie the mouths of sacking bags and does not fall within any of the five PCNs framed by the Authority.

xxx. If the domestic producers of jute were not allowed to supply the like article during extended periods of the POI, then the imports made within those periods must be excluded from determination of market share since the same would not be competing with sales of the domestic industry during those relevant periods. Consequently, all parameters such as price effect must also be adjusted accordingly.

xxxi. Nepal imports nearly 50% of its requirement for raw jute to make jute products which directly benefits India and Indian farmers.

xxxii. The continuation of anti-dumping duties would only be to the detriment of the raw jute manufacturers in India and the workers employed by them including users of the subject goods in the open market who do not have adequate supply of the like article from the domestic industry.

xxxiii. On the other hand, no benefit would accrue to the domestic industry as it is either not able to produce sufficient quantities or restricted from supplying to the domestic market under the orders of the Office of Jute Commissioner.

xxxiv. Since Indian jute producers are unable to service the government requirement in itself, continuation of ADD will only put more stress on the users who have to rely upon imports.

xxxv. Indian producers should focus on supplying jute Bags to the Food Corporation of India since jute producers from Nepal are unable to service this sector upon which the Indian producers have a complete monopoly.

xxxvi. Due to non-supply of jute products in time to the Government of India, the Indian jute mills are not authorized to sell the B-Twill jute products in the open market. Thus, imports from the subject countries are not at all competing with the goods produced in India and are, therefore, not causing injury to the domestic industry in any manner.

xxxvii. As per letter no. Jute (Econ)/IR/2015 dated 9th July 2015, the Office of the Jute Commissioner has warned all the jute mills to not supply a single bag to the Government of India which has been procured from abroad as the Office will not only black list the respective organizations from supplying to the Government of India for a period of two years but also initiate criminal proceedings against the owners and directors of the company. Thus, goods produced by domestic jute mills are not competing with the goods imported from Bangladesh.

xxxviii. It is submitted that Indian jute mills have been given exclusive directions to sell the jute products for government procurement. With the current order from the Office of Jute Commissioner, No. Jute (Mktg/2/2003) dated 7th February 2017, it is amply clear that all jute mills are instructed not to supply any jute product in the open market.

xxxix. Anti-dumping duty is not meant to be perpetual in nature and considering the facts of the case, there is not any special/exceptional circumstances exist calling for continuance of anti-dumping duty. Thus, the anti-dumping duty should not to be continued and the Authority should terminate the present investigation on the same grounds.

F.3 Examination by the Authority

70. Rule 11 of the Anti-dumping Rules, read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like article and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles.

71. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6,7,8,9,10,11,16,18,19 and 20 shall apply *mutatis mutandis* in case of a sunset review. The Authority in its examination has evaluated the injury parameters which are required under Rules and Annexure II of the Rules and has also examined as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

72. With regards to the several arguments raised by the other interested parties that a cumulative assessment of imports from the subject countries cannot be carried out, the Authority notes that the scope of the PUC remains the same as it was in original investigation as has been mentioned in the appropriate paragraphs above. As far as the volume of imports from the subject countries is concerned, the Authority notes that the volume of imports from both the subject countries is not negligible. Further, the dumping margin with respect to significant imports from subject countries remain above *de minimis*. Further, the mere fact that price undercutting is positive in respect of one of the subject countries cannot by itself imply that cumulative assessment of the imports cannot be carried out. There exists inter-se competition between the imports and the products can be used interchangeably.

73. The Authority notes the submissions made by the interested parties regarding the exclusion of non-dumped imports from injury analysis. The Authority has accordingly segregated the data of imports from the subject countries and has considered the effect of dumped imports for injury analysis. It is noted that despite segregation, the trends in various injury parameters largely remain the same.

Country	**Volume (MT)**				
	2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2020-21 (dumped imports)**
Bangladesh					
Total imports	98,766	88,256	1,23,016	1,11,912	
Hessian Fabric	766	933	1,124	921	305
Sacking Bag	1,766	7,013	17,506	23,115	19,616
Yarn	44,491	45,331	55,804	61,364	45,273
Sacking Cloth	51,742	34,981	48,582	26,512	-
Subtotal (excluding cloth)	47,024	53,276	74,434	85,400	-
Subtotal (excluding cloth) (excluding non-dumped imports)					**65,194**
Nepal					
Total imports	34,102	36,594	47,503	66,847	

Hessian	12,366	14,697	21,860	32,304	25,792
Sacking Bag	16,261	18,313	22,214	27,606	11,079
Yarn	5,475	3,583	3,269	6,937	6,862
Sacking Cloth			160	-	
Subtotal (excluding cloth)	34,102	36,594	47,503	66,847	
Subtotal (excluding cloth) (excluding non-dumped imports)					43,733
Subject Countries Total	1,32,868	1,24,850	1,70,519	1,78,758	

74. It is noted that various interested parties have made several submissions regarding government restrictions on the supply of jute sacking bags, as well as the inability of the Indian industry to supply in the open market. The Authority has noted from the segregated capacity for the three product types provided by the applicant at the industry level that the capacity for all the types remains underutilised. It has further been clarified that the notifications published by the Jute Commissioner are meant to maintain adequate supply in the market meant for government production. The Jute Commissioner grants permission regularly for supply of sacking bags sold in the open market for packing food grains, sugar, and pulses, and accordingly, the mills have then sold the sacking bags in the open market upon receiving due permission or completion of government orders. In any case, it has also been informed to the Authority that the restrictions issued by the Office of the Jute Commissioner do not apply to such mills that have completed their allotted B-Twill orders to the government on time.

75. The Authority notes that the Indian jute industry indeed cannot meet the entire requirement of sacking bags as required for food grain packaging. It is, however, noted that (a) the capacity deployed for the production of sacking bag for government procurement is different from the facilities required for production of jute products in the open market, and (b) the domestic industry is unable to produce more in this segment for want of raw jute (either availability or price), and not because of absence of capacities, (c) the raw jute available in the country is also used for the production of other jute products which are not consumed by way of government procurement and is only sold in the open market. The Authority undertook a visit to IJMA to understand the issue of government procurement. During the said visit, it was observed by the Authority that there were dedicated capacities to cater to open market. The kind of spindles required for making yarn for open market are totally different from the kind of spindles used for manufacturing for the purpose of government procurement. Similarly, the kind of looms required for weaving yarn for open market are totally different from the looms required for weaving yarn for the purpose of government procurement.

76. With regards to the submissions made by the other interested parties contending that the imports are a result of a demand-supply gap in the country, the Authority notes that the existence of a demand-supply gap cannot be a justification for exporting goods at dumped prices from the subject countries.

77. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For examining price effect of dumped imports, the Authority investigates whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

78. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity, utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made.

I. Volume Effect of Dumped Imports of the Domestic Industry

a) Assessment of Demand

79. The demand or apparent consumption of the product in India has been determined as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. For the purpose of injury analysis, the Authority

has relied on the transaction-wise import data procured from the DGCI&S. Further, the Authority has examined and included imports of sacking cloth into the volume of imports. Further, as has been noted in the original investigation and in the present investigation as well, that since a substantial share of the demand is in the segment where the government procures jute sacking bag, as against the open market where the imports compete, therefore the Authority for the purposes of assessment of demand, has also segregated the demand calculated in a similar manner.

80. The Authority has also analysed the effect of only dumped imports in the below mentioned tables. It is noted that the trends portray largely a similar picture as total imports.

Demand	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2020-21 (dumped imports)
Sales of Domestic Industry (domestic sales only)	MT	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	104	109	93	93
Sales of Other Indian Producers	MT	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	95	95	76	76
Subject country-Imports	MT	81,126	89,869	1,21,777	1,52,247	1,08,926
Subject country – non-dumped imports	MT					43,951
Other Countries-Imports	MT	627	98	1,999	7,741	7741
Total demand/consumption	MT	11,22,438	11,02,622	11,50,789	9,92,042	9,92,042
Sacking Cloth – Bangladesh	MT	51,742	34,981	48,582	26,512	26,512
Sacking Cloth – Domestic Industry Sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	153	268	66	66

Demand (Open market)	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2020-21 (dumped imports)
Sales of Domestic Industry (domestic sales only)	MT	***	***	***	***	***
Trend		100	102	93	84	84
Sales of Other Indian Producers	MT	***	***	***	***	***
Trend		100	65	45	45	45
Subject country-Imports	MT	81,126	89,869	1,21,777	1,52,247	1,08,926
Subject country – non-dumped imports						43,951
Other Countries-Imports	MT	627	98	1,999	7,741	7,741
Total demand/consumption	MT	3,23,072	2,72,450	2,62,511	2,95,701	2,95,701

Demand (Government Procurement)	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
Sales of Domestic Industry to Govt.	MT	***	***	***	***
Trend		100	103	115	94

Sales of Other Indian Producers to Govt.	MT	***	***	***	***
Trend		100	103	110	85
Total demand/consumption	MT	7,99,366	8,30,172	8,88,278	6,96,341

81. It is seen that the demand for the subject goods including both government procurement and the open market has registered a slight decline from the base year and the previous year. In terms of the demand segregated for government procurement, it is seen that the fluctuation in demand in this segment has been in the same range with no major changes. In the demand available for the open market, wherein subject imports compete with the goods being sold by the domestic industry, it is seen that demand has declined in the POI compared to both previous year and the base year.

b) Import Volumes and Market Share

82. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The import volumes of the subject goods from the subject countries and share of the dumped imports during the injury investigation period are as follows:

Open market						
Particulars	**Unit**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**POI (Dumped Imports)**
Import Volume						
Bangladesh	MT	47,024	53,276	74,434	85,400	65,194
Nepal	MT	34,102	36,594	47,343	66,847	43,733
Subject Countries	MT	81,126	89,869	1,21,777	1,52,247	1,08,927
Other Countries	MT	627	98	1,999	7,741	
Total Imports	MT	81,753	89,967	1,23,776	1,59,988	
Subject imports in relation to						
Indian Production	%	7.60	8.67	11.61	17.77	12.71
Trend		100	114	153	234	
Demand (Open Market)	%	25	33	46	51	37
Trend		100	131	185	205	
Sacking Cloth -Bangladesh	MT	51,742	34,981	48,582	26,512	

Market Share in Demand in India	**Unit**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**POI (Dumped Import)**
Market Share in Demand (including government procurement)						
Sales of the domestic industry	%	***	***	***	***	***
Trend		100	105	105	105	
Sales of Other Indian industry	%	***	***	***	***	***
Trend		100	98	94	88	
Market Share in Demand (excluding government procurement)						

Sales of the domestic industry	%	***	***	***	***	***
Trend		100	125	112	99	
Sales of other Indian industry	%	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	80	55	53	
Subject countries - imports	%	35	40	54	55	43
Other countries - imports	%	0.17	0.03	0.63	1.3	3

83. The absolute volume of imports from the subject countries, has increased in the POI compared to the base year as well as the previous year. Imports in the POI of present investigation is higher than the volume registered in the POI of the original investigation and much higher as compared to the base year of previous investigation. It is seen that imports of jute products from the subject countries have increased in both absolute terms as also in relation to production and consumption in India and has remained consistently significant over the injury period. These trends exist despite the extant anti-dumping duty. The volume of imports of jute products has increased significantly in the POI, in both absolute terms and in relation to the production and consumption in India.

84. The Authority notes that the imports entering into India only compete in the open market as the segment for government procurement does not allow the procurement of imported sacking bag. Therefore, a cumulative assessment of market share including both government procurement and open market would not be representative of current scenario in the Indian market. Therefore, the Authority for the purposes of assessing the impact and/or continued impact of subject imports has also considered the markets share calculated for the open market i.e., excluding government procurement. It is seen that the open market in the POI is largely dominated by the subject imports, with only a meagre share with the domestic industry. The market share of imports in the base year was half as compared to the share taken over in the POI.

85. The Authority after examining the comments of the interested parties regarding impact on the domestic industry in the government procurement segment and open market, has to the extent possible, conducted a segregated analysis of the both the segments. The Authority concerns itself only to the extent it affects the performance of the domestic industry and is interlinked with imports competing in the open market. The government procurement market is not affected by the subject imports.

86. As regards the submissions made by the interested parties with respect to the absence of continued injury, the Authority notes that the domestic industry has also not claimed the same. However, the domestic industry has argued that it has clearly suffered adverse volume effect despite the current anti-dumping duty being in place, as the share of imports in the open market has surged from 9 % in the base year of the original investigation to 12% in the POI of the original investigation which has further increased to 18% in the current POI.

II. Price Effect

87. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country has been examined with reference to the price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production and net sales realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of imports of the subject goods from the subject countries. The Authority takes note of the fact that there exists a difference in the cost and price associated with different PCNs. Therefore, the Authority has considered weighted average to examine the price effect in terms of price undercutting, price suppression and depression.

a) Price Undercutting

88. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course.

Product: Hessian

Subject Country: Bangladesh

SN	Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	POI (Dumped Imports)
1	Import volume	MT	766	933	1,124	921	305
2	Landed price	Rs/MT	82,075	66,382	50,600	1,12,435	1,10,756
3	Selling price	Rs/MT	***	***	***	***	***
	Trend	Index	100	101	109	134	134
4	Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***
	Trend	Index	100	165	241	94	
5	Price undercutting	%	***	***	***	***	***
	Range		20 -30	30 - 40	50 - 60	20 -30	20-30

Product: Sacking

Subject Country: Bangladesh

SN	Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	POI (Dumped Imports)
1	Import volume	MT	1,766	7,013	17,506	23,115	19,616
2	Landed price	Rs/MT	61,150	48,564	55,283	78,237	77,043
3	Selling price	Rs/MT	***	***	***	***	***
	Trend	Index	100	106	115	128	128
4	Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***
	Trend	Index	100	253	252	128	
5	Price undercutting	%	***	***	***	***	***
	Range		10 – 20	30 - 40	30 – 40	10 - 20	10 - 20

Product: Yarn

Subject Country: Bangladesh

SN	Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	POI (Dumped Imports)
1	Import volume	MT	44,491	45,331	55,804	61,364	45,273
2	Landed price	Rs/MT	63,619	44,245	39,117	88,506	87,824
3	Selling price	Rs/MT	***	***	***	***	***
	Trend	Index	100	101	109	134	134
4	Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***
	Trend	Index	100	202	217	(167)	
5	Price undercutting	%	***	***	***	(***)	(***)
	Range		20 - 30	40 – 50	40 – 50	(10) - 0	(10) - 0

Product: Hessian

Subject Country: Nepal

SN	Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	POI (Dumped Imports)
1	Import volume	MT	12,366	14,697	21,860	32,304	25,792
2	Landed price	Rs/MT	91,353	74,237	50,169	1,21,225	1,19,132
3	Selling price	Rs/MT	***	***	***	***	***
	Trend	Index	100	101	109	134	134
4	Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***
	Trend	Index	100	213	416	143	
5	Price undercutting	%	***	***	***	***	***
	Range		10 -20	30 – 40	50 - 60	10 - 20	20 - 30

Product: Sacking

Subject Country: Nepal

SN	Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	POI (Dumped Imports)
1	Import volume	MT	16,261	18,313	22,374	27,606	11,079
2	Landed price	Rs/MT	67,077	44,663	34,879	85,956	85,283
3	Selling price	Rs/MT	***	***	***	***	***
	Trend	Index	100	105	114	127	127
4	Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***
	Trend	Index	100	631	958	124	
5	Price undercutting	%	***	***	***	***	***
	Range		0 -10	40 - 50	50 – 60	0 - 10	0 - 10

Product: Yarn

Subject Country: Nepal

SN	Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	POI (Dumped Imports)
1	Import volume	MT	5,475	3,583	3,269	6,937	6862
2	Landed price	Rs/MT	49,601	39,231	28,017	75,005	75068
3	Selling price	Rs/MT	***	***	***	***	***
	Trend	Index	100	97	94	105	
4	Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***
	Trend	Index	100	127	155	34	
5	Price undercutting	%	***	***	***	***	***
	Range		30 – 40	40 - 50	60 -70	10 - 20	10 - 20

89. It is seen that the landed price of imports without anti-dumping duty is below the selling price of the domestic industry and are, therefore, undercutting the prices of the domestic industry. Price undercutting is significantly positive in case of both jute products from the subject countries for dumped imports.

b) Price Suppression and Depression

90. In order to assess as to whether imports from the subject countries were suppressing/depressing the prices of the domestic industry and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority has compared the cost of production and the net selling price of the domestic industry over the injury period along with the landed price of imports over the injury period, and shown in the table below:

SN	Particulars (including government procurement)	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI	POI (Dumped Import)
1	Cost of Sales per unit Domestic Sales	Rs/MT	***	***	***	***	***
2	Trend	Index	100	103	110	127	127
3	Selling Price Per unit - Domestic Sales	Rs/MT	***	***	***	***	***
4	Trend	Index	100	104	110	125	125
5	Landed price	Rs/MT	58,802	42,364	38,834	81,828	84687

SN	Particulars (Open market only)	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI	POI (Dumped Import)
1	Cost of Sales per unit Domestic Sales	Rs/MT	***	***	***	***	***
2	Trend	Index	100	98	103	127	127
3	Selling Price Per unit - Domestic Sales (excluding excise duty or GST Whichever is applicable)	Rs/MT	***	***	***	***	***
4	Trend	Index	100	94	104	117	117
5	Landed price	Rs/MT	58,802	42,364	38,834	81,828	84687

91. It is seen that, both, the cost of sales and the selling price has increased over the injury period. The increase in selling price is in the same range as the increase in cost. However, it is noted that the import price is below the level of cost of sales, selling price and non-injurious price of the domestic industry. It is further noted that considering the price at which goods are being imported, it is likely that cessation of duties will lead to continuation of price depression and suppression in the domestic industry.

III. Economic Parameters of the domestic industry

92. Annexure II to the AD Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on the domestic producers of such products. With regard to the consequent impact of dumped imports on the domestic producers of such products, the AD Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic facts and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity, factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The Authority has examined the injury parameters objectively considering various facts and submissions made.

a) Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

93. Capacity, production, sales, and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the following table:

Capacity, Production, capacity utilisation of the domestic industry

Open market only						
S.No.	**Particulars**	**Unit**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**POI**
1	Installed Capacity	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	100	100	100
2	Production Quantity- PUC	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	103	107	93
3	Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	103	107	93
4	Sales of Domestic Industry (including exports)	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	103	107	93

94. It is noted that:

i. The capacity of the domestic industry has remained consistent. The total capacity of the Indian jute industry was also submitted to the Authority during the verification of the Indian jute industry. It is seen that the total capacity with the industry is sufficient to the meet the Indian demand.

ii. The production and sales parameters also portray a trend similar to capacity trends. It is, however, noted that such stagnant figures in capacity and production are despite extant anti-dumping duties. As has been noted above, a large portion of the market remains with the subject imports, which is inhibiting the domestic industry from increasing its capacity and other parameters thereon.

iii. Capacity utilization has declined significantly in the POI. Infact, it is seen that the capacity utilisation of the domestic industry is only 10% above the utilisation registered in the POI of the original investigation. It is, further, noted that there is idle capacity available with the domestic industry. Some decline in capacity utilization is attributable to the decline in demand.

iv. As has been noted in the abovementioned paras, six supporters have submitted information before the Authority along with supporting documents. The Authority has taken cognizance of the data received, and has analysed the same in order to examine whether the data of these supporters exhibits a similar trend as that of the domestic industry. The information for the six supporters is as follows:

SN	**Particulars**	**UOM**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**POI**
1	Installed Capacity	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	100	100	100
2	Production Quantity- PUC	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	101	100	80
3	Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	101	100	81
4	Domestic Sales	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	98	81	74

v. It is seen that utilisation for other producers has declined over the period, it is also seen that sales of these producers in the open market have also seen a severe decline.

vi. During its visit to IJMA, the Authority had found that there is dedicated machinery for government procurement as well as open market**.** The machinery dedicated for sacking bag is also different for

government market and open market. It is noted that if the open market is completely foreclosed for the Indian jute mills, then the machinery dedicated for producing the goods for open market would become redundant as well.

b) Capacity and capacity utilisation of the Indian industry

95. Further, the Authority has also examined the capacity, production, and capacity utilization of the Indian industry for the POI, as is given in the following table:

SN	Particular	Capacity (MT)	Production (MT)	Capacity Utilisation (%)
1	Yarn	1,20,000	61,300	51.08
2	Sacking	10,00,000	7,39,200	73.92
3	Hessian	2,00,000	1,18,400	59.2

From the above information, it is evident that products that are dedicated and sold solely in the open market i.e., yarn and hessian fabric have a significantly low-capacity utilisation level as against the product types (sacking bag) which are being sold in the government procurement market. Therefore, the Authority notes, that in the open market, where the domestically produced goods are competing with imports, the industry has registered a low utilisation.

c) Profitability, Return on Investment and Cash Flow

96. The return on investment, profit/loss before and after interest, return on investment and cash profit during the injury period is as indicated in the table below:

SN	Particulars (including Government Procurement)	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
1	PBT - Domestic Sales	Rs. /MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	117	109	96
2	Total Profit before tax - Domestic Sales	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	120	118	87
3	Cash Profits	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	112	113	95
4	Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	104	91	67

SN	Particulars (only government market)	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
1	PBT per unit -Domestic Sales	Rs. /MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	150	74	200
2	Total Profit before tax (Domestic Sales	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	156	83	164
3	Cash Profits	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	130	96	133
4	Capital Employed	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	120	153	145
5	Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	128	78	143

SN	Particulars (only open market sales of sacking)	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
1	PBT per unit -Domestic Sales	Rs. /MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	57	180	70
2	Total Profit before tax - Domestic Sales	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	59	142	67
3	Cash Profits	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	62	136	71
4	Capital Employed	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	120	91	122
5	Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	51	150	57

SN	Particulars (only open market sales of all products)	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
1	PBT per unit -Domestic Sales	Rs. /MT	***	(***)	***	(***)
	Trend	Index	100	(6)	130	(124)
2	Total Profit before tax - Domestic Sales	Rs. Lacs	***	(***)	***	(***)
	Trend	Index	100	(6)	121	(105)
3	Cash Profits	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	46	104	5
4	Capital Employed	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	111	112	140
5	Return Capital Employed	%	***	***	***	(***)
	Trend	Index	100	17	106	(38)

97. It is seen that:

(i) The domestic industry has mostly been able to maintain its profits, cash profits and return on investment due to imposition of duties on the subject countries.

(ii) Further, the domestic industry was also able to maintain its performance in these parameters, as it maintained its prices even at the cost of low-priced subject imports.

(iii) Profits before interest, cash profits, ROI have followed the same trend.

(iv) The Authority has also calculated profitability separately for the open market and government procurement. A separate analysis of the two markets, however shows that the trends noted above are due to prices being secure in the government procurement. The domestic industry, however, due to unfair competition from subject imports has seen a significant decline in profitability in sales being made in the open market.

d) Market Share in Demand

98. Market share of the domestic industry in demand for the product under consideration is given in the table below:

SN	Demand (including government market)	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	Sales of Domestic Industry	MT	*** %	*** %	*** %	*** %
	Trend	Index	100	106	107	105
2	Sales of Other Indian Producers	MT	*** %	*** %	*** %	*** %
	Trend	Index	100	97	93	86
3	Subject country-Imports	MT	7.23%	8.15%	10.58%	15.35%
4	Other Countries-Imports	MT	0.06%	0.01%	0.17%	0.78%
5	Total demand/consumption	MT	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

SN	Market Share in Open market	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	Sales of domestic industry	MT	*** %	*** %	*** %	*** %
	Trend	Index	100	125	115	96
2	Sales of Other Indian producers	%	*** %	*** %	*** *** %	*** %
	Trend	Index	100	78	56	50
3	Subject country-Imports	%	25.11%	32.99%	46.39%	51.49%
4	Other Countries-Imports	%	0.19%	0.04%	0.76%	2.62%
SN	**Market Share in Government Procurement**	**Unit**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
1	Sales of domestic industry	MT	*** %	*** %	*** %	*** %
	Trend	Index	100	125	112	97
2	Sales of Other Indian producers	%	*** %	*** %	*** %	*** %
	Trend	Index	100	91	76	93

99. It is seen that the open market in the POI has been largely dominated by the subject imports. The share of the subject imports in the open market has increased significantly over the injury period, with only a declining and minority share with the domestic industry. The Indian industry is facing unutilised capacities, however, at the same time, the market share of imports has increased by 57% over the injury period.

100. It is also seen that the domestic industry has sufficient capacities to meet the Indian demand despite which it has been operating on underutilised capacities.

e) Employment, and Productivity

101. The analysis of the number of employees employed by the domestic industry, its productivity shows as follows:

SN	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
1	No. of Employees	Nos	***	***	***	***
	Trend	Index	100	99	105	94
2	Productivity per day	MT/day	***	***	***	***
	Trend	Index	100	102	104	88

102. Employment have declined in the POI. Productivity per day has also declined in POI with decline in production and number of employees.

f) Inventories

103. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

SN	Inventory	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	Opening Stock	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	92	85	68
2	Closing Stock	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	92	73	75
3	Average Stock	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	92	79	71

104. The level of inventories with the domestic industry has declined since 2019-20.

g) Growth

105. The growth of the domestic industry in terms of market share, capacity utilisation, profitability, cash profit and ROCE has been negative in the POI, in the open market. However, it is noted that the adverse impact registered in the POI on the domestic industry is still seen to have been contained due to anti-dumping duties currently imposed.

h) Factors affecting domestic prices

106. The examination of the import prices from the subject countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market, etc. shows that the landed value of the subject goods from the subject countries is below the selling price of the domestic industry, NIP and cost of sales in the POI. The demand for the subject goods remains significant. The price of imported goods is below the net sales realization, cost of production and also below the non-injurious price of the domestic industry.

i) Magnitude of Dumping Margin

107. The dumping margin determined against the subject countries is above the de-minimis level and significant for several exporters/producers.

IV. Injury Margin/ Price underselling

108. The Authority has determined non-injurious price (NIP) for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the AD Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the PUC has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing cost accountant for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price of each PCN from the subject countries for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the AD Rules.

109. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for producers/exporters as determined by the Authority is provided in the table below:

S.No	PUC	Landed Value (US$/MT)	Non-injurious price (US$/MT)	Injury Margin (US$/MT)	Injury Margin %	Injury Margin Range
A.	**Bangladesh**					
I.	**Sampled producers/exporters of Bangladesh**					
1.	**Bogra Jute Mills Ltd.**					
a.	Jute yarn/twine	***	***	(***)	(***)	(20) – (10)
b.	Sacking bag	***	***	(***)	(***)	(10) – 0
2.	**A.M. Jute Industries**					
a.	Jute yarn/twine	***	***	***	***	0 – 10
b.	Hessian Fabric	***	***	***	***	10 – 20
3.	**Hasan Jute Mills**					
a.	Jute yarn/twine	***	***	***	***	0 – 10
b.	Sacking bag	***	***	***	***	10 – 20
4.	**Ranu Agro Industries Ltd.**					
a.	Jute yarn/twine	***	***	(***)	(***)	(30) – (20)
b.	Sacking bag	***	***	***	***	10 – 20
5.	**Rabeya Jute Mill**					
a.	Jute yarn/twine	***	***	***	***	0 – 10
b.	Sacking bag	***	***	(***)	(***)	(10) – 0
c.	Hessian fabric	***	***	***	***	0 - 10
6.	**Nawhata Jute Mills Ltd.**					
a.	Hessian fabric	***	***	***	***	20 – 30
7.	**Mouna Jute Mills Ltd.**					
a.	Jute yarn/twine	***	***	***	***	10 – 20
8.	**Alijan Jute Mills Limited**					
a.	Jute yarn/twine	***	***	***	***	0 -10
9.	**Sonali Aansh Industries Limited**					
a.	Jute yarn/twine	***	***	***	***	0 – 10
9A.	**Sonali Aansh Industries and Alijan Jute Mills (as a group)**					
a.	Jute yarn/twine	***	***	***	***	0 – 10
10.	**Sidlaw Textiles Ltd.**					
a.	Jute yarn/twine	***	***	***	***	10 – 20
11.	**Sagar Jute Spinning Mills Ltd.**					
a.	Jute yarn/twine	***	***	***	***	0 – 10
11 A.	**Sagar Jute Spinning Mills and Sidlaw Textiles (as a group)**					

a.	Jute yarn/twine	***	***	***	***	0 – 10
12.	**Nawab Abdul Malek Jute Mills (Bangladesh) Limited**					
a.	Jute yarn/twine	***	***	***	***	0 – 10
II.	**Non-sampled but cooperative producers/exporters of Bangladesh**					
a.	Jute yarn/twine	***	***	***	***	0 – 10
b.	Sacking bag	***	***	***	***	10 – 20
c.	Hessian Fabric	***	***	***	***	20 – 30
III.	**Non-cooperative/Residual producers/exporters of Bangladesh**					
a.	Jute yarn/twine	***	***	***	***	70-80
b.	Sacking bag	***	***	***	***	10 - 20
c.	Hessian Fabric	***	***	***	***	20 -30
B.	**Nepal**					
I.	**Sampled producers/exporters of Nepal**					
1.	**Arihant Multi-fibres Ltd.**					
a.	Jute yarn/twine	***	***	***	***	0 – 10
b.	Sacking bag	***	***	***	***	0 – 10
c.	Hessian Fabric	***	***	***	***	0 – 10
2.	**Shree Raghupati Jute Mills Ltd.**					
a.	Jute yarn/twine	***	***	(***)	(***)	(10) – 0
b.	Sacking bag	***	***	***	***	0 – 10
c.	Hessian Fabric	***	***	***	***	10 – 20
2A.	**Arihant Multi-fibres and Shree Raghupati Jute Mills (as a group)**					
a.	Jute yarn/twine	***	***	(***)	(***)	(10) - 0
b.	Sacking bag	***	***	***	***	0 – 10
c.	Hessian Fabric	***	***	***	***	10 -20
II.	**Non-sampled but cooperative producers/exporters of Nepal**					
a.	Jute yarn/twine	***	***	(***)	(***)	(10) - 0
b.	Sacking bag	***	***	***	***	0 – 10
c.	Hessian fabric	***	***	***	***	10 -20
III.	**Non-cooperative/Residual producers/exporters of Nepal**					
a.	Jute yarn/twine	***	***	***	***	0 – 10
b.	Sacking bag	***	***	***	***	0 – 10
c.	Hessian Fabric	***	***	***	***	10 – 20

G. CAUSAL LINK AND OTHER FACTORS (NON-ATTRIBUTION ANALYSIS)

110. The Authority examined whether other factors listed under the AD Rules could have caused injury to the domestic industry.

a. Volume and value of imports not sold at dumping prices

111. Imports from other countries are not significant in volume or their prices are higher.

b. Contraction in demand or changes in the pattern of consumption

112. Demand for the product under consideration has registered a decline in the POI. However, it is noted that demand continues to remain significant. The pattern of consumption with regard to the product under consideration has also not undergone any change.

c. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

113. There is no known trade restrictive practice.

d. Developments in Technology

114. Technology for production of the product has not undergone any change nor is any change likely in the foreseeable future.

e. Export Performance

115. The applicant companies export the PUC. However, their export volume is not significant. Injury information has been segregated and, therefore, it could not be the factor responsible for injury claimed by the domestic industry.

Conclusions on continuation of injury and causal link:

116. The following conclusions have been reached from the above analysis:

a. It is noted that the volume of dumped imports from the subject countries remains significant despite the imposition of ADD.

b. There is adverse price effect leading to price undercutting, price depression and price suppression to the domestic industry because of dumped imports.

c. With regard to the impact of the prices of the dumped imports to the domestic industry, it is noted that the market share of the domestic industry has marginally declined while the market share of imports of subject goods from the subject countries has significantly increased.

d. It is also noted that the production, capacity utilization and domestic sales has declined during the POI as compared to base year.

e. With regards to profitability, it is noted that that there is a marginal decline in the profits, cash profits and the ROCE during the POI as compared to base year.

H. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

117. The Authority notes that this is a sunset review investigation. The domestic industry has claimed that it is not suffering from any continued injury and that it is likely to suffer injury in the event of cessation of anti-dumping duty. Accordingly, the Authority has examined the likely scenario of continuation of dumping and recurrence of injury on account of dumped imports, if anti-dumping duty is allowed to expire.

H.1 Views of the domestic industry

118. The following submission were made by the domestic industry with regard to likelihood of continuation or recurrence of injury and dumping:

i. Routing of exports via exporters having lower duty has become a norm. The possibility of such exporters have been exporting the subject product beyond their own capacities and this possibility cannot be ruled out.

ii. The Bangladesh jute industry stands at the 4th position in terms of export earnings for the country and jute yarn and twine has registered an export growth of 41.61% during FY 2020 – 21 according to the Export Promotion Bureau of Bangladesh. The circumvention practices, multiple new shipper reviews, continuous intervention of the Government of Bangladesh on this WTO compatible trade remedies since the original investigation demonstrates the importance of the product as well as the Indian market for Bangladesh's industry and its government.

iii. Imports have remained significant despite sufficient Indian capacities and anti-dumping duty in place. The exporters have even attempted circumvention of the existing duties.

iv. The exporters are likely to cause enhanced injury to the domestic industry even while running in reduced capacities. According to the statements given by the Chairman of the Bangladesh Jute Mills Association, the mills that were running below capacity are likely to increase capacity utilization and are also expanding capacities for weaving and spinning by 2021.

v. Significant capacity is available with the producers in the subject countries, and they are also capable of scaling up production in a short period. Further, the exporters have significant under-utilized capacity. Based on the standard norms, it would be seen that while installed capacity is at 12,77,562 MT, the industry has an excess/unoperated capacity of 7,74,966 MT.

vi. Indian market remains attractive for the exporters especially since the global surge in demand seen is for jute bags in the gift sector and not in the agricultural sector. The consumption in the gift segment is limited, thus, leading to limited production as well. It would also be seen from Bangladesh's export data of other jute diversified jute products, that the total value of exports is a meagre Rs. 24 crores, as opposed to the Indian demand of the product under consideration in the region of Rs. 8711 crores.

vii. Landed value of imports are lower than cost of sales of the domestic industry. Indian market attractive in terms of price and is highly lucrative as it is the only market that has such a significant demand for the product under consideration.

viii. Post imposition of the anti-dumping duty, Bangladesh in August 2017 increasing its cash subsidy from 7.5% to 10% on jute products. It was further enhanced by 2% in September 2018. Cash subsidy/grant and other region-based subsidies were given to the jute industry by the Government of Bangladesh by way of direct transfer of funds and these incentives will enable them to export further in the event of cessation of duties.

ix. Bangladesh had earlier launched a National Jute Policy in 2011 and then another in 2014. The cabinet approved the draft of 'National Jute Policy-2018' in May 2018 with priority given to production of quality jute; ensuring fair price of jute; diversification of jute products; modernization of jute mills; expansion of jute markets. Under the policy, the government will form a technology upgrading fund to modernize both public and private jute mills in line with global demand for jute and jute goods. It will arrange bank loans at a reduced interest rate for entrepreneurs as part of incentives. Jute industry will also be declared an agro-based industry so that it can enjoy tax benefits and fiscal incentives given to these industries.

x. In the domestic markets of the subject countries, supply of the subject goods is significantly higher than the demand of the subject goods and hence, a large part of the production of the subject goods is available for exports. The producers are holding significant inventories even at current production levels.

xi. The jute industrial sector of Bangladesh is highly export oriented and as per the Bangladesh Jute Spinners Association, the mills export nearly 100% of its exports.

xii. Brazil has extended duties on Bangladesh on the subject goods in 2016, thus, for Bangladesh exporters as on date one market remains closed due to duties.

xiii. Bangladesh is the world's largest grower of jute. The production of raw jute has always been higher than the consumption required by the market in Bangladesh, and, therefore, the most essential raw material for the product then, further, becomes available at a cheaper price. Further, projected evidence that there shall be steady increase in production, despite a relatively stable situation in consumption.

xiv. Cultivation of jute and manufacturing of its products plays a vital role for Bangladesh's economy. It contributes around 5% in GDP and about 10-15% in the national employment. Jute goods and its exports form an important source of foreign exchange.

xv. 47 producers in India, who have collectively invested an amount exceeding Rs. 5720 crores (considering capital employed by the petitioner companies) and employs 99,534 persons directly (considering employment by the petitioner companies). This employment does not include indirect employment.

xvi. The producers in Nepal have *de facto* only two markets – Nepal and India. Therefore, there is a high dependence and compulsion on the Indian market, to sell their surplus production, which globally does not have a demand.

xvii. Going from the history of past cases, i.e., the circumvention attempted by the exporters from Bangladesh including a series of new shipper reviews have established likelihood. Out of the 6 new shipper reviews conducted, 4 were concluded with an individual dumping margin and in two new rates were not recommended.

xviii. The argument of the interested parties that composition of the domestic industry has changed to prove the non-existence of likelihood of injury and dumping is conjecture and there exists no evidence for the same. The injury claimed is continued adverse effect based on the domestic producers as a whole and likelihood of intensified injury in the event of cessation of anti-dumping duty.

xix. The applicant is bringing forth the effect of incentives offered by the Government of Bangladesh merely to show that the support measures offered are enough to continue exports in significant volumes at dumped prices as is evident from the data in the POI. These support measures encouraging exports are directly related to the determination of likelihood of continued/recurrence of dumping and injury.

xx. Submissions made that jute units operating under BJMC were closed in July 2020, are not correct. As per the article published in Bangladesh's daily national "Dailystar", the closure of jute units operating under the BJMC were public mills that have a miniscule share in the total number of mills installed in the country. This closure was seen positively with the expectation that utilization and production will increase and there were even plans for increasing the existing capacities. It was also admitted in the article that the producers/ exporters have continued to dump in international markets, and the Authority must not ignore such a blatant admission both in the media and during oral hearing.

xxi. There is surplus capacity available with reference to jute products. The availability of raw jute is still more than domestic consumption and thus, there is a possibility of increased production. The current import volume in India itself is injurious.

xxii. It has been argued that no evidence/law/rule suggests that export-orientation of an industry can be blamed for likelihood of increased exports The export orientation must not be seen on a standalone basis, they are to be seen along with the significant surplus capacities, underutilized capacities, plans on increasing production and capacities, with limited domestic demand. High export orientation along with these factors indicates that surplus production will be intended to be sold in the international markets, and with the fact that there is limited global demand of the subject goods and India is an important market, the possibility of significant exports entering the Indian market is likely.

xxiii. Although the support given by the Government of Bangladesh is not targeted towards the Indian market, the support nonetheless is being used by the exporters to export goods at cheaper price to India. There is no requirement under Article 11.3 that the Government actions be specifically targeted against India.

xxiv. There is surplus capacity available with reference to jute products. The domestic availability of raw jute in Bangladesh is still more than domestic consumption and thus, there is a possibility of increased production. The current import volume in India itself is injurious.

H.2 Views of the other interested parties

119. The other interested parties have filed the following comment or submissions with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury:

i. The expiry of the existing anti-dumping duties is not likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry as envisaged in Rule 23 (1B) of the AD Rules and the duties must be allowed to expire.

ii. The petitioners' determination of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury lacks sufficient factual basis and they have merely relied on misleading statements and undue presumptions with the sole objective of continuing the existing duties.

iii. Jute products produced in Bangladesh are made solely from raw jute grown in the country. The quantity of production of jute products and export thereof depends entirely on the annual jute crop of Bangladesh. Due to the scarcity of land, area of land for raw jute production in the country has remained same during the last 5 years, so is the quantity of production and there is no indication that production of raw jute will increase in Bangladesh in near future. Because of quality of jute grown in the country, jute products from Bangladesh have huge demand all over the world, including India. Further, there are no indications of any change in the global demand pattern. Therefore, there is no possibility of sudden increase of export to India in numbers, which can cause recurrence of injury, even hypothetically. The argument put forth by the petitioners in this regard does not reflect reality.

iv. Continuation of antidumping duties on jute bag by Brazil in 2016, which is in place since 1992, cannot be the reason for sudden diversion of these exports to India and injure the Indian industry. Further, Bangladesh's export to Brazil as a whole is minuscule, as the respondents do not export to Brazil, all of this points to the fact that this not a real threat of any significance.

v. The continuation of anti-dumping duties after a review would require the positive satisfaction of two conditions: likelihood of dumping; and likelihood of injury. While the same for withdrawal would require negative conclusion on likelihood of injury only.

vi. The petitioners confirmed that "the overall performance of the domestic industry has improved. The domestic industry has not suffered continued injury." So, it is clear that the domestic industry did not suffer from any injury during the investigation period.

vii. Since the petitioners have failed to make a proper case for the likelihood of dumping based on positive evidence, the respondent in this part submits why the petitioners have also failed to establish that the withdrawal of duties would lead to likely continuation or recurrence of injury.

viii. The very first ground concerning likelihood of injury analysis put forward by the petition related to the alleged fact that the Government of Bangladesh has been providing support in the form of tax exemptions, rebates, holidays and export subsidies to jute products in order to encourage jute industry to export jute goods. There is no denying that these measures are undertaken to encourage exports. However, tax exemptions, rebates and holidays as mentioned by petitioners don't apply to the subject jute products. Even if these apply to the subject jute products, these are irrelevant to dumping and the petition does not explain how these support measures are relevant in the present SSR case.

ix. With regard to the cash subsides, the applicant has submitted that the purpose of increasing cash subsidies for jute product was to neutralize the anti-dumping duty imposed by India. Such open-ended statement ignores the fact that the industry has been facing continuous challenges to pay its workers and undergoing through existential crises in many respects. Therefore, the Government of Bangladesh continuously supports the sector and these supports are available for exports to all countries not only to India and such support has been in place for a long time. Therefore, there is no reason to consider that the current export subsidies scheme is designed to neutralise the anti-dumping duty imposed by India.

x. Different support measures of the Government of Bangladesh are not designed to overtake Indian market, rather simply to stabilize the sector with the objective of saving the livelihoods of millions of workers and farmers given the closure of many industries and internal disturbances in last several years. Many of the support measures which are in place predate the imposition of the anti-dumping duty in question and are in no way linked with the existing duties.

xi. Overall, the petitioners appear to have implicated the government support measures to individual exporters from Bangladesh. The support measures are government initiatives and cannot be attributed to any individual exporters and thus, to the respondent industry. Hypothetically speaking, even if these government measures cause some injury to the Indian domestic industry (which is not the case), it cannot be a legal basis for the continuation of the duties as part of the likelihood of injury analysis. The support measures in question are completely unrelated to the anti-dumping duties.

xii. The petitioner has unnecessarily created a fear of increase of import of jute products from Bangladesh through an inappropriate assessment of the situation of the jute industry in Bangladesh. Firstly, it is well-known that Bangladesh is the largest producer of raw jute in the world. Due to high quality of raw jute produced in Bangladesh, both raw jute and jute products of Bangladesh have huge demand all over the world. The quantity of jute products produced in Bangladesh solely depends on the availability of raw jute in the country since there is no question of import of raw jute from anywhere in the world. Therefore, assessment of possible increase of production of jute products must be based on the availability of raw jute in the country. In this context, the Authority may examine the quantity of production of raw jute in Bangladesh.

xiii. Surplus capacity in some companies cannot be the determining factor for increase of production of jute products. Rather, the Government of Bangladesh has closed all jute industries operated under Bangladesh Jute Mill Corporation in July 2000. Therefore, arguments put forward by the petitioner on likelihood of increase of import of jute products are not justified.

xiv. The petition mentions that since the landed value of imports from Bangladesh are at a price lower than the selling price and cost sales of the domestic industry, it is likely that if the duties are withdrawn, the Bangladeshi producers would aggressively target the Indian market. The respondent is unable to comment on this argument because of less clarity in data regarding the calculation of landed value of imports and the indexing of selling price.

xv. The petitioner has failed to understand that the Bangladeshi jute industry has been developed independent of the Indian market. Even when duties were in place, the overall export of the respondent along with the domestic jute industry has increased. Therefore, the anti-dumping duty in question is not related to the exporting nature of the domestic industry.

xvi. The efforts to modernize Bangladesh's jute industry have nothing to do with the likelihood analysis in the present case.

xvii. There is no reason shown which can lead one to believe that the price of exports from Bangladesh may decline in the near future and the global scenario and situation in Bangladesh is very conducive for the prices to go further up in the near future and claims to the contrary are all unsubstantiated.

xviii. The petition contains unsupported claims of likelihood of dumping and injury which must not be accepted by the Authority. On the contrary, the overwhelming number of responses have been filed by the exporters which provide the Authority with actual information on capacity, capacity utilization, third country exports, inventory etc. which is relevant in the context of likelihood examination. It would be evident that the claims in the petition are not justified in view of such factual position.

xix. The evidence filed by the domestic industry shows negative price undercutting for the updated POI.

xx. The petition cites India as the sole export market for Nepal as the only factor likely to cause recurrence of injury to the domestic industry if anti-dumping duties are discontinued against it. The respondents submit that India being a significant market for Nepal is well established. However, the mere fact that India is a significant market cannot by itself be a factor indicating likelihood of recurrence of injury. Rather, it must be coupled with some other significant factor which together are capable of causing injury. There is no other such factor since price undercutting is also negative.

xxi. With respect to Nepal, the only submission made in written submission by the domestic industry is that imports from Nepal have increased. However, imports have increased in relation to hessian fabric and sacking bags only. This is due to constraints faced by the domestic producers in producing adequate quantity of like article, particularly sacking bags, and restrictions imposed by the Government which prevents the domestic producers from selling in the open market. This has necessitated users to import the subject goods from Nepal.

xxii. When domestic industry is visibly perturbed by imports from Bangladesh only, and given the background of the case, which include various anti-circumvention and new shipper review investigations, it becomes apparent that import competition is only being faced from Bangladesh. There are no facts which indicate a likelihood of recurrence of injury due to imports from Nepal.

H.3 Examination by the Authority

120. The present investigation is a sunset review of duties imposed on the imports of subject goods from Bangladesh and Nepal. Under the Rules, the Authority is required to determine whether the cessation of existing duty is likely to lead to continuance or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

121. All factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine as to whether there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury in the event of cessation of the duty. The Authority has considered various information, as made available by the domestic industry, in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury.

122. With regards to submissions made by the other interested parties concerning certain data related to supply and demand figures of jute production in relation to Bangladesh and Nepal, it is reiterated that the Authority has not taken cognisance of the report.

123. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A (5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure - II (vii) of the AD Rules, and other relevant factors brought on record by the interested parties:

i. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;

ii. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;

iii. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and

iv. Inventories of the article being investigated.

124. Further, the Authority has also examined other relevant factors having a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. The examination of the parameters of likelihood is as follows:

i. Continued dumping of the subject goods and anti-circumvention of existing anti-dumping duties.

125. The dumping of the subject goods from some producers/exporters of the subject countries has continued despite anti-dumping duties being in force. The volume of imports has also remained significant in absolute and relative terms. It is also noted that the import volume from Bangladesh of sacking cloth increased significantly after imposition of the anti-dumping duties, that led to the anti-circumvention investigation and subsequent extension of duties on sacking cloth.

126. The table mentioned below shows the production figures of sacking cloth by the domestic industry.

SN	Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	Sacking cloth	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	114	184	41
2	Production	MT	***	***	***	***
	Trend	MT	100	102	106	93
3	Share of sacking cloth	%	***	***	***	***
	Trend		100	111	173	44

127. It is seen that the production of sacking cloth by the domestic industry is abysmally low in relation to its total production. However, the imports of sacking cloth coming in from Bangladesh constitute a very significant percentage of the total imports. If there was such a high demand of sacking cloth in the Indian market then the domestic industry would have manufactured and sold sacking cloth as such. However, this is not the case. This shows that the sacking cloth being exported by producers/exporters from Bangladesh is nothing but a penultimate form of sacking bag and a form of the PUC which is being resorted to circumvent the existing anti-dumping investigation. The Authority has also established the same in its anti-circumvention findings concerning Bangladesh.[24]

ii. Surplus capacities in Bangladesh and Nepal

128. Information with respect to surplus capacities with the producers in the subject countries is given below. The Authority has examined the information for period of investigation separately for the sampled and non-sampled producer/exporters to examine the likelihood of injury.

Idle Capacity	Capacity	Production	Capacity utilization	Idle capacity as % of Indian demand	Idle capacity as % of Indian demand
	MT	MT	%	%	Range
Bangladesh					
Sampled	***	***	***	***	0-10
Non-Sampled	***	***	***	***	20-30
Total	***	***	***	***	20-30
Nepal					
Sampled	***	***	***	***	0-10
Non-Sampled	***	***	***	***	0-10
Total	***	***	***	***	0-10

Source: EQR

129. It is seen that about ***% of the capacity of sampled producer/exporters and ***% of the capacity of non-sampled producer/exporters of Bangladesh was idle in the period of investigation. In case of Nepal, it is seen that about ***% of the capacity of the sampled exporters and *** % capacity of non-sampled exporters was lying idle.

[24] Final Findings in Anti-circumvention investigation concerning alleged circumvention of anti-dumping duty imposed on the imports Jute Sacking Bags from Bangladesh dated 19th March 2019 (F.No. 7/3/2018 -DGAD).

130. With regards to the submission made by the other interested parties with respect to limited availability of raw jute material in Bangladesh, the Authority notes that no evidence has been submitted to back this claim.

131. Brazil has extended duties on the subject goods from Bangladesh in 2016. Thus, for the exporters from Bangladesh one market has remained closed due to duties. This also evidently corroborates why Bangladesh has continued to export dumped imports into India in large quantities. Brazil has now initiated sunset review of anti-dumping duties, which were imposed first time in 1992.

iii. Historical analysis of market share and imports

132. The Authority has analysed the market share in demand of imports of subject goods from subject countries from the base year of the original investigation to the present POI. This has been analysed considering both a market for government procurement and excluding it.

Import Volumes and Market Share since Original Investigation (including Government Procurement)

S. No.	Year	Imports	Demand	(Subject countries) Share
1	2011-12	1,26,044	14,32,360	8.80%
2	2012-13	1,83,534	14,92,084	12.30%
3	2013-14	1,62,193	14,69,694	11.04%
4	2014-15	1,73,711	14,80,133	11.74%
5	2015-16	2,01,295	14,10,478	14.27%
6	2016-17	1,34,565	12,44,568	10.81%
7	2017-18	1,32,868	11,78,706	11.27%
8	2018-19	1,24,850	11,40,443	10.95%
9	2019-20	1,70,519	12,03,483	14.17%
10	2020-21	1,78,758	10,20,490	17.52%

Import volumes and market share since original investigation (excluding government procurement)

SN	Year	Imports	Demand	Govt.	Net demand	(Subject countries) Share	
						Gross	Excluding Govt
1	2011-12	1,26,044	14,32,360	7,95,475	6,36,885	8.80%	20%
2	2012-13	1,83,534	14,92,084	9,95,086	4,96,998	12.30%	37%
3	2013-14	1,62,193	14,69,694	6,84,658	7,85,036	11.04%	21%
4	2014-15	1,73,711	14,80,133	6,91,300	7,88,833	11.74%	22%
5	2015-16	2,01,295	14,10,478	8,10,123	6,00,355	14.27%	34%
6	2016-17	1,34,565	12,44,568	8,61,229	3,83,339	10.81%	35%
7	2017-18	1,32,868	11,78,706	7,99,583	3,79,123	11.27%	35%
8	2018-19	1,24,850	11,40,443	8,42,793	2,97,650	10.95%	42%
9	2019-20	1,70,519	12,03,483	7,72,157	4,31,326	14.17%	40%
10	2020-21	1,78,758	10,20,490	6,80,064	3,40,426	17.52%	53%

133. It is noted that despite the imposition of anti-dumping duties, imports from the subject countries have increased significantly. It is expected that the consequence of any trade remedial measures and specifically, imposition of anti-dumping duties would lead to import volume being contained if not reduced, in a situation where there are sufficient capacities within the country. However, the same has not been a result in this investigation. The Authority, therefore, disagrees with the position taken by the other interested parties that the imposition of measures has had an adverse impact on the subject exports. It is evident that the share of Bangladesh and Nepal in the open market has reached 55% in the POI. There has been a significant increase in imports of subject goods as compared to the base year of the original investigation and the POI of the original investigation, wherein the share was 20% and 13% respectively.

iv. Efforts of Government of Bangladesh to push exports

134. The importance of the jute sector for Bangladesh is well-known and has been admitted by the Government of Bangladesh. The jute sector has historically been an important industry for both India and Bangladesh. The Authority notes that Bangladesh has an inherent advantage of abundance of raw jute coupled with abundance of superior quality of raw jute. This advantage lies with Bangladesh naturally and geographically. Besides, having a natural advantage, the Government of Bangladesh offers various support measures to the producers/exporters of jute products that encourage exports.

135. The Government of Bangladesh grants cash subsidy of anywhere between 7.5 percent and 12 percent on their exports of jute products, as has been admitted by the Government of Bangladesh. While the cash subsidies for exports in itself denotes the importance of export markets for jute, it is distinctive in this case as to the manner in which this cash subsidy was used as a tool to push exports towards the Indian market. The table below shows the percentage of cash subsidy that was available for each product type in the relevant years:

SN	Period	Cash Subsidy	
		Yarn	Sacking bag and hessian fabric
1	2015	5	7.5
2	2016	5	7.5
3	Jan 2017	MoF imposition of duties after the original investigation	
4	2017	5	10
5	March 2018	Circumvention investigation initiated by the Authority	
6	August 2018	7	12

136. It is seen from the above table that the rate of cash subsidies increased upon imposition of duties by the Ministry of Finance. These rates were further increased upon initiation of circumvention investigation. Consequently, it was seen that imports of sacking cloth declined, and that imports of sacking bag commenced again. The Authority cannot disassociate the two events, as any change in the manner in which the investigation was conducted, was seen to have directly impacted the formulation of rates of cash subsidies being offered.

137. Furthermore, it has been shown that the Government of Bangladesh has formulated 'National Jute Policy 2018' with the vision of creating a fund for modernisation of the sector. Thus, these incentives and scheme only promote the export orientation of the exporters in Bangladesh.

v. Export orientation

138. Information with respect to export orientation of the producers in the subject countries is given below. The Authority has examined the information for period of investigation to examine likelihood of injury.

Export Orientation	Production	Exports	Export orientation	Export orientation as % of Indian demand	
	MT	MT	%	%	Range
Bangladesh					
Sampled	***	***	***	***	9-10
Non-Sampled	***	***	***	***	22-23
Total	***	***	***	***	**30-40**
Nepal					
Sampled	***	***	***	***	0-10
Non-Sampled	***	***	***	***	0-10
Total	***	***	***	***	**0-10**

Source: EQR

139. It is seen that the producers in the subject countries are utilizing a significant share of their production for export purposes. In the event of cessation of duty, it is likely that these exports would likely be diverted to India given the lucrativeness of the Indian market.

vi. Persistent presence of exporters in the market and vulnerability of the domestic industry

140. The Authority notes that the imports of the subject goods from subject countries at dumped and injurious prices have not only continued, but have also remained significant. The Authority in the anti-circumvention investigation found that the remedial effect of duties was undermined due to the circumvention of duty from Bangladesh through exports of sacking cloth. The Authority recalls the final findings relating to anti-circumvention investigations, wherein the Authority had established circumvention of the anti-dumping duty by the Bangladeshi exporters.

141. The importance of the Indian market to the Bangladesh exporters/producers from Bangladesh is also evident from the number of new shipper investigations, the Authority has conducted. This was yet another mechanism drawn by the exporter to receive low/nil duties and continue maintaining their presence in the market.

vii. Third country dumping

142. The Authority has determined likely behaviour of the exporters by determining the dumping margin in their exports to the third countries.

143. Information with respect to third country dumping for sampled producer/exporters in Bangladesh is given below:

	Exports to third countries at dumped price	**Total exports to third countries**	**Exports to other countries at dumped prices**		**Exports at dumped prices as % of Indian demand**	
	MT	**MT**	**%**	**Range**	**%**	**Range**
Sampled	***	***	***	60-70	***	0-10
Non-Sampled	***	***	***	50-60	***	0-10
Total	***	***	***	50-60	***	0-10

Source: EQR

144. It is seen that a significant share of exports of the responding sampled and non-sampled producer/exporters of Bangladesh to third countries are at dumped prices. These dumped exports to third countries would represent 9.76% of total Indian demand.

viii. Third country injurious exports

145. The Authority has examined the third country injurious exports and has adopted a conservative approach by comparing landed price of subject goods (to third countries) with the NIP of the PCN commanding lowest value. Information with respect to third country injurious exports is given below:

	Exports to other countries at or below injurious price	**Total exports to third countries**	**Exports to other countries at or below injurious price**		**Exports to other countries at or below injurious price % of Indian demand**	
	MT	**MT**	**%**	**Range**	**%**	**Range**
Sampled	***	***	***	70-80	***	0-10
Non-Sampled	***	***	***	60-70	***	10-20
Total	***	***	***	60-70	***	10-20

Source: EQR

146. It is seen that significant exports of responding sampled and non-sampled producer/exporters of Bangladesh to third countries are at prices which could be injurious to the domestic industry, in the event of their diversion to India.

ix. Price attractiveness of Indian market

147. Information with respect to price attractiveness is given below:

	Exports to other countries below NSR in India	Total exports to third countries	Exports to other countries below price in India (NSR)		Exports to other countries below price to India % of Indian demand	
	MT	MT	%	Range	%	Range
Sampled	***	***	***	50-60	***	0-10
Non-Sampled	***	***	***	80-90	***	10-20
Total	***	***	***	80-90	***	10-20

Source: EQR

148. It is seen that significant share of exports of responding sampled and non-sampled producer/exporters of Bangladesh to third countries are at prices below the prevailing prices in India.

A I. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

149. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The continuation of an anti-dumping measure does not aim to restrict imports from the subject countries in any way. The Authority recognizes that the continuation of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measure. On the contrary, the continuation of the anti-dumping measure would ensure that no unfair advantages are gained by dumping practice and prevent the decline of the domestic industry and help in maintaining the availability of a wider choice to the consumers of the subject goods.

150. The Authority considered whether continuation of anti-dumping shall have any adverse impact on the interest of the public. In order to determine such impact, the Authority weighed the impact of the continuation of duties on the availability of the goods in the Indian market, the impact on the users of the product as well as the domestic industry and the impact on the general public at large. This determination is based on the submissions and evidence submitted over the course of the present investigation.

151. The Authority issued initiation notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers and others. The Authority also prescribed a questionnaire for the users/ user association to provide relevant information with regards to the present investigation including any possible effects of the anti-dumping duty on their operations. However, none of the interested parties have provided any information regarding impact of anti-dumping duty on their operations.

152. The submissions made by the other interested parties in their submissions have been considered in this regard. As regards the impact of duty quantified by the consumer industry, the Authority notes that the present investigation is a sunset review investigation, and therefore, before considering the impact of the proposed duties on consumers in future, the Authority should first consider the impact of duty that was imposed earlier. In a situation where the anti-dumping duty has been in place for more than four years, the increase in the price of the product (after due adjustments for raw material price movements) and the impact of the same is the best indicator of the likely impact of proposed duty on the consumers. This impact is required to be determined considering the increase in price of the domestic and imported product post imposition of duty. It is seen that there is no material increase in the price of the product either by domestic industry or by the Bangladeshi/Nepalese producers. Any increase of prices of domestic industry has been in tandem with increase in cost of production. Further, it is seen that the return on investment of the domestic industry has declined in the POI considerably.

153. The Authority notes that the Indian jute Industry is both culturally and historically important for the country. The jute mills in the state of West Bengal are largely placed in one district i.e., North 24 Parganas. The people of this district are largely employed by the jute mills surrounding the district. The entire livelihood and sustenance of families are dependent on the jute mills. Therefore, any adverse impact on the performance of the jute mills immediately affects the livelihood of the workers and their families. It has been informed that the Indian jute industry provides employment to around 4 lakh workmen, and therefore, it would be the workmen who would bear the impact of any measure that would lead to a decline of the jute industry.

154. A more significant part of the Indian jute industry are the raw jute farmers. The Indian jute industry engages and is directly impacting the livelihood of 40 lakh farmers. It is indisputable that raw jute plays an important role in the country’s economy, farmer’s livelihood and rural economy, and is originally considered as a source of raw material for packaging industries. It is acknowledged that the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in

Packing Commodities) Act, 1987 was promulgated to provide the jute farmers an assured market, and thus, requiring the jute mills to dedicate production facilities for sale in that market by mandating procurement of only domestic raw jute. However, it has been verified by the Authority that practically all jute mills have developed production facilities in parallel for goods meant for consumption in the open market as well. Further, these production facilities are by-an-large dedicated for products going into different market segments, and has been noted herein above that the production facilities developed for the products being sold in the open market cannot be utilized for the production of goods bought by the Government of India.

155. Further, approximately 25% of raw jute grown in India is of higher grade which are only used for production of fine yarn and hessian fabric, i.e., products being sold in the open market. These products have a higher cosy, fetch better price and have better utilization in packaging products such as bags for tea, coffee and as shopping bags, furnishing material, decorative fabrics etc. Therefore, it is noted that should the open market be left unprotected and open to dumped imports at unfair prices, the Indian jute mills will become unviable. This would result in loss of market for raw jute farmers and would adversely impact their livelihood. It has been brought to the notice of the Authority that this market has an immense potential for growth, as globally efforts are being made to move from plastic to natural/bio-degradable products. Further, as stated above, production facilities for both sacking bags and yarn/hessian must necessarily co-exist and it is impossible for the Indian industry to continue viable operations based solely on government procurement.

156. It is also noted that the imports of jute sacking bag, jute yarn/twine and hessian fabric only compete in the open market. The products being manufactured and dedicated for sale in the open market by the domestic industry have required significant investments. In the presence of continued and increasing share of subject imports in the open market, the Indian industry would be forced to exit from the open market. This will result in these dedicated capacities, investments, plant & equipment, employment and huge Infrastructure to become completely redundant, and the industry suffer perennial losses.

157. The Authority also notes that the Indian market has remained attractive for the imports from the subject countries and it has not diminished over the period. The dumping of the subject product has also continued despite the extant anti-dumping duties. Further, the exporters from Bangladesh have even resorted to dumping of upstream product after the original imposition of duties. The Authority carried out an anti-circumvention investigation to address this phenomenon. Thus, jute products have continued to be an attractive export product to India with continued dumping and consequential injury to the domestic industry in India.

158. The Authority notes that the imposition of duty will not in any manner restrict the imports, but only ensure that the goods are available at fair prices. Further, there is no demand-supply gap in the country, as domestic producers have sufficient capacity to cater the need of the Indian market. Additionally, the product can also be imported from other countries.

159. The Authority also notes the observations made by the Commission for Agricultural Costs and Prices, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, on the impact of the anti-dumping duties imposed on subject countries. The Commission in its Report[25] has observed the following:

"1.23 To safeguard interest of domestic jute industry and growers, definitive antidumping duty on import of 'Jute Products' comprising of Jute yarn/twine (multiple folded/cabled and single), Hessian Fabrics and Jute Sacking bags originating in or exported from Bangladesh and Nepal were imposed with effect from 5th January, 2017. In June 2019, anti-dumping duty was also imposed on jute sacking cloth under tariff heading 5310 originating in or exported from Bangladesh to prevent the circumvention of levy of anti-dumping duty levied on jute sacking bags. These interventions have resulted in resumption of operations in 13 Twine mills in Andhra Pradesh, benefitting about 20 thousand workers and created additional demand of 2 lakh tonnes of jute goods in the domestic market."

In another Report[26], the Commission has observed the following:

"1.26 India is one of the largest importers of jute and jute products from Bangladesh as Government of Bangladesh provides subsidy for promoting export of jute goods. During 2019-20, Bangladesh provided cash subsidy of 12 percent on hessian, sacking and carpet backing clothing (CBC), 7 percent on yarn and twine and 20 percent subsidy on jute diversified jute products. These subsidies promote increased production, distort market and adversely affect Indian jute growers and industry. To safeguard interest of domestic jute growers and industry, definitive antidumping duty on import of 'Jute Products' comprising of jute yarn/twine (multiple folded/cabled and single), hessian fabrics and jute sacking bags originating in or exported from Bangladesh and Nepal was imposed with effect from 5th January 2017. In June 2019, anti-dumping duty was imposed on jute sacking cloth

[25] Price Policy for Jute 2020 – 21 Season, Commission for Agricultural Costs and Prices, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, October 2019, p.10.

[26] Price Policy for Jute 2021 – 22 Season, Commission for Agricultural Costs and Prices, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, October 2020, p.10.

under tariff heading 5310 originating in or exported from Bangladesh to prevent the circumvention of levy of anti-dumping duty levied on jute sacking bags. Despite these measures, imports of jute and jute products from Bangladesh increased by about 60 percent, from US$109 million in 2018-19 to about US$175 million in 2019-20. The export subsidy policy of Bangladesh adversely affects competitiveness of Indian jute goods and thereby corners higher share in the international market. The Commission recommends close monitoring of imports from Bangladesh and take corrective measures including the duty structure and countervailing duty to restrict subsidised imports of jute and jute products from Bangladesh."

160. It is, therefore, noted that the continuation of the anti-dumping duties on the imports of the subject goods would be in the interest of domestic producers of the subject goods in India. The fact that this is a capital- and labour-intensive industry, the continuation of the measure would prevent further injury and give time to the domestic producers to compete against the exporters from the subject countries.

J. POST – DISCLOSURE COMMENTS

161. The Authority notes that most of the submissions made by the interested parties in response to the disclosure statement are repetitive in nature and the interested parties have largely reiterated their earlier submissions. The Authority has already examined such submissions in the aforementioned paras and only additional submissions have been examined by the Authority in the following examination to the extent they were found to be relevant.

J.1 Submissions made by the other interested parties

162. The following submissions have been made by the other interested parties:

i. As per Article 11.5 of the Anti-dumping Agreement a sunset review is to be "*carried out expeditiously and shall normally be concluded **within 12 months** of the date of initiation of the review.*" Therefore, such review must be concluded within 12 months. Unlike original investigation, there is no scope for extension of review period. Rule 23(2) of AD Rules also states the same, that is, "*Any review initiated under sub-rule (1) shall be concluded within a period not exceeding twelve months from the date of initiation of such review*". Thus, the Indian law also requires the conclusion of the review within a period of twelve months. The Authority should, therefore, terminate the investigation as it would be a violation of the obligations under Art. 11.5 of the WTO Anti-dumping Agreement.

ii. The proposal to keep the scope of PUC as has been defined in the original investigation is just and is in line with the consistent practice of the Authority. The proposal may be confirmed for the final findings.

a) The exporters from Nepal have made the following submissions on PCN:

a. The exporters from Nepal did not seek exclusion of jute twine exported by them from the PCN. Rather, they have requested for a separate/additional PCN as the jute twine exported by them could not be classified within the five grades/qualities proposed by the Authority for jute yarn/twine viz. (i) Sacking, (ii) Hessian, (iii) CB, (iv) CRT/CRX and (v) CRM. Also, the request for separate/additional PCN for jute yarn/twine exported from Nepal was not opposed by the domestic industry or any of the other interested parties.

b. The exporters from Nepal have not claimed that the jute twine exported by them is not produced or sold in India. Rather, it was submitted that the jute twine exported by them did not fall within the five grades/qualities suggested by the Authority. Respondents affirm that the jute twine exported by them is sold in India. However, it is denied that it can be used for the same end use as yarns falling within the five PCNs devised by the Authority.

c. The end usage of jute yarn for which PCNs have been suggested by Authority are for use in looms for weaving hessian cloth, sacking cloth/bags and for different types of carpets, etc. They have significantly higher 'break strength' that is required for use in looms either as warp or weft threads. Jute twine manufactured by Respondents are used for stitching mouths of sacking bags once the bags are filled with pulses or sugar or any other item or for stitching any tear or other damage to sacking bags. Further, jute twine is presented either in 2 ply or 3 ply and as such, cannot be used in looms as single threaded yarn alone is used in looms to make sacking bags.

iii. The Authority is requested that jute sacking bag and jute sacking cloth may be considered as like article and jute sacking cloth be included within the scope of the PUC and grant one duty to the product.

iv. The Government of Bangladesh expected the disclosure statement within June 2021 in accordance with the clear requirement of Article 11.5 of the WTO Agreement. However, since no disclosure was issued within June 2022, the Government of Bangladesh was of the view that the review has been terminated. However, the Government of Bangladesh was surprised to receive the disclosure on 18 August 2022, almost two months after the required date of concluding the investigation. Under these circumstances, the Government of Bangladesh requests the authority not to make any recommendation on the basis of this disclosure.

v. The requirement to constitute a 'domestic industry' in terms of Rule 2(b) of the AD Rules is applicable even in a sunset review and it is not correct to state that the test of standing is not relevant in a sunset review.

vi. For the purpose of sunset review, the domestic industry means producers who constitute major proportion in the total domestic production. The share of domestic producers is only 27.46%, which cannot be considered as a major proportion of the total domestic production for the purpose of the present investigation. It may be noted that the Appellate Body in the anti-dumping measures on Certain Iron or Steel Fasteners from China found that the EU authorities violated Article 4.1 by defining a domestic industry comprising producers accounting for mere 27 per cent of total estimated EU production of fasteners.

vii. The standing of the Petitioner companies should be reckoned for each product type separately (i.e., Jute Yarn/Twine, Hessian Fabric, Jute Sacking Cloth, and Jute Sacking bag) and not for all the products as a whole.

viii. Considering the information provided by the 32 domestic producers as per Trade Notice No. 05/2021 dated 29th July, 2021 and the injury information provided by the 6 domestic producers would be in gross violation of Rule 5 of the AD Rules, which requires the Authority to initiate an investigation based on a Petition by or on behalf of the domestic industry.

ix. As per Article 3.5 of the Anti-dumping Agreement, the volume of dumped and un-dumped imports should be segregated while undertaking injury and likelihood analysis.

x. The continuation of anti-dumping duty is unwarranted and the duties must be allowed to expire in the larger public interest.

xi. Cumulative assessment is not appropriate as dumping margin of imports from Nepal are de-minimis. Article 3.3 of AD Agreement and Para (iii) of Annexure II of AD Rules 1995 does not allow a country which has *de minimis* dumping margin to be cumulatively assessed.

xii. Even though the capacity for government procurement and open market may be different, in terms of the Orders issued by the Jute Commissioner, the Jute mills have to necessarily fulfil the Government requirements before supplying to the open market. The Authority has not specifically identified the companies which have fulfilled and not fulfilled the Government's requirement. Therefore, it is not clear if the domestic producers in India have sufficient capacity to meet the demand for the open market in India.

xiii. As per the news article in the Business Standard published on 05.08.2019, the Indian Jute Mills Association (Petitioner Association) has specifically accepted the fact that they have limited capacity. Therefore, non-availability of raw jute is not the only reason affecting the ability of the domestic producers to supply to the open market, but the domestic producers also have limited capacity. Further, unavailability of raw jute not only affects the production for the Government market, but also the production for the open market.

xiv. The injury to the Indian industry is due to the restrictions imposed by the Government that the Jute mills shall utilise their capacity for fulfilling the Government procurement requirements before producing for the open market and the restriction in prices at which the final product can be sold by the industry in terms of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016.

xv. The domestic industry must establish that they were allowed to supply sacking bags to the domestic market. Permissions obtained from Jute Commissioner ought to have been filed as evidence and shared with the interested parties. However, no such evidence has been filed or shared.

xvi. The fact that the domestic industry was prevented from supplying to open market is established from position of inventory which demonstrates average stock has declined.

xvii. The injury to the domestic industry is due to imports from Bangladesh rather than from Nepal. It is clear from the comparison of the landed value of the PUC from Bangladesh and Nepal that the landed value of the subject goods is much higher from Nepal in comparison to Bangladesh.

xviii. Notwithstanding that separate looms are required for manufacturing sacking bags for open market, Applicants could not have supplied to open market while sacking requisition orders were operational unless permissions were obtained.

xix. It is clear from the Authority's analysis that there is likelihood of dumping and injury in respect of imports from Bangladesh only. The surplus capacity and export orientation is much higher in Bangladesh in comparison to Nepal. Further, the Bangladesh Jute mills are also getting cash subsidies from the Government. Further, it is only the exports from Bangladesh to the third countries which are at dumped prices.

xx. There is no correlation in movement of prices of the subject goods with that of the selling price of the domestic industry. Price undercutting has had no effect on prices of the domestic industry and there is no price suppression or depression as the Authority has observed that increase in selling price is same as the increase in cost.

xxi. The Authority has determined a negative injury margin for jute yarn/twine imported from Nepal. Further, the dumping margin is negative for other two product categories i.e. sacking bags and hessian fabric and is overall negative for the product as a whole. No case is made out for continuation of measures on imports from Nepal.

xxii. Rule 23(1) states that antidumping duties shall remain in force only so long as and to the extent necessary to counteract dumping which is causing injury. When dumping is negative, existing duty must be terminated and no case is made out for continuation of the levy of duty.

xxiii. From the factors analysed by the Authority regarding likelihood of recurrence of dumping and injury, it can be seen that all but one of these factors are in relation to Bangladesh. The only factor examined with respect to Nepal is surplus capacity which is extremely low between 0-10%. As such, the threat of likelihood of recurrence of injury from Nepal is non-existent.

xxiv. The anti-dumping duties imposed on jute sacking cloth from Bangladesh should continue as per the duty mentioned in Customs Notification No. 24/2019-Customs (ADD) dated 18.06.2019 and not at any other rate. Further, the aforementioned customs notification should be made co-terminus with the outcome of the present review.

xxv. The Authority should include a separate duty table which would be applicable to jute sacking cloth.

xxvi. Rabeya Jute Mills and Bogra Jute Mill were not before the Authority in the original investigation. The Authority should determine a fresh quantum of anti-dumping duty which would be applicable to these exporters should the Authority conclude positively on the existence of likelihood.

xxvii. The Authority should not modify the anti-dumping duty applicable to Janata Jute Mill as it was a sampled exporter in the original investigation. It should continue with the previous duties as the data of Janata has not been used for determination of fresh margins.

xxviii. The injury margin for Sonali and Alijan seems to be overstated. The injury margin for the respondents should be lower than that for the other exporters. It could well be negative or de minimis.

xxix. A.M. Jute Mills has started commercial production in October 2019, i.e., after imposition of original as well as circumvention duties. The dumping margin determined by the Authority for the respondent is negative. It is requested that the Authority as per its past practice award A.M. Jute Mills an individual dumping margin/duty as it is a new producer/exporter.

xxx. The Authority can determine duty only on the basis of actual export price and normal value of an exporter or producer as enunciated in S. 9A or on the basis of Rule 18(2). However, the provisions of Rule 18(2) are not applicable in the case of A.M. Jute Mills as this provision is applicable only for non-sampled cooperative producer/exporter.

xxxi. The Authority has not considered the evidence submitted by the Government of Bangladesh regarding the availability of raw jute in Bangladesh. The Authority should revisit its findings in this regard.

xxxii. The Authority is requested to terminate the present sunset review on imports from Nepal. Alternatively, since the dumping margin/injury margin is negative for most of the exporters from Nepal. The Authority is requested to award 'NIL' rate of duty for such exporters instead of continuing the duty determined during the original investigation.

xxxiii. Ranu Agro has submitted complete information in respect of sacking cloth which was duly verified by the Authority during the desk verification as well as onsite verification in Bangladesh. The Authority, is therefore, requested to consider jute sacking bag and jute sacking cloth as like articles and grant one and the same duty individually to Ranu Agro.

xxxiv. The dumping margin calculated by the Authority is different from the dumping margin calculated by Ranu Agro. It is further requested that Ranu Agro be granted an individual rate of anti-dumping duty should the Authority decide to accord Hasan Jute & Spinning Mills the duty extended to its related company, Hasan Jute & Spinning Mills.

xxxv. There have been several changes in the data pertaining to the economic parameters of the domestic industry which is attributable to non-inclusion of sacking cloth in the PUC. The Authority should have provided the revised economic parameters before issuing the disclosure statement. Sufficient time should be given to the interested parties to make their comments on the same. However, no such opportunity was granted by the Authority in this regard which is against the principles of natural justice.

J.2 Submissions of the domestic industry:

163. The following submissions have been made by the domestic industry:

i. The present quantum of duties should be extended in the review investigation.

ii. The Authority should exclude de minimis/zero margins in calculation of margins for non-sampled cooperating producers in accordance with Art. 9.4 of the Anti-dumping Agreement and Rule 17(3) and 18(2) of the AD Rules.

iii. The new exporters who are responding in the present case should not accorded individual margins as the import volume to India has declined significantly and as per, market intelligence, the export volume from these exporters is (a) low and (b) are limited to certain PCNs. This low volume of export and limited product types exports cannot give the correct picture of dumping practices being practiced by the exporters.

iv. The producers from the subject countries that responded in the original investigation but have not responded in the present sunset review investigation should be considered as non-cooperating interested parties, as they have failed to provide mandatory questionnaire response.

v. The Authority must not remove the import volume of such producers/exporters cases which have been granted negative dumping margin while examining volume and price effect. The Authority in while undertaking sunset review investigation on the following products i.e. Toluene Di- Isocyanate- (TDI), Phthalic Anhydride Ammonium Nitrite , Clear Float Glass , Caustic Soda , Acetone , Tyre Curing Press, and MDF, has not reduced the de-minimis volume of imports.

vi. The disclosure statement does not elaborate the methodology regarding the determination of the cost of production of the foreign producers. It is public knowledge that these producers had failed to provide accurate information for raw materials, utilities, conversion costs for different product types and PCN at the time of original investigations. Thus, the Authority must disclose how the cost of production has been determined considering there are several PCNS involved in the investigation.

vii. The non-injurious price determined by the Authority is too low resulting in a low injury margin. The non-injurious price has been reduced on account of a number of factors. The domestic industry is unable to provide any further submissions /comments, as the domestic industry has been given only a worksheet showing NIP allowed. In the absence of any statement about disallowance, the domestic industry is highly handicapped in defending its interests.

viii. The SSR questionnaire has a specific section which requires the transaction wise details regarding the exports of the PUC to third country markets, i.e., markets other than India. It is not clear from the NCV of the responses whether such information has been provided. If the producers have not submitted such information, the Authority should hold that the interested parties have withheld necessary information and consider the best available information provided by the applicant domestic industry.

ix. The market intelligence report should be accepted. The applicant had claimed only the exact figures as confidential. However, it disclosed the source, the period for which data was collected and also, provided a narrative which in essence summarised the information used from the market intelligence report. The said report contained information pertaining to surplus capacity, exports and raw jute consumption which in any case should have been made available by the interested parties. Thus, the report relied on by the domestic industry should be considered.

x. The actual information and the name of the report and all relevant details required of the market intelligence report was provided to the Authority which was sufficient to verify the sanctity and authenticity of the data provided

xi. Notwithstanding the treatment of report submitted by the domestic industry, the Authority should consider the evidence placed on record showing the position at the industry level on capacity, capacity expansions, export orientation.

xii. A determination of de minimis dumping margin does not mean that the producers from the subject countries can be exempted from the application of antidumping duty. Such producers can be exempted only when the Authority reaches to a negative conclusion regarding the following assessments: (a) dumping margin and injury margin in respect of exports of India during the POI (b) dumping margin and injury margin in respect of exports of various third countries during the POI (c) volume of dumped and injurious exports to third countries during the POI (d) volume of dumped and injurious exports to India during POI.

xiii. A significant volume[27] of the circumvented product has come into India. The large volume of imports of the PUI is in itself sufficient to establish the likelihood of intensified imports of product under consideration in the event of cessation of antidumping duty.

xiv. The Authority has determined the significant volume of third country exports made by the subject countries to third countries and has compared the same in relation to Indian demand. It is reiterated that the Authority should work this percentage in respect to open market only as it is in the open market wherein the subject country imports compete.

xv. The Authority considered similar likelihood parameters in the recently concluded TDI investigation. Infact, more parameters in the recent case indicate the existence of likelihood. Thus, the duties should also be extended as was done in the recently concluded TDI investigation.

xvi. The third country export analysis conducted by the Authority shows that the Nepal does not have third country exports apart from India and that is the reason such analysis has not been undertaken for Nepal.

xvii. The producers in Nepal de-facto have only two markets – Nepal and India. The domestic demand is however highly limited. Nepal is infact dependent on India even for raw jute. The exporters from Nepal attract low level of duty and resultantly have been able to increase exports to Indian market significantly.

xviii. The Government of Bangladesh has framed several policies to which incentivizes the producers in country to increase their capacities and exports.

xix. It is reiterated that the imposition of measures is in public interest. The Authority prescribed a questionnaire for the users/ user association to provide relevant information with regard to the present investigation including any possible effects of anti-dumping duty on their operations. However, none of the interested parties have provided any information regarding the impact of the anti-dumping duty on their operations. This is a sunset review investigation and if there was any adverse impact, it could have been easily established by the end consumers.

J.3 Examination by the Authority

164. With respect to the submission made by the Government of Bangladesh regarding the non-completion of the review investigation within twelve months, the Authority notes that Art. 11.2 of the Agreement of Anti-dumping states:

"11.4 The provisions of Article 6 regarding evidence and procedure shall apply to any review carried out under this Article. Any such review shall be carried out expeditiously and shall *normally* be concluded within 12 months of the date of initiation of the review."

The use of the word 'normally' in Art. 11.4 makes it amply clear that an investigation can be completed even beyond the stipulated time period of 12 months. The Authority also notes that the details regarding the extension of timeline for investigation was duly notified on the website of DGTR on 10/06/2022.

165. Regarding the submission made by the other interested parties with respect to non-cumulation of imports from Nepal with Bangladesh, it is noted that the dumping margin for producers from Nepal is de – minimis. However, the margin for the residual category is above the de-minimis margin and therefore, the conditions of cumulation have been satisfied. Further, the Panel in *US — Oil Country Tubular Goods Sunset Reviews* has observed the following:

"7.335 Having concluded that cumulation is generally allowed throughout the Agreement, including sunset reviews, the next issue we have to address is whether the conditions for the use of cumulation set out in Article 3.3 also apply to sunset reviews. Argentina contends that if the Panel finds that cumulation is allowed in sunset reviews, then it should also find that the conditions of Article 3.3 regarding the use of cumulation apply to sunset reviews. We disagree.

7.336 We note that paragraph 3 of Article 3 is the only paragraph that contains the word "investigation" under Article 3. In our view, therefore, by its own terms Article 3.3 limits its scope of application to investigations. In this respect, we note that this particular issue was also raised in *US – Corrosion-Resistant Steel Sunset Review* and that panel opined:

As stated above, even if the provisions of Article 3, including the definition of injury in footnote 9, are generally applicable throughout the Anti-Dumping Agreement, paragraph 3 of Article 3 is exceptional, in that it alone explicitly refers to the term "investigations". Nowhere else in the text of any other paragraph of Article 3 is the word "investigation" mentioned. Therefore, we are of the view that Article 3.3, by its own terms, is limited in application to investigations and does not apply to sunset reviews. It follows that the cross-reference in Article 3.3 to the negligibility standard in Article 5.8 does not apply to sunset reviews.

[27] Cumulative volumes from the base year of circumvention investigations till the present POI is 2,58,058 MT, cumulative volume over the injury period is 161977 MT whereas the Indian Industry's estimated production of sacking cloth over the injury period was 15,325 MT.

We agree with this view, and therefore find that the conditions set forth in Article 3.3 do not apply in sunset reviews."[28]

166. The exporters from Nepal have stated that the PCN for the yarn exported by them has not been not appropriately framed. The Authority notes that the yarn produced by the exporters is used for the purpose of sewing the mouths of sacking bags. Further, it has been admitted by the exporters that the domestic industry also uses the produces and sells the same yarn which is used for sewing the mouth of sacking bags. Therefore, based on the information/documents furnished by the exporters/producers, the Authority has placed the jute yarn produced by the exporters from Nepal in the relevant PCN category.

167. As regards the determination of dumping margin for the non-sampled cooperating producers, the same has to be determined on the basis of weighted average margins of the sampled producers as per Rules 17(3) and 18 (2) of the AD Rules. The provisions are as follows:

Rule 17(3):

"(3) The designated authority shall determine an individual margin of dumping for each known exporter or producer concerned of the article under investigation:

Provided that in cases where the number of exporters, producers, importers or types of articles involved are so large as to make such determination impracticable, it may limit its findings either to a reasonable number of interested parties or articles by using statistically valid samples based on information available at the time of selection, or to the largest percentage of the volume of the exports from the country in question which can reasonably be investigated, and any selection, of exporters, producers, or types of articles, made under this proviso shall preferably be made in consultation with and with the consent of the exporters, producers or importers concerned."

Rule 18(2):

"(2) In cases where the designated authority has selected percentage of the volume of the exports from a particular country, as referred to sub-rule (3) of rule 17, any anti-dumping duty applied to imports from exporters or producers not included in the examination shall not exceed -

(i) the weighted average margin of dumping established with respect to the selected exporters or producers or,

(ii) where the liability for payment of anti-dumping duties is calculated on the basis of a prospective normal value, the difference between the weighted average normal value of the selected exporters or producers and the export prices of exporters or producers not individually examined:

Provided that the Central Government shall disregard for the purpose of this sub-rule any zero margin, margins which are less than 2 per cent expressed as the percentage of export price and margins established in the circumstances detailed in sub-rule (8) of rule 6. The Central Government shall apply individual duties to imports from any exporter or producer not included in the examination who has provided the necessary information during the course of the investigation as referred to in the second proviso to sub-rule (3) of rule 17."

From the aforesaid provisions, it can be seen that while calculating the dumping margin for non-sampled cooperating producers, any zero and de minimis dumping margins for sampled producers will not be considered. However, it is noted that while determining the weighted average dumping margin for non-sampled cooperating producers from subject countries, due to an inadvertent error, the zero and de minimis margins of sampled producers was also taken into account. The error has now been corrected in this final findings, and weighted average dumping margin for non-sampled producers has been re-calculated taking into account provisions of Rules 17(3) and 18 (2) of the AD Rules. There was also an error in the calculation of the margin for the residual category which has also been rectified.

168. With respect to the submissions made with respect to the domestic industry's share in the total production and whether it constitutes a 'major proportion' or not, it si noted that the issue regarding standing and domestic industry's status has already been examined by the Authority under the relevant headings in the final findings.

169. With respect to the determination of dumping margin for Ranu Agro Industries, it is noted, that there was an inadvertent error in the selection of appropriate cells. The error has been rectified and the margin has been modified accordingly.

170. With respect to the changes made in the data pertaining to the domestic industry due to non-inclusion of sacking cloth in the PUC, it is noted that the same was disclosed to the other interested parties at the stage of disclosure and sufficient time was granted to them to provide their comments on the same.

[28] Panel Report, United States — Sunset Reviews of Anti-Dumping Measures on Oil Country Tubular Goods from Argentina, WT/DS268/R.

171. As regards the argument that domestic industry must establish that they were allowed to supply sacking bags to the domestic market in view of requisition orders, the Authority notes that the requisition orders cannot be interpreted to imply prohibition from sale for the entire industry. It only implied an obligation, and once this obligation towards government procurement/demand was met, the jute mills were free to sell the product in open market. The Authority notes that these kinds of obligations are imposed by the Office of the Jute Commissioner from time to time, and are merely intended to ensure timey supply of goods. It is also noted that the said order concerns only sacking bag for government procurement and does not concern other products. The Authority has also examined monthly sales of sacking bag in the open market by the applicant companies. It is seen that the domestic industry was selling the product in the open market throughout the POI. Thus, the requisition orders did not stop the sale of goods by the industry in the open market and this could not be the reason for imports.

172. The Authority has determined the non-injurious price (NIP) for the domestic industry on the basis of information furnished by the domestic industry, principles laid down in the Anti-Dumping Rules read with Annexure III and the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).

173. The disallowance of expenditure and determination of reasonable return is in accordance with the principles laid down in Annexure III of the AD Rules. The same was also explained to domestic industry during verification of data.

174. As noted above, despite the marginal decline in the operating performance of the domestic industry during the POI, the domestic industry has largely been able to maintain its profitability during the review investigation period. However, it remains vulnerable to recurrence of dumped imports from subject countries. Therefore, the Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry. As is evident from the examination undertaken in the above paragraphs, in the present investigation, there is likelihood of recurrence of injury to the domestic industry. Therefore, the Authority has recommended the continuation of duties as determined in the original investigation. The Authority has recommended the present duties on the basis of the following principles:

S.No.	Participation Stage and whether Sampled or Non-sampled	Duty recommended	Exceptions
1	Sampled in SSR and not present in OI	Non-sampled cooperative duty as determined in OI	
2	Sampled in SSR and OI	Individual duties as determined in OI	
3	Sampled in SSR and non - sampled in OI	Non-sampled cooperative duty as determined in OI	
4	Non-sampled in SSR Sampled/Individual Treatment in OI	Individual duties as determined in OI. In case of Nepal, all non-sampled producers who were granted individual treatment in OI have been accorded the duties as determined in the OI.	
5	Not present in SSR and OI	Residual duty as determined in OI	
6	Non-sampled in SSR non-sampled in OI	Non-sampled cooperative duty as determined OI	
7	Non-sampled in SSR but not present in OI	Non-sampled duty as determined in OI	Sampled highest cooperative duty from OI (Only in case of Nepal as no sampling had been done by the Authority for Nepal in OI).

K. CONCLUSION

175. Having regard to the contentions raised, the information provided, and the submissions made by the other interested parties and the domestic industry, and the information available before the Authority, as recorded in the above findings, and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of the dumping and the injury to the domestic industry, the Authority concludes that:

a. The product under consideration in the present investigation is "jute products" comprising of jute yarn/twine (multiple folded/cabled and single), hessian fabrics and jute sacking bags which is the same as the original investigation.

b. The product produced by the domestic industry is like article to the PUC imported from the subject countries.

c. The applicant companies constitute as the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules.

d. The application contained all the information relevant for the purpose of initiation of the sunset review and the application contained sufficient evidence to justify initiation of the present sunset review.

e. Based on the information on record, the normal value, export price and the dumping margin for the subject goods have been determined. The dumping margin determined for substantial volume of exports from the subject countries remains above *de-minimis*.

f. Despite the marginal decline in the operating performance of the domestic industry during the POI, the domestic industry has largely been able to maintain its profitability during the review investigation period. However, it remains vulnerable to recurrence of dumped imports from subject countries.

g. There is likelihood of recurrence of injury to the domestic industry due to the existence of the following factors:

i. The dumping of the subject goods has continued from Bangladesh and Nepal despite the anti-dumping duties being in force. The volume of imports has also remained significant in absolute and relative terms. The market share of the subject imports has increased significantly and that of the domestic industry has declined.

ii. It is also noted that the import volume of jute sacking cloth of Bangladesh has increased significantly after the imposition of duties that led to the circumvention investigation and subsequently, the duties were extended to jute sacking cloth.

iii. There exist significant surplus capacities with producers in Bangladesh. Further, the production in the subject countries is much higher in comparison to their domestic demand.

iv. The producers/exporters in the subject countries are highly export oriented.

v. The Government of Bangladesh has enacted certain measures including the provision of subsidies that incentivize exports of jute products.

vi. The projected inventories in the subject countries are significant enough to subsume the Indian demand.

vii. There are significant exports to third countries which are at prices below the non-injurious price of the domestic industry. A significant share of exports to third countries are also at dumped prices.

viii. Since India is one of the largest markets, the cessation of anti-dumping duties from Bangladesh and Nepal, when export price from the subject countries to third is below the dumped prices from India and are below the non-injurious prices clearly proves that continuation of duties is necessary for the Indian industry's survival. Further, in case of exports from Nepal the only market is India. Therefore, exports from Nepal will inevitably end up in the Indian market.

h. In view of the foregoing, in the event of expiry of the existing antidumping duty, there is every likelihood that the dumped imports of the subject goods from the subject countries would increase.

i. It is noted that the continuation of the anti-dumping duties on the imports of the subject goods would be in the interest of domestic producers of the subject goods in India. The fact that this is a capital and labour-intensive industry, the continuation of measure would prevent further injury and give time to the domestic producers to compete against the exporters from the subject countries.

j. Further, the anti-dumping duty on the subject product has been circumvented. There has been an anti-circumvention investigation undertaken by the Authority was against the one of the subject countries in the instant investigation.

176. In In view of the above the Authority finds that there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event of cessation of the existing anti-dumping duties, and therefore, recommends continuation of anti-dumping measures for a further period of five years.

L. Recommendations

177. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, the exporters, the importers, the users and the other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link and also on likelihood of dumping and injury to the domestic industry.

178. Having concluded that there is positive evidence of likelihood of dumping and injury if the existing anti-dumping duties are allowed to cease, the Authority is of the view that the anti-dumping duty in force on the imports of the product under consideration from the subject countries is required to be continued further. Considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, the Designated Authority considers it appropriate to recommend extension of the anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject countries. Accordingly, the anti-dumping duties for producers from Bangladesh and Nepal are recommended as per the duty table below.

179. Thus, in terms of provision contained in Rule 4(d) and Rule l7(l) (b) of the AD Rules, the Authority recommends the continued imposition of the existing anti-dumping duties, so as to remove the likelihood of dumping and injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to the amount mentioned in column 8 of the duty table below is recommended for the imposition for five (5) years from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of subject goods originating in or exported from the subject countries.

DUTY TABLE

S.N.	Heading/ Sub-heading	Description of Goods**	Specifications	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty Amount	Currency/Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/ Twine	In all forms and specifications	Bangladesh	Any country including Bangladesh	Hasan Jute Mills Limited	NIL	US$/ MT
2. 2.	-do-	Sacking Bags	-do-	-do-	-do-	Hasan Jute Mills Limited	NIL	US$/ MT
3. 3.	-do-	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Alijan Jute Mills Limited	20.35	US$/ MT
4. 4.	-do-	Jute yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Sonali Aansh Industries Limited	20.35	US$/ MT
5. 5.	-do-	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Sidlaw Textiles (Bangladesh) Limited	102.93	US$/ MT
6. 6.	-do-	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Sagar Jute Spinning Mills Limited	102.93	US$/ MT
7. 7.	-do-	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Janata Jute Mills Limited	20.68	US$/ MT
8. 8.	-do-	Hessian Fabric	-do-	-do-	-do-	Janata Jute Mills Limited	NIL	US$/ MT
9. 9.	-do-	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Asha Jute Industries Ltd.	19.30	US$/ MT
10. 10	-do-	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Pride Jute Mills	104.16	US$/ MT
11. 11	-do-	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Sharif Jute Mills Ltd.	152.85	US$/ MT
12. 12	-do-	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Anwar Jute Spinning Mills Ltd.	109.59	US$/ MT
13. 13	-do-	Jute Yarn/ Twine	-do-	-do-	-do-	Bogra Jute Mills Limited	97.19	US$/ MT
14. 14	-do-	Sacking Bags	-do-	-do-	-do-	Bogra Jute Mills Limited	125.21	US$/ MT

15.	15	-do-	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	A.M. Jute Industries Ltd.	97.19	US$/ MT
16.	16	-do-	Hessian Fabric	-do-	-do-	-do-	A.M. Jute Industries Ltd.	351.72	US$/ MT
17.	17	-do-	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Hasan Jute & Spinning Mills Limited	97.19	US$/ MT
18.	18	-do-	Sacking Bags	-do-	-do-	-do-	Hasan Jute & Spinning Mills Limited	125.21	US$/ MT
19.	19	-do-	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Ranu Agro Industries Limited.	97.19	US$/ MT
20.	20	-do-	Sacking Bags	-do-	-do-	-do-	Ranu Agro Industries Limited.	125.21	US$/ MT
21.	21	-do-	Hessian Fabric	-do-	-do-	-do-	Nawhata Jute Mills Limited	351.72	US$/ MT
22.	22	-do-	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Mouna Jute Mills Limited	97.19	US$/ MT
23.	23	-do-	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Rabeya Jute Mill	97.19	US$/ MT
24.	24	-do-	Sacking Bags	-do-	-do-	-do-	Rabeya Jute Mill	125.21	US$/ MT
25.	25	-do-	Hessian Fabric	-do-	-do-	-do-	Rabeya Jute Mill	351.72	US$/ MT
26.	26	-do-	Jute yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Oriental Jute Mills Limited	97.19	US$/ MT
27.		-do-	Sacking Bags	-do-	-do-	-do-	Oriental Jute Mills Limited	125.21	US$/ MT
28.		-do-	Hessian Fabric	-do-	-do-	-do-	Oriental Jute Mills Limited	351.72	US$/ MT
29.	27	-do-	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Nawab Abdul Malek Jute Mills (BD) Ltd.	97.19	US$/ MT
30.	28	-do-	Jute yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Rahman Jute Spinners Pvt Ltd.	97.19	US$/ MT
31.	29	-do-	Sacking Bags	-do-	-do-	-do-	Rahman Jute Mills (Pvt.) Ltd.	125.21	US$/ MT
32.	31	-do-	Jute yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Rajbari Jute Mills Ltd.	97.19	US$/ MT
33.	33	-do-	Jute yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Usha jute Spinners Ltd.	97.19	US$/ MT
34.	35	-do-	Jute yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Madina Jute Industries Ltd.	97.19	US$/ MT
35.		-do-	Sacking Bag	-do-	-do-	-do-	Madina Jute Industries Ltd.	125.21	US$/ MT
36.		-do-	Hessian Fabric	-do-	-do-	-do-	Madina Jute Industries Ltd.	351.72	US$/ MT

37.	-do-	Jute yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Mirza Jute Mills Ltd.	97.19	US$/ MT
38.	-do-	Jute yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Gem Jute Mill	97.19	US$/ MT
39.	-do-	Jute yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Afzal Fibre Processing Industries	97.19	US$/ MT
40.	-do-	Sacking Bag	-do-	-do-	-do-	Afzal Fibre Processing Industries	125.21	US$/ MT
41.	-do-	Sacking Bag	-do-	-do-	-do-	Anam Jute Products Ltd.	125.21	US$/ MT
42.	-do-	Jute yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Bonanza Jute Composite & Diverse Factory Ltd.	97.19	US$/ MT
43.	-do-	Jute yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Jamuna Jute Industries Ltd.	97.19	US$/ MT
44.	-do-	Jute yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Joy Jute Mills Limited	97.19	US$/ MT
45.	-do-	Jute yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Jute Textile Mills Limited	97.19	US$/ MT
46.	-do-	Jute yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Golden Jute Industries Limited	97.19	US$/ MT
47.	-do-	Sacking Bag	-do-	-do-	-do-	Hasen Jute Industries Limited	125.21	US$/ MT
48.	-do-	Jute Yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Mazeda Jute Industries Limited	97.19	US$/ MT
49.	-do-	Jute Yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Reliance Jute Mills Ltd.	97.19	US$/ MT
50.	-do-	Jute Yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Salim Agro Industries Limited	97.19	US$/ MT
51.	-do-	Jute Yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Shamsher Jute Mills Limited	97.19	US$/ MT
52.	-do-	Sacking Bag	-do-	-do-	-do-	Shamsher Jute Mills Limited	125.21	US$/ MT
53.	-do-	Hessian Fabric	-do-	-do-	-do-	Shamsher Jute Mills Limited	351.72	US$/ MT
54.	-do-	Jute Yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Wahab Jute Mills	97.19	US$/ MT
55.	-do-	Sacking Bag	-do-	-do-	-do-	Wahab Jute Mills	125.21	US$/ MT
56.	-do-	Hessian Fabric	-do-	-do-	-do-	Wahab Jute Mills	351.72	US$/ MT
57.	-do-	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Akij Jute Mills Ltd.	97.19	US$/ MT
58.	-do-	Sacking Bag	-do-	-do-	-do-	Akij Jute Mills Ltd.	125.21	US$/ MT
59.	-do-	Sacking Bag	-do-	-do-	-do-	Lovely Jute Mills Ltd.	125.21	US$/ MT
60.	-do-	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Any producer other than S.N. above	162.45	US$/ MT

61.	-do-	Sacking Bags	-do-	-do-	-do-	Any producer other than S.N. above	138.97	US$/ MT
62.	-do-	Hessian Fabric	-do-	-do-	-do-	Any producer other than S.N. above	351.72	US$/ MT
63.	-do-	Jute Yarn/Twine	-do-	Bangladesh	Any country other than above	Any	162.45	US$/ MT
64.	-do-	Sacking Bags	-do-	Bangladesh	Any country other than above	Any	138.97	US$/ MT
65.	-do-	Hessian Fabric	-do-	Bangladesh	Any country other than above	Any	351.72	US$/ MT
66.	-do-	Jute Yarn/Twine	-do-	Any country other than above	Bangladesh	Any	162.45	US$/ MT
67.	-do-	Sacking Bags	-do-	Any country other than above	Bangladesh	Any	138.97	US$/ MT
68.	-do-	Hessian Fabric	-do-	Any country other than above	Bangladesh	Any	351.72	US$/ MT
69.	-do-	Jute Yarn/Twine	-do-	Nepal	Any country including Nepal	Arihant Multi-fibres Ltd.	24.61	US$/ MT
70.	-do-	Sacking Bags	-do-	Nepal	Any country including Nepal	Arihant Multi-fibres Ltd.	35.25	US$/ MT
71.	-do-	Hessian Fabric	-do-	Nepal	Any country including Nepal	Arihant Multi-fibres Ltd.	NIL	US$/ MT
72.	-do-	Jute yarn/Twine	-do-	Nepal	Any country including Nepal	Shree Raghupati Jute Mills Ltd.	24.61	US$/ MT
73.	-do-	Sacking Bags	-do-	Nepal	Any country including Nepal	Shree Raghupati Jute Mills Ltd.	35.25	US$/ MT
74.	-do-	Hessian Fabric	-do-	Nepal	Any country including Nepal	Shree Raghupati Jute Mills Ltd.	NIL	US$/ MT
75.	-do-	Jute yarn/Twine	-do-	Nepal	Any country including Nepal	Swastik Jute Mills Ltd.	15.36	US$/ MT
76.	-do-	Sacking Bags	-do-	Nepal	Any country including Nepal	Swastik Jute Mills Ltd.	8.18	US$/ MT
77.	-do-	Hessian Fabric	-do-	Nepal	Any country including Nepal	Swastik Jute Mills Ltd.	34.20	US$/ MT
78.	-do-	Jute yarn/Twine	-do-	Nepal	Any country including Nepal	Baba Jute Mills	26.07	US$/ MT
79.	-do-	Sacking Bags	-do-	Nepal	Any country including Nepal	Baba Jute Mills	33.73	US$/ MT

80.	-do-	Hessian Fabric	-do-	Nepal	Any country including Nepal	Baba Jute Mills	6.30	US$/ MT
81.	-do-	Jute Yarn/Twine	-do-	Nepal	Any country including Nepal	Nepal Jute Industries Pvt. Ltd.	26.07	US$/ MT
82.		Sacking Bags	-do-	Nepal	Any country including Nepal	Nepal Jute Industries Pvt. Ltd.	35.25	US$/ MT
83.	-do-	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Any producer other than S.N. above	28.72	US$/ MT
84.	-do-	Sacking Bags	-do-	-do-	-do-	Any producer other than S.N. above	8.18	US$/ MT
85.	-do-	Hessian Fabric	-do-	-do-	-do-	Any producer other than S.N. above	38.90	US$/ MT
86.	-do-	Jute Yarn/Twine	-do-	Nepal	Any country other than above	Any	28.72	US$/ MT
87.	-do-	Sacking Bags	-do-	Nepal	Any country other than above	Any	8.18	US$/ MT
88.	-do-	Hessian Fabric	-do-	Nepal	Any country other than above	Any	38.90	US$/ MT
89.	-do-	Jute Yarn/Twine	-do-	Any country other than above	Nepal	Any	28.72	US$/ MT
90.	-do-	Sacking Bags	-do-	Any country other than above	Nepal	Any	8.18	US$/ MT
91.	-do-	Hessian Fabric	-do-	Any country other than above	Nepal	Any	38.90	US$/ MT

**"Jute Products" comprising of Jute Yarn/twine (multiple folded/cabled and single), Hessian Fabrics and Jute Sacking bags.

180. Further having regard to the Final findings notified by the Authority vide Notification No. 7/3/2018-DGAD, dated 19th March 2019 recommending extension of existing anti-dumping duty on 'jute sacking cloth' originating in or exported from Bangladesh, and further imposition of the same by the Ministry of Finance vide Notification No. 24/2019-Customs (ADD) dated 18th June, 2019, the Authority is of the view that the ADD is also required to be extended to imports of 'jute sacking cloth' from Bangladesh for all exporters of jute sacking cloth from Bangladesh except for the following producers for which exemption had been granted from the extension of duties in the above notification:

1. M/s Mouna Jute Mills Ltd.
2. M/s Arnu Jute Mills Limited
3. M/s Rahman Jute Mills (Pvt.) Ltd.
4. M/s Jamuna Jute Industries Limited
5. M/s Sagar Jute Spinning Mills Limited
6. M/s Sidlaw Textiles (Bangladesh) Limited
7. M/s Partex Jute Mills Limited Bangladesh

8. M/s Asha Jute Industries Limited

9. M/s Nawhata Jute Mills Ltd.

10. M/s Mymensingh Jute Mills Ltd.

M. Further procedure

181. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.10.07 12:17:36 +05'30'